खण्ड-309, अंक-8
गुरूवार, 27 आषाढ़, शक संवत् 1896
(18 जुलाई, 1974 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 309 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, १८ जुलाई, १९७४

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---४०

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (उर्फ जिमी मियां एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए०सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)

कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरन यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
कशरी लाल, श्री
कलाश पति, श्रीमती
कलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री

गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वर पुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह, मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहदुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपमल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजुराम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हू लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री

निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसा अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम लाल बखबार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद बिशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बलवानसिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री

भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद, खां
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शीशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती

यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमापंत, कुमारी
रमाकांत द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवा ी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राज बहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब कैप्टेन, श्री
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलार, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजय पाल सिंह, श्री

विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेंद्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्य प्रकाश श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सत सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह श्री
सलाहुद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ मब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १८ जुलाई, १९७४

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

बरेली कालेज छात्र यूनियन नेता श्री राजवीर सिंह की हत्या

*१--श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९ जून, १९७४ की रात्रि को बरेली में बरेली कालेज छात्र यूनियन के भूतपूर्व नेता श्री राजवीर सिंह की हत्या उनके घर पर खोते समय कर दी गई ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और हत्यारों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १९-६-७४ को थाना किला, जिला बरेली में लिखित सूचना दी गई कि दिनांक १८/१९-६-७४ की रात्रि में श्री राजवीर सिंह जब अपने घर में सो रहे थे करीब ढाई तीन बजे आठ अज्ञात बदमाशों ने जो लाठी-डंडा, तबल लिये हुये थे, घर में घुस-कर श्री राजबीर सिंह व उनके पर परिवार के सदस्यों को मारा पीटा व घर का माल लूटा । शोर मंचाने पर अन्य लोग आ गये उन्हें भी बदमाशों ने मारा पीटा एवं लूटे हुये माल के साथ भाग गये। घायलों को अस्पताल पंहुचाया गया । उक्त सूचना पर धारा ३९५/३९७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत अभियोग अंकित किया गया । बाद में श्री राजवीर सिंह की मृत्यु की सूचना पर मकदमा अन्तर्गत धारा ३९६ भारतीय दंड विधान तरमीम किया गया ? विवेचना से डकैतों द्वारा लूटी गई बन्दूक नदी किनारे एक झोपड़ी में प्राप्त हुई जिसमें कोई नहीं रहता था । उक्त अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है । तथा अभियुक्तों को खोजने का भरसक प्रयत्न जारी है ।

*२--श्री हर प्रताप सिंह तथा श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[पुनर्विचार पर निरस्त]

तारांकित प्रश्न संख्या २ को निरस्त करने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, प्रश्न संख्या २ के विषय में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि जो नत्थी "क" १८ जुलाई, की जारी हुई थी, उसमें यह प्रश्न स्वीकार कर लिया गया है । इससे पूर्व २१ जून को जब कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया था तब उस समय अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि इस पर अल्पसूचित प्रश्न कर लिया जाय । मैंने जो अल्पसूचित प्रश्न किया था वह यह था कि क्या सरकार को जानकारी है कि २२ मई, १९७४ तथा ७ जून, १९७४ को इलाहाबाद में जिलाधिकारी के समक्ष कोने-कोने से आये हुये हरिजनों, शोषितों, पीड़ितों, दलितों तथा भूमि-हीनों ने एक प्रदर्शन अपनी मांगों के सम्बन्ध में किया तथा २२ मई, १९७४ से लगातार कचेहरी प्रांगण में भूख हड़ताल पर जत्था लोगों का बैठा हुआ है ? यदि हां तो हड़तालियों की मांगें क्या हैं तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष---

मुझे याद है, यह प्रश्न स्वीकृत था और अल्पसूचना के लिये भेजा गया कि इसकी जानकारी दें । चूंकि यह कई विभागों से सम्बन्धित था इसलिये यह आपत्ति की गई कि इसमें कई मंत्री सम्बन्धित होने के कारण एक मंत्री जबाब नहीं दे सकता है, इसलिये निरस्त किया गया । आप एक विषय से सम्बन्धित एक प्रश्न कर लें और इस तरह से कई प्रश्न हो जाने पर सभी बातें आपको आ जावेंगी । आप यह सब लिखकर दे दें ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, मेरा मुख्य प्रश्न तो यही है कि क्या प्रदर्शन हुआ था और उनकी मांगें क्या थीं ।

श्री अध्यक्ष---

आप चिन्तित न हो । यह तो नियम की बात है ।

श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, टाल-मटोल किया जाता है । वहां पर हरिजनों के दवा-दारू की कोई व्यवस्था नहीं की गई ।

श्री अध्यक्ष---

यह गलत बयानी है । यह प्रश्न अल्प-सूचना के लिये भेजा गया था । चूंकि यह प्रश्न कई विभागों से सम्बन्धित था इसलिये इसको निरस्त किया गया आप मेरी कक्ष में आकर समझ लीजिये ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, अगर प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति होती है तो वह प्रश्नों के बाद आनी चाहिये । ५ मिनट का अमूल्य समय निकला जा रहा है ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

देवरिया में बिजली कर्मचारियों द्वारा मांगों की पूर्ति हेतु भूख-हड़ताल

*३---श्री हरि केवल (जिला देवरिया)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में बिजली कर्मचारी ३१ मई, १९७४ से अपनी मांगों की पूर्ति के लिये क्रमिक भूख हडताल कर रहे हैं ? यदि हां तो उनकी मांगे क्या है और उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)---

मांगों का विवरण तथा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का उल्लेख संलग्न तालिका में कर दिया गया है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ ८९८ पर)

श्री हरि केवल---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो कर्मचारी रेगुलर किये गये हैं उनकी सूची क्या सदन के पटल पर रखी गई है ।

श्री अध्यक्ष---

यह तो प्रश्न के उत्तर में दे दिया गया है । शायद आपने उत्तर पढ़ा नहीं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इनकी एक मांग यह भी थी कि बहुत से कर्मचारी ३ वर्ष से ज्यादा से काम कर रहे हैं, उनको स्थायी नहीं किया गया था । उसके बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

श्री राजमंगल पांडेय—

उनको जिनकी ३ वर्ष से ज्यादा लगातार सेवायें थीं उनको नियमित कर दिया गया है ।

ग्राम पकड़ी, थाना खजनी, गोरखपुर में डकैती

*४—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि १५ मई, १९७४ को ग्राम पकड़ी के थाना खजनी जनपद, गोरखपुर में पड़ी डकैती में एक आदमी गोली से उड़ा दिया गया और अनेक व्यक्ति घायल हुये और लगभग २० हजार रुपये की सम्पत्ति लूटी गयी जिसकी नामजद रिपोर्ट थाने में अंकित कराई गई ? यदि हां, तो नामजद मुलिजिमान की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी अब तक न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

दिनांक १५/१६-५-७४ को रात्रि में श्री रमाकान्त उपाध्याय, निवासी ग्राम पकड़ी, थाना खजानी, जिला गोरखपुर के घर डकैती पड़ने, डाकुओं द्वारा घर का सामान व नकदी लूट लिये जाने, गोली मार कर एक व्यक्ति की हत्या कर दिये जाने तथा कई व्यक्तियों को डाकुओं द्वारा मारे पीटे जाने के कारण चोटें आने की लिखित सूचना थाना खजनी पर १६-५-७४ को प्राप्त हुई जिसके आधार पर एक मुकदमा, अन्तर्गत धारा ३९६ भारतीय दंड दर्ज किया गया और विवेचना शुरू की गई।

इस मुकदमें में दो नामांकित अभियुक्तों के अतिरिक्त विवेचना से १० अन्य अभियुक्त प्रकाश में आये हैं । विवेचना से प्रकाश में आये १० अभियुक्तों में से चार (४) अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो चुके हैं तथा लूटे गये माल व नकदी में से कुछ माल व नकदी बरामद कर लिया गया है । गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के अतिरिक्त शेष अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ८२/८३ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध कितने मुकदमें किस-किस तिथि को दर्ज हुये और क्या क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, सबका ब्योरा एक एक तारीख का तो नहीं है लेकिन यह जरूर है कि ८२/८३ की कार्यवाही कर दी गयी है ।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

किस-किस तारीख को दी गयी । क्या ऐसा तो नहीं है कि मेरे सवाल करने के बाद दिखलाने के लिये कार्यवाही कर दी गयी हो ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मेरे पास कोई तारीख नहीं है । जो विवरण है वह यही है कि उनके खिलाफ कार्यवाही कर दी गयी है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

जो उसमें नामजद मुलजिम हैं उनके नाम क्या हैं और उनके खिलाफ ८२/८३ की कार्यवाही हुई या नहीं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, उसमें १० हैं । परमेश्वर यादव...

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

नामजद रिपोर्ट जो हुई है उनके नाम पूछ रहा हूं । आपने जबाब दिया है कि दो आदमी नामजद हैं ।

श्री राजमंगल पांडेय—

और १० प्रकाश में आये । राज मंगल शुक्ल, परमात्मा, परमेश्वर यादव, राम सुमग सिंह, राम सिंगार, ब्रम्हदेव तिवारी, सतीश ब्राम्हण, राम सूरत यादव, रामदेव यादव, प्रहलाव सिंह, नन्हे शुक्ल उर्फ मधुसूदन ओम प्रकाश शाही ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

मान्यवर, आप इनका जबाब देखें । जबाब दिया है कि इस मुकदमें में दो मुलजिमान नांमाकित थे । इनके अतिरिक्त विवेचना में १० अभियुक्त और शामिल पाये गये । दस आदमियों का नाम तो मंत्री जी बतला रहे हैं, लेकिन जो दो नामजद हैं उनका नाम नहीं बतला रहे हैं ।

श्री राजमंगल पांडेय—

उनके नाम है ब्रम्हदेव तिवारी और परमेश्वर यादव ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

मेरा ख्याल है इसमें कुछ भ्रम हो रहा है । जो रिपोर्ट है उसको पढ़ दें तो नामजद नाम रिपोर्ट से पता चल जायेगा ।

श्री राजमंगल पांडेय—

श्रीमान् थानाध्यक्ष महोदय, थाना खजनी, निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम पकड़ी, थाना खजनी का रहने वाला है । आज की बीती रात में मैं मेरे लड़के कृष्ण शंकर और नाती कृष्ण मुरारी और राम मुरारी मकान के ओसारे में सोये थे, लालटेन जल रही थी घर की औरतें दरवाजा बन्द करके अन्दर सो रही थीं कि करीब साढ़े दस बजे रात को जूते की खटखटाहट की आवाज पर मैंने अपने लड़के और नातियों को जगाया। मेरे लड़के कृष्ण शंकर और नाती बृज मुरारी ने टार्च जलाया। देखा गया कि ७,८ डाकू जिसमें एक-एक नाली बन्दूक लिये तथा दो देशी पिस्तौल लिये और बाकी सब लाठी-भाला लिये मेरे दरवाजे पर आ गये । बन्दूक वाला एक देशी पिस्तौल वाला अपने चेहरे पर गमछा बांधे हुये थे आते ही डाकू लोग मुझे और मेरे नाती बृज मुरारी और राम मुरारी को लाठी तथा मेरे पुत्र कृष्ण मुरारी को भाले से मारने लगे डाकू पैर से धक्का देकर जाने के लिये दरवाजा खोल कर अन्दर जाने लगे । मेरे लड़के कृष्ण शंकर और नाती बृज मुरारी लड़ते झगड़ते दालान में पंहुच गये । हाथा पाई से दोनों गमछा बंधे हुये डाकुओं का गमछा खुल कर गिर गया कृष्ण शंकर चिल्ला पड़े की ये तो राज मंगल और परमात्मा हैं तब तक पिस्तौल वाले ने कृष्ण शंकर पर गोली चलाई जो दिवाल पर लगी तब तक बन्दूक वाला करीब से उन पर गोली मारा जिससे वे गिर गये बन्दूक वाला डाकू और दोनों पिस्तौल वाले डाकू बाहर निकल आये और बाकी डाकू घर में घुस कर लूट पाट करने लगे तब तक मेरा नाती राम मुरारी उपाध्याय मौका पाकर के गांव में शोर मचाया, शोर पर गांव के शिवसम्पत, राम अधार, नारद मुनि, कपिल मुनि चौबे, राम समुझ, राम सहाय, राम ललित और अगस्त मुनि आदि टार्च जलाते

[श्री राजमंगल पांडेय]

और शोर मचाते आ गये तब तक डाकू लोग फायर करना शुरू किये शिव सम्पत जोश में आकर घर में घुस करके एक डाकू को पकड़े तब तक बन्दूक वाले ने उस पर फायर किया जिससे चोट खाकर के आगन के ओसारे में गिर गये राम मुरारी ने धारी के पास रखे रहठे में आग लगा दिया जिससे काफी प्रकाश हो गया डाकू लोग लूटा सामान लेकर फायर करते हुये पश्चिम की ओर से निकल गये हमने तथा गवाहों ने लालटेन तथा टार्च रहठा की रोशनी में राजमंगल शुक्ल साकिन रमवादुर को जो एक नाल की बन्दूक लिये हुये तथा परमात्मा ग्राम परमेश्वरपुर जो पिस्तौल लिया था अच्छी तरह पहचाना गया शेष डाकुओं को सामने आने पर पहचान सकते है डाकुओं में कुछ नाटे कद के तथा कुछ औसत कद के थे ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

मान्यवर, इसमें नामजद दो आये । राज मंगल और परमात्मा । मैं जानना चाहता हूं कि उनके खिलाफ ८२/८३ की कार्यवाही हुई कि नहीं ? और हुई तो कब ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, अलग-अलग तारीख बताना तो सम्भव नहीं । जो लोग गिरफ्तार हो गये हैं उनमें परमेश्वर यादव और ब्रम्हदेव तिवारी गिरक्तार हो गये हैं ।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, इसमें राजमंगल शुक्ल और परमात्मा मिश्रा, ये दो नामजद हैं । मंत्री जी ने और १० लोगों का नाम बताकर बेकार में सदन का समय नष्ट किया । राजमंगल शुक्ल के खिलाफ ३२५,३०७ और ३९४ के मुकदमें चल रहे हैं । ३९६ का यह नया मुल्जिम है । ३३२, ४३४ और ३९५, ये ३ मुकदमों से छूट गया है और जमानत पर रिहा हुआ है । यह ३९६ का नया मुकदमा है, जिसमें यह नामजद मुल्जिम है । मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों नामजद मुल्जिम के खिलाफ कार्यवाही किस दिन हुई ? अगर कुर्की की गयी तो कौन-कौन सी जायदाद की कुर्की की गयी । जब इतने मुकदमें चल रहे हैं तो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ ? दूसरे लोग गिरफ्तार हो गये, लेकिन जो नामद थे वे गिरफ्तार क्यों नहीं हुये ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जो थानाध्यक्ष इनके खिलाफ मुकदमें की पैरवी कर रहा था, उसका स्थानान्तरण कर दिया और वहां दूसरा थानाध्यक्ष आ गया, ताकि वह इनकी मदद कर सके ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, मुकदमों की जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि यह फरार हो चुका है, इसलिये गिरफ्तार नहीं हो सका, लेकिन पुलिस इसके लिये सक्रिय है और सरगर्मी है ।

श्री राम सेवक यादव--

अगर पुलिस की सरगर्मी है तो ८२/८३ की कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, विस्तृत विवरण तो नहीं है लेकिन ८२/८३ की कार्यवाही इनके खिलाफ की है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

मान्यवर, ८२/८३ की कार्यवाही जिस मुल्जिम के खिलाफ पुलिस करती है तो उसके मवेशियों को मवेशीखाने में कर देती है, सारा सामान बाहर निकाल कर लढ़िया में लादती है और इस तरह बेइज्जत करती है । लेकिन जिनका पुलिस फेवर करती है उनका कहीं एक बोरा अनाज या खटिया निकाल कर उसे कर देती है । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कौन-कौन सी चीजें कुर्क की गयीं ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य डिटेल चाहते हैं तो मैं उसे दे दूंगा ।

श्री राम सेवक यादव--

मान्यवर, मैंने एक प्रश्न का जबाब नहीं आया । मैंने पूछा था कि चूंकि वहां का थानाध्यक्ष इन मुल्जिमों के खिलाफ कार्यवाही कर रहा था, इसलिये उसका स्थानान्तरण हुआ और दूसरा थानाध्यक्ष वहां भेजा गया ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, उनके खिलाफ कोई शिकायत है इसकी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाता है ।

[प्रश्न स्थगित किया गया]

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् अनुरक्षण खण्ड, बिजनौर के विरुद्ध आरोप

*५--श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् अनुरक्षण खंड, बिजनौर द्वारा विद्युत् परिषद् को क्षति पहुंचाने के सम्बन्ध में हाइडिल इलेक्ट्रिक इम्प्लाइज यूनियन का कोई परचा १९७४ में शासन को मिला है ? यदि हां, तो उन पर मुख्य-मुख्य आरोप क्या थे और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजमंगल पांडेय--

जी हां । अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् अनुरक्षण खंड, बिजनौर के विरुद्ध संक्षेप में परचे में लगाये गये मुख्य-मुख्य आरोप निम्न प्रकार है:--

१--अधिशासी अभियन्ता ने अपने समर्थक अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा अपनी पक्ष पुष्टि में परचा छपवाया है ।

२--अधिशासी अभियन्ता १५ वर्ष के पुराने कर्मचारियों को रोक कर नये-नये कर्मचारियों का ट्रांस्फर करते हैं बाद में रुपया लेकर बदल देते हैं ।

३--अपने कृपापात्र व्यक्ति का ट्रांसफर रुकवाया है । स्वयं एक जाली बिजली की लाइन बनाकर उपभोक्ताओं को सिखाकर इम्प्लाइज यूनियन को फंसाने की कोशिश की है ।

४--पचीसों लाइन डाइरेक्ट चल रही हैं उनको पकड़ कर छिपाया जा रहा है ।

५--ट्रक नम्बर डब्लू०पी०आई०-८९९ से कई हजार का सामान बेचने को भेजा जा रहा था उसे छोड़ दिया गया ।

६--एक व्यक्ति को कई हजार रुपये का सौदा करने के बाद नौकरी पर रखा गया है ।

७--६ अधीनस्थ कर्मचारी, अधिशासी अभियन्ता के समर्थक हैं, जिनको उनके द्वारा नाजायज फायदा पहुंचाया गया है । इत्यादि ।

इन आरोपों के सम्बन्ध में जांच राज्य विद्युत् परिषद् के द्वारा कराई जा रही है । इसके अतिरिक्त राज्य विद्युत् परिषद् को इस सम्बन्ध में दो पर्चे प्राप्त हुये हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत्, अनुरक्षण खंड, बिजनौर के विरुद्ध जांच कब से और किस अधिकारी के द्वारा कराई जा रही है ?

श्री राजमंगल पांडेय--

उसी खंड के एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं उनके द्वारा जांच की गयी और उनका कहना है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लाइज यूनियन के संगठन मंत्री जो एक फर्जी लाइन बनवा रहे थे पकड़े जाने पर यह सारी पर्चेबाजी कर रहे हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

इसी सदन में विद्युत् परिषद् के अध्यक्ष के खिलाफ करोड़ों रुपयों के गबन के गंभीर आरोप लगाये गये थे और इस पर विद्युत् परिषद् के अधिकारियों के द्वारा जो जांच कराई जा रही है वह गलत है । क्या आप विजिलेंस द्वारा जांच करायेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मैंने पहले ही बतलाया था कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने जांच की है और जांच में कोई सत्यता नहीं पाई गयी है । इसलिये इसका कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम सेवक यादव--

इन आरोपों के सम्बन्ध में राज्य विद्युत् परिषद् के द्वारा जांच कराई जा रही है । इसका मतलब यह है कि जांच जारी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रश्नकर्ता महोदय ने अपने प्रश्न के साथ एक नोटिस जिसका शीर्षक है "अधिशासी अभियन्ता श्री एम० एच० खां, विद्युत् अनुरक्षण खंड, बिजनौर के विरुद्ध संघर्ष क्यों" भी नत्थी किया है और यह नोटिस छापा गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लाइज यूनियन, उत्तर प्रदेश के नामजद लोगों की ओर से और इसमें लगभग ३१ आरोप हैं तो क्या इन सभी आरोपों की जांच कराई गयी और जिन्होंने यह नोटिस नाम देकर छपाया है जांच करते समय उनसे क्या सम्पर्क स्थापित किया गया और जानकारी हासिल की गयी ? यदि नहीं तो, क्यों ?

श्री राजमंगल पांडेय--

एक शिकायत यह है जो शासन को प्राप्त हुई वह भेज दी गयी और जो दो पर्चे और हैं उनमें भी शिकायतें एकसी हैं । उन्हीं शिकायतों पर जांच एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, श्री बी० बी० चौधरी हैं, उन्होंने की और जांच करने के बाद उन्होंने अपने सिफारिश में लिखा है सारी पर्चेबाजी एक श्री रामपाल सिंह, संगठन मंत्री, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लाइज यूनियन हैं, उनके द्वारा कराई जा रही है । उन्होंने फर्जी लाइन बनवाई थी और कुछ रुपया दे दिया । लेकिन जब पकड़े गये तो उन्होंने यह पर्चेबाजी की ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा है कि दो पर्चे प्राप्त हुए हैं ।

श्री राम सेवक यादव--

जिन लोगों ने खुले पर्चे बांटे हैं, उनकी जांच की गई ? साथ ही यह बता दें कि जो ये इंजीनियर साहब हैं उनका स्थानान्तरण हुआ था और इसी के बिना पर निरस्त कर दिया गया था ?

श्री राजमंगल पांडेय--

उनका स्थानान्तरण हुआ था और फिर रोक दिया गया था ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

उन्होंने जो यह चार्ज पढ़ा है कि एक ट्रक पर सामान बिकने के लिए जा रहा था तो क्या यह सही है कि वे मुजफ्फरनगर सामान बेचने के लिए जा रहे थे और रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया और इंजीनियर साहब ने गलत सर्टिफिकेट देकर उन्हें छुड़वा दिया ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, एक-एक आइटम पर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने जांच की और शिकायत के आधार सही नहीं पाये गये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

माननीय मन्त्री जी ने उत्तर में कहा है कि जांच जारी है और दूसरे उन्होंने यह भी कहा है कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर कोई चोपड़ा हैं उन्होंने सभी बातें निराधार बताई हैं। तो इन दोनों में से कौन सी बात सही है ? जांच किन बातों की जारी है ? नई बातों की या पुरानी बातों की ?

श्री राजमंगल पांडेय--

दोनों में शिकायतें करीब-करीब एक सी हैं। जो परचा शासन को आरोपों का प्राप्त हुआ था वैसे विजीलेंस को भेज दिया गया और जो दो परचे और प्राप्त हुए हैं उन्हें बिजली बोर्ड के अधिकारियों को भेज दिया गया। दोनों में करीब-करीब एलीगेशन्स एक ही हैं। इन दोनों का एक-दूसरे की जांच पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।

श्री ऊदल--

जो दो शिकायतें बाद में प्राप्त हुई हैं, उनकी जांच किस अधिकारी को दी गई ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, जो परचे वाली जांच है उसके बारे में नहीं बता सकता कि किस अधिकारी को भेजा गया। जो पेपर उपलब्ध हुआ था वह बिजली विभाग को दे दिया गया है कि वह जांच करे।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

जो पहला परचा दिया गया है उसमें ३१ चार्जेज हैं। उसमें बीसवें नम्बर पर जो चार्ज है उसमें लिखा है कि विद्युत् परिषद् आर्थिक संकट से परेशान है...९० लाख रुपया जो बिजली उपभोक्ताओं को दिया गया है उस पर आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष--

इसमें जो ६-७ बातें हैं उनके बारे में कह रहे हैं ?

श्री त्रिवेणी सहाय--

जो परचा है उसे मैं पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

उससे यह नहीं उठता।

श्री राजितराम पांडेय भूतपूर्व विधायक (इलाहाबाद) की हत्या

*६--श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत १३ जून, १९७४ को इलाहाबाद में लगभग ५ बजे सायंकाल भूतपूर्व विधायक श्री राजित राम पांडेय को गोली मार कर हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजमंगल पांडेय--

दिनांक १३ जून, १९७४ को थाना सराय ममरेज इलाहाबाद पर इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि कुछ नामांकित व्यक्तियों ने पुरानी रंजिश के कारण श्री राजित राम पांडेय भूतपूर्व विधायक, निवासी सेवना, इलाहाबाद को गोली मारी जिसके फलस्वरूप उनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। इस सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा १४७/१४८/१४९/३०२ भारतीय दंड विधान के अधीन थाना सराय ममरेज पर उसी दिन कायम किया गया। सभी नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ८२/८३ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही की गई जिसके उपरान्त सब अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया और वे जेल भेजे गए। मुकदमें की विवेचना के पश्चात् सभी नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट लगाई गई। मुकदमा न्यायालय में है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजितराम पांडेय जो कि एक भूतपूर्व विधायक थे उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए ३ आवेदन-पत्र आपको तथा इलाहाबाद के पुलिस सुपरिंटेंडेंट को दो माह पूर्व भेजे थे? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री राजमंगल पांडेय--

इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

दूसरा प्रश्न यह है कि रपट में कितने लोग नामजद हैं? जिन्होंने आत्म-समर्पण किया?

श्री अध्यक्ष--

यह तो न्यायालय के विचार के अधीन है।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

मैं तो तथ्य पर पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

सब हाजिर हुए, सब कोर्ट में गए, पहला सवाल ठीक था, यह नहीं। ८२/८३ की कार्यवाई कब हुई यह सिर्फ बता दें।

श्री राजमंगल पांडेय--

इसमें ५ अभियुक्त हैं और १८ जून, १९७४ को सभी अभियुक्तों के खिलाफ दफा ८२-८३ की कार्यवाई की गई।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में इस समय १२ मन्त्री हैं मुख्य मन्त्री सहित और मुख्य मन्त्री के पास ११ विभाग हैं। इस प्रश्नोत्तर काल का बड़ा महत्व है और इस समय में मुख्य मन्त्री तथा अन्य सभी मन्त्री, सदन में अनुपस्थित हैं, केवल...

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्नोत्तर काल से सम्बन्धित नहीं है, इसको बाद में उठाइयेगा।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

राजतंत्रिक विरोधियों की धड़ल्ले से हत्यायें हो रही हैं। एक इलाहाबाद में मारे गए और एक देवरिया में मारे गये और न्याय मन्त्री जी उत्तर... (व्यवधान)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति के अधिकारी व कर्मचारी

*१—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय तथा प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर) में अधिकारियों व कर्मचारियों (अध्यापक मंडल को छोड़कर) की संख्या कितनी है? इसमें अनुसूचित जाति के कितने व्यक्ति हैं?

श्री राजमंगल पांडेय—

सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

[देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८९९ पर]

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इस तालिका में स्पष्ट है वाराणसेय सस्कृति विश्वविद्यालय में ३६४ में २०, कानपुर विश्वविद्यालय में ३६४ में २० और मेरठ विश्वविद्यालय में ३४३ गैर शिक्षक कर्मचारियों में केवल १३ कर्मचारी ही अनुसूचित जातियों के हैं, जोकि बहुत कम हैं, तो क्या मन्त्री जी अनुसूचित जातियों के लोगों को इन स्वायत्तशासी संस्थाओं में उचित अधिकार दिलाने के लिए कोई विशेष निर्णय करेंगे, जिससे इनको भी यहां पर १८ प्रतिशत स्थान अवश्य प्राप्त हो सकें?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, इस तालिका में जहां आप देखेंगे कि ३६४ कर्मचारियों में २० अनुसूचित जातियों के हैं, वहीं उसमें देखेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में ७८९ में १७० अतुसूचित जातियों के कर्मचारी हैं, तथा उसी तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ८३१ में १४१ हैं। जहां-जहां कमी हुई है, उसके बारे में उनको लिखा गया है कि इनका कोटा क्यों कम हुआ है और वे इस पर कार्यवाही करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

कहीं भी ७ प्रतिशत से अधिक नहीं हैं, तो मैंने कहा जब १८ प्रतिशत नहीं हैं, तो गैर-शिक्षक कर्मचारियों की श्रेणी में स्वायत्तशासी संस्थाओं में १८ प्रतिशत अनुसूचित जातियों को स्थान मिले इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी, क्या विशेष निर्णय लेगी?

श्री राजमंगल पांडेय—

आप तालिका में देखें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ८२० में १४१, लखनऊ विश्व-विद्यालय में ७८६ कर्मचारियों में १७० अनुसूचित जातियों के कर्मचारी हैं तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय में....

श्री भीखालाल—

जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसके बारे में आप बतावें इधर उधर टालने की कोशिश न करें।

श्री राजमंगल पान्डेय—

मैंने पहले ही कह दिया जहां-जहां कमी है उसका कारण पूछा गया है, और उससे कहा गया है कि इसे निर्धारित संख्या तक पूरा किया जाए।

श्री ऊदल--

इस बात को देखते हुए कि बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ में जो गैर शिक्षक कर्मचारी हैं उनमें हरिजन कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है मंत्री जी कोई ऐसा आदेश देंगे कि नई भर्तियों में जबतक हरिजनों का कोटा पूरा न हो जाए उन्हीं को भर्ती किया जाए तथा औरों को न लिया जाए ?

श्री राजमंगल पांडेय--

माननीय सदस्य को यह मालूम है कि ये आटोनामस बाडीज हैं। कारण भी पूछा है कि क्यों कोटा कम है उनको लिख दिया गया है कि वह कोटा को पूरा करने की कोशिश करें चूंकि आटोनमास बाडीज है, उस तरह से इंटरफेरेंस नहीं कर सकते जिस तरह से और संस्थाओं में करते हैं।

श्री भीखालाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि सरकार के आदेश के बावजूद कि 18 फीसदी हरिजनों का कोटा पूरा किया जाय और उसको पूरा करने के लिए किन्हीं-किन्हीं विभागो में ४५ फीसदी तक संरक्षण दे दिया है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है तो क्या सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार है कि अपने आदेशों का पालन करवाने में असमर्थ है ?

श्री राजमंगल पांडेय--

सरकार ने जो निर्देश दिये हैं आंकड़े भी मैंने दिये हैं जिनका कोटा कम है वहां लिख दिया गया है कि वजह बताएं क्यों न कार्यवाही की जाय।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि संस्कृत विश्वविद्यालय जो संस्कृत और प्राचीन भाषाओ के विकास और शोध का केन्द्र बनाया गया है जातिवाद का बहुत बड़ा केन्द्र बन गया है। वहां पर केवल ब्राह्मण रखे जाते हैं और ब्राह्मणों में किस गोत्र का है इस आधार पर रखे जाते है। यह जो २० का संख्या है इसमें गंदगी की सफाई करने वाले है जिस कार्य में वह अपना हाथ नहीं लगाते उसी श्रेणी को रखा गया है। इसलिए मैं सरकार से और मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि क्या वे इसबीज को दूर करने के लिए कदम उठाएंगे वह विश्वविद्यालय जातिवाद और गोत्रवाद का बहुत बड़ा केन्द्र बन गया है जो उत्तर प्रदेश के लिए एक कलंक है।

श्री राजमंगल पांडेय--

मैंने पहले कह दिया है कि सरकार ने सब जगह निर्देश दे दिया है। चूंकि आटोनामस बाडीज है उस तरह से इंटरफेरेंस भी नहीं कर सकते। फिर भी माननीय सदस्यो की भावनाओं से अवगत कराते हुए फिर उनको लिखेंगे।

मिर्जापुर के बेरोजगारों की संख्या तथा उनको रोजगार देने की योजना

*२--श्री ओम प्रकाश सिंह--

क्या श्रम मंत्री यह बतलायेंगे कि मिर्जापुर जनपद में वर्ष ७१-७२, ७२-७३ व ७३-७४ में कितने व्यक्ति बेरोजगार थे और कितनों को रोजगार दिया गया ? वर्ष ७४-७५ में सरकार जनपद में कितने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये कौन सी योजना बना रही है ?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

प्राप्त सूचना के अनुसार वांछित सूचना निम्नलिखित है :--

	१९७१-७२	१९७२-७३	१९७३-७४
(१) मिर्जापुर जनपद के सेवायोजन कार्यालयों बेरोजगार पंजीकृत अभ्यार्थियों की संख्या ..	५,०४९	८,०३९	१०,९९९
(२) उन पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या जिन्हें रोजगार पर लगाया गया ..	९६५	८८३	१,२९७

(३) सन् १९७४-७५ में मिर्जापुर जनपद के बेरोजगारों के लिये श्रम विभाग की कोई योजना नहीं है ।

श्री ओमप्रकाश सिंह--

इस प्रश्न के दो खंड हैं इसलिए कम से कम तीन प्रश्न करने की आज्ञा दीजियेगा । पहला यह है कि जब सरकार ने प्रति वर्ष बेरोजगारों को अधिक से अधिक संख्या में रोजगार देने की योजना बनायी और प्रचारित की तो क्या कारण है कि मिर्जापुर जनपद में प्रति वर्ष बेरोजगारों को रोजगार देने की संख्या घटती गयी ?

श्री राजमंगल पाडेय--

इस कठिनाई के कई कारण है जिसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से जो हमको अनुदान मिलता है जिन प्रोजेक्ट्स पर कार्य बढ़ जाते हैं तो काम ज्यादा लोगों को मिलता है और घट जाते हैं तो कमी आ जाती है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मिर्जापुर में काफी सरकारी कारखाने भी खुल रहे हैं, अनेक अधिष्ठान भी है माननीय मंत्री को विदित है कि शासन की यह नीति है कि जिन जिलों में नये प्रोजेक्ट खुल रहे हैं पांच सौ रुपये तक स्थानीय लोगों को रखा जायेगा, क्या मिर्जापुर में स्थानीय लोग इन अधिष्ठानों में रखे जा रहे हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय--

चूंकि कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि पांचसौ रुपये तक वेतन पाने वाले जो भी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी लोकल लोग रखे जायं इस किस्म का फैसला लिया है उस फसले के हिसाब से सब जगह लिख दिया गया । इसी प्रकार रायबरेली फैक्टरी के लिए आई० टी० आई० के लोग प्रशिक्षित किये जा रहे हैं जिनको साल दो साल में काम देने के लिए सोच रहे हैं ।

श्री राम सेवक यादव--

जैसा कि मंत्री जी ने बताया मिर्जापुर में जो लोग पंजीकृत थे उनकी संख्या घट गई है और बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है तो जो हाफ-ए मिलियन जाब वाली भारत सरकार की योजना थी उसको छोड़ दिया गया है इसलिये यह गिरावट हो रही है ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर हाफ-ए मिलियन जाब वाली योजना में ट्रेनिंग पीरिएड बढ़ा दिया गया है । अब हम इस बात की प्रतीक्षा कर रहे है कि भारत सरकार से हमें कितनी सहायता मिल सकेगी । और जितनी सहायता मिलेगी उसके अनुसार काम पर लेने की सोचेंगे ।

जिला पूर्ति कार्यालय बाराबंकी में धांधली के संबंध में मुकदमा

*३--श्री राम सेवक यादव--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलापूर्ति कार्यालय बाराबंकी में धांधली और गड़बड़ी की हुई जांच के परिणामस्वरूप हाकिम परगनावाबगंज श्री शर्मा ने अपराध संख्या २८०, २८१ व २८२ की रपटें दिनांक ४-५-७४ को थाना कोतवाली बाराबंकी में लिखाई हैं? यदि हां तो तीनों रपटों में अलग-अलग कितने अपराधी हैं उनके नाम क्या हैं उनमें से कितने पकड़े जा चुके हैं उनमें से कितने के विरुद्ध जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत ८२/८३ के वारंट पुलिस ने हासिल किये हैं और उन पर क्या अमल हुआ है?

श्री राज मंगल पांडेय--

जी हां परगनाधिकारी नवाबगंज द्वारा 4-5-74 को कोतवाली बाराबंकी में अपराध संख्या २८०, २८१ व २८२ की रपटें लिखाई गई थी। उक्त तीनों रपटों के संबंध में वांछित विवरण संलग्न तालिका में अंकित है।

[देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ ९००-९०२ पर]

श्री रामसेवक यादव--

मान्यवर यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। अपराध संख्या 280 के अन्तर्गत जो यह अपोलो टेक्सटाइल्स व मैसर्स टंडन ट्रेडर्स हैं उनके हिस्सेदार श्री सूर्यनारायण टंडन, अरुणकुमार, दिनेशकुमार तथा प्रकाश नारायण इनकी गिरफ्तारी इसलिये नहीं हुई है कि उन्होंने स्पेशल जजी बाराबंकी से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। जब वारन्ट गिरफ्तारी और कुर्की वगैरह की कार्यवाही हो गई थी तो किस तारीख को यह जारी हुई और किस तारीख को स्थगन आदेश जारी हुआ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर माननीय सदस्य ने जो अपोलो, टेक्सटाइल और मैसर्स टंडन ट्रेडर्स की बात कही है तो उसमें वारंट गिरफ्तारी और कुर्की वगैरह की कार्यवाही कर दी गई थी लेकिन स्पेशल जजी बाराबंकी से स्थगन आदेश प्राप्त हो जाने के कारण वह कार्यवाही नहीं की जा सकी और वे जमानत पर छूट गये।

श्री रामसेवक यादव--

मान्यवर, मारे घुटना फूटे आंख वाली बात मंत्री जी ने कर दी। मैं पूछ रहा हूं कि वारन्ट गिरफ्तारी और कुर्की वगैरह के आदेश कब जारी हुए और स्थगन आदेश कब हुआ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, तारीख इसमें साफ नहीं दी गई है। लेकिन जिस तारीख को मुकदमा कायम हुआ उसके कुछ ही दिन बाद स्पेशल जजी बाराबंकी से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये गये।

श्री रामसेवक यादव--

मान्यवर, इसलिये तारीख नहीं बताई जा रही है क्यों कि उनको स्थगन आदेश प्राप्त करने का मौका दिया गया जिससे वारंट गिरफ्तारी और कुर्की की कार्यवाही न हो सके। मैं यह जानना चाहूंगा कि जो फर्म जगन्नाथ रामचन्द्र की है। उसमें एक आदमी की गिरफ्तारी हुई जब कि उनके खिलाफ वारन्ट गिरफ्तारी कुर्की वगैरह की कार्यवाही आपके उत्तर के अनुसार है और माननीय सदस्य ने दो बार लिख कर दिया लेकिन फिर भी गिरफ्तारी नहीं की गई। दूसरे इसके साथ ही साथ जो मुलजिम नम्बर १४, १५, १७ तथा १८ पर हैं उनके

खिलाफ ३०-५-७४ को वारन्ट गिरफ्तारी और कुर्की वगैरह की कार्यवाही हुई तो यह लिखकर कि तफतीश जारी है गिरफ्तारी नहीं की गई तो तफतीश किस बात की जारी है जब कि एस० डी० एम० ने रिपोर्ट लिखी और इनको सुविधा क्यों दी गई है?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर यह खुद ही देखेंगे कि नम्बर १२ के खिलाफ लिखा गया है कि ३०-५-७४ को कुर्की वगैरह की कार्यवाही की गई । तफतीश इस बात को होती है कि अगर कोई रिपोर्ट है और जो मुलजिम होते हैं उनको कानून के अन्दर कुछ कहने का अधिकार होता है जिन मुद्दों पर चार्जशीट लगाई जाने वाली होती है और उससे कौन-सा अपराध बनता है ।

श्री राम सेवक यादव--

मान्यवर व्यवस्था का प्रश्न है । यह जो ४-५-७४ को अपराध संख्या २८०, २८१ और 282 की रिपोर्ट लिखायी गयी उसके आधार पर गिरफ्तारी होनी चाहिये थी। मैं जानना चाहता हूं कि दूसरे लोगों को उसी आधार पर गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ तफतीश जारी है इसका क्या कारण है।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था इसमें क्या दें ? कानून पर हम क्या व्यवस्था दें? हो सकता है कि उन्होंने किया हो या न किया हो ।

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर जो भी विवेचना करता है उसको इतना तो डिसक्रिशन देना ही पड़ता है कि वह किस प्रकार स कार्यवाही करता है । हम रोजभर उसमें हस्तक्षप नहीं करत ।

श्री रामसेवक यादव--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अपराध संख्या २८२ में क्रम संख्या ५, ६ और ७ पर क्रमशः मेसर्स बाल कृष्ण पोद्धार मसस स्वास्तिक ट्रडर्स और बंसल ट्रेडिंग कम्पनी हैं । ये पोद्धार हैं तेल के बहुत बड़ बिक्रता और साथ ही साथ यह जो मसस स्वास्तिक ट्रेडर्स बहोरोल।ल वहां के बहुत बड़ सठ है और उनकी पत्नी उसकी हिस्सदार ह । ये कांग्रसी नता ह । हो सकता ह कि पी०सी०पी० क सदस्य भी हो । इनक खिलाफ विवेचना जारी है कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर मुझे पता नहीं है कि ये कांग्रेसी ह । विवचना जारी है दफा ८२/८३ की कार्यवाही कुछ केसेज म हुई है।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिनके खिलाफ गिरफ्तारी की कायवाही नहीं हुई ये चन्दा देते थे?

[कोई उत्तर नहीं दिया गया ।]

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिला पूर्ति कार्यालय के कितने कर्मचारी इससे संबंधित हैं । उनको क्या मुलजिम नहीं बनाया गया ?

श्री राजमंगल पांडेय---

इसमें ४ पूर्ति निरीक्षक सर्वश्री वी०बी० तिवारी, एस०एन० शुक्ला, एन०के० टंडन और जयराम सरोज की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं और श्री बी०एस० शुक्ला को निलम्बित कर दिया गया है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिस व्यक्ति ने कई आदमियों के नाम से परमिट लिया तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई है या नहीं दूसरी चीज में यह जानना चाहता हूं कि एस०डी० एम० ने मुकदमा पकड़ा और कुछ लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो गयी और कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। इसका क्या कारण है?

श्री राजमंगल पांडेय---

इसका उत्तर दे चुका हूं कि जांच करने वाले को डिस्क्रिशन देना पड़ता है।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह---

जिलापूर्ति कार्यालय में तमाम गड़बड़ियां हैं, ३ इंस्पेक्टर्स टर्मिनेट भी कर दिये गये, मुलजिम भी बनाये गये, परन्तु सप्लाई अफसर को बचा दिया गया जब कि उसने सबसे ज्यादा गड़बड़ी की है। क्या सरकार उन्हें मुलजिम बनायेगी?

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, जिसका इस काम से संबंध है, हम कार्यवाही उन्हीं के खिलाफ करेंगे। डी०एस०ओ० एक सुपरवाइजरी आफिसर है, वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की रिकमेंडेशन पर सारी कार्यवाही करता है। ३ निरीक्षकों की सर्विसेज टर्मिनेट कर दिया है और एक को निलम्बित कर दिया है।

श्री राम सेवक यादव---

अध्यक्ष जी, इसमें घोटाला है। मैं चाहता हूं इस पर आधे घंटे की चर्चा कबूल कर लें।

श्री अध्यक्ष---

इसमें विस्तृत सूचना आपको दी गई है। जहां-जहां आपको सूचना खटकती हो तो उस पर आप अल्प सूचित प्रश्न कर लें।

श्री रामसेवक यादव---

मान्यवर, जो बड़े वहां के व्यापारी हैं, उनका सत्तारूढ़ दल से साठगांठ है और आज भी अध्यक्ष जी जिनके खिलाफ मुकदमें चलाने चाहिये थे उनके खिलाफ मुकदमें नहीं चलाये गये। तो अध्यक्ष जी, इस पर चर्चा कबूल कर लें।

श्री अध्यक्ष---

आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें। विस्तृत सूचना आपको दिया है। जब इस पर भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप चर्चा का प्रश्न उठायें।

लखनऊ नगर के गैर सरकारी इण्टर कालेजों के हरिजन छात्रों को छात्र-वृत्ति का वितरण

*४---श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)---

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सत्र १९७२-७३ के लिये राज्य सरकार द्वारा लखनऊ नगर के गैर सरकारी मान्यता एवं सहायता प्राप्त इंटर कालेजों के

हरिजन छात्रों हेतु जो छात्रवृत्ति नगर के विभिन्न इंटर कालेजों को दी गई उसका उन विद्यालय के छोत्रों में वितरण कर दिया गया है? यदि हां, तो किस कालेज में कब वितरण किया गया है।

श्री राजमंगल पांडेय---

लखनऊ नगर के ४५ गैर सरकारी मान्यता एवं सहायता-प्राप्त इंटर कालेजों के अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी। उनमें से ३५ इंटर कालेजों ने हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियां पूर्णतः वितरित कर दी गयीं। ऐसे कालेजों को सूची एवं वितरण की तिथि संलग्नक में है।

[देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६०३-६०५ पर]

*५---श्री कल्याण सिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्न (४) में उल्लिखित ऐसे विद्यालय कौन-कौन हैं जहां कि उक्त छात्रवृत्ति का वितरण सरकार से अनुदान मिलने पर भी नहीं किया गया। तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री राजमंगल पांडेय---

१० संस्थाओं में छात्रवृत्ति का वितरण अंशतः हुआ है। इनमें कुल ५०७ छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई थी, जिसमें से ५३ को छात्रवृत्ति का वितरण नहीं किया गया ऐसी संस्थाओं की सूची एवं वितरण की तिथि संलग्नक में है। उपरोक्त १० संस्थाओं में से ६ में छात्रवृत्ति का वितरण छात्रों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं हुआ। इस धन को छात्रों के उपलब्ध होने पर उन्हें वितरित करने अथवा राजकीय कोष में जमा करने के आदेश दे दिये गये हैं। इनके विषय में कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। शेष एक संस्था जय नारायण इंटर कालेज के ६ छात्रों की ३,२१६ रु० की धनराशि उक्त संस्था के लिपिक ने खजाने से निकाली थी परन्तु कालेज के लेखा पुस्तिका में नहीं चढ़ाई और न छात्रों को बांटा। इस घटना की पुलिस में रिपोर्ट कर दी गयी है जिसकी जांच सी०आई० डी० द्वारा हो रही है। जांच आख्या के परिणाम के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

[देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६०६-६०७ पर]

श्री कल्याण सिंह---

मान्यवर, इसमें जो तथ्य है मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

जो सूचना आपने मांगी है, कौन-सी सूचना इसमें नहीं है?

श्री कल्याण सिंह---

मान्यवर, मेरी सुन तो लीजिये। यह घटना सिम्पिल नहीं है। यदि यह मामला इतना साधारण होता तो इसे सी०आई० डी० को न सौंपा जाता। मान्यवर इसमें प्रिंसिपल स्वयं फंसे हैं।

श्री अध्यक्ष---

इसमें तो लखनऊ भर का दिया है। किस कालेज के बारे में आपको आपत्ति है?

श्री कल्याण सिंह---

मान्यवर, केवल एक सवाल ही करूंगा। माह सितम्बर, १६७२ में हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति की २,८३५ रु० की धनराशि बैंक से कैश की गई। माह मार्च, १६७३ में (६ माह बाद) कैश बुक दर्ज कराई, यह धन प्रिंसिपल के पास रहा। छात्रों को मार्च, ७३ के

[श्री कल्याण सिंह]

बाद बांटा गया । मार्च, ७३ में दूसरी किस्त ३,२१६ रु० कैश किया गया है। मान्यवर, वहां का लिपिक श्री शिवराम शुक्ल ने दिनांक ८ सितम्बर, ७३ को राज्यपाल, शिक्षा सचिव, जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ, उप-शिक्षा निदेशक षष्टम मंडल को एक-एक रिपोर्ट दिया जिसमें जयनारायण इंटर कालेज के प्रधानाचार्य श्री बी० एन० भट्टाचार्या के विरुद्ध इस धन के अपहरण के आरोप लगाये ह । डी०डी० आर० ने जांच की और आरोप सत्य पाये गये और प्रबन्धक को चार अर्द्धशासकीय पत्र कार्यवाही हेतु लिखे गये । डी०डी० आर० ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर-दिसम्बर, ७३ में शिक्षा सचिव को प्रस्तुत कर दी और डी०डी० आर० ने स्पेशल आडिट कराया और आरोप सत्य पाये गये ।

इस पर प्रिंसिपल पर गम्भीर आरोप लगाये गये हैं । डी०डी०आर० ने जांच की, प्रिंसिपल के विरुद्ध आरोप सिद्ध हुए, स्पेशल आडिट हुआ, जिसकी ९६ पन्ने की रिपोर्ट है, उससे स्पष्ट है कि प्रिंसिपल ने गबन किया है। फिर वहां के प्रबन्धक ने एक सदस्यीय कमेटी नियुक्त की, उसने निर्णय दिया कि प्रिंसिपल ने गबन किया, फिर २ सदस्यीय कमेटी बैठी, उसने भी यही निर्णय दिया । फिर प्रिंसिपल को बचाने के लिए प्रबन्धक ने सी०आई०डी० के कोई मुकर्जी साहब हैं, जो उनके मित्र हैं, उनके द्वारा जांच करायी जा रही है? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी इन तथ्यों के प्रकाश में किसी दूसरे अफसर से इस मामले की जांच करायेंगे?

श्री राजमंगल पांडेय--

इस प्रकार की सूचना नहीं है, लेकिन अगर ये लिखकर दे दें कि सी०आई०डी० के इन्स-पैक्टर, जो इस मामले की जांच कर रहे हैं, वे प्रभावित है, तो निश्चय ही हम उनको हटाकर किसी दूसरे इन्सपेक्टर से जांच करा लेंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

प्रिंसिपल को बचाने के लिये प्रबन्धक महोदय, अनेक प्रबन्ध कर रहे है और सी०आई० डी० का जो इन्सपेक्टर इस मामले की जांच कर रहा है, वह इनका मित्र है । अगर जांच के लिए ऐसे आदमी की तकरूरी हो गयी तो वह न्याय के हित में नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि दूसरे तरीके से इन्क्वायरी न कराने का क्या कारण है ?

श्री राजमंगल पांडेय--

अगर माननीय सदस्य को स्वतः जानकारी है तो वे ही सब लिखकर दे दें । मैं जानना चाहता हूं कि उनकी जानकारी का आधार क्या है ।

श्री कल्याण सिंह--

मैं निश्चित सूचना दे रहा हूं । मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को किसी माननीय सदस्य से यह पूछने का अधिकार है कि आपकी जानकारी का क्या आधार है ।

[कोई उत्तर नहीं दिया गया ।]

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यदि यह होगा तो जो बातें शासन के विरुद्ध होंगी, अगर हमसे सूचना का आधार पूछा जायगा तो कभी भी सदन में न आ सकेंगी ।

श्री कल्याण सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी हम से यह पूछ सकते हैं कि जो तथ्य हमें मिले हैं, उनका आधार क्या है ? हम किसी को क्यों बतायें, लेकिन यह हमारी जानकारी है । यह तो अभिलेखों की बात है । २-२ कमेटी बठी, स्पेशल आडिट की ९६ सफे की रिपोर्ट फाइल में मौजूद है, फिर भी क्या माननीय मंत्री जी हम से पूछ सकते हैं कि हमारी जानकारी का आधार क्या है?

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य का प्रश्न ४ इस प्रकार है "क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा-सत्र १९७२-७३ के लिये राज्य सरकार द्वारा लखनऊ नगर के गैर सरकारी मान्यता एवं सहायता प्राप्त इन्टर कालेजों के हरिजन छात्रों हेतु जो छात्रवृत्ति नगर के विभिन्न इन्टर कालेजों को दी गई उसका उन विद्यालय के छात्रों में वितरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस कालेज में कब वितरण किया गया है ?"

पूरी सूची तिथिवार ब्योरा उत्तर के साथ संलग्न है । इसलिये आपके सवाल का अपेक्षित उत्तर पूरा है ।

प्रश्न ५ इस प्रकार है "क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्न (४) में उल्लिखित ऐसे विद्यालय कौन-कौन हैं, जहां कि उक्त छात्रवृत्ति का वितरण सरकार से अनुदान मिलने पर भी नहीं दिया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?"

इसका भी उत्तर इन्होंने दिया है । अब अगर आपको किसी एक मुद्दे पर कुछ करना हो तो अल्पसूचित प्रश्न आप कर लें (व्यवधान) मैं आपको अनुमति दे रहा हूं । अगर इस जबाव से आप संतुष्ट न हो.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, मुख्य प्रश्न आपके सामने दूसरा हो गया है । जब यह प्रश्न किया गया कि किन विशेष परिस्थितियों में दूसरे किसी व्यक्ति से इन्क्वारी कराने में वे राजी होंगे तो उन्होंने उनका सोर्स आफ इन्फार्मेशन पूछा । हमें जो सूचना प्राप्त होती है वह विभिन्न सोर्सेज से प्राप्त होती है । हमारे लिये यह जरूरी नहीं है कि हम सोर्स आफ इन्फार्मेशन बतायें । जिस ने हमें बताया है अगर वह हम बता दें तो हमें प्रश्न करने से क्या लाभ होगा ?

श्री अध्यक्ष---

यह न आप बतायें । सभी कालेजों के बारे में पूछा है और सब जगह के प्रिंसिपल के बारे में तो आप नहीं कह सकते हैं कि सबने भ्रष्टाचार किया है । किसने किया है और कौन ऐसे विद्यालय हैं इस पर या तो अल्पसूचित प्रश्न का सहारा लें, क्योंकि जितनी सूचना दी गयी है, यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी प्रिंसिपल के बारे में कोई दूसरा आदमी जांच करे अथवा यदि सूचना चाहते हों, इस विस्तृत जानकारी के आधार पर और संदर्भ में आप प्रश्न कर सकते हैं । यह अधिकार आपको है । मंत्री जी ने जैसा कहा, इसमें व्यवस्था का क्या सवाल है ?

श्री कल्याण सिंह---

श्रीमन्, मेरा प्वाइंट दूसरा है । जैसा कि आप कहते है कि ३,२१६ रुपया इसलिए नहीं बांटा गया क्योंकि छात्र उपलब्ध नहीं थे । मैं कहता हूं कि यह सूचना सत्य नहीं है । प्रिंसिपल के पास पूरा रखा रहा और प्रश्न हुआ तो रिफंण्ड किया गया है । मैं इतनी सारी जानकारी दे रहा हूं जो हरिजन छात्रों के हित में है, मंत्री जी के और विभाग के हित में है । तो इन सब तथ्यों के आधार पर जांच करा लें, इसमें क्या आपत्ति है---मुख्य मंत्री बता दें कि इसमें क्या आपत्ति है ? सोर्स आफ इन्फार्मेशन क्या है इसकी क्या आवश्यकता है जबकि मैंने अपने तथ्य दिये हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

अध्यक्ष जी, जो प्रश्न पहले माधव बाबू ने उठाया था अगर आपकी आज्ञा हो तो उसका उत्तर देना चाहता हूं । यह गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि अपना सोर्स हमें बतावें कि आप को कैसे जानकारी हुई । आप उसको सुरक्षित रखिये, आपको मुबारक हो । अगर आप लिखकर देंगे कि मेरी जानकारी में है तो हमें काफी है, हमें सोर्स की आवश्यकता नहीं है । इस माननीय

[श्री हेमव ो नन्दन बहुगुणा]

सदन का कोई सदस्य कोई बात लिखता है तो उतना ही उस पर विश्वास करते है जितना कि किसी सदन के सदस्य पर विश्वास किया जाना चाहिये ।

जहां तक प्रश्न दूसरा है, मैंने प्रश्न को देखा नहीं है, इसलिये मैं आफ-हैण्ड तो नहीं कहूंगा, लेकिन इसमें मान्यवर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये कि इसी बात को लिख कर दे दें कि इन-इन स्कूलों में यह-यह गड़बड़ी है, ताकि उस पर जांच करायी जा सके ।

विधान सभा व विधान परिषद् के सदस्यों को स्कूटरों का आवंटन

*६---श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, १६६६ के फरवरी, १६७४ के बीच विधान सभा तथा विधान परिषद् के किन-किन सदस्यों के स्कूटर आवंटित किया गया और क्या उनकी सूची भी सरकार सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री राजमंगल पांडेय---

सूची संलग्न है ।

[देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ ६०८--६१३ पर]

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सूची में कितने ऐसे सदस्य हैं जिनको इस ५ वर्ष में दो मर्तबा स्कूटर का आवंटन किया गया है ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो देख लीजिये, एम० एल० एज० और एम० एल० सीज० की पूरी सूची है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मेरा प्रश्न है कि ५ साल के अन्दर एक ही स्कूटर किसी को सरकार आवंटित कर सकती है या इससे अधिक ?

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, ५ वर्ष का कोई नियम नहीं है, २ साल का नियम है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सूची में श्री कन्हैयालाल सोनकर, श्री अनीसुर्रहमान शेरवानी और श्रीमती कलारानी मिश्र को दो बार स्कूटर दिया गया है, क्या ये सब सत्ता पार्टी के विधायक हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय---

स्कूटरों के मसले में थोड़ा सा भ्रम है। स्कूटर दो तरह के हैं---लैम्ब्रेटा और वेस्पा । लैम्ब्रेटा ऐसा है कि उसको कोई लेने वाला नहीं था । विधान सभा का सदस्य आज भी कोई नहीं लेता है । वेस्पा का नहीं मिलेगा जिसने लैम्ब्रेटा की मांग की हो । तो अगर लैम्ब्रेटा की मांग है और कोई नहीं लेने वाला है और अगर कोई लेना चाहता है तो देने में कोई एतराज नहीं है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, इस सूची में ३ विधायकों के नाम २--२ बार है और किसी का नाम नहीं है और वह हैं कन्हैया लाल सोनकर, अनीसुर्रहमान शेरवानी और कलारानी मिश्र । तो मेरा प्रश्न स्पष्ट

है कि जब स्कूटर का आवंटन और किसी माननीय सदस्य को दो बार नहीं किया गया है, इन्हीं तीनों को दिया गया है, तो ये क्या सत्ता पार्टी के विधायक हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय--

यह तो माननीय सदस्य को नाम से ही पता है। पहले आप यह बता दें कि इन तीनों को दो-दो दफा वेस्पा ही दिया गया है या लैम्ब्रेटा भी दिया गया है ?

श्री कल्याण सिंह--

स्कूटर में दोनों ही चीजें आती हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मेरा प्रश्न केवल स्कूटर के लिये है।

श्री अध्यक्ष--

एम० एल० एज० और एम० एल० सीज० के बारे में है और सवाल का जबाव पूरा है।

(व्यवधान)

[१८ जुलाई, १९७४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१--श्री मोहन लाल कपूर--

[उत्तरित, निरस्त।]

*२--श्री मोहन लाल कपूर--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उच्च न्यायालय में तीन वर्ष से अधिक अवधि के लम्बित मुकदमें

*३--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय उच्च न्यायालय के विचाराधीन ऐसे मुकदमों की संख्या कितनी है जो ३ वर्ष की अवधि से अधिक समय से विचाराधीन हैं परन्तु अभी निर्णय नहीं हो सका है ?

श्री राजमंगल पांडेय--

१ जनवरी, १९७४ को उच्च न्यायालय में तीन वर्ष से अधिक से लम्बित मुकदमों की संख्या २४,४४९ थी जिनमें १३,४२५ मेन केसेज तथा ११,०२४ विविध मामले थे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह मानते हुये कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इतनी बड़ी संख्या बाकी है ऐसे मुकदमों की जिनका निर्णय अभी नहीं हो सका तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने पर सोचेगी कि पश्चिमी इलाके के जितने केसेज हैं उनके फैसले के लिये मेरठ या किसी दूसरी जगह सर्किट बेंच की व्यवस्था हो जाय ?

श्री राजमंगल पांडेय--

न्याय विभाग के बजट के अवसर पर ही मैंने कह दिया था कि ला कमीशन के जितने मेम्बर्स थे और जो बड़े एमिनेन्ट जूरिस्ट्स थे उन्होंने हमेशा इस बात का विरोध किया कि हाई कोर्ट की बेन्चेज एक स्टेट में एक से अधिक हों। यहां दो हैं और तीसरी खोलने से और जगह भी इस मांग की प्रवृत्ति बढ़ती जायेगी।

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नो का समय समाप्त ।

डाक्टर रमाशंकर त्रिपाठी द्वारा मिर्जापुर के एक छात्र के साथ कुकृत्य

*४--चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि ३१-३-७४ को मिर्जापुर नगर में नेत्र चिकित्सक डा० रमा शंकर त्रिपाठी द्वारा ७वीं कक्षा के १२ वर्षीय छात्र श्री कृष्ण जायसवाल के साथ अभद्र व्यवहार किया और पुलिस ने अपराधी को बन्द न कर इसका विरोध करने वाले छात्रों तथा ग्रामवासी के सम्पादक, श्री कमलाकान्त मिश्र को निरपराध बन्द कर दिया ? यदि हां,तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

३१ मार्च, १९७४ को १.३० बजे दिन में श्री रामजी निवासी भइंसहिया, जिला मिर्जापुर ने थाना कटरा पर इस आशय की लिखित सूचना दी कि उनका १२ वर्षीय भाई उसी दिन तेलियागंज स्थित डा० रमाशंकर त्रिपाठी के दवाखाने में आंख में दवा डलवाने गया था और उक्त डाक्टर ने वादी के भाई के साथ अप्राकृतिक सम्भोग किया । इस सूचना पर थाना कटरा पर एक मुकदमा धारा ३७७ भारतीय दंड विधान का कायम किया गया । मुकदमे की विवेचना की जा रही है । अभियुक्त ने दिनांक २-४-७४ को न्यायालय में आत्म-समर्पण किया जहां से उसी दिन उसकी जमानत स्वीकृत की गई ।

उक्त घटना के दूसरे दिन कुछ राजनैतिक कार्यकर्त्ता लगभग १०० प्रदर्शनकारियों को लेकर डा० त्रिपाठी के घर पर पहुंचे वहां पर उत्तेजनात्मक नारे लगाये तथा ड० त्रिपाठी के घर में घुसकर उनकी सम्पत्ति को नष्ट करने के लिये प्रयत्नशील हुए । अतः पुलिस ने मौके पर ६ व्यक्तियों को जिसमें कमला कान्त मिश्र भी थे धारा १५१ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया और उनके विरुद्ध धारा १०७/११७ जा० फौ० के अन्तर्गत चलानी रिपोर्ट न्यायालय में दी ।

*५--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

[पुनर्विचार पर निरस्त ।]

ग्राम मुडगुआ (मिर्जापुर) के खलिहान में अग्निकाण्ड

*६--श्री ओम प्रकाश सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अदलहाट थाना (मिर्जापुर) के अन्तर्गत ग्राम मुडहुआ में १५/१६ अप्रैल, १९७४ की रात्रि में आग लगने से लगभग ४०० मन गहूं के नष्ट हो जाने की रिपोर्ट पुलिस (थाने) में लिखाई गई है ? अगर हां, तो पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही किया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

दिनांक १८-४-१९७४ को श्री रामलाल निवासी ग्राम मुड़हुआ, जिला मिर्जापुर ने थाना अदलहाट पर इस आशय कि लिखित सूचना दी कि १५/१६-४-१९७४ की रात्रि में वे अपने खलिहान में सोये थे और करीब १२ बजे रात में यकायक उजाला होने के कारण उनकी नींद खुल गई तो उन्होंने देखा कि उनके खलिहान में आग लगी है । आग से उनके ५० बीघे खेत के २,५०० बोझ जलकर राख हो गये । इस सूचना के आधार पर थाने पर एक मुकदमा धारा ४३५ भारतीय बंड विधान के अन्तर्गत कायम करके विवेचना प्रारम्भ की गई । अभी तक की विवेचना से अभियुक्त का पता नहीं चल सका है ।

*७--श्री ओम प्रकाश सिंह--

[८वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

मंत्रिमंडल के सदस्यों के टी०ए० व डी०ए० पर व्यय

*८--चौधरी चरण सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ८ नवम्बर, १९७३ से २८ फरवरी, १९७४ तक मंत्रि-मंडल के सदस्यों के टी०ए० व डी०ए० पर कितना व्यय हुआ तथा उनके साथ जाने वाले स्टाफ पर तथा उनके बाहर रहने पर सरकारी कार्य के निष्पादनार्थ जाने-आने वाले स्टाफ पर कितना व्यय हुआ ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

भटनी-इलाहाबाद पैसेन्जर ट्रेन में ज्ञानपुर-जंगीगंज के बीच में डकैती

*९--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या मुख्य मंत्री की जानकारी है कि २७ मई, १९७४ को जनपद इलाहाबाद में नार्थ ईस्टर्न रेलगाड़ी भटनी-इलाहाबाद पैसेन्जर में स्टेशन ज्ञानपुर तथा जंगीगंज के मध्य भीषण सशस्त्र डकैती पड़ गई ? इस सम्बन्ध में जो रपटें लिखाई गई है उनके अनुसार कौन-कौन लोग डकैती के शिकार हुये तथा उनका कितने-कितने का माल लूटा गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २७ मई, १९७४ को जनपद इलाहाबाद में पूर्वोत्तर रेलवे की भटनी-इलाहाबाद पैसेन्जर में ज्ञानपुर तथा जंगीगंज रेलवे स्टेशनों के बीच सशस्त्र डाकुओं ने डकैती डाली । इस सम्बन्ध में पुलिस में जो रिपोर्ट लिखाई गई उसके अनुसार सर्वश्री हरीराम तिवारी तथा कालिंदी प्रसाद, निवासी जिला वाराणसी, विश्वनाथ तथा मिश्री लाल, निवासी जिला गोरखपुर, रामनाथ यादव, निवासी जिला देवरिया तथा सत्य नारायन निवासी आन्ध्र प्रदेश का माल लूटा गया । रिपोर्ट में दिये गये विवरण के अनुसार इन व्यक्तियों के लूटे गये माल की कीमत लगभग २०,००० रुपये है ।

*१०--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[८वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*११--चौधरी रामपाल सिंह यादव तथा श्री हरि केवल--

[पुनर्विचार पर निरस्त]

थाना सचेंडी, कानपुर में कथित बम फटने से होम गार्ड की मृत्यु

*१२--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि थाना इंचार्ज सचेड़ी, जिला कानपुर में १५-५-७४ को मौजा चिरौरा की डकैती के मौके से एक बम बरामद करके थाने में लाने के बाद उसके रखने का माकूल इन्तजाम न करने के फलस्वरुप तारीख १८-५-७४ को थाने के अन्दर उसके फट जाने से होम गार्ड के एक सिपाही की मौत हो गयी थी ? यदि हां, तो सरकार ने कितना रुपया होम गार्ड के सिपाही के घर वालों को दिया और इस प्रकार की बदइन्तजामी के सिलसिले में थाना इंचार्ज के खिलाफ क्या मुनासिब कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

१८ मई, १९७४ को प्रश्न में उल्लिखित आशय की कोई घटना नहीं हुई और न बम फट जाने से होम गार्ड के किसी सिपाही की मृत्यु हुई ।

*१३--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[८वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

सचिवालय में ठंककों की भर्ती में बरती गयी अनियमिततायें

*१४--श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव (जिला लखनऊ)--

क्या यह सही है कि सचिवालय में तदर्थ पद में वर्ष १९७१ व १९७२ में नियुक्त किये गये टंककों की भर्ती में बरती गई अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में किसी जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखते हुये क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां । जांच अधिकारी की रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत है । दोषी व्यक्तियों में से दो की चरित्र पंजिका में भर्त्सनात्मक प्रविष्टि तथा एक की चरित्र-पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गयी है ।

गोंडा बस स्टेशन पर नगरपालिका के बकाया वाटर टैक्स की वसूली

*१५--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या परिवहन मंत्री को यह जानकारी है कि गोंडा परिवहन स्टेशन पर नगरपालिका गोंडा का २ लाख ३६ हजार रुपया वाटर टैक्स बकाया है ? यदि हां, तो यह बकाया कब का है और इसके वसूल करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजमंगल पांडेय--

नगरपालिका गोंडा का गोंडा बस स्टेशन के पानी का बिल रु० २,४१,५३३.२५ पैसे का नवम्बर, १९७३ में प्राप्त हुआ था । इसमें रु० २,४१,२१६.४० पैसे दिसम्बर, १९७२ से मार्च १९७३ तक की अवधि का और रु० ३१६.८५ पैसे पहले का बकाया है। केवल चार मास (दिसम्बर, १९७२ से मार्च, १९७३ तक) का पानी का बिल रु० २,४१,२१६.४० पैसे बहुत अधिक है, जिसके लिये जांच की जा रही है। जांच पूरी हो जाने पर देय धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा ।

*१६--श्री हरिकेवल--

[पुनर्विचार पर निरस्त]

पडरौना में संभ्रान्त नागरिकों की पुलिस द्वारा कथित पिटाई की शिकायत

*१७--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि २९-५-७४ को सायंकाल ६ बजे पडरौना के मेन मार्केट में नगर के संभ्रान्त नागरिकों को पुलिस के लोगों ने मारा-पीटा ? पुलिस आतंक और अराजकता के विरोध में ३०-५-७४ को नागरिकों ने जो शान्ति पूर्ण हड़ताल की, उसकी जानकारी है ? यदि हां, तो क्या सरकार क्या इसकी निष्पक्ष जांच की जा रही है ?

---

†छापी नहीं गई !

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि २९-५-७४ को सायंकाल ६ बज पडरौना के बाजार में किसी संभ्रांत नागरिक को पुलिस कर्मचारियों द्वारा मारा-पीटा गया। पुलिस के आतंक अथवा अराजकता की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। उप पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच किये जाने पर पता चला कि धारा ३७९ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज किये गये एक मुकदमें की विवेचना के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा नामांकित अभियुक्त के भाई से छानबीन किये जाने की बात को कस्बा पडरौना के कुछ दुकानदार बुरा मान गये और उन्होंने दिनांक ३०-५-७४ को अपनी दुकानें बन्द रखी थीं।

श्री विजय बहादुर शाही, ग्राम नौतन, (देवरिया के घर डकैती)

*१८--श्री हरि केवल--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के ग्राम नौतन, थाना कोतवाली, देवरिया के श्री विजय बहादुर शाही के घर २२ मई, १९७४ को ७ १/२ बजे सायंकाल डकैती पडी? जिसमें डकैतों ने पचासों हजार रुपया लूट लिया और बन्दूक से गृह स्वामी एवं ग्रामीण को घायल कर जीप से भाग जाने का प्रयास किया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उचित कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

दिनांक २२-५-७४ को श्री विजय बहादुर शाही, निवासी ग्राम नौतन, जिला देवरिया ने थाना कोतवाली देवरिया पर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उसी दिन संध्या समय ८-१० अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो बन्दूक पिस्तौल, चाकू व लाठी से लैस थे, अपने यहां लगभग २२ हजार रुपये का कपड़ा, जेवर व बन्दूक लूटने अपने पिता, भाई तथा स्त्री को चोटें पंहुचाने और लूटपाट करने के बाद जीप से भाग जाने का उल्लेख किया गया था।

उक्त सूचना के आधार पर धारा ३९५/३९७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान ११ अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से ५ को गिरक्तार करके जेल भेजा गया। एक अन्य अभियुक्त ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया तथा उसे भी जेल भेजा गया। एक अभियुक्त जिला आजमगढ़ में २६/२७-६-७४ को डकैडी डालते समय जान से मारा गया।

एक अभियुक्त के पास से लगभग ७०० रु० का कपडा बरामद किया गया।

पुलिस की जांच से ज्ञात हुआ कि डाकुओं ने इस डकैती में किसी जीप का प्रयोग नहीं किया था।

*१९-२०--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[९वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या १०-११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२१--श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[८वें गुरुवार के लिये स्थगित]

ग्राम रसूलपुर, जिला खीरी में स्थित गौकशी

*२२--श्री मन्ना लाल (जिला खीरी)--

क्या मुख्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि लखीमपुर जिले के मोहम्मदी थाने के ग्राम रसूलपुर (मजरे अमीर नगर) में आजकल लगभग नित्य गौकशी होती है ? जिसकी सूचना सम्बन्धित थाने को माह अप्रैल तथा मई, ७४ में की गई ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम रसूलपुर, जिला खीरी में गौकशी होने की कोई सूचना माह अप्रैल और मई, १९७४ में थाना मोहम्मदी पर नहीं प्राप्त हुई। ऐसी कोई सूचना नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि ग्राम रसूलपुर में नित्य गौकशी होती है।

*२३—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[निरस्त]।

श्री शिवनाथ खन्ना छात्र मेडिकल कालेज, लखनऊ की गोमती नदी में लाश

*२४—श्री मन्ना लाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १४ मार्च, १९७४ ई० को लखनऊ में चौथी वर्ष के डाक्टरी के छात्र की लाश गोमती में मिली थी ? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १४ मार्च, १९७४ को लखनऊ मेडिकल कालेज के चतुर्थ वर्ष के छात्र, श्री शिवनाथ खन्ना की लाश निशातगंज के पुल के पास गोमती नदी से प्राप्त हुई थी।

इस मृत्यु की घटना की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

पोस्ट मार्टम परीक्षण के अनुसार लाश पर मृत्यु से पहले की कोई चोट नहीं पाई गई और मृत्यु डूबने के कारण दम घुटने के फलस्वरूप हुई। अब तक की जांच से मृत्यु के कारण के संबंध में किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है। जांच जारी है।

*२५—श्री काशी नाथ मिश्र—

[७वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*२६—श्री काशी नाथ मिश्र—

[६वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

लखनऊ विश्वविद्यालय में अग्निकाण्ड से सम्बन्धित छात्रों के विरुद्ध मुकदमें

*२७—श्री दीपनारायण पाण्डेय (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय के अग्निकांड में मई-जून, १९७३ के सम्बन्ध में अभी भी कितने छात्रों के ऊपर मुकदमें न्यायालय के अन्तर्गत विचाराधीन है ? और क्या सरकार छात्रों के ऊपर मुकदमा उठाने के लिये कोई कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

२१ मई, १९७३ को लखनऊ विश्वविद्यालय में हुए अग्निकांड के संबंध में २० छात्रों के विरुद्ध मुकदमें अदालत के विचाराधीन हैं। सरकार इन मुकदमों को वापस लेने के संबंध में विचार नहीं कर रही है, क्योंकि छात्रों के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं।

*२८—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा तथा श्री कल्याण सिंह—

[९वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*२९—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा तथा श्री कल्याण सिंह—

[९वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*३०-३१—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[८वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड आजमगढ़ में अनुसूचित जाति के कर्मचारी

३२—श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अधिशासी अभियंता (ग्रामीण विद्युतीकरण) आजमगढ़ द्वारा वर्ष १९७१-७२, १९७२-७३ एवं १९७३-७४ में कितने कर्मचारियों की भर्ती की गई है क्या उनकी सूची सदन के मेज पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या यह सही है कि भर्ती किये गये कमचारियों में हरिजनों की भर्ती आरक्षित कोटे के अनुसार नहीं की गई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड आजमगढ़ में सन् १९७१-७२ में ३२ व्यक्तियों की भर्ती अस्थायी रूप से नियमित अधिष्ठान (Regular Establishment) में की गयी तथा ६३ कर्मचारियों की भर्ती कार्य प्रभारित अधिष्ठान में की गयी, जिसमें अनुसूचित जाति की संख्या एक है । सन् १९७२-७३ एवं १९७३-७४ में किसी भी व्यक्ति की भर्ती नहीं की गयी ।

श्री बच्चन लाल सरपंच न्याय पंचायत सेवली (बाराबंकी की हत्या)

*३३—श्री राम सेवक यादव तथा श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मृतक बच्चन लाल, सरपंच, न्याय पंचायत सेवली की हत्या दिनांक १०-६-७४ को की गई और क्या यह सत्य है कि इसके पूर्व वष १९७३ में बाराबंकी से कुर्सी जाते समय बस में देवा कस्बा, थाना देवा में पिस्तौल से हमला मृतक पर किया गया था और पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी ने मृतक की जान व माल की सुरक्षा के लिये दो मुसहल गाड घर पर तनात किये थे ? यदि हां, तो क्या हत्या एवं उक्त दोनों घटनाओं की थाने पर हुई रपटों को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बच्चन लाल निवासी ग्राम पीड़ थाना देवा जिला बाराबंकी की हत्या ९-६-७४ को किये जाने की रिपोर्ट थाना देवा म उसी दिन लिखाई गयी थी इस रिपोर्ट के आधार पर थाना देवा में धारा ३०२/२०१/३९४ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया । तीनों नामांकित अभियुक्त जेल भेजे गये । उनके विरुद्ध आरोप प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

इस घटना के पूर्व श्री बच्चन लाल ने २७-८-७३ को देवा से कुर्सी आते समय बस पर फायर किये जाने के बारे में जो रिपोर्ट लिखाई थी वह जांच से झूठी पाई गयी श्री बच्चन लाल ने १७-११-७३ को थाना देवा में रज्जन निवासी खेवली के विरुद्ध धारा ३०७ भारतीय दंड विधान की रिपोट लिखाई थी । संबंधित मुकदमें में चार्जशीट तैयार है ।

श्री बच्चन लाल की सुरक्षा के लिए सितम्बर १९७३ से दो सशस्त्र सिपाही तैनात किये गए थे ।

श्री बच्चन लाल की हत्या एवं उन पर फायर किये जाने की कथित घटनाओं से संबंधित रिपोर्ट की प्रतियां संलग्न हैं ।

(देखिए नत्थी 'छ' पृष्ठ ९१४-९१६ पर)

निर्वाचन विभाग के निष्कासित कर्मचारियों की नियुक्ति में सुविधाएं

*३४--श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा) तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बराबंकी)--

क्या न्याय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि निर्वाचन विभाग से अभी दो महीने पूर्व कितने कर्मचारी उत्तर प्रदेश में निकाले गये है और उन कर्मचारियों को किसी अन्य विभागों में खपाये जाने का कोई प्रयत्न शासन की ओर से किया गया है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

जिला निर्वाचन कार्यालयों में अस्थायी रूप से बढ़े हुए कार्य के लिये सृजित अस्थायी पदों की अवधि समाप्त हो जाने पर माह मार्च, १९७४ के अन्त में ४३४ अस्थायी कर्मचारी सेवा मुक्त किये गये । इन कर्मचारियों की प्राथमिकता से अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु तथा आवश्यकतानुसार आयु सीमा से छूट दिये जाने हेतु शासनादेश जारी किया गया है ।

उद्योगों व ट्यूबवेलों पर लगाये गये विद्युत शुल्क (सरचार्ज) की वापसी

*३५---श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बिजली पर १० रुपया प्रति हार्स पावर उद्योगों पर तथा ३ रुपये प्रति हार्स पावर नलकूपों पर लगे सरचार्ज वापस करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जी नहीं ।

१० रुपये प्रति हार्स पावर प्रति माह उद्योगों पर सरचार्ज नहीं है बल्कि १२० रुपये प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष मिनिमम गारंटी है जो उद्योगों में लगभग २ १।१ (ढाई) घंटे प्रति दिन विद्युत प्रयोग करने से ही पूरी हो जाती है । इसी प्रकार निजी नलकूप उपभोक्ताओं से ३ रुपये प्रति हार्स पावर प्रति मास निश्चित शुल्क लिया जाता है जो बिजली देने की दर का एक भाग है। यह उप भोक्ताओं के लिये लगाई गई पूंजी पर व्याज तथा ह्रास व रख रखाव के व्यय का अंश है। इन्हें वापिस करने का कोई विचार नहीं है ।

*३६--श्री दीना नाथ सेवक---

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १० वें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या ३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*३७--श्री बाबू लाल वर्मा---

[८वें गुरुवार के लिए स्थगित ।]

*३८--श्री केशरी लाल--

[८वें गुरुवार के लिए स्थगित ।]

शाहजहांपुर में प्राहिबिटेड बोर के पिस्तौल का रिवाल्वर के लिये लाइसेंस और लाइसेंसदारों की संख्या

*३९--श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले में इस समय प्राहिबिटेड बोर पिस्तौल व रिवाल्वर के कितने लाइसेंसदार हैं ? उनके नाम व पते क्या हैं और उनका प्राहिबिटेड बोर लाइसेंस दिये जाने का आधार क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

लखीमपुर खीरी में डी० आई० आर० में बन्द किये गये हरिजन तथा अन्य जाति के व्यक्ति

*४०—श्री मोहम्मद रफी खां—

क्या मुख्य मंत्री कृपया लखीमपुर खीरी जिले के उन व्यक्तियों की एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि जिन्हें वर्ष १९७३ के माह जुलाई में डी०आई०आर० में बन्द किया गया था, इसमें से कितने हरिजन जाति के व्यक्ति थे और कितने दूसरी जातियों के और यह बन्दीकरण किसके आदेश से हुआ था ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वांछित सूची संलग्न है । कुल ४६ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थ जिनमें २८ व्यक्ति हरिजन थे तथा शेष १८ अन्य जाति के थे । इन व्यक्तियों को क्षेत्राधिकारी, पलिया (जिला लखीमपुर खीरी) के आदेश से गिरफ्तार किया गया था ।

(देखिय नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६१७-६१८ पर)

*४१-· श्री मोहम्मद रफी खां—

[निरस्त]

मेंहनगर बाजार (आजमगढ़) में थाना खोलने की मांग

*४२—श्री जंगबहादुर (जिला आजमगढ़) तथा श्री गिरजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के मेहनगर बाजार में पुलिस स्टेशन बनाने की कोई योजना सरकार ने स्वीकृत की है । यदि हां, तो इसका कार्य कब से प्रारम्भ हो जायगा?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां । आजमगढ़ जिले के थानों के कार्यक्षेत्र से संबंधित ग्राम तथा मोहल्लों की अनुसूचियां शासकीय गजट में प्रकाशित होने के तुरन्त बाद थाना मेहनगर का कार्य प्रारम्भ हो जायगा।

*४३—श्री रामरति 'बिन्द' तथा श्री गिरिजा शंकर पाठक—

[८वें गुरुवार के लिये स्थगित]

श्री श्याम सुन्दर निवासी राजापुर (प्रतापगढ़) को विष दिया जाना

*४४—श्रीमती शिवकुमारी दुबे—(जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत रानीगंज थाने के राजापुर ग्राम के एक नवयुवक श्री श्यामसुन्दर को दिनांक ४-६-७४ को प्रतापगढ़ शहर में मिष्ठान में विष दे दिया गया ? यदि हां, तो विष देने वाले कौन लोग हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या सारे अभियुक्त गिरफ्तार कर लिये गये हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्री श्याम सुन्दर निवासी राजापुर थाना रानीगंज जिला प्रतापगढ़ ने दिनांक ६-६-७४ को कोतवाली प्रतापगढ़ में दो नामांकित तथा एक अज्ञात अभियुक्तों के साथ जलपान करने और बाद में चक्कर आने और उस दशा में अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की सोने की जंजीर तथा कुछ नकद धनराशि लेकर भाग जाने के बारे में एक रिपोर्ट लिखाई जिसके आधार पर धारा ३६४/३२८/३९२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा दज किया गया। भोला नाथ ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और राम लाल मौर्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उक्त दोनों अभियुक्त जमानत पर हैं। तीसरे अज्ञात अभियुक्त का पता लगाया जा रहा है।

थानाध्यक्ष रानीगंज, आजमगढ़ द्वारा चक्रधर नामक डाकू की कथित गिरफ्तारी

*४५—श्रीमती शिव कुमारी दूबे—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत रानीगंज थाने में मार्च १९७४ ई० में थानाध्यक्ष श्री ओंकार नाथ पांडय द्वारा चक्रधर नामक डकैत दिन में ही खुलेआम रानीगंज बाजार में पिस्टल तथा अन्यान्य अस्त्र-शस्त्रों समेत पकड़ा गया था और लगभग दो दिनों तक थाने में रोकने के उपरान्त छोड़कर भगा दिया गया जिसकी लिखित सूचना आरक्षी अधीक्षक, प्रतापगढ़ एवं मुख्य मंत्री को मई, १९७४ ई० को दी गई ? यदि हां, तो थानेदार के विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रश्न में उल्लिखित आशय के आरोप प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक ५-४-७४ में लगाये गये थे। उप पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच कराने पर पाया गया कि चक्रधर पुलिस को नहीं मिला और न चक्रधर को पुलिस द्वारा पकड़ा जा सका था।

*४६—श्री भगवत दयाल—

[१०वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिले के उच्च अधिकारियों के बंगलों की भूमि पर खेती करने की इजाजत

*४७—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जिले के बड़े-बड़े अफसरों (कमिश्नरों, जिलाधिकारियों तथा पुलिस कप्तानों) आदि को बंगले के अन्दर की जमीनों पर खेती करने की इजाजत दी गई है। यदि हां, तो क्या इस बात की जानकारी सरकार को है कि प्रत्येक जिले का कृषि विभाग इनकी खेती कराता ह ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वारिसों को पेंशन का प्राविधान

*४८—श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि शहीदों व स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के सम्मान हेतु उनके परिवारों के लिये चलाई जा रही पेंशन योजना के अन्तर्गत शहीदों व स्वर्गवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्रों (वारिशों) को पेंशन देने को व्यवस्था नहीं है। यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रही है। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

राज्य शासन की नियमित स्वतंत्रता संग्राम योजना के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीदों एवं स्वर्गवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की विधवा को और विधवा की मृत्यु या पुनर्विवाह पश्चात् उनके नाबालिग बच्चों को पेंशन देने का प्राविधान है ।

*४९—श्री काली चरन यादव—

[८वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

*५०—श्री सन्त सिंह यूसुफ—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

श्री राम सरन ग्राम गोपिया (बहराइच) की हत्या की गुप्तचर विभाग द्वारा जांच की मांग

*५१—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि बहराइच जिले के थाना मोतीपुर में दिनांक २४ मई, १९७४ को अपराध संख्या ९७ ग्राम गोपिया के राम सरन कुरमी की हत्या हो जाने की लिखित रिपोर्ट धारा ३०२ ता०हि० के अन्तर्गत दर्ज हुई है ? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक २३/२४-५-७४ की रात को ग्राम गोपिया जिला बहराइच के रामसरन कुरमी की की गई हत्या की लिखित सूचना थाना मोतीपुर पर २४-५-७४ को प्रातः प्राप्त हुई जिसके आधार पर अपराध संख्या ९७, अन्तर्गत धारा ३०२, भारतीय दंड विधान कायम हुआ और विवेचना शुरू की गई ।

*५२—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या यह भी सत्य है कि उक्त रिपोर्ट में नामजद मुल्जिम कोई नहीं है और ग्राम गोपिया में इस बात की चर्चा है कि रिपोर्ट करने वाला तथा तीन अन्य ही हत्या के मुल्जिम है ? यदि हां, तो इसकी छान-बीन गुप्तचर विभाग द्वारा सरकार करायेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यह सत्य है कि उपरोक्त रिपोर्ट में कोई मुल्जिम नामजद नहीं है । प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम गोपियां में इस बात की कोई चर्चा नहीं है कि रिपोर्ट करने वाला तथा अन्य तीन ही उक्त हत्या के मुल्जिम हैं ।

*५३—श्री शफीकुर्रहमान बर्क, श्री देवी सिंह तथा श्री सुल्तान सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

*५४—श्री सीताराम निषाद—

[८वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण

*५५—श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार ने भारतीय संविधान अनुछेद १६(४) के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग की किन-किन जातियों को जो कि शिक्षा एवं सामाजिक

[श्री सीताराम निषाद]

दृष्टि से बहुत पीछे है उनके विकास के लिये सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

भारत का संविधान में केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिये सेवाओं में भरती के मामले में आरक्षण का प्राविधान है । किसी अन्य वर्ग के लिये नहीं । अतः राज्याधीन सेवाओं में भी किसी अन्य वर्ग के लिये आरक्षण की व्यवस्था नहीं है ।

*५६--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[८वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

*५७--श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग के सम्बन्ध में बरेली में हुए प्रदर्शन व तोड़ फोड़ का मुआवजा

*५८--श्री राम सेवक यादव, श्री राम जी सिंह (जिला गाजीपुर), श्री अब्दुल रऊफ लारी तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बनाने के सम्बन्ध में ६ तथा ७ जनवरी, १९७४ को जिन लोगों ने बरेली में तोड़-फोड़ एवं प्रदर्शन किया ? क्या उनको पुलिस ने पकड़ा था, यदि हां, तो उनको सरकार ने छोड़े जाने के आदेश किस आधार पर दिये और उनको क्या सरकार बतायेगी कि तोड़-फोड एवं लूटे जाने के फलस्वरूप किन-किन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को कितनी-कितनी क्षति हुई तथा सरकार ने उन लोगों की क्षति पूर्ति का क्या मुआवजा दिया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

दिनांक ७-१०-७४ को बरेली में रुहेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग को लेकर किये गये प्रदशन व तोड़-फोड़ की घटना के सिलसिले में ४० व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था । गिरफ्तार व्यक्तियों को छोड़े जाने के आदेश शासन द्वारा नहीं जारी किये गये बल्कि इन व्यक्तियों को अदालत द्वारा जमानत पर रिहा किया गया । इस घटना के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके सामने अंकित क्षति हुई ।

	रु०
१--राजकीय परिवहन विभाग	४,६२,०००.००
२--फायर ब्रिगेड	१,८०,०००.००
३--आई०बी०आर० आई०	३०,०००.००
४--प्राइवेट बसें	१६,१५०.००
५--राजकीय इन्टर कालेज लाइब्रेरी	५,०००.००
६--सरकारी टेन्ट	५,०००.००
७--सोयाबीन फैक्ट्री	५,०००.००
८--पी०ए०सी० की मोटरगाड़ी	२,५००.००
९--टी०बी०अस्पताल	२,०००.००
१०--एक तांगे का निजी सामान	१,५००.००
११--पुलिस की साइकिलें	४५०.००
योग ..	७,०९,६००.००

शासन द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों एवं संस्थाओं को कोई मुआवजा स्वीकार नहीं किया गया ।

प्रतापगढ़ में डाकुओं द्वारा एक डी० एस० पी० की हत्या तथा दूसरे का घायल होना

*५९---श्री मोहम्मद असरार अहमद तथा श्री रामजी---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जून, १९७४ के तीसरे सप्ताह में प्रतापगढ़ के डिप्टी एस०पी०, अली नासिर को गोली मार कर मार डाला गया और दूसरे डिप्टी एस०पी० को कुछ लोगों द्वारा जख्मी कर दिया गया जब कि वे प्रतापगढ़ से दूर विश्वनाथ गांव में डाकुओं को पकड़ने के लिये गये थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की और मुलजिमान अब तक पकड़े गये या नहीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १७/१८-६-७४ को ग्राम मान्धाता, थाना जठवारा, जिला प्रतापगढ़ में पड़ी डकैती से सम्बन्धित अपराधियों को पकड़ने के लिये गई पुलिस पार्टी, जिसमें क्षेत्राधिकारी सदर श्री अली नजीर तथा क्षेत्राधिकारी श्री आर०के०कपूर भी थे, पर कोहलागांव के सामने की सड़क पर डाकुओं द्वारा फायर किये जाने के फलस्वरूप श्री अली नजीर तथा आर०के०कपूर घायल हुये । अस्पताल पंहुचने पर श्री अली नजीर की मृत्यु हो गई । इस घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली, प्रतापगढ़ पर एक मुकदमा अन्तर्गत धारा १४७/१४८ १४९/३०२, ३०७/३३३ भारतीय दंड विधान दर्ज किया गया और विवेचना शुरु की गई । विवेचना से १० अभियुक्त प्रकाश में आये हैं जिनमें ५ अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है । शेष अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ८२/८३ जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की जा रही है ।

टिहरी रियासत को राजा के शासन से मुक्ति दिलाने वाले सेनानियों को पेंशन देने की मांग

*६०---श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४८ में टिहरी रियासत की जनता की राजा के शासन से मुक्ति दिलाने हेतु जेल जाने वाले एवं गोली खाने वाले स्वतंत्रता सेनानी पेन्शन पाने के अधिकारी हैं ? यदि वर्तमान नियमों के अनुसार नहीं तो क्या नियम परिवर्तित किये जाने की सम्भावना है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

वर्तमान नियमों के अनुसार पेंशन के अधिकारी नहीं हैं परन्तु नियमों में संशोधन शासन के विचाराधीन है ।

*६१---श्री ऊदल तथा श्री राम चन्द्र बख्श सिंह---

[दबें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

*६२---श्री शिव कैलाश---

[पुनर्विचार पर निरस्त ।]

*६३---श्री झिलमिट तथा श्री रघुबीर---

[पुनर्विचार पर निरस्त]

सी० आई० डी० कालोनी के क्वार्टरों का आवंटन

*६४--श्री बृजपाल सिंह यादव (जिला बदायूं)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ सी० आई० डी० कर्मचारियों तथा अधिकारियों के आवास हेतु कोई सी० आई० डी० कालोनी है ? यदि हां, तो उसमें कुल कितने क्वार्टर हैं उनमें से कितने-कितने क्वार्टर किस-किस श्रेणी के कर्मचारी तथा अधिकारियों के लिये आरक्षित हैं और क्या वर्तमान एलाटमेंट के अनुसार सब इन्सपेक्टरों के लिये निर्धारित आवास में अन्य लोग रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां। उक्त कालोनी में कुल ३० आवास गृह हैं, जिनमें से १२ आवासगृह उप निरीक्षक तथा १८ आवासगृह निरीक्षकों के लिये हैं। उक्त १२ आवासगृह उपनिरीक्षकों को ही आवंटित किये गये थे परन्तु जिन लोगों को ये आवास गृह दिये गये थे उनमें से ७ की पदोन्नति निरीक्षक तथा १ को उपाधीक्षक के पद पर हो चुकी है। पदोन्नति के बाद भी ये अधिकारी अपने पुराने आवास गृहों में ही रह रहे हैं क्योंकि उपयुक्त किराये के अथवा सरकारी आवास इन्हें उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

*६५--श्री नन्दन सिंह--

[८वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

राजकीय डिग्री कालेजों में प्रवक्तताओं की नियुक्ति

*६६--श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी (जिला मुरादाबाद)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय डिग्री कालेजों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाने के लिये शिक्षा सत्र १९७२-७३ तथा १९७३-७४ में कितने अध्यापकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की गई उनमें से ऐसे कितने हैं जिनकी अन्तिम उपाधि (शिक्षा डिग्री) तृतीय श्रेणी की है तथा कितनी की एडहाक नियुक्ति की गई है ? और क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

वर्ष १९७२-७३ में १३९ तथा १९७३-७४ में ९२ प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गयी। इनमें से केवल एक व्यक्ति तृतीय श्रेणी का है जो अल्मोड़ा डिग्री कालेज में पहले से नियुक्त था और १ जुलाई १९७२ से उक्त कालेज के प्रान्तीयकरण के फलस्वरुप राजकीय सेवा में आया।

सभी नियुक्तियां तदर्थ हैं। विद्यार्थियों के पढ़ाई के हित में एडहाक नियुक्ति करना आवश्यक हो जाता है। इन पदों पर बाद में नियमानुसार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्तियां की जाती हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूरों को औद्योगिक कर्मचारी घोषित किये जाने की मांग

*६७--श्री देव कुमार यादव--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जी० ओ० नं० ३७३५ (एस०टी०)-छत्तीस-ए-१३६ (एस० टी०)-५७, दिनांक जुलाई १५, १९५८ सार्वजनिक निर्माण विभाग में सड़कों पुलों और भवनों के रख-रखाव और निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों पर लागू होता है ? यदि हां, तो उपरोक्त मजदूरों को अभी तक औद्योगिक कर्मचारी घोषित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री राज मंगल पांडेय---

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरिजन सहायक विभागीय तथा बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन प्राइमरी विद्यालयों के कर्मचारियों व अध्यापकों का वेतन-क्रम

*६८---श्री जंग बहादुर (जिला आजमगढ़ मेंहनगर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा चलायें जाने वाले स्कूलों तथा बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों के अध्यापकों तथा अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन-क्रम में भिन्नता है ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या और इस विषमता को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जी हां ।

हरिजन सहायक विभाग द्वारा सहायता प्राप्त प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण का मामला शासन के विचाराधीन है ।

सजायाफ्ता पुलिस के सिपाही श्री बीर सिंह, जिला जालौन के बन्दूक के लाइसेंस का निरस्तीकरण

*६९---डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)---

क्या यह सही है कि ग्राम टिमरो, जिला जालौन निवासी वीर सिंह जो पुलिस का सिपाही है पर धारा ३०७ में सजा हुई है फिर भी उक्त व्यक्ति का लाइसेंस तथा बन्दूक जब्त नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जी हां ।

सत्र न्यायालय से दंडित होने के पश्चात् श्री वीर सिंह का लाइसेंस निरस्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

आगरा के श्री दिनेश कुमार सिंह की हत्या की सी० आई० डी० द्वारा जांच की मांग

*७०---श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा शहर में दिनांक ८ जनवरी, १९७४ को एक्सप्रेस होटल (आगरा) के पास कोई हत्या की घटना हुई थी ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी हुई ? क्या सी० आई० डी० द्वारा जांच सरकार करायेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ८-१-७४ को थाना सदर बाजार, आगरा में इस आशय की एक रिपोर्ट लिखायी गयी कि वादी के भाई दिनेश कुमार सिंह को अमुक व्यक्तियों द्वारा गोली से मार दिया गया है । इस घटना के एक अभियुक्त ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा ३०२ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दर्ज अपराध की विवेचना एस० आई० एस० द्वारा पूरी करके चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की गई । मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ।

*७१--श्री मंजूर अहमद--

[८ वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गढ़वाल तथा कुमायूं विश्वविद्यालयों को दिया गया अनुदान

*७२--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौरी गढ़वाल)--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायूं विश्वविद्यालय को कुल कितना धन विश्वविद्यालय संचालनार्थ दिया गया है और इस धन को आवंटित करने का आधार क्या था ? क्या आगामी जुलाई से यह स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

गढ़वाल तथा कुमायूं विश्वविद्यालय को इस वर्ष अभी तक ५-५ लाख रुपये तदर्थ रूप से अनुदान दिया गया है । विश्वविद्यालय स्वायत्त शासित संस्थायें होती हैं और स्वतंत्र रूप से ही कार्य करते हैं ।

थाना बघौली हरदोई के अन्तर्गत कत्ल

*७३--श्री पूरनालाल (जिला हरदोई)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले में थाना बघौली के अन्तर्गत माह जून, में कुल कितने कत्ल हुये और वे किन-किन ग्राम में हुये ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

हरदोई जिले के थाना बघौली के अन्तर्गत जून ७४ में ग्राम देवनपुर मजरा पतसेनी में एक कतल होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई । उक्त कत्ल की घटना से संबंधित मुकदमें में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है ।

कस्बा गोपामऊ हरदोई में पुलिस चौकी की स्थापना

*७४--श्री पूरन लाल--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि हरदोई के कस्बा गोपामऊ में कोई पुलिस चौकी कायम करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

गोपामऊ कस्बे में पुलिस चौकी पहले से स्थापित है ।

हल्द्वानी विद्युत् उप खण्ड के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र नवाड़ खेड़ा मल्ला देवला के विद्युतीकरण का कथित आदेश

*७५--श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि माह जनवरी, १९७४ के द्वितीय सप्ताह में हल्द्वानी विद्युत् उपखंड के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र नवाड़ खेड़ा मल्ला देवला में शीघ्र विद्युतीकरण का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो इस आदेश का आज दिन तक पालन न होने का कारण क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी नहीं । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

*७६—श्री शारदा प्रसाद रावत—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*७७—श्री गोपाल दत्त ओझा—

[८वें बुधवार में प्रश्न संख्या ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री गंगा सहाय जाटव, सिरौली, (बरेली) के निवास स्थान पर डकैती

*७८—श्री हेमराज सिंह तथा श्री रामेश्वर नाथ चौबे (जिला बरेली)—

क्या सरकार को सूचना है कि दिनांक ६ अप्रैल, १९७४ को कस्बा सिरौला, थाना सिरौली, जिला बरेली में श्री गंगा सहाय जाटव सैनिक निवास स्थान पर कोई डकैती पड़ी ? यदि हां, तो अभी तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक ६ अप्रैल, १९७४ को श्री बनवारी लाल ने थाना सिरौली जिला बरेली पर लिखित सूचना दी कि वह अपने साथी गंगा सहाय जाटव सिपाही के कहने से कस्बा सिरौली में स्थित उसके घर थाने के छोटे दरोगा व अन्य गवाहों के साथ कपड़े लेने आदि के लिए गया था तो मकान की कोने की दीवार की ईन्ट उखड़ी मिली। अन्दर मकान देखा तो सामान बिखरा पड़ा मिला और गंगा सहाय के बताये हुए २००० रु० और दो ट्रांजिस्टर नहीं मिले। उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा ४५७–३८० भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया जिसकी विवेचना स्थानीय पुलिस की विशेष अनुसन्धान शाखा द्वारा की जा रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामांकित तीनों व्यक्तियों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया और न्यायालय से उनकी जमानत हुई।

सचिवालय के आशुलिपिकों की अनिवार्य योग्यता

*७९—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय में एडहाक तौर पर आशुलिपिकों (वैयक्तिक सहायकों) के भर्ती के लिए आजादी के पूर्व अंग्रेजी शार्ट हैन्ड जानना अनिवार्य योग्यता निर्धारित थी और इस समय भी ऐसा ही है जबकि हिन्दी राज्य भाषा घोषित हो चुकी है और समस्त सरकारी कार्य अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही करने के शासकीय आदेश है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां।

परन्तु अन्तर इतना है कि आजादी के पूर्व केवल अंग्रेजी आशुलिपि का ज्ञान अनिवार्य था और अब हिन्दी आशुलिपि का ज्ञान ही अनिवार्य है। अब हिन्दी आशुलिपि जानने वालों को वरीयता दी जाती है तथा अंग्रेजी आशुलिपि के ज्ञान को कम महत्व दिया जाता है। द्विभाषी आशुलिपिक न मिलने पर आवश्यकता-नुसार तदर्थ नियुक्तियां केवल हिन्दी आशुलिपि जानने वालों की भी कर ली जाती है।

थाना सदर मेरठ की पुलिस द्वारा श्री सुरेश चन्द्र पर ब्लैक में चीनी बेचने के संबंध में चलाये गये मुकदमे की कथित वापसी

*८०—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि थाना सदर, जिला मेरठ की पुलिस ने लगभग सात माह पहले तीन बोरी चीनी ब्लैक में बेचते हुए मुलजिमान सुरेश चन्द्र व नरेश चन्द को रंगे हाथों पकड़ा और जेल भेजा और उनके खिलाफ चार्ज शीट लगाई ? यदि हां, तो मुकदमे को किस आधार पर वापस ले लिया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय की घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने एक अभियुक्त सुरेन्द्र चन्द्र को २४ नवम्बर, १९७३ को गिरफ्तार किया था। इस बारे में धारा ३–७ ऐसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुरेश चन्द्र के विरुद्ध किए गए मुकदमें में जांच के उपरान्त कानूनी मशवरे पर अन्तिम रिपोर्ट दी गई। मुकदमा वापस नहीं लिया गया।

बुलन्दशहर में अनटचेबिलिटी ऐक्ट के अन्तर्गत चलाये गये मुकदमें

*८१—श्री खचेड़ू सिंह मोहरिया (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के थाना डिवाई अनूपशहर और जहांगीराबाद में १ मार्च, १९७४ ई० से ३० अप्रैल, १९७४ तक अनटचेबिलिटी ऐक्ट (छूआछूत) के अन्तर्गत कितने वाद चलाये गये और उनमें कितने वाद सजायाब हुये हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार माह मार्च–अप्रैल, १९७४ में अनटचेबिलिटी ऐक्ट के अन्तर्गत केवल थाना जहांगीराबाद तथा थाना डिवाई में एक-एक अभियोग दर्ज किये गये थे। दोनों अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री भीकम सिंह प्रधान, अखतउ मंगदपुर (एटा) द्वारा जी० आर० पी० फर्रुखाबाद के इंचार्ज के विरुद्ध शिकायत

*८२—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फ़र्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २ जून, १९७४ को एस०ओ०, जी० आर० पी०, फर्रुखाबाद ने भीकम सिंह, प्रधान अखतउ मंगदपुर, पो० सीघपुर, जिला एटा को गिरफ्तार किया था और जमानत पर रिहाई के बाद उक्त प्रधान ने एस०ओ०, जी०आर०पी० पर गम्भीर आरोप लगाते हुए शिकायत की है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २ जून, १९७४ को एक कांसटेबिल जो मुसाफिरखाना व रेलवे स्टेशन फ़र्रुखाबाद पर ड्यूटी पर था, वे जी० आर० पी० फर्रुखाबाद पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि दो व्यक्ति आपस में गाली गलोज तथा मारपीट कर रहे थे जिसके फलस्वरूप भीड़ एकत्रित हो जाने से यात्रियों के आने जाने में बाधा पड़ रही थी। कांसटेबिल तथा अन्य लोगों ने उक्त दोनों व्यक्तियों को समझाया बुझाया पर वे नहीं माने। इस पर कान्सटेबिल दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके थाना जी०आर०पी० पर लाया। उनके विरुद्ध एक मुकदमा धारा १२० रेलव ऐक्ट का कायम किया गया है।

उपरोक्त दो गिरफ्तार व्यक्तियों में से एक ने जी०आर०पी० फर्रुखाबाद के इंचार्ज के विरुद्ध कपड़ा जवर आदि ले जाने के आरोपों विश्यक एक शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया है जिसकी जांच की जा रही है। जांच के पश्चात् जो आवश्यक कार्यवाही होगी की जावेगी।

उप सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा की गई जांच

*८३—श्री अठई राम तथा श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा (जिला इलाहाबाद)—

द्वितीय सत्र १९७४ के १० जून, १९७४ के अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सम्बन्धित अधिकारी जो अब मुख्य मन्त्री कार्यालय में उप सचिव हैं, के अब तक के कुल सेवाकाल में उनके विरुद्ध कभी भी तहकीकात करने के लिए विजिलेंस को मामला सौंपा गया था ? यदि हां, तो जांच कब तक पूरी होगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां। उक्त अधिकारी के विरुद्ध उनकी कुल सेवाकाल में केवल सहायक बिक्री-कर आयुक्त (प्रशासन) उत्तर प्रदेश के पद पर तैनाती की अवधि की कुछ शिकायतों पर सतर्कता जांच कराई गई जो समाप्त हो गई है। सतर्कता जांच की आख्या के आधार पर कुछ मामलों में उक्त अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

अतारांकित प्रश्न

थाना मझनपुर सैनी तथा कोखराज (इलाहाबाद) के अन्तर्गत कत्ल व डकैती की घटना

१—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत थाना मंझनपुर, सैनी तथा कोखराज में दिनांक १ अप्रैल, १९७४ से ११ जून, १९७४ की अवधि के बीच में कत्ल तथा डकैती की कितनी घटनायें घटीं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जनपद, इलाहाबाद के थाना मंझनपुर, सेनी तथा कोखराज के अन्तर्गत १ अप्रैल, १९७४ से ११ जून, १९७४ की अवधि में एक डकैती तथा ५ हत्या की घटनायें होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई।

लघु व भारी उद्योगों को दिये गये विद्युत् कनेक्शन

२—श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९७३-७४ में कितने लघु तथा भारी उद्योगों को बिजली के नये कनेक्शन दिये गये ? क्या मुख्य मंत्री जी ऐसे उद्योगों के नाम हार्स पावर दिनांक तथा स्थान का ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

गोरखपुर तथा देवरिया के अन्तर्गत डकैती, राहजनी व चोरी की घटनायें

३—श्री कृष्णा राय तथा श्री मधुकर दिघे (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला गोरखपुर और देवरिया में पिछले 2 वर्षों में कत्ल, डकैती, राहजनी व चोरी की कितनी घटनायें घटती हैं। उनका थानेवार विवरण क्या है ? उनमें से कितने पर मुकदमा दायर किया गया और कितने में सफलता प्राप्त हुई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

वांछित सूचना† संलग्न तालिका क, ख, तथा ग में दी हुई है।

४--श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला--

[7वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बाराबंकी में महिलाओं को स्वीकृत सिलाई मशीनों की प्राप्ति में विलम्ब

५--श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बाराबंकी में कितनी महिलाओं को वर्ष १९७३-७४ में सिलाई, मशीनें विभाग की ओर से स्वीकृत की गई और उन में से कितनी मशीनें किस-किस को प्रदान की गई और क्या मशीन उन्हें प्राप्त हो गई? यदि नहीं तो अब तक उन्हें मशीन न मिलने का क्या कारण है उन्हें मशीनें कब तक दी जायंगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

वर्ष १९७३-७४ में बाराबंकी जिले की २ महिलाओं को हाथ से चलाई जाने वाली ऊषा सिलाई मशीन दिये जाने की स्वीकृत दी गई थी। प्राप्त सूचना के अनुसार स्थानीय जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारों द्वारा ऊषा सिलाई मशीन संबंधी फर्म को सितम्बर १९७३ में आर्डर दे दिया गया था किन्तु वित्तीय वर्ष के समाप्ति तक उनसे सप्लाई प्राप्त नहीं हुई। अतः मशीनें नहीं दी जा सकीं।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि ऊषा कंपनी से गत वर्ष उद्योग निदेशक ने जो दर अनुबंध निष्पादित कराया था वह ३१-३-७४ को समाप्त हो गया है और इस वर्ष के लिये नया दर अनुबंध उद्योग निदेशक के विचाराधीन है जिसके निष्पादित होने के बाद उसमें सम्मिलित मशीन निर्धारित मूल्य पर मिल पायेंगी और अनुदानार्थियों को दी जा सकेंगी।

६--डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

[८वें गुरुवार के लिय स्थगित।]

गोरखपुर में लगी हुई प्रदर्शनी के लिए बिजली

७--श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिजली की भारी कमी होते हुये भी गोरखपुर नगर में आजकल लगी प्रदर्शनी के लिय बिजली दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

प्रदर्शनी के लिये बिजली घरेलू टेरिफ के अन्तर्गत दी जाती है जिसकी स्वीकृति पर शासन द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। परन्तु पिछले वर्षों से लगभग आधी दी जाती है।

थाना गोला बाजार, गोरखपुर के ६ वर्ष से अधिक की तैनाती वाले कान्सटेबुल

८--श्री अवधेश कुमार--

क्या मुख्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि गोरखपुर जिले के थाना गोला बाजार में ऐसे सिपाही कौन-कौन है जो कि अपने इसी पद तथा थाने में ६ वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं तथा उन्हें इतनी लम्बी अवधि तक एक ही स्थान पर रखने का क्या कारण है?

---

†छापी नहीं गई।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जिला गोरखपुर के थाना गोला में कोई भी कान्स्टेबुल ६ वर्ष से अधिक नहीं रहा है। समस्त कर्मचारियों की तैनाती दो वर्ष के अन्दर ही है।

बिजली के नये कनेक्शन न देने के आदेश

९--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने दिनांक १८ अप्रैल, १९७४ को नये बिजली कनेक्शन न दिये जाने के आदेश प्रदान किये हैं? यदि हां तो क्या यह आदेश ट्यूबवैल कनेक्शन के सम्बन्ध में भी लागू होंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी नहीं। परन्तु शासन द्वारा इस प्रकार के आदेश दिनांक ६ अप्रैल, १९७४ को निकाले गये थे। ये आदेश ट्यूबवेल के कनेक्शनों पर लागू नहीं है।

प्राइवेट बिजली कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण पर विचार

१०--श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी प्राइवेट बिजली कम्पनियां कार्य कर रही हैं? क्या सरकार इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

इस समय प्रदेश में कुल १४ निजी इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग्स है।

जी नहीं। इन अन्डरटेकिंग्स के लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर ही इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट १९१० की धारा ६ के अन्तर्गत इनका अधिग्रहण राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा किया जायगा।

कानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में नये थाने व चौकियां खोलने की मांग

११--श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)--

क्या यह सत्य है कि कानपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में दिनप्रति दिन बढ़ते हुये अपराधों की रोकथाम के लिये सरकार ग्रामीण क्षेत्र में कई नये थाने तथा पुलिस चौकियां खोलन जा रही है तथा ग्रामीण क्षेत्र के थानों पर पुलिस कर्मचारियो की संख्या में वृद्धि कर रही है ? यदि हां, तो कितने नये थाने व पुलिसचौकियां किन स्थानों पर खोली जा रही है और ग्रामीण क्षेत्र के स्थानो पर कितने पुलिस कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

कानपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में फिलहाल कोई नया थाना अथवा चौकी खोलने का विचार नहीं है।

राज्यपाल के नैनीताल में निवास करने व राजभवन के रख-रखाव पर किया गया व्यय

१२--श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष १९७३-७४ में नैनीताल स्थित राजभवन पर रख-रखाव तथा राज्यपाल महोदय के वहां ठहरने पर कितना व्यय हुआ ?

श्री हेमवती नन्दन **बहुगुणा**—

वर्ष १९७३-७४ में नैनीताल स्थित राजभवन के रख-रखाव तथा श्री राज्यपाल के नैनीताल में ठहरने पर कुल रु० २,३३,७६३ का व्यय हुआ।

देवरिया जिले में आवंटित स्कूटर व मोटर गाड़ियां

१३—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

दिनांक ११ जून, १९७४ की विधान सभा की कार्यसूची के तारांकित प्रश्न संख्या ३० के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इसी अवधि में केवल देवरिया जिले के लोगों के नाम कितने बजाज, लम्ब्रेटा, फिएट, एम्बेसडर व स्टैंडर्ड गाजल आबंटित किये गये, उनके नाम व पते क्या हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय—

बजाज—	१४
लम्ब्रेटा	६
फिएट	१
ऐम्बेसडर—	२
स्टैंडर्ड गाजल	शून्य

नाम व पते की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ९१९ पर।)

मंत्रि परिषद के सदस्यों द्वारा आचार संहिता के अन्तर्गत सम्पत्ति का व्योरा

१४—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान मंत्रि परिषद में ऐसे मंत्री कौन-कौन हैं जिनकी सम्पत्ति का लेखा-जोखा मंत्रियों के लिये बनी आचार संहिता के अधीन १ जून, १९७४ तक मुख्य मंत्री को नहीं प्राप्त हुआ है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

१ जून, १९७४ तक किसी मंत्री की सम्पत्ति का व्योरा प्राप्त नहीं हुआ था क्योंकि उक्त तिथि से थोड़े समय पहले ही वर्तमान मंत्रि परिषद ने आचरण कोड स्वीकार किया था। अब मंत्रियों से ऐसे व्योरे प्राप्त हो रहे हैं।

मंत्रि परिषद के सदस्यों द्वारा प्रवास के समय दावतें न स्वीकार करने के संबंध में कथित आदेश

१५—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री महोदय द्वारा मंत्रि-परिषद् के सदस्यों को यह निर्देश दिया गया है कि प्रवास के समय किसी व्यक्ति के यहां दावतें न स्वीकार करें ? यदि हां, तो यह निर्देश कब जारी किया गया तथा किन-किन मंत्रियों ने इस निर्देश के विरुद्ध निर्देश प्राप्त होने के बाद से आज तक आचरण नहीं किया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इस प्रकार के कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

पी० ए० सी० के लिये विचाराधीन संशोधित सेवा नियमावली

१६—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पी०ए०सी० के जवानों के लिये संशोधित सेवा नियमावली बन कर तैयार हो गई है? यदि हां, तो वह क्या है तथा कब से लागू है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मामला अभी शासन के विचाराधीन है ।

थाना कांधला, मुजफ्फरनगर की पुलिस की फायरिंग से दो व्यक्तियों की मृत्यु

१७—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री अवधेश कुमार—

क्या मुख्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि १८ अप्रैल, १९७४ को मुजफ्फरनगर के एक सैनिक परिवार के दो जवानों को पुलिस द्वारा गोली से मार दिया गया है? यदि हां, तो पुलिस जनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १८ अप्रैल, १९७४ को थाना कांधला, मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा ३०२/३९६/३४२/३३३ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत अंकित अभियोग के दो अपराधियों नायब सूबेदार बाबूराम तथा महीपाल को ग्राम भनेड़ा से जब गिरफ्तार करके ले जाने लगी तो भारी संख्या में ग्राम वासियों ने शस्त्रों से लस होकर गिरफ्तार अभियुक्तों को मुक्त कराने के लिए पुलिस वालों पर आक्रमण किया तथा फायर किय जिससे एक कानिस्टेबिल को गोली की तथा अन्य कई को लाठी व बल्लम की चोटें आई । पुलिस पार्टी ने आत्म रक्षा में तीन फायर किये जिससे दो व्यक्तियों को चोटें आई जिनकी बाद में मृत्यु हो गई । इस घटना के संबंध में धारा १४७/१४८/१४९/३३२/३०७ भारतीय दंड विभाग एवं २५ आर्म्स ऐक्ट के अन्तगत अभियोग अंकित किया गया तथा ग्राम भनेड़ा के श्री भवरी सिंह की ओर से पुलिस के विरुद्ध धारा ३०२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत अभियोग अंकित कराया गया । उक्त दोनों अभियोगों की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा आरम्भ की गई थी परन्तु बाद में भारत सरकार को लिखा गया कि उन अभियोगों की विवेचना सी०बी०आई० को सौंप दी जाय । भारत सरकार ने राज्य सरकार को यह सूचित किया है कि वे इन अभियोंगों की जांच सी०बी०आई० द्वारा कराने क पक्ष में नहीं ह । पुलिस जनों के विरुद्ध अभी किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । मजिस्ट्रीरियल जांच के आदेश दिये गये हैं ।

लखनऊ बिजली घर के बेकार जेनरेटर और उनकी बिक्री

१८—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ बिजली घर में चार मेगाटन क्षमता वाला जनरेटर गत ६ महीने से बेकार पड़ा है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं ।

इस समय लखनऊ बिजली घर में चार मेगावाट क्षमता वाला कोई जनरेटर बेकार नहीं है।

(बिजली के जनरेटर मेगाटन क्षमता के नहीं वरन् मेगावाट क्षमता के होते हैं।)

१९—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

क्या यह सही है कि लखनऊ बिजली घर के एक-एक मेगाटन क्षमता के कुछ जनरेटरों को बेचने का विचार किया जा रहा है। यदि हां, तो बेचने का कारण क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां ।

लखनऊ बिजली घर के ऐशबाग पावर हाउस यूनिट के १.२५ मेगावाट क्षमता के दो जनरेटर जो बहुत पुराने थे बेच दिये गये हैं क्योंकि इनका चलना बहुत महंगा पड़ता था तथा बहुत पुराने होने के कारण इनमें बहुधा कुछ न कुछ खराबी ही रहती थी ।

बाराबंकी में बन्दूक लाइसेंस के लिये विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

२०— श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जनपद में इस समय कितने बन्दूक लाइसेन्स के प्राथना-पत्र जिलाधीश कार्यालय में पड़े हैं ? इस वर्ष कितने लोगों को लाइसेंस दिये गये तथा कितने प्रार्थना-पत्र इस वर्ष खारिज किये गये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

बाराबंकी जनपद में इस समय १४३७ बन्दूक लाइसेन्स प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है । इस वर्ष जून, १९७४ तक २५६ प्रार्थना-पत्र स्वीकृत तथा ३९६ प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये गये ।

मुख्य मंत्री द्वारा राजकीय हेलीकाप्टर के प्रयोग पर हुआ व्यय

२१—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फरवरी तथा मार्च, १९७४ में मुख्य मन्त्री द्वारा राजकीय हेलीकाप्टर का प्रयोग कितनी बार किया गया तथा इन यात्राओं पर कुल कितना व्यय हुआ ।

श्री राज मंगल पांडेय—

माह फरवरी, १९७४ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चार्टर्ड राजकीय हेलीकाप्टर में मुख्य मन्त्री जी ने दिनांक १७ व १८ फरवरी, १९७४ को यात्रा की इन यात्राओं के व्यय को भुगतान उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा रु० ४६,५८५.४५ पैसा वहन किया गया ।

माह मार्च, १९७४ में मुख्य मन्त्री जी ने केवल दो बार सरकारी कार्य से राजकीय हेलीकाप्टर में यात्रा की । (सरकारी कार्य हेतु व्यय के ब्योरे का प्रश्न नहीं उठता ।

२२—श्री बाबू लाल वर्मा—

[८वें गुरुवार के लिये स्थगित]।

पिथौरागढ़ में महिला चिकित्सालय खोलने की मांग

२३—श्री वया किशन पांडेय (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद के पिथौरागढ़ स्थान लोहाघाट में इस समय कोई महिला चिकित्सालय स्थापित है ? यदि नहीं, तो कब तक ऐसा चिकित्सालय खोला जाने वाला है । ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं । फिलहाल इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

विधायकों और अधिकारियों को आवंटित स्कूटर तथा कार

२४—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर) तथा श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार को स्कूटर्स व कारें कितनी संख्या में माह मार्च, ७४ से अब तक प्राप्त हुये ? इनमें से कितने स्कूटर व कार विधायकों एवं सरकारी अधिकारियों को दी गई ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

मार्च १९७४ से जून, १९७४ तक स्कूटर तथा कारों का निम्नवत कोटा प्राप्त हुआः—

स्कूटर	कार
५२०	२८५

उपरोक्त कोटे में से निम्न प्रकार से स्कूटर एवं कारें विधायकों एवं सरकारी अधिकारियों को आवंटित की गईः—

	विधायक	सरकारी अधिकारी
स्कूटर	१३	१०५
कारें	३६	४९

यदि पूरे विवरण से माननीय सदस्य का तात्पर्य नाम पते से है तो उसमें इतना अधिक श्रम व श्रम लगेगा जो प्रश्न के उत्तर के अनुरूप न होगा ।

प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में आपत्तियां

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नों के सम्बन्ध में एक बात कहना चाह रहा था । वह यह कि नत्थी (ग) में मेरा एक प्रश्न है नं० ८ । मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ८ नवम्बर, १९७३ से, जब से माननीय बहुगुणा जी हमारे मुख्य मंत्री हुये उस तारीख से २८ फरवरी, १९७४ तक, जब उन्होंने दिग्विजय हासिल की, मंत्रिमंडल के सदस्यों के टी०ए० व डी० ए० पर कितना व्यय हुआ तथा उनके साथ जाने वाले स्टाफ पर तथा उनके बाहर रहने पर, सरकारी कार्य के निष्पादनार्थ जाने-आने वाले स्टाफ पर कितना व्यय हुआ । यह ३१ मई का प्रश्न है और यह व्यय का व्योरा सारे गवर्नमेंट के रजिस्टर्स मौजूद है और डेढ़ महीना हो गया और डेढ़ महीने के बाद यह जबाब कि वांछित सूचना इकट्ठा की जा रही है, तो अध्यक्ष महोदय, अगर गवर्नमेंट कोई जवाब नहीं देना चाहती और डेढ महीने के बाद यह कहे कि वांछित सूचना इकट्ठा की जा रही है और मैं समझता हूं कि २० दिन के बाद यह सदन उठ ही जायेगा तो इन तरकीबों का क्या इलाज है अपोजीशन के पास जबकि आसानी से जबाब दिया जा सकता है । तो मैं अपोजीशन की तरफ से इस सदन के अधिकारों की रक्षा के लिये अपील करता हूं कि आप इसकी रक्षा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

श्री अध्यक्ष—

१५ दिन में आयेगा यह ।

चौधरी चरण सिंह—

अभी क्यों नहीं आया ? डेढ़ महीना हो गया, ३१ मई का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष—

क्या जवाब वह देंगे इसमें हम क्या बाध्य करें । आपने पूछा है तो वह बतायेंगे । आप का सवाल है, उनका जबाब होगा ।

चौधरी चरण सिंह—

आप यह तो पूछिये कि रजिस्टरों में जो चीज मौजूद है, कोई जिलों से इकट्ठी थोड़े ही हो रही है, उसका जबाब देने में क्यों देर हो रही है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यह एक बड़ा गम्भीर विषय है । अमूमन देखा जाता है कि सरकार जिस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती है या गम्भीरता ऐसी है कि छीटा पड़ेगा सरकार पर तो सरकार यह उत्तर दे देती है कि सूचना एकत्र की जा रही है । तो आप कोई व्यवस्था दें कि यह डिस्करेज हो ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

मान्यवर, आप हिम्मत से कह कर इनसे जबाब दिलवायें । आप मस्तकिल हो कर जबाब दिलवायें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय बांके लाल जी, यह आपसे कहना चाहता हूं कि सुझाने जबाब हिम्मत वाले आदमी बहुत कम है ।

श्री बांके लाल—

मान्यवर, जब मंत्री महोदय के पास सारी सूचना मौजूद है तो क्यों नहीं आप जबाब दिलवाते है ?

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह जानना चाहता हूं कि आखिर जबाब क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप इस तरह से प्रश्न रखने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, एक पुराने साथी ने आपसे बड़े भारी अधिकार की मांग करने के लिये कुछ कहा और इस पुराने साथी पर चौधरी साहब ने अधिकार छोड़ दिया इसका मुझे दुख है । वह मुझसे भी पूछ सकते थे । उन्होंने आपसे ही कहा वह मुझसे भी पूछ सकते थे । मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि न बताने का कोई मतलब नहीं है ।

चौधरी चरण सिंह—

यह सब कला है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

चौधरी साहब, मैं तो आपके ही स्कूल का ग्रेजुएट हूं । आपने ही मुझे साइंस या कला जो पढ़ायी है वही मैंने पढ़ी है । वैसे अब कुछ नये भर्ती हुये हैं वह सावधान रहें ।

मान्यवर, आपकी भी यही और मेरी भी यही मंशा है कि माननीय नेता विरोधी दल से कोई बात न छिपायी जाय । उन्होंने यही सवाल किया कि क्लर्क पर कितना खर्च हुआ, फाइल लाने ले जाने में कितना खर्च हुआ तो इन सबको इकठ्ठा करने में समय लगेगा । मैं सदन के बंद होने के पहले इन सब सवालों का जबाब दे दूंगा । मेरे पास कोई चीज छिपी नहीं है ।

चौधरी चरण सिंह—

जो यह सवाल छिपाने का है तो ठीक है यह छिपाया भी नही जा सकता है । मजबूरी है, क्योंकि फाइनेंस विभाग के रूल्स के मुताबिक उनका पेमेंट होना चाहिये और वह रजिस्टर में दर्ज है । तो मैं अर्ज करूंगा कि इसमें दिक्कत क्या है ? यह सारी चीजें रजिस्टर में हैं, कहीं डिस्ट्रिक्ट से मंगानी नही है । तो जो आंकड़े रजिस्टर में दर्ज है वह एक दिन के अन्दर इकठ्ठे किये जा सकते है । और बजाय १५ दिन के अन्दर, वह ५–७ दिन में दिये जा सकते हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

चौधरी साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों के टी०ए० बिल अभी कल मेरे पास आये हैं । उन्होंने अपने बिल्स अभी तक नही भेजे थे । और कुछ बिल्स तो अभी तक भी नहीं आये हैं । चौधरी सहाब आप खुद ही जानते है कि टी०ए० बिल्स की जांच तो होती नहीं । अगर मैं अधूरी सूचना देना चाहूं तो वह हाजिर कर सकता हूं। कुछ एक्स मिनिस्टर और कुछ लोगों ने अभी भी बिल नहीं भेजे हैं । किन्हीं कारणों से वह बिल नहीं भेज रहे है । और जो बिल आ रहे है, मैं अभी पास कर रहा हूं । तो मैं आपके सामने जो आज तारीख तक के टी०ए० बिल्स है उनको सदन के बन्द होने के पहले उनकी सूचना दे सकता हूं ।

चौधरी चरण सिंह—

हो सकता है कि कोई मिनिस्टर अपने बिल्स को ६ महीने तक न भेजे । तो जो सूचना आपके पास है उसको दें दे । जो बाकी बिल्स है उनकी बात अलग है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यह मुमकिन है, मैं आज की तारीख तक जो बिल्स आये है उनकी सूचना सदन के बन्द होने के पहले दे दूंगा ।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय सत्यप्रकाश मालवीय तथा माननीय रेवती रमण सिंह ने सूचना दी है कि माननीय मुख्य मंत्री ने १६ जुलाई, १९७४ के तारांकित प्रश्न संख्या २९ का जानबूझ कर गलत उत्तर देकर सदन को गुमराह किया है ।

माननीय मुख्य मंत्री ने श्री सत्य प्रकाश मालवीय के तारांकित प्रश्न संख्या २९ के उत्तर में यह कहा था कि अभी हेमवती नन्दन बहुगुणा नगर की योजना को अंतिम रूप नहीं दिया है । माननीय सूचना कर्ता सदस्यों ने अपनी सूचना के साथ "नार्दर्न इंडिया पत्रिका" दिनांक

[श्री अध्यक्ष]

१५ जुलाई, १९७४ का उद्धरण संलग्न किया है, जिसमें इस योजना के संबंध में टेन्डर आमंत्रित किये गये हैं ।

इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया स्थिति स्पष्ट कर दें ।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, माननीय श्री सत्यप्रकाश मालवीय जी ने एक प्रश्न किया था जो चौथे मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ८ पर निर्धारित था, परन्तु बाद में माननीय सदस्य की प्रार्थना पर वह १६ जुलाई के लिये प्रश्न संख्या २९ पर रखा गया । उस प्रश्न का उत्तर इस वक्त जो हमने दिया, मेरा निवेदन है कि वह आज भी सही है । इस प्रश्न के आने के बाद हमने महापालिका से इस सिलसिले में पूछा । उनसे पूरा विवरण इस योजना के संबंध में भेजने को कहा । उन्होंने अपने पत्र में हमें लिखा कि योजना अभी विचाराधीन है । २६-६-७४ का उनका पत्र है जिसमें उन्होंने लिखा है—"प्रस्तावित योजना मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजी गयी थी । उन्होंने इसके साइट प्लान में सुधार कर विचार हेतु इस महापालिका में भेजा है जो अभी विचाराधीन है" ।

अब माननीय मालवीय जी का कहना है कि इस बीच टेन्डर निकाले गये । नगर महापालिका के विकास विभाग की तरफ से अल्पकालीन निविदा, नगर अभियन्ता विकास, श्री सुधीर मेहता, के नाम से दिनांक १२ जुलाई, १९७४ की है जो पेपर में छापी गयी है । जो उत्तर मैंने दिया वह २ जुलाई को आपके कार्यालय में भेजा गया था । इसलिये उत्तर देने के बीच और इसके बीच में उत्तर को बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

इसके अतिरिक्त यह निविदा स्वयं गवाह है मेरी बात का । यह टेन्डर ४,२३,३०० रुपये का है । यू० पी० नगरपालिका ऐक्ट की धारा ३०७ को अगर आप देखें तो १० लाख के ऊपर वाली जो योजना होती है वही सरकार के पास उसकी आज्ञा के लिये आती है । तो न तो उसके लिये उन लोगों ने हम से आज्ञा ली और न ही सरकार ने कोई आज्ञा उसके लिये दी । टाउन प्लानर और उनके बीच ही बातचीत होती रही । यह महापालिका का अपना कार्य है ।

जब यह विशेषाधिकार का प्रश्न मेरे सामने आया तो मैंने टेलीफोन पर सूचना प्राप्त की और उस पर उन्होंने बताया कि कोई काम ऐसा नहीं किया है । सभी वर्गों के लिये ९० क्वार्टर बनाने की बात है । उन्होंने कहा कि हम सरकार से रुपया मांग रहे हैं । हम अपने फंड से कर रहें हैं और म्युनिसिपल्टी से पास कराकर ऐसा काम कर रहे हैं । अब इस सूचना के आधार पर, जिस तारीख में मैंने वस्तुस्थिति कही थी उसके आधार पर तथा म्युनिसिपल्टी की सूचना के आधार पर दी गई सूचना विशेषाधिकार का प्रश्न बनने लगे तो हमको जवाब देना कठिन हो जायगा । क्योंकि हम हर जगह जाकर सूचना इकट्ठा नहीं कर सकते हैं । इसलिये इसमें कोई तथ्य नही है । अतः विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय ओम प्रकाश ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला गिर्जापुर)—

मान्यवर, पूरा नाम पुकारें क्योंकि यहां कई ओम प्रकाश हैं ।

सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

यह जो विशेषाधिकार का प्रश्न है वह इलाहाबाद में आवास योजना जो चल रही है उससे संबंधित है वहां डा० लोहिया मार्ग को घेर कर उसका नाम हेमवती नन्दन बहुगुणा नगर रखा है । मुख्य मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें कहा गया है कि जो १० लाख रुपये के ऊपर की

योजना होती है उस पर सरकार की स्वीकृति ली जाती है अन्यथा नहीं । इसलिये इसमें सरकार की स्वीकृति की सूचना नहीं थी । प्रश्न यहां यह है कि यह योजना सरकार के विचाराधीन है । मैंनें निविदा की सूचना आपके जरिये मुख्य मंत्री जी को दी जिसमें कि ४ लाख ३३ हजार रुपये का टेन्डर अल्पकालीन मांगा गया है । इसको टाउन प्लानर ने स्वीकृत नहीं किया है । तो क्या मुख्य मंत्री जी इस तथ्य को देखते हुये कि महापालिका के अधिकारियों ने निविदा मांगने की सूचना को मुख्य मंत्री जी से छिपाया है जिसकी कि पहले पत्रावली में भी कार्यवाही हुई होगी और जिसको टाउन प्लानर ने पारित नहीं किया है क्योंकि यह योजना सरकार के विचाराधीन है । अतः वहां के अधिकारियों ने सारे तथ्यों से अवगत नहीं कराया है । इसलिये मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न है । मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं । कि यह मुख्य मंत्री जी की गरिमा के अनुरूप होगा यदि वे लिख दें कि आवास योजना से मेरा नाम हटा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे सामने सवाल यह है कि विशेषाधिकार का हनन हुआ है कि नहीं । आपने स्वीकार किया कि नहीं होता है । यदि आप कोई प्रश्न उठाना चाहते हैं या कोई मांग करना चाहते हैं तो उसको दूसरे ढंग से कर सकते हैं ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने जो जौनपुर के विधान सभा के सदस्य हैं, उन्होंने १७ जुलाई को तरुण भारत में जो छपा है उस पर आपत्ति की है । वह आमतौर पर यह है कि जो कार्यवाही का अंश न घोषित किया जाय, क्या उसे छापने का अधिकार है कि नहीं । यह सवाल २२ तारीख को लिया जायगा ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, यह बड़े महत्व का मसला है । यह सदन का विशेषाधिकार का प्रश्न है कि एक खबर नहीं दो खबरें हैं । इसलिये सदस्यों को थोड़ा अवसर दें ।

श्री अध्यक्ष—

अवसर की आवश्यकता नहीं है ।

माननीय ओम प्रकाश जी, सर्वोच्च न्यायालय का इस मामले में निर्णय हो चुका है लेकिन मैंने एक व्यवस्था देते समय यह संकेत किया था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर माननीय सदस्य को अपनी आंख बन्द कर लेनी चाहिये, नजरअन्दाज कर देना चाहिये ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

मान्यवर, मैं भी इसी पक्ष का हूं कि आंख बन्द करनी चाहिये, लेकिन प्रश्न इसलिये उठा कि एक अखबार ने छापा, उसको फिर दूसरे अखबार ने छाप दिया । पहले तरुण भारत ने छापा जब कि उसको कार्यवाही से निकाल दिया गया था ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न आपका २२ तारीख को लेंगे ।

कल की घटना के बारे में एक सूचना आई है कि किसी ने गाली दी और किसी ने चप्पल दिखा दी । इसको भी २२ तारीख को लेंगे । लेकिन मूल समस्या का निराकरण होना चाहिये । अगर सम्भव हो सके जैसा कि सबेरे तय हुआ था नेताओं से बात करेंगे कि कभी-कभी जब ऐसे अशोभनीय दृश्य उपस्थित हो जाते हैं तो इससे बचने का कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिये । अगर आपकी राय होगी ।

कतिपय विषय

श्री सत्य पाल मलिक (जिला मेरठ)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब कभी हम सवाल करते हैं विशेषकर जब कभी विरोध पक्ष का कोई माननीय सदस्य बोलता है तो कोई मंत्री, अगर मुख्य मंत्री जी यहां रहते हैं तो अच्छा रहता है, उस वक्त अपने चेहरे से या हाथ से ऐसी हरकत करते हैं जिनके देखने से जब पत्रकार उसे देखते हैं, ऐसा नतीजा निकलता है मानो बोलने वाला व्यक्ति कोई बेमतलब बात कह रहा हो। तो मैं आपकी यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या जब कोई माननीय सदस्य बोलता हो तो उस वक्त कोई सदस्य खासतौर से मंत्रीगण क्या ऐसा व्यवहार कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं बना है जो चेहरे के हाव भाव को नियन्त्रित कर सके ।

श्री माधव प्रसदा त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, इस प्रसंग से बाहर मेरा प्रश्न है, अगर अनुमति दे तो निवेदन करूंगा । मान्यवर, कई रोज से अखबार नहीं मिल रहे हैं, हाकर्स ने स्ट्राइक कर दी है । सरकार को अपने गुड आफिसेज का इस्तेमाल करना चाहिये । उनकी कुछ मांगें हैं ।

श्री अध्यक्ष--

इसके विषय में २२ तारीख का दिन रखा है बयान के लिये ।

काशी विश्वविद्यालय में सस्ते गल्ले के अभाव से उत्पन्न कठिनाइयों के सम्बन्ध में वक्तव्य

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)--

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के ३१ होस्टल तथा एक मान्यता प्राप्त लाज है । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अहाते के बाहर चार लाज है । इस प्रकार कुल ३६ होस्टल एवं लाज में रहने वाले विद्यार्थियों को राशन की व्यवस्था की गई है । इसमें विद्यार्थियों की संख्या निम्न प्रकार है ।

(क) होस्टलों में		७,३००
(ख) अहाते के अन्दर मान्यता प्राप्त लाज में	..	६२
(ग) अहाते के बाहर मान्यता प्राप्त लाज में	..	५००
कुल विद्यार्थी	..	७,८६२

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में होस्टलों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए संस्थागत राशन कार्ड बना दिए गए हैं और उन्हें खाद्यान्न तथा चीनी दो सस्ते गल्ले के दूकानदारों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है ।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के उपरोक्त छात्रों को जून तथा जुलाई माह में गेहूं ३ १/२ किलो प्रति यूनिट प्रति माह तथा चावल २ किलो प्रति यूनिट प्रति माह की दर से दिया गया । चीनी जून माह में ७०० ग्राम प्रति यूनिट दी गई लेकिन जुलाई माह में इसे बढ़ाकर एक किलो

प्रति यूनिट कर दिया गया है। तदनुसार काशी विश्वविद्यालय के छात्रावासों एवं लाजेज में रहने वाले छात्रों तथा अध्यापकों और वहां रहने वाले अन्य व्यक्तियों को दोनों राशन की दूकान से निम्नलिखित मात्रा में राशन दिया गया।

	(मात्रा कुन्तल में) जून	जुलाई
गेहूं	४१०	४१८
चावल	२४३	१२०
चीनी	८७	८८

इसके अतिरिक्त जुलाई माह में साफ्ट कोक एक वैगन यानी २२ टन के लगभग दिया गया

काशी विश्वविद्यालय के छात्रावासों एवं लाजेज में रहने वाले छात्रों को प्रति माह खाद्यान्न सस्ते गल्ले के दूकानदारों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है शासन द्वारा विश्वविद्यालयों तथा कालेजेजके होस्टलों एवं लाजेज में रहने वाले छात्रों को रियायती दरों पर खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुएं उनके छात्रावासों व डेलीगेसी लाजों तक सरकारी व्यय पर पहुंचाने की अतिरिक्त सुविधा दिए जाने के सम्बन्ध में आदेश जिलाधिकारियों को दे दिए गए हैं। जिलाधिकारी वाराणसी ने सूचित किया है कि इस संदर्भ में ८ जुलाई १९७४ को विश्वविद्यालयों/कालेजों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी और सभी प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया था कि आगामी ३–४ दिनों में अपनी मांग भेज देंगे लेकिन अभी तक जिलाधिकारी को उनसे सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में उपरोक्त छात्रों को सस्ते दर पर खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु जिला पूर्ति अधिकारी, वाराणसी को सम्पर्क अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। विश्वविद्यालय से उपरोक्त सूचना प्राप्त होते है तथा खाद्यान्न का मूल्य प्राप्त होते ही सस्ते दर पर सभी वस्तुएं उपलब्ध कराने का अविलम्ब प्रबन्ध कर दिया जायगा।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अतिरिक्त वाराणसी नगर में स्थित अन्य विश्वविद्यालयों/कालेजों के होस्टल एवं लाजेज में रहने वाले विद्यार्थियों को भी राशन कार्ड दे दिए गए हैं और उन्हें सस्ते गल्ले की दूकानों के माध्यम से अन्य नागरिकों की भांति खाद्यान्न किया जाता है। ऐसे होस्टलों की संख्या ४३ है और उनमें रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या ३,२२९ है। अन्य मान्यता प्राप्त लाजेज जिनमें हरिजन विद्यार्थियों के भी लाज सम्मिलित हैं, १५ हैं तथा उनमें रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या ७४३ है। इन होस्टलों तथा लाजों के विद्यार्थियों को भी सस्ते दर पर खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध कराने का प्रबन्ध किया गया है। इनके भी प्रतिनिधियों ने ८ जुलाई, १९७४ को मीटिंग में यह आश्वासन दिया था कि वे आगामी ३–४ दिनों में अपनी मांग भेज देंगे किन्तु उनसे अभी तक यह सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। इसके प्राप्त होते ही आवश्यक राशन सामग्री उपलब्ध करा दी जायगी। इससे स्पष्ट है कि छात्रों को खाद्यान्नों व अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की जा रही है अतः इन वस्तुओं का छात्रों के लिये उपलब्ध न होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

इसी प्रकार से प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्रमुख नगरों के होस्टल एवं लाजेज में रहने वाले विद्यार्थियों के लिये खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में आवश्यक निदेश शासन द्वारा जारी किये जा चुके हैं।

*श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, जो प्रश्न उठाया था, उसका अनुकूल उत्तर नहीं आया। मैं यह मानता हूं कि सस्ते दर पर राशन दिया जा रहा है। जो वहां मूल प्रश्न है वह यह है कि आधा राशन सस्ते दर पर मिलता है और आधा राशन कैन्टीन के संचालक को बाजार से खरीदना पड़ता है, जिसका

*प्रवक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

परिणाम यह है कि भोजनालय का जो संचाल है वह पिछले वर्ष के दाम पर कैन्टीन चलाने के लिये तैयार नहीं है, क्योंकि राशन के दाम बढ़ गये हैं और बढ़े दाम छात्र देने को तैयार नहीं है। इस-लिये मैं संक्षेप में पूंछना चाहता हूं कि क्या वहां पर जितने राशन की क्वान्टिटी की आवश्यकता है वह देने की कृपा करेंगे ? क्योंकि साढ़े तीन किलो गेंहूं और २ किलो चावल से एक छात्र एक महीना नहीं खा सकता। तो क्या पूरी डाइट के लिये जितनी आवश्यकता है, उतनी मात्रा में सभी विश्वद्यिालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों के छात्रों के लिये राशन देंगे ? मल प्रश्न यह है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

वह तो मैंने कहा कि पूरे सूबे में छात्रों के लिये यह व्यवस्था की जा रही है कि जो लाज और होस्टल्स के लड़के हैं, उन्हें पर्याप्त मात्रा में राशन दिया जाय। सेशन शुरु हो रहा है और इसकी व्यवस्था के लये १ जुलाई को स्पष्ट और विस्तृत आदेश भेजे जा चुके हैं और १५ जुलाई को फिर भेजे गये हैं और जिलाधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिये गये हैं। सरकार छात्रों के लिये पूरी व्यवस्था कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि ये कैन्टीन अगर एक्स्क्ल्यूसिवली छात्रों के लिये है तो उनको हास्टल और लाज की तरह ट्रीट किया लेकिन कैन्टीन अगर जनता के लिये है तो उस हालत में रियायती दर पर राशन नहीं दिया जायगा।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि जून में वाराणसी विश्वविद्यालय बन्द रहा। वाराणसी के जितने विद्यालय थे, जो संस्कृत संस्था थी, सभी बन्द रहीं। लेकिन आपने विद्यार्थियों के लिये गल्ला दिया। वक्तव्य में लिखा है कि ८ जुलाई को विद्यार्थियों की बैठक हुई और उन्होंने अभी तक अपनी मांग नहीं भेजी है। लेकिन मैं पूंछना चाहता हूं कि क्या आपको इस बात की जानकारी है कि वाराणसी विश्वविद्यालय की जो कोआपरेटिव है उसको जितना राशन मिलता है विद्यार्थियों को देने के लिये, उस संबंध में विद्यार्थियों ने कई बार जिला धिकारी और जिलापूर्ति अधिकारी से शिकायत की ? कोआपरेटिव के कारण विद्यार्थियों को महान असंतोष है, तो जिलाधिकारी और जिलापूर्ति अधिकारी और कोआपरेटिव के बीच जो पिछले २ साल की गड़बड़ियां हैं, उसकी कोई जांच की है और की है तो क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कोआपरेटिव की जांच हुई, इसकी मेरे पास इत्तला नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य इस संबंध में एक प्रश्न पूंछ लें तो जानकारी करके बता सकती हूं।

*श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, माननीय खाद्य मंत्री जी ने हमारे प्रश्न के उत्तर में २ शब्द प्रयोग किये। पर्याप्त मात्रा में सुलभ कराया जायगा। मान्यवर, मैं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि उसमें पर्याप्त और काफी की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति के लिये कितनी डाइट आवश्यक है, उतनी मात्रा देने का आश्वासन दे दें। अगर २ किलो भी राशन संचालक को बाजार मे खरीदना पड़ेगा तो वह पिछले वर्ष की अपेक्षा दाम बढ़ा देगा और उसको छात्र स्वीकार नहीं करेंगे, और फलस्वरूप छात्रों में असंतोष होगा। अतः मान्यवर, खाद्य मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन देने के लिये तैयार ह कि नहीं कि जितनी एक डाइट के लिये आवयश्क है, उतना पूरा राशन सस्ते दर से दिलायेंगी ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जैसा कि मैंने बतलाया कि यह एकेडेमिक ईयर जब आरम्भ हुआ तो एक मीटिंग की गयी थी और यह बात हुई कि कितने विद्यार्थी कहां आयेंगे उसके हिसाब से राशन की मात्रा तय की जायगी जैसे कवाल टाउन अथवा इंडस्ट्रियल एरियाज में प्रति यूनिट दिया जा रहा है सबको ४ किलो गेहूं और २ किलो चावल की मात्रा निर्धारित है वही उनको भी देने की बात है। छात्र केवल होस्टल अथवा लाजेज में ही नहीं रहते हैं, परिवारों के साथ भी रहते हैं और वे भी जनता के ही अंग हैं। लिहाजा या तो सरकार सभी का राशन बढ़ाये वर्ना इस तरह से कोई डिस्क्रमेनेशन करना संभव नहीं है। हां, जो लिमिटेड छात्र छात्रावास में, होस्टल में रहते हैं उनको रियायती दर पर देने की व्यवस्था की गई है जैसे उनको हाउस डिलीवरी हो और यह हाउस डिलीवर सरकारी खर्चे पर होगी। वार्डन या संचालक जो हैं व अपनी पूरी आवश्यकता बतलायेंगे और वह उनको सुलभ करा दी जायगी और निश्चित समय पर सुलभ होगी। यह रियायतें हैं जिनको सरकार दे रही है और ऐसा पिछले वर्षों में कभी नहीं हुआ और मैं समझती हूं कि विरोधी दल के माननीय सदस्य इसका वेलकम करेंगे कि सरकार ने यह एक नया कदम उठाया है। मैं अपनी बजट स्पीज में भी बतलाऊंगी लेकिन पहले ही यह प्रश्न उठा दिया गया। केवल बनारस के लिये ही नहीं पूरे सूबे भर में हमने यह व्यवस्था करने की सोची है, प्रति यूनिट राशन बढ़ाने की बात कही गयी। ठीक है पी०ए०सी० के जवानों को १० किलो दिया जाता है। कहा गया वैसी ही व्यवस्था छात्रों के लिये की जाय लेकिन अभी इस प्रकार प्रति यूनिट छात्रों का राशन बढ़ाने की कोई बात सरकार के सामने नहीं है। बल्कि प्रश्न यही हमारे सामने है कि जितना राशन मिलता है वह ठीक से मिल जाय, समय पर मिल जाय और रियायत के साथ मिल जाय। इससे मैं समझती हूं कि छात्रों में संतोष रहेगा।

(व्यवधान व शोरगुल)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

माननीय खाद्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध कराने की व्यवस्था की गयी है तो अन्य आवश्यक वस्तुयें क्या हैं और वे किस मात्रा में दी गयी हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

गेहूं, जावल तथा शक्कर के अलावा आवश्यक वस्तुओं में मिट्टी के तेल की व्यवस्था कराई गयी थी। देहाती क्षेत्र में जितने कालेजेज हैं उनके प्रिन्सिपल को यह सुविधा दी गयी कि वे विद्यार्थियों को तेल देंगें। इससे देहाती क्षेत्र में काफ़ी संतोष रहा। उनको पढ़ने में सुविधा रही। अगर विद्यार्थी चाहते हैं तो कपड़े की भी व्यवस्था होगी। लेकिन वह मोटा कपड़ा होगा। हो सकता है कुछ गरीब विद्यार्थी उसे भी लेना चाहें। इसके अलावा साबुन की दिक्कत अब नई पैदा हो गई है तो उसकी भी व्यवस्था करायेगी।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बतायेगी कि छात्रावासों में विद्यार्थियों के लिये सरकार जो राशन की व्यवस्था करने जा रही है उसमें फ़ूट कारपोरेशन आफ़ इंडिया कुछ बाधा डाल रहा है और सरकार के आदेशों को मानने से वह कतरा रहा है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कोई बाधा सरकार के सामने नहीं है। जो नीति सरकार निर्धारित करती है उसे पूरा करने में वह सक्षम है।

(बहुत से माननीय सदस्य खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष—

इस पर आज बजट के मौके पर बोलने का आपको अवसर है। यही सुझाव आप उसमें दे सकते हैं।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

सभी को मौका नहीं मिलता है और कोई प्वाइन्ट छूट जाता है।

श्री अध्यक्ष—

आपको अवसर मिलेगा।

उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) विधेयक, १९७४

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) विधेयक, १९७४ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) विधेयक, १९७४ को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होनें पर घंटी बजायी गई)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष—

घन्टी बजते रहने तक कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

(घन्टी बन्द होने पर)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) विधेयक, १९७४ को पुरःस्थापन करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठावा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ)

पक्ष में—१०९.

विपक्ष में—७७।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, पुलिस अधिकारियों को बुलवाकर १०९ में इन्हें जेल पहुंचा दीजिए। (हंसी)

श्री रामजी लाल सहायक—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) विधेयक, १९७४ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ९२०-९२४ पर)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

एक नियम ५६ में माननीय अवधेशकुमार ने सूचना दी है। स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ की न्यायोचित मागों की उपेक्षा से जनता में असंतोष है और इस पर ध्यान देने के लिये ध्यान आकर्षण किया है। इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

अब, माननीय त्रिवेणी सहाय की एक सूचना को मैंने पहले स्वीकार किया था। लेकिन माननीय त्रिवेणी सहाय नहीं थे। अब इसकी जांच नियमों के अन्तर्गत करना है कि क्या एक बार जो सवाल यहां वक्तव्य के लिये आये और माननीय सदस्य नहीं थे तो वह व्यपगत होता है या उसके लिये फिर से विचार किया जाता है। निर्णय में पढ़ देता हूं।

"सूचना देने वाले सदस्य की अनुपस्थित में उसके द्वारा अधिसूचित प्रश्न स्वीकार नहीं किया जा सकता।"

२० दिसम्बर, १९६३ को श्री केसरी प्रसाद पांडेय द्वारा दी गयी नियम ५२ के सूचना को उनकी अनुपस्थिति के कारण स्वीकार न किये जाने पर श्री रामसुन्दर पांडेय ने आपत्ति की। श्री अध्यक्ष ने कहा—

"आवश्यक यह है कि जो आदमी नोटिस दे वह नाम पुकारे जाने पर सदन में उपस्थित रहे। अगर वह नहीं रहता है तो इसके माने यह हैं उसको इंटरेस्ट नहीं है। अतः वह स्वीकार नहीं होता है।"

दूसरा—"अनुपस्थित सदस्यों द्वारा अभिसूचित नियम ५० के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न स्वयमेव समाप्त हो जाते हैं। किन्तु पूर्व स्वीकृत ऐसे किसी विषय को संबंधित सदस्य की अनुपस्थिति में दूसरे दिन लाया जा सकता है।

३१ अगस्त, १९५९ को श्री अब्दुल रऊफ लारी तथा श्री चन्द्रजीत यादव द्वारा अभिसूचित नियम ५२ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्नों को उनकी उस समय अनुपस्थिति के कारण समाप्त घोषित करते हुये श्री अध्यक्ष वे कहा—

श्री अब्दुल रऊफ़ लारी और श्री चन्द्रजीत यादव दीनों मौजूद नहीं हैं इसलिये उनके उठाये हुये प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और भी लोग उपस्थित नहीं हैं जिन्होंने कि प्रश्न उपस्थित किये हैं इसलिये उनके भी प्रश्न समाप्त किये जाते हैं।"

इसी प्रकार विशेषाधिकार के मामले में श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा द्वारा उठाये गये प्रश्न पर एक व्यवस्था है। उसके अनुरूप में इसको खारिज करता हूं।

एक तीसरी सूचना है, माननीय सत्यप्रकाश मालवीय की। इलाहाबाद जिला कचहरी में २२ मई, ७४ से हरिजनों, शोषितों, पीड़ितों, भूमिहीनों तथा खेतिहर मजदूरों की न्यायोचित मांगों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के कार्यालय के समक्ष निरन्तर भूख हड़ताल चल रही है, यह भूख हड़ताल है। यह विषय ५६ का नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

व्यवस्था देने के पहले सुन लें। मैंने प्रथम बार २१ जून को इस प्रश्न को उठाया था। माननीय अध्यक्ष ने उस पर आज्ञा दी थी कि कार्य स्थगन स्वीकार नहीं किया जाता है। अल्प-सूचित प्रश्न पर दिया जाय। हम लोगों ने २५ जून को अल्पसूचित प्रश्न किया। जो हरिजन भाई गिरफ्तार हुए वह जेल भेज दिये गये हैं, भूख हड़ताल चल रही है, १५ जुलाई से। अल्प-सूचित प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, जो आज्ञा दी थी। अल्पसूचित प्रश्न निरस्त हो गया है।

श्री अध्यक्ष--

इसलिए कि कई विभागों से अल्पसूचित प्रश्न का सम्बन्ध है, यह जो मैंने प्रातः निवेदन किया वही इस पर लागू होता है। एक-एक विषय को लेकर एक सवाल...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

अल्पसूचित प्रश्न यह था कि जो हरिजन लोग हड़ताल कर रहे हैं उनकी मांगें क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष--

जो कार्य विभाजन हुआ है, किस-किस मंत्री का क्या विषय है, हम किस मंत्री को भेजें, इसलिए अलग-अलग करना पड़ेगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

२२ मई से यह मामला चल रहा है। गिरफ्तारी चल रही है। कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया। उस पर आज्ञा हुई कि अल्पसूचित प्रश्न करें। अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है।

श्री अध्यक्ष--

अल्पसूचित प्रश्न आप नियमानुसार दें तो स्वीकार करेंगे।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

मान्यवर, जो प्रश्न था वह नियमानुसार ही था।

श्री अध्यक्ष--

आप नहीं समझ रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, प्रश्न यह है कि हरिजनों ने प्रदर्शन किया ।

श्री अध्यक्ष--

एक पन्ने पर जो मांग होती है तो वह कई विभागों से संबंधित हो सकती है।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

मान्यवर, हमारा निवेदन यह है कि आप इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष--

यदि नियमानुसार है तो अल्प सूचित प्रश्न स्वीकृत हो सकता है।

श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, घोर अन्याय हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अगर इसमें त्रुटि रह गयी और हम भेज दें तो ऊपर से आपत्ति आयेगी। कई मंत्रियों से संबंधित है, कौन जवाब देगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, घोर अन्याय हो रहा है। कोई देख नहीं रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप इसको समझ लें, हमारे कक्ष में आ जायं, किस तरह से अल्प सूचित प्रश्न स्वीकार किया जा सकता है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, वक्तव्य के लिये इसे स्वीकार कर लें। २२ मई से यह मामला चल रहा है। एक हरिजन पागल हो गया।

श्री अध्यक्ष—

यह रूलिंग है कि भूख हड़ताल इसका विषय नहीं हो सकता है। सत्याग्रह और भूख हड़ताल कानून के अन्तर्गत नहीं होती हैं। अल्प सूचित प्रश्न आप कर सकते हैं। इस पर वक्तव्य नहीं दिला सकता हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

हम लोग इलाहाबाद के सदस्य इस व्यवस्था के विरोध में १० मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(श्री सत्यप्रकाश मालवीय कुछ सदस्यों के सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अठई राम—

मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

(श्री अठई राम सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

वह स्वीकृत नहीं हुआ है। अल्प सूचित प्रश्न नियमानुसार करें।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, आइटम नम्बर ७ छूट गया है।

श्री अध्यक्ष—

वह तो हो गया। मैंने उनको पुकारा और उन्होंने उसको रखा।

श्री राम अधार—

मान्यवर, पुकारा नहीं गया। आप कार्यवाही में देख लें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनको पुकारा और उन्होंने उसको मूव किया।

१९७४-७५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४८—खाद्य तथा पोषाहार तथा अनुदान संख्या ७३—खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४८-खाद्य तथा पोषाहार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,१६,४२,९०० रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७९—खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८४,२०,००,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर अधिष्ठाता, कुंवर श्रीपाल सिंह पीठासीन हुये।)

मान्यवर, आज प्रदेश में और देश में जिस प्रकार कीमतें बढ़ रही हैं, केवल खाद्य वस्तुओं की ही नहीं बल्कि जीवन की अन्य वस्तुओं की जिस प्रकार से बढ़ रही हैं, इनको देखते हुए यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि वितरण की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जाये। वितरण का सम्बन्ध उत्पादन से है। प्रमुख समस्या हमारे सामने वितरण में आती है। खाद्यान्नों के सम्बन्ध में सरकार ने समय-समय पर अपनी क्रय की नीति और वितरण की नीति निर्धारित करती रही है। वर्तमान समय में इस वर्ष जब रबी की फसल आयी तो भारत सरकार ने अपनी नीति घोषित की और उस नीति के अन्तर्गत पिछली जो हमारी क्रय की नीति थी उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया। वितरण की जो व्यवस्था है या जो कीमतें हैं वह पूरे देश के सामने हैं, इनको सामने रख कर इस नीति में थोड़ा परिवर्तन किया गया यह परिवर्तन अपनी पुरानी नीति को त्यागने की दृष्टि से नहीं किया गया वह इसलिए किया गया कि पिछली बार जब वह नीति घोषित की गयी थी कि गेहूं के होलसेल और बीच के जो विचौलिए थे उनको समाप्त कर दिया जाये। उस समय २ प्रश्न राजनैतिक नेताओं ने उठाये थे और दूसरे व्यक्तियों ने भी उठाये थे। एक तो यह था कि क्या जिस कीमत पर सरकार ने गेहूं की खरीद पिछले वर्ष तय किया था वह ठीक है और यह कीमत ज्यादा होनी चाहिए यह चारों तरफ से मांग की गयी थी। कुछ राजनैतिक दलों ने यह भी कहा था कि यह होलसेल सरकार ने लेकर गलत किया है और विचौलियों को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए था। बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए थे और वक्तव्य हुए राजनैतिक दलों ने प्रस्ताव किए थे। इस वर्ष नयी नीति निर्धारित करते समय गेहूं की खरीदारी के सम्बन्ध में इसका ध्यान रखा गया है। केन्द्रीय सरकार ने मुख्य मंत्रियों और खाद्य मंत्रियों से राय ली और यह निर्णय लिया गया कि किसान का जो इनपुट है उसके लिए जो खाद, बीज और तमाम चीजों का स्तेमाल करता है इन बातों को ध्यान में रखते हुए गेहू की कीमत को बढ़ाया जाये और ७६ रुपये से बढ़ा कर १०५ रुपये कर दिया और ३ श्रेणियों में जो गेहूं को बांटा जाता था उसके स्थान पर सबकी कीमतें एक रखी गयी हैं। इस तरह से किसान को ज्यादा कीमतें दी गयीं और इसलिए १०५ रु० कीमत निर्धारित की गयी।

पिछली बार यह क्रिटिसिज्म उछाला गया कि यह जो होल सेलर्स हैं उनको समाप्त करके सरकार ने कोई बहुत ठीक नहीं किया है। उस बार फिर से देखा गया कि इनकी भी मदद ली जाय। हम कोई पीछे नहीं हटे। इनकी मदद लेने के लिए होल सेलर्स को हमने लिया और उनसे बातचीत की गई और यह कहा गया कि वह जो भी गहूं खरीदेंगे १०५ रु० के भाव पर और उसका ५० प्रतिशत देंगे गवर्नमेंट को और बाकी जो है वह खुले बाजार में बेचेंगे। सरकार ने इस प्रकार कई सब-एजेंसीज की मदद ली जिनके द्वारा बाजार में जनता के लिए गेहूं उपलब्ध कराया जा सकता था। नीचे से लेकर—छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े व्यापारियों तक की हमने मदद ली। लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखा गया कि जो हमारी सरकारी व्यवस्था है अर्थात् जो हम फेयर प्राइस शाप्स के द्वारा जो गेहूं हम दे रहे हैं जनता को उनके लिए ऐसी हम उचित व्यवस्था कर सकें। इसलिए ट्रेडर्स लेवी इन्ट्रोडयूस की गयी। इसलिए माननीय सदस्य की राय अलग-अलग हो सकती है किस प्रकार से हो, इस पर जब माननीय सदस्य अपने विचार उपस्थित करेंगे तो उसमें हमको मदद मिलेगी, क्योंकि जहां तक खाद्य नीति का सवाल है

या मूल्य को निर्धारित करने का सवाल है सरकार इसमें कोई रिजिड ऐटीटयूड लेकर नहीं चलना चाहती है और माननीय सदस्य के जो भी सुझाव उसमें होंगे उस पर हम विचार कर सकती हैं और करेंगी और उसमें हम देखेंगी कि उसमें और क्या मदद हो सकती है। क्या उसमें परिवर्तन करके और अच्छा किया जा सकता है क्योंकि खाद्य नीति का सीधा सम्पर्क जनजीवन से है, प्रतिदिन के जीवन से है? यह केवल थ्योरिटिकल नहीं है।

हमें यह भी देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जो करीब ९ करोड़ जनता है उसको हम सही तरीके से और सही कीमत पर उसकी आवश्यक वस्तुएं जिसमें खाद्यान्न वस्तु है उसको हम पहुंचा सकें। इस नीति के अनुसार इस बार नई गेहूं की खरीदारी की नीति निश्चित की गई। तो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि हमारे यहां जो पी० सी० एफ० की एजेन्सी है वह हमारी रेगुलेटेड मंडियों के अन्दर खरीद का काम करेगी। होल सेलर्स के अलावा और साथ-साथ जो हमारे ग्रामीण अंचलों में सीड स्टोर्स वगैरह हैं वह भी १०५ रु० की दर पर किसानों से अनाज खरीदेंगे। हमने यह भी निश्चय किया कि जो होल सेलर्स हैं वह एक वक्त १ हजार कुन्टल से ज्यादा नहीं रखेंगे। जब उनके पास एक हजार कुंटल तक आ जाता है तो वह सरकार को देकर बाकी रखकर वह रिलीज शेयर्स में बेचेंगे। जो छोटे बीच में रिटेलर्स हैं वह होलसेलर्स से ही लेंगे, उनके रिलीज शेयर्स से लेंगे और वे भी रेगुलेटेड मंडियों से लेंगे। सीधे काश्तकारों से खरीदने की उनको छूट नहीं दी थी। हमारे जो बड़े व्यापारी थी, होल सेलर्स थे, उन्होंने जिस प्रकार भारत सरकार को आश्वासन दिये थे कि वह सरकार को अपने लेवी से हमको अनाज दे देंगे, उपलब्ध करा देंगे कि आवश्यकता जो है, हमारी जो पब्लिक एजेंसीज के द्वारा जो हम फेयर प्राइस शाप्स के द्वारा लोगों को निश्चित मात्रा में गेहूं देते हैं और एक निश्चित कीमत पर भी दे सकने में वह सहायता पहुंचायेंगे, वह उन्होंने नहीं किया।

एक महीना उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात को देखा और १७ अप्रैल को जो नयी नीति थी, खरीद बिक्री की, वह लागू की थी। लेकिन उसके बाद हमने अप्रैल और मई में भी देखा कि इसमें जो पूरी तरह से कोआपरेशन मिलना चाहिए था या ट्रेडर्स लेवी के द्वारा जो आना चाहिए था, वह गेहूं नहीं आया। फिर उत्तर प्रदेश की सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा कि अब क्या किया जाय। प्रदेशीय सरकार की यह स्पष्ट नीति रही है कि किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, कीमत भी कम न हों और किसान अपने सामान को मंडियों तक ठीक से ला सकें, और उन्हें उचित मूल्य मिल सके, ट्रेडर्स लेवी के द्वारा जब गेहूं आशानुकूल प्राप्त नहीं हुआ तो फिर हमें विचार करना पड़ा और २० मई को एक निर्णय लिया और तदनुसार उत्तर प्रदेश गेहूं (विक्रय की अपेक्षा) आदेश, १९७४ लागू किया है, जिसके नवीनतम प्राविधानों के अनुसार राज्य सरकार को यह अधिकार है कि यदि किसी थोक व्यापारी या कमीशन एजेन्ट के पास लेवी शेयर को छोड़कर १,००० क्विंटल, फुटकर व्यापारी के पास १०० क्विंटल, आधे हेक्टर से कम जोत वाले उत्पादकों के पास ५ क्विन्टल और अन्य किसी उत्पादक के पास १५ क्विंटल और बाहुल्य जिलों के ब्लाक में किसी अन्य व्यक्ति के पास २ क्विंटल तथा ब्लाक से बाहर के जिलों में ५ क्विंटल से अधिक गेहूं है तो उसे १०५ रुपया प्रति क्विंटल की दर से ले लें। यह निर्णय इसलिए लिया गया कि जिससे हमारे व्यापारी भाई और किसान भाई हम से सहयोग करेंगे।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गेहूं तथा गेहूं उत्पादन (व्यापार विनियमन तथा संचालक नियंत्रण) आदेश, १९७४ के अधीन हमारे जो २८ बाहुल्य जिले हैं, जिनमें नैनीताल, पीलीभीत, रामपुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बदायूं, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलन्दशहर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, बांदा, जालौन, लखीम पुर खीरी, हरदोई, गोंडा तथा बहराईच का एक अलग क्षेत्र बना दिया गया है और इस क्षेत्र में ८ ब्लाक भी बनाये गये हैं। गेहूं की वसूली

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

को इन्टैन्सीफाई करने के लिये सरकार की ओर से नये-नये क्रय केन्द्र खोले गये हैं क्योंकि हम अब ट्रेडर्स लैवी पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। यह जो ८ ब्लाक बने हैं, इनमें एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक में गेहूं के लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया लेकिन आवश्यकतानुसार, जो निश्चित सीमा है उसके अन्दर ही ले जा सकते हैं। उनके लिये परमिट की व्यवस्था की गयी है।

इसी तरह से ब्लाक के अन्दर एक जिले से दूसरे जिले में क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रण द्वारा दिय गये परमिट पर ही संचरण संभव होगा। लेकिन इस लैवी की व्यवस्था और वसूली को पहाड़ी जिलों के लिये मुक्त कर दिया है जैसे चमोली, पिथौरागढ़, उत्तर काशी, टेहरी-गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा तथा नैनीताल, बेहरादून और मिर्जापुर के पहाड़ी क्षेत्रों को क्योंकि यहां पर गेहूं का उत्पादन आवश्यकता से बहुत ही कम होता है। वहां की आबादी और जनसंख्या को देखकर यह बात हमारी समझ में आयी है। हमारे प्रदेश में इस बात की खास शिकायत थी और अब भी है कि हमारे जो सीमावर्ती जिले हैं, उनसे बड़ी मात्रा में दूसरे राज्यों को चावल तस्करी के रूप में बाहर जाता है। इसे मैं तस्करी इसलिये कहती हूं क्योंकि नियमों का उलंघन करके टैक्सों की चोरी करके गलत तरीकों से, बिना आज्ञा के जो ले जाते हैं, यह तस्करी की चीज होती है और इसके रोकने की बात भी की गयी।

सीमा क्षेत्र में यह भी लगाया गया कि एक प्रमाण-पत्र लोगों को लेना पड़ेगा, कम से कम ८ कि० मी० की जो सीमा रखी गयी और ऐसे जो बार्डर के जिले हैं जिनमें मेरठ, बुलन्दशहर, मथुरा, वाराणसी, गाजीपुर, बस्ती, गोंडा और बहराइच यहां पर से जो उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा होने के कारण तस्करी होती है तो यहां पर बहुत ज्यादा सख्ती करने की हिदायत दी गयी और नियम और ज्यादा कठोर बनाये गये, खरीदारी नीति को और सफल बनाने के लिये निश्चय किया गया कि बिना "नो आब्जेक्शन सार्टिफिकेट" के कोई भी इन क्षेत्रों में जो हमारी सीमा के जिले हैं वहां पर अनाज नहीं ले जा सकता था। लेकिन इन जिलों में पर्याप्त मात्रा में अनाज मिलता रहे इसके जिलाधीशों को बड़े स्पष्ट आदेश दिये गये कि जो जेनुइन ट्रेडर्स हैं और जो सही तरीके से जनता के लिये आवश्यक दुकानें हैं उन पर जो चावल, गेहूं और अन्य आवश्यक चीजें ले जाना चाहते हैं तो उनको वह सार्टिफिकेट देने में कोई दिक्कत नहीं होगी वह छोटे व्यापारी हों या बड़े व्यापारी हों जो जनता के कंजम्पशन के लिये और उसके बेचने के लिये एक निश्चित मात्रा में ले जायेंगे उस पर कोई रोक नहीं होगी। इसलिये ध्यान रखा गया कि जहां सरकार की नीति यह है कि हमारे प्रदेश से तस्करी बन्द हो और हमारे देश के अन्दर एक सूबे से दूसरे सूबे को अनाज जो प्रापर तरीके हैं उनसे जाना चाहिये और ट्रेड चैनल्स प्रापर होने चाहिये तो वह नियम कायदे बने हुए हैं, लेकिन यदि छुपाकर कोई काम करता है या उन कायदों का उल्लंघन करता है तो सरकार सख्ती करेगी, यह स्पष्ट आदेश दिये गये।

इसी बात को ध्यान मे रखते हुए माननीय सदन को मैं याद दिलाना चाहती हूं कि हमने एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट में भी संशोधन किया। उसके अन्तर्गत जो ३–४ मुख्य बातें रखी गयी थीं उनमें एक यह था कि अभी तक जो सजा थी उसको बढ़ाकर तस्करी के लिये ७ वर्ष कर दिया गया जो कि पहले ५ वर्ष से ज्यादा नहीं थी और डी० आई० आर० के अन्दर जो बन्द होंगे इसके अन्तर्गत उनको नान-बेलेबिल आफेंस कहा गया और कम से कम ६ महीने की सजा की गयी। साथ ही साथ तस्करी के व्यापार को रोकने की दृष्टि से जो वाहनों का प्रयोग होता है : ट्रक, ऊंट, साइकिल, बैलगाड़ी जिस पर सामान पकड़ा जायगा सबको ले लेंगे और जो सामान पकड़ा जायगा उसको दुगने दाम पर बेंच करके सरकार के अन्तर्गत उसको ले लिया जायगा।

इस तरह से इस सम्बन्ध में जो सख्ती की गयी, उसके लिए हमें प्रसन्नता है। साथ ही साथ हमने एक क्लाज यह भी रखा था कि जो लोग इस तरह से तस्करी करने में, ब्लैक मार्केटिंग, चोरबाजारी, मुनाफाखोरी करते हुए जो चीजों को छिपाते हुए एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट में पकड़े जायेंगे तो उनके लिए समरी ट्रायल की व्यवस्था की जायगी। उसकी जो दिक्कतें

थीं उनको दूर करने के लिए उपाय किए गये और इसमें हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से एसेंश्यल कमोडिटीज ऐक्ट में परिवर्तन किया था और माननीय सदन ने उसकी स्वीकृति, दी थी भारत सरकार ने भी उसी प्रकार से अखिल भारतीय स्तर पर उसमें परिवर्तन किया उस पुराने ऐक्ट में और अच्छे सख्त आदेश कर दिये गये। अब उत्तर प्रदेश की सरकार के हाथ इस प्रकार से मजबूत हुए। भारत सरकार ने जब अपने स्तर पर भी एसेंश्यल कमोडिटीज ऐक्ट को परिवर्तित करके ऐसा बनाया कि सब एक तरह की चीजें समरी-ट्रायल और सारी चीजें आ गयीं। और स्टेट गवर्नमेंट ने उस पावर को लिया जो अभी तक केवल केन्द्रीय सरकार तक ही सीमित थी।

हमारा उद्देश्य यह है कि हमारी वितरण व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके। इसीलिये पहले तो यह है कि हम इतनी खरीद करके अपने पास रख सकें और उसका वितरण ठीक से कर सकें। हम जो अनाज फ़ेयर प्राइस शाप्स के द्वारा देते हैं उसमें मुख्य रूप से गेहूं, चावल और समय-समय पर मोटा अनाज भी आता है। पिछले वर्ष और इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश ने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया उस दिशा में हम चल रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट फीगर्स गेहूं की वसूली की हैं वह २ लाख ९८ हजार टन है और शाम तक हमारी आशा है कि हम ३ लाख टन की फीगर तक पहुंच जायेंगे। चावल के लिये यहां ३ लाख टन का लक्ष्य रखा गया था लेकिन हम उससे भी अधिक लेवी के द्वारा वसूल कर सकें और ४ लाख २० हजार टन वसूल किया। हमने केवल इस प्रदेश की जनता के लिये ही बल्कि इस प्रदेश के बाहर भी भारत सरकार ने जब-जब कहा और आवश्यकता हुई तो हमने दिया। पहले जो हमारा ३ लाख टन का लक्ष्य था उसमें से डेढ़ लाख टन भारत सरकार को देना था लेकिन जब हमने ज्यादा इकट्ठा किया तो दूसरे प्रदेशों की आवश्यकता को देखते हुए हमारी सरकार ने करीब १ लाख ९० हजार टन तक चावल इस प्रदेश के बाहर भेजा। इस तरह हमने जो राष्ट्रीय खाद्य समस्या उत्पन्न हुई उसमें हमने केवल अपने लोगों की ही नहीं बल्कि अन्य सूबों के लोगों की भी मदद की है।

उत्तर प्रदेश उत्पादन की दृष्टि से सेल्फ-सफीशियेन्ट सूबा है और प्रोडक्शन को थोड़ा सा ही और बढ़ा देने से हमें किसी दूसरे से मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। पिछली बार भी जब सेन्ट्रल पूल से हमने अनाज लिया था वह अपनी फेयर प्राइस शाप्स के द्वारा लोगों को देते रहे। इस बार भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारी वितरण व्यवस्था जिस प्रकार से चल रही है वह जारी रहे। अभी हमने गेहूं की वसूली के समय चूंकि नयी फसल आ रही थी इसलिए बाहुल्य वाले जिलों में फेयर प्राइस शाप्स से गेहूं देना रोक दिया था, चावल, चीनी और डालडा तथा अन्य वस्तुओं का वितरण कर रहे थे लेकिन आवश्यकता के अनुसार हमारी यह कोशिश है कि हम उन सभी जगहों पर जहां जरूरी हो गेहूं देंगे और जहां पर अगर कीमतें थोड़ी भी बढ़ती हैं तो हम वहां तुरन्त गेहूं पहुंचायेंगे और इसमें सरकार को कोई कठिनाई नहीं होने वाली है क्योंकि हमारे पास जितना गेहूं है अपनी आवश्यकतानुसार और भारत सरकार की मर्जी से उसका वितरण करने में समर्थ हैं। चावल भी हमारे पास इतनी मात्रा में है कि अगर पूर्वी जिलों में कहीं से डिमांड आती है या आवश्यकता पड़ती है तो हम उनको देते हैं। मोटा अनाज भी हमारे पास अभी है। अगर कंट्रोल की दुकानों से लोग बहुत ज्यादा मोटा अनाज नहीं उठाते हैं तो टेस्ट वर्क्स में हमारे जो गरीब मजदूर लगते हैं उनको देने के लिए हमारे पास इतना मोटा अनाज है कि हम उस काम को भी चला सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश इस बात की है कि हम अपने उस लक्ष्य को पूरा कर सकें जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का भरोसा है कि यह जो बादल आये हैं और पानी बरसा है इससे खरीफ की फसल काफी अच्छी होने वाली

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

है । कुछ ही दिनों में मक्का बाजार में आने लगेगी । इससे मैं समझता हूं कि काफी राहत मिलेगी और जो दिक्कत सामने आ रही थी वह नहीं आयेगी ।

जब हम लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं तो हमें यही नहीं देखना चाहिए कि लोग केवल गेहूं और चावल खाकर ही जीवित रहते हैं । देहात में हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो मोटा अनाज काफी मात्रा में खाते हैं । ज्वार, मक्का बाजरा आदि का वे इस्तेमाल अधिक करते हैं । इसलिये जब हम इस समस्या की ओर देखते हैं तो हमें इन सब क प्रोडक्शन को देखना चाहिये । इन सबको जब हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की पिक्चर धुंधली नहीं है और न ही हमें निराश होने की जरूरत है । भारत सरकार की मदद से हमें विश्वास है कि हम आने वाले महीनों में अपनी जरूरतों को अवश्य पूरा कर सकेंगे । मैं यह बात सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहती हू कि किसी भी प्रकार की घबराहट की जरूरत नहीं है । हमारे सामने कोई समस्या इसकी रह नहीं गई है । कहीं पर वितरण की खराबी या हमारे आदेशों का पालन ठीक तरह से न होने अथवा उसको ठीक तरह से न समझने के कारण यदि कहीं कोई अव्यवस्था है तो उसको दूर किया जायेगा । जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं, जो मार्केट में अपना गल्ला लाते हैं, उनको सारी सहूलियतें दी जायेंगी । जिन २६ जिलों में हमारा वसूली का लक्ष्य पूरा हो गया है वहां से हमने सारी पाबन्दियों को हटा लिया है और अब उन जिलों में कोई किसी कार की रुकावट नहीं है । एक जिले से दूसरे जिले में वहां अनाजा लाया ले जाया सकता है । पुलिस अधिकारियों को भी हमने इसके लिए आदेश दे दिये हैं । जहां वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है वहां पर ये रिसट्रिक्शन्स हैं, आगे समय आने पर उन के हटाने के प्रश्न पर भी विचार किया जायगा ।

आपको मालूम है कि भारत सरकार की पहले की नीति के अनुसार पूरे स्टेट में एक जोन मानकर चलने की बात थी, मगर ट्रेडर्स ने हमारा साथ नहीं दिया । तो ६ जून के बाद व्यापारियों की तरफ से गल्ला आया ही नहीं । जो उन्होंने देने की बात कही थी तो यह देखें कि किस तरह से अनाज को उन्होंने रखा है । उन्होंने बड़े-बड़े किसानों से साठगांठ की है । यह हम तो देखेंगे और आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं इसलिए आप भी देखें ।

तो मेरा कहना है कि अब जहां-जहां रेशियो पूरा हो गया है उसके अतिरिक्त जो जिले बचे हैं उसमें हमारी प्रोक्योरमेंट ड्राइव अभी भी उसी तरह से शुरू है और वह जारी रहेगी जब तक कि अपनी रेशियो न पूरा हो जाय । डी होर्डिंग ड्राइव, और जैसा हमने आपसे बताया था कि वे किसान जिन्होंने अपनी आवश्यकता से अधिक गेहूं रखा है, अगर वह रखे रहते हैं तो कानून की दृष्टि से गैर कानूनी काम कर रहे हैं । ऐसी हालत में उन्हें अब भी वक्त है कि वे अपना गेहूं मंडियों में, बाजारों में, और दूसरी जगहों पर बेचें ।

हमने एक समय रखा था, १ महीने का, ३० जून तक हमने रेशियो रखा था कि जो सरकार को १०५ रुपये पर गेहूं देगा उस किसान को हम खाद देंगे ? उसको पुराने रेट पर खाद दी जायेगी । उसको सीमेंट दी जायेगी ।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं जिससे माननीय सदस्यों को और सारे लोगों को आसानी हो जाय ? क्या यह वाक्या है कि इस साल गेहूं पिछले साल की अपेक्षा जो गेहूं के आंकड़े हैं २१ परसेंट कम हुआ है । दूसरे क्या यह वाक्या है कि जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें इस साल पिछले साल को देखते हुए ४० परसेंट कम हुआ है ? तीसरे क्या ड्राइव के पहले जो किसानों के पास सरप्लस गेहूं होता है उसको बेच लेते हैं ? यह तीन बातें हैं ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी––

माननीय नेता विरोधी दल जो जानना चाहते हैं तो मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि पिछले वर्ष की अपेक्षा हमारे भी आंकड़े कहते हैं कि गेहूं का उत्पादन कम हुआ है। वैसे अलग-अलग जिले में अलग-अलग स्थिति है। पिछले वर्ष जो आंकड़े थे अगर वह ७५ लाख टन के थे, कि यह सरप्लस हो सकता है तो मान्यवर, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसने जो आंकड़े हमारे पास भेजे हैं वह ६१–६२ लाख टन के बीच में हैं। इस तरह से रेशियो आप लगा सकते हैं कि कितना परसेंटेज हुआ। और जैसा आपने कहा कि किसान पहले ही निकाल देते हैं, बेच लेते हैं तो यह चीज तो विवाद-ग्रस्त है। वैसे कुछ किसान तो एक महीने में ही बेंच लेते हैं और कुछ किसान तो थ्रू आउट दी ईयर अपना गल्ला मंडियों में––हाटों में, बाजारों में, परचूनियों के यहां और अन्य जगहों पर बेचते रहते हैं। वह हमेशा ही गेहूं बेचा करते हैं।

चौधरी चरण सिंह––

दूसरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। वह चाहे जब बेचें जुलाई में या अगस्त में या और कभी, इसको आप जानें, सदन जाने। आपके इरिगेशन मिनिस्टर श्री महमूद अली खां ने इस बात को तसलीम किया है कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में इस बार ४० परसेंट प्रोडक्शन कम हुआ है। तो इस वाकये को बतायें ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी––

मान्यवर, श्री महमूद अली खां ने यदि यह बाद सदन के सामने कही है तो मैं उसको डिस्प्यूट नहीं करती हूं। अलग-अलग जिलों में अलग-अलग तरीकों से क्षति हुयी है। वेस्टर्न और ईस्टर्न जिलों में अलग-अलग क्षति बतायी गई है। जो क्षति हुयी है उसी के हिसाब से लक्ष्य भी रखे गये हैं। वेस्टर्न जिलों में पिछले वर्ष की अपेक्षा गेहूं वसूली के लक्ष्य कम रखे गये हैं। इस बात को ध्यान में रखा गया है कि जो कि विरोधी दल के लोग कह रहे हैं कि वेस्टर्न जिलों में क्षति हुई है तो उसी हिसाब से अलग-अलग जिलों में अलग-अलग लक्ष्य रखे गये हैं। इस नीति में थोड़ा बहुत मार्जिनल फर्क ही हो सकता है, लेकिन उसको कम रखा गया है।

सरकार की स्पष्ट नीति है कि किसान को किसी प्रकार से परेशान न किया जाये। हमने १०५ रुपये प्रति क्विंटल में गेहू पी०सी०एफ०, एफ०सी०आई० या अन्य क्रय केन्द्रों में खरीदने के लिए आदेश दिये हैं और जो किसान गेहूं देंगा उसको हम फर्टीलाइजर देंगे। सरकार ने फर्टीलाइजर किसानों को पुराने दाम पर दिया जबकि उसकी कीमत ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए किसानों को ज्यादा फायदा फसल से हों इसको ध्यान में रखा गया है। सीमेंट की गांव में मांग रही है इसलिए हमने उसकी भी व्यवस्था की है। जहां टैक्टर ज्यादा चलते हैं वहां यह व्यवस्था की गई की जो किसान टैक्टर रखे हैं और जो गल्ले के बदले डीजल चाहते हैं उनको ड्रीजल देने की व्यवस्था की गई। अभी तक हमारे पास डीजल से सम्बन्धित इधर कोई शिकायत किसानों से नहीं आई है।

श्री राजब्रजराज सिंह (जिला खीरी)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य मन्त्री जी से पुछना चाहूंगा कि आपने जो कहा कि डीजल की शिकायत किसानों में नहीं है। तो क्या यह बात सच है कि जो किसान ट्रैक्टर नहीं रखे हैं उनको प्रति बोरी डीजल, मिट्टी का तेल, सीमेंट तथा खाद दी जाती है तो एक गेहूं का ब्लैक रोकने के लिये आप तीन चार चीजों का ब्लैक करा रही हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय सदस्यों से मैं यह अनुरोध करूंगी कि वह धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनें । उनको बोलने का समय मिलेगा और जो पूछेंगे मैं उसका उत्तर बाद में दूंगी । मैं गेहूं की खरीद नीति पर बता रही थी । तो इसके साथ ही साथ गेहूं की जो फेयर प्राइज शाप की व्यवस्था है उसमें हमने और सुधार किया है । पहले दुकानों में यूनिटों की संख्या ज्यादा रहती थी उसकी जगह पर आदेश हैं कि अब तीन साढ़े तीन हजार यूनिट प्रति दुकान से अधिक न हों । साथ ही साथ जो दूकानों पर भीड़ बहुत ज्यादा लगा करती थी उसको समाप्त करने के लिये और कम करने की दृष्टि से हमने दूकानों का समय बढ़ा दिया है । जिस प्रकार से दूसरी दूकानें खुलती हैं, उनका जो समय होता है उसी प्रकार ये दूकानें भी ८ घन्टे खुला करेंगी । दूकानदार हर समय रहता है और कोई भी कार्ड होल्डर सामान आसानी से ले सकता है ।

दूकानों के सम्बन्ध में यह भी शिकायत आई कि ब्लेक होता है । इस सम्बन्ध में एरिया राशनिंग आफिसर के हिसाब से हमने सतर्कता समितियों का गठन किया है जिसमें ३ से ५ तक सदस्य होते हैं तथा मण्डी समितियों में ट्रेडर और उत्पादक जो कि किसान है उसके भी दो रिप्रेजेन्टिटिव लेकर कमेटी बनाई गई है । इन सबके लिये जिलाधीश से कहा गया है । वितरण व्यवस्था को और अच्छा बनाने के लिये माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इन सतर्कता समितियों के माध्यम से तथा जो जिले में खाद्य सलाहकारी समिति हैं जिसमें सभी माननीय सदस्य अपने-अपने जिले में सदस्य हैं, समय देकर इस बात को जरूर देखेंगे कि जिले की वितरण व्यवस्था में और सुधार हो और लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचे । हमारे यह भी आदेश हैं कि यह जिले की जो खाद्य सलाहकारी समितियां हैं उनकी बैठक जल्दी-जल्दी हुआ करे । मैं जिलाधीश से आंकड़े मंगा रही हूं कि उन्होंने कितनी मीटिंग बुलाई अगर किसी माननीय सदस्य को शिकायत है कि जिलाधीश कमेटी नहीं बुला रहा है या देर से बुलाता है तो जो निर्णय लिए गए हैं उनको अमल में नहीं लाया गया है तो मैं चाहूंगी कि वह मुझे सूचित करें ताकि माननीय सदस्यों के सुझाव से शासन पूरा लाभ उठा सके ।

जहां तक नियंत्रित कपड़े का सम्बन्ध है, हमने यह सुधार किया है कि अब तक ५०० रुपये की आमदनी के व्यक्तियों को कपड़ा मिलता था । अब यह कहा गया है कि नियंत्रित कपड़ा केवल ३५० रुपये मासिक आमदनी वालों को शहरों में मिला करेगा और देहातों में जिनके पास एक एकड़ से कम जमीन है या जो भूमिहीन और हरिजन हैं उनको कपड़ा दिया जाना चाहिए । भारत सरकार से इस बात के लिये आग्रह किया गया था कि हमारी यहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जो कपड़ा मिलता है वह कम है इसलिये उसे बढ़ा दिया जाय । हमें मानतीय सदस्यों को सूचित करते हुए खुशी होती है कि भारत सरकार ने उस कपड़े के आवंटन को दुगुना कर दिया है और अब हमारी यह चेष्टा होगी कि हर दो न्याय पंचायत के बीच एक ऐसी दुकान खुलवा सकें जिससे गरीब जनता को देहात में नियंत्रित कपड़ा मिल सके । मैं मानती हूं कि अभी भी शिकायत आती है, लेकिन इसमें भी इम्प्रूवमेंट करने का हमारा इरादा है ।

इसी तरह से ट्रक और बस के टायर्स के सम्बन्ध में मेरे पास यह शिकायत आई है कि कभी-कभी बहुत ऊंचा ब्लैक होता है । हमने इस दिक्कत को दूर करने के लिए जिला स्तर पर जिलाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जिसमें जो ट्रक ओनर्स हैं वह अपना पहले रजिस्ट्रेशन करा लें और जो रजिस्टर्ड हैं उनको बाई रोटेशन एक वक्त में दो टायर दिये जायेंगे ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं.....

श्री अधिष्ठाता--

जब तक वक्ता बैठ न जायें, नियमानुसार आप पूछ नहीं सकते। कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

केवल खाद्यान्न की बात नहीं थी बल्कि जीवन को जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको भी फेयर प्राइस शाप्स से बटवाने की व्यवस्था हमने की है जैसे साबुन दियासलाई आदि।

सीमेन्ट के आवंटन का भी विकेन्द्रीकरण किया गया है। पहले यह होता था कि बहुत बड़े पैमाने पर मांग होती थी चाहे इंस्टीट्युशंस के लिए या औरों के लिए, एक हजार बोरी की या कई-कई वैगन्स की तो अब यह व्यवस्था की है कि डिवीजनल लेबिल पर कमिश्नर और आर० एफ० सी० के माध्यम से ही सीमेंट का आवंटन होगा और शासन तक दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारी यह भी कोशिश है कि वितरण व्यवस्था को सुचारु बनायें। सरकार ने अपना फूड कारपोरेशन बनाने का निर्णय लिया है। सरकार खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं का कारपोरेशन बनाने जा रही है। इस बार आपने देखा होगा कि ५० लाख रुपया रखा गया और आवश्यकता होगी तो आगे थी प्राविधान किया जायगा। हमारी कोशिश होगी कि जैसे दालों की कीमत ज्यादा हो रही है तो हम निश्चित दाम पर लोगों को दालें और दूसरी वस्तुएं दे सकें। अभी तो यह है कि अगर स्टाकिस्ट समय पर माल नहीं उठाता तो हमें अपनी सरकारी गल्ले की दुकानों पर सामान पहुंचाने में दिक्कत होगी है। निगम के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि कुछ स्टाक रहे।

श्री ऊदल सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मन्त्री जी को बोलते हुए काफी समय हो गया और हमारे विपक्ष से कट-मोशन पर भी बोलेंगे और दूसरे सदस्य भी बोलेंगे। खाद्य समस्या ऐसी है जो देश और प्रदेश में बड़ी गम्भीर है। उनका तो वही लिखा हुआ भाषण है। वे कम समय लें।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया स्थान ग्रहण करें। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय सदस्य जो किताब दिखा रहे हैं वह ७३/७४ की है और मैं ७४/७५ की बात कर रही हूं। समय-समय पर जो शिकायतें वितरण व्यवस्था के सिलसिले में आती हैं तो उसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए दस बड़े नगरों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पद निर्मित किये हैं।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ७४/७५ की क्या बातें वे बतला रही हैं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मैंने खाद्य मन्त्री की हैसियत से अपने वक्त में जो कदम उठाये हैं वे बतला रही हूं।

श्री रामसेवक यादव--

यह ७४/७५ के गेहूं का सवाल नहीं है। यह ७३/७४ का गेहूं है।

श्री एदल सिंह--

खाद्य समस्या से आज जनता परेशान है। मन्त्री जी ज्यादा समय ले रही हैं जिससे कि दूसरे सदस्य न बोल सकें।

श्री अधिष्ठाता--

इस प्रकार से कहना उचित नहीं है। मुझे क्षमा करें कहने के लिए कि इस विषय में कितनी रुचि आपके दल की संख्या बतला रही है।

एक सदस्य--

क्या इस डिबेट का समय बढ़ा दिया जायगा ?

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग ध्यान से सुनेंगे नहीं तो डिबेट में भाग क्या लेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, मैं संक्षेप में ही कह रही हूं। क्या-क्या काम सरकार ने किये हैं, उनका बताना जरूरी है, इसलिये समय ले रही हूं। मैं कह रही थी कि हमारे जो पहले ७ खाद्यान्न के क्षेत्र थे, उनको बढ़ा कर अब ११ कर दिया गया है मण्डल स्तर पर। खाद्य आयुक्त के मन्त्रालय में एक हमने पुलिस सेल की स्थापना की है जिसमें डी० आई० जी० लेविल का अधिकारी है। यह इसलिये किया गया है ताकि उन सभी मामलों की तुरन्त जांच की जा सके जिनके बारे में शिकायतें आती हैं। सरकार ने बड़ी सख्ती से उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है, जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और व्यापारियों के खिलाफ और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। कितने जमाखोरों को पकड़ा गया है और कितनों को मिसा में बन्द किया गया है, यह मैं जवाब के समय में बताऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग ये सारी बातें पूछने वाले हैं। मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि जो कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करें और उसकी विशेष व्यवस्था की गयी है।

अन्त में मैं यही कहना चाहती हूं कि यह जो विषय है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि माननीय सदस्यगण स्वयं कह रहे हैं और वे कुछ सुझाव देना चाहते हैं। मैंने इतना वक्त लिया, इसलिए नहीं कि मैं आपकी बात सुनना नहीं चाहती। मैं तो स्वागत करती हूं कि जो भी आप सुझाव देंगे उन पर कार्यवाही की जायगी। मैंने इसलिये इतनी बात कही कि जिससे आप समझ जायं कि सरकार पूरी तरह से जागरूक है, सतर्क है और जितनी प्रदेश के सामने समस्यायें हैं, उनकी तरफ पूरी तरह जागरूक है और प्रबन्ध करती है और समय-समय पर आवश्यक कदम उठाती है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यगण जब बोलेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो बिना दलगत बातों को ध्यान में रखे, अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे। इस तरह से मैं आपके समर्थन की आशा करती हूं।

चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, मैं एक बात पूंछकर चला जाऊंगा। वैसे तो इस प्रश्न को राम सेवक जी पूछते लेकिन चूंकि आपने जिक्र कर दिया इसलिये पूछ रहा हूं। क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह वाकया है कि जो प्रोफार्मा लेखपाल तैयार करके देता है कि फलां किसान के पास इतनी जमीन है, इतना एरिया सिंचित है, उसमें यह भी है कि वह किसान किस पोलिटिकल पार्टी से वास्ता रखता है, क्या गवर्नमेन्ट आर्ड्स में है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मेरी ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, मैं यह आरोप लगाता हूं। मेरे एक बिजनौर के साथी का लेख छपा है टाइम्स आफ इण्डया में, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है। और भी दूसरे जिलों में अधिकारीगण पूछ रहे हैं कि किस पार्टी के हो। क्या ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और इन्सट्रक्सन्स देंगी कि यह रोक दिया जाय?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, जिस बात की ओर चौधरी साहब ने ध्यान दिलाया है, हम उसकी जांच करायेंगे कि क्या यह सही है कि नहीं। अगर ऐसी कोई चीज होगी तो जवाब देते वक्त बता सकूंगी। यह बात तो प्रोफार्मा से पता चल जायगी।

*श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८--खाद्य तथा पोषाहार के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७९–खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैंने बड़े गौर से मन्त्री जी के भाषण को सुना। मैं मन्त्री जी को बतलाना चाहता हूं कि आज अन्न के प्रोडक्शन में २१ परसेंट कमी है। मैं इस सम्बन्ध में आंकड़े दूं। इस साल १७५ लाख टन अनाज हुआ है। अगर सूबे की आबादी के मुताबिक १६ औंस गेहूं तथा ३ औंस चावल देने की बात करें तो १६५ लाख टन अनाज को इस सूबे की जरूरत है। इसके अलावा जानवरों के लिये दाना वगैरह भी रखें तो २२० लाख टन गल्ले की जरूरत पड़ेगी और इस प्रकार ४५ लाख टन गल्ला इस सूबे में कम है। मन्त्री महोदय ने बताया कि वह दूसरे सूबे को भी देती हैं। मुझे ताज्जुब है कि जो चाज उनके पास नहीं है उसे कैसे वह कहती हैं कि है। १९७० से लेकर लगातार उनके पैदावार अनाज की कम होती जा रही है। क्या आपके पास पूरे आंकड़े हैं?

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

माननीय सदस्य ने कहा कि इतना गल्ला कम पैदा हुआ तो क्या इसमें गेहूं और मोटा अनाज सब कुछ सम्मिलित है?

श्री बलवान सिंह--

हां, सब कुछ सम्मिलित है और २२० लाख टन में से काट कर यह आया है। आखिर यह पैदावार क्यों कम हुई? इस चीज को छोड़ दीजिये कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, अच्छा बीज नहीं है। मैं बतलाऊं कि तीन साल में ३० लाख एकड़ जमीन गेहूं की कमी हो चुकी है। किसान क्यों बोये गेहूं जब कि उसको गेहूं बोने में बेइज्जती होती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवान सिंह]

ओपियम बोने में इतनी बेइज्जती नहीं होती । जितनी गेहूं पैदा करने वाले किसान की होती है जो उसे मेहनत करके, खून पसीना एक करक और अपने घर भर को लगा करके, मिट्टी में अपने को मिला कर गेहूं पैदा करता है । आपके अफसरान, पुलिस उसके घर पर जाकर छापा मारें और उसको डी० आई० आर० में जेल भेज दें । इसलिये किसान मजबूर हो गया और उसने गेहूं की पैदावार को कम कर दिया । मन्त्री जी को मैं बतला दूं आज मटर के दाम ५०० रुपये कुन्टल हैं और चने क ३०० रुपये कुंटल जब कि गेहूं के दाम १०५ रुपये कुन्तल । फिर मटर व चने की आबपाशी की जरूरत नहीं है और उन पर कोई कंट्रोल नहीं है । किसान फिर क्यों गेहूं बोये और अपनी बेइज्जती कराये ? क्या आपने इन पहलुओं पर सोचा है ? आपको आज ५० लाख टन गल्ले की जरूरत है । विदेशों से गल्ला आप मंगा रहे हैं । यू० पी० को फीड करने के लिये सेन्टर से गल्ला आ रहा है । अगर गल्ला है तो क्यों सेन्टर से मंगाते हैं? पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के बाद हमारे देश में अनाज की कोई कमी नहीं रहेगी लेकिन हर साल २०० करोड़ रुपये का गल्ला आ जाता है । यह कमी क्यों है और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या इस देश के किसानों व जमीन में इतनी ताकत नहीं है कि वे ५८, ५९ करोड़ आदमियों को खिला सकें जबकि इस देश की जैसी अच्छी जलवायु दुनियां में कहीं नहीं है, जमुना गंगा जैसा दुआबा कहीं नहीं है । हरियाना अपने यहां दूनी पैदावार कर सकता है और पंजाब यह कह सकता है कि वह नार्दर्न इंडिया को खिला सकता है तो यू० पी० अपने प्रदेश की आबादी को क्यों नही खिला सकता ? हमारे देश के ७५ जिले गरीबी की लपेट में आ गये हैं । जहां पर लोग बहुत गरीब हैं वह २८ जिले आपके ही हैं और आपके उत्तर प्रदेश के ही हैं । देश के ७५ जिलों के गरीबों की जो आबादी है उसका ५० प्रतिशत इस उत्तर प्रदेश के जिलों के गरीबों की आबादी है और बाकी जिलों की आबादी १९ प्रतिशत है । मैं चाहता हूं कि मन्त्री इस बात को सुनें । आपने जो गेहूं का टारगेट रखा है वह है ३ लाख टन, जो कि आपको वसूल हो रहा है और चावल आदि मिलाकर ६/७ लाख टन से ज्यादा नहीं है । मान्यवर माननीया मन्त्री जी मेरी बात सुन नहीं रही हैं, क्या सुझाव दूं ....

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय सदस्य ने मेरी स्पीच ध्यान से नहीं सुनी ।

श्री बलवान सिंह--

सुनी है । मैं निवेदन कर रहा था कि आपको लगभग साढ़े सात लाख टन वसूल करना है । उत्तर प्रदेश में १७५ लाख टन है । तीन-साढ़े तीन परसेन्ट आप वसूल करेंगे और बाकी तीन परसेन्ट कंट्रोल से आयेगा । यानी ९७ परसेन्ट बाहर है । क्या आप प्राइस कंट्रोल कर सकेंगे ? ९७ परसेन्ट बाहर रहे और ३ परसेन्ट लेकर कंट्रोल करेंगे तो क्या यह आपने ब्लैक का दरवाजा नहीं खोला है ? आपके पास कास्ट आफ प्रोडक्शन के कोई आंकड़े नहीं हैं । मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हम १०५ रुपये गेहूं के दाम दे रहे हैं । सन् ६७ से सन् ७३ तक गेहूं के जो दाम थे, वही आज भी रहे बढ़े नहीं । हालांकि सन् ६७ में जब एस० वी० डी० गवर्नमेन्ट आयी थी तो उसने गेहूं के दाम ८६ पैसे कर दिये थे और फिर बाद में आपने ७६ पैसे कर दिये थे ।

आप आंकड़े देख सकती हैं कि कीमतें कितनी बढ़ी हैं । यूरिया के नाम सन् ६७ के बाद तिगुने बढ़ चुके हैं, ट्रैक्टर के दाम दूने हो चुके हैं, बिजली के दाम दूने हो गये हैं, आबपाशी के दाम पौने तीन गुने बढ़ चुके हैं यानी कास्ट आफ प्रोडक्शन कितनी बढ़ गई है ? आपने बड़ी बहादुरी के साथ कह दिया कि हमने १०५ रुपया क्विंटल कर दिया । जो

आपका एग्रीकल्चर कमीशन है उसमें कोई किसान नहीं है, कोई एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट नहीं है बल्कि उसमें वे लोग हैं जो खेती से कोई वास्ता नहीं रखते हैं। हमें तकलीफ होती है जब मन्त्री जी कहती हैं कि आप सुझाव दें। स्थिति यह है कि जितने भी सजेशन्स हम उन्हें दें, कोई भी बात सेन्टर मानने के लिये तैयार नहीं है और सेन्टर की नीति को आपको मानना पड़ेगा, आप कोई इन्डेपेन्डेन्ट पालिसी फ्रेम नहीं कर सकतीं आपके हाथ में कोई बात नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकती हैं, आपकी खाद्य-नीति सीधी सेन्टर से जुड़ी रहती है, सेन्टर आपको इजाजत नहीं देता है तो हमारे सुझाव देने से क्या लाभ है ?

हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा आबादी का आपका सूबा और उसकी नीतियों का निर्णय आपके हाथ में नहीं है यह बड़ी तकलीफदेह बात है। शासक दल के लोग कितने ही अच्छे सुझाव क्यों न दें, कितनी ही अच्छी बातें क्यों न रखें उनको भी नहीं माना जायगा यह कौन सी बात हुई ? मैं चाहता हूं कि आप कम से कम इतनी ताकत रखें जो चर्चायें यहां पर होती हैं, जितने सजेशन्श रखे जाते हैं उनमें वजन हो और उन्हें सेन्टर माने। आज देश में भुखमरी आने वाली है। हजारों लोग रोज इस भूख के शिकार हो रहे हैं। जो लोग कमजोर होते जा रहे हैं, जिन लोगों की आखें बैठ गई हैं, जिन लोगों की आंखें खराब हो गई हैं, जिनको तपेदिक आदि बीमारियां हो गई हैं, जो एड़ियां रगड़कर रहते हैं उनके लिये आपकी खाद्य नीति सही नहीं है। विलीब्रांट ने यह कहा था कि लड़ाई में मरने वाले सोल्जर्स वैसे ही मरते ह जैसेकि अनाज की कमी से लोग मरा करते हैं। इसलिए इस देश में ७० फीसदी लोगों को जितनी कैलोरीज मिलनी चाहिए खाने के लिये वह उन्हें नहीं मिलती है––कम मिलती हैं। एक व्यक्ति को ढाई हजार कैलोरीज मिलनी चाहिए, जो अमेरिका में प्राप्त हैं, किन्तु अपने देश में लोगों को १८ सौ कैलोरीज तक नहीं मिल रही हैं। जितना चाहिए उतना आप दे नहीं सकते हैं, तो देश के नौजवान स्वस्थ और नीरोग कैसे रह सकते हैं ? ९९ परसेंट बच्चे आज देश में कमजोरी के शिकार हैं, बीमारी के शिकार हैं। इस सबका सीधा सम्बन्ध आपकी दोषपूर्ण नीति से है। फिर यह कहना कि चावल हम बाहर दे रहे हैं या हमारा सूबा सेल्फ सफिशिएन्ट है––बिलकुल निराधार है।

आपकी नीतियों का परिणाम यह है कि आज जो स्थिति है, कल का दिन उससे भी भयानक होगा। क्या आप यह किसानों को रिश्वत देते हैं, जब आप उनसे कहते हैं कि तुम हमें १०५ रुपये में गेहूं दोगे तो हम तुम्हें खाद देंगे, सीमेंट देंगे ? जिसके पास है ही नहीं वह आपको गेहूं कहां से देगा ? जब गेहूं नहीं दे पायगा, तो उसे खाद––बीज नहीं मिल पाएगा, तो वह उत्पादन क्या करेगा ? क्या आपने इस पर सोचा है कि इससे उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा ? कृषि सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के दाम कितने अधिक बढ़े हैं आपके समय में, क्या आपने इस पर गौर किया है ? इस वक्त कीमतें ३ गुनी १० साल में बढ़ चुकी हैं और इसका सीधा असर गरीब पर पड़ा है, उसको देना पड़ता है।

एक और भयानक स्थिति होने वाली है। अभी जो नया सेन्ट्रल का ऐलान होने वाला है––वह ९०० करोड़ के वेजेज पर डियरनेस देने जा रहे हैं, उसमें से आधा डिपाजिट करेंगे। किन्तु अभी भारतीय कृषि संघ ने एक प्रस्ताव पास किया था कि १०५ रुपये के बजाए १२५ रुपये प्रति क्विंटल गेहूं के दाम किसानों को दिए जाएं जो उसकी वास्तव में लागत आती है तो केवल आपको १०० करोड़ रुपया देना पड़ेगा, जिसे वह मानने को तैयार नहीं है। यह किसान को देने को तैयार नहीं है, जिसके ८१ प्रतिशत अलाभकर खेत हैं और ११ प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं, जहां पर किसान को दो महीने बाद स्वयं उसे बढ़े मूल्य पर अनाज

[श्री बलवान सिंह]

खरीदने जाना पड़ता है। उससे आपने जबरदस्ती गल्ला छीनने का काम किया है। डी० आई० आर० आपने अन्धाधुन्ध पश्चिम में चलाया है। उन पर भी आपने चलाया है, जिनके पास जमीन कम है। यदि मन्त्री जी इस पर काम करने को तैयार हों, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, एक गांव है, जहां एक नाई रहता है, उसने हजामत बनाकर २ क्विंटल गेहूं जमा किया। किन्तु उसका वह दो क्विंटल गेहूं डिप्टी कमिश्नर ने छीन लिया और १०० क्विंटल की दर से उसे दाम दे दिया। हजामत उसने दूसरों की बनाई और सरकार ने उसकी हजामत बना दी।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह कहां की बात है ?

श्री बलवान सिंह--

मन्त्री जी उस डिप्टी कलेक्टर की हजामत बनाने को तैयार हों तो मैं उसका नाम देने के लिए तैयार हूं। तो यह नाई से छीन रहे हैं, जो लोग खेतिहर मजदूर हों, उनसे छीन रहे हैं, अलाभकर जोतों से ले रहे हैं। डी० आई० आर० किस लिए है ? क्या आपने इसका इस्तेमाल ट्रेडर्स के साथ भी किया ? इसमें आपने कितने दुकानदारों को बन्द किया है। हजारों छापे जो आपने मारे हैं, वह केवल किसानों पर मारे हैं। आपने किसानों को परेशान करने के लिये मारा है। व्यापारी १०५ का गेहूं १५० रुपये में बेचेगा, जो कभी खेत पर नहीं गया, जिसने कोई श्रम नहीं किया, उसको आप ४५ रुपये क्विंटल का लाभ दे रहे हैं। इसकी मिसाल क्या कहीं दुनियां में है कि एक ही स्थान पर एक आदमी १०५ रुपये के भाव से गेहूं बेचे और दूसरा १५० रुपये के भाव से बेचे। यही कभी किसी देश में नहीं हुआ करता है, न कभी किसी सोशलिस्ट गवर्नमेंट में हुआ करता है कि एक मन्डी में रहते हुए दो भाव। लेकिन इस पर भी आपको गर्व है। इसके लिए मैं आपकी दाद देता हूं। इतनी खराब नीति पर आप काफी हिम्मत से बोलीं। उम्मीद थी कि आप हिचकेंगी। लेकिन हिचकीं नहीं, कौन सी हिम्मत करके आपने आंकड़े पढ़े, मैं आपकी दाद देता हूं, इतनी खराब हालत में इतनी देर बोल जायं, तो वाकई में दाद की चीज है।

इस डी० आई० आर० का आप किस पर इस्तेमाल करना चाहती हैं ? जो आपको गल्ला देता है। यह आपको मालूम है उन पर हमेशा लगता है जिनके पास खाने से बचता हो, जो लोग उसको इकट्ठा करते हों। डी० आई० आर० ट्रेडर्स पर चला दीजिए, गवर्नमेंट पर चला दीजिए जो दो सौ करोड़ की सब्सिडी किसान को न देकर बड़े लोगों को, व्यापारियों को दे रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गांव की आमदनी कितनी है ? अभी माननीय रामसेवक जी ने आंकड़े दिये थे, १५ रुपये फी व्यक्ति परकैपिटा इनकम है। डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने पार्लियामेंट में तीन आने रोज आमदनी का जिक्र किया था। उस पर उस वक्त यकीन नहीं किया गया। फिर हिन्दुस्तान के इकानमिस्ट बिठाये गये। १९४७ में जो हमारी आमदनी थी उससे हमारी आमदनी कम है। १९४७ में जितनी सामग्री फी कस इस्तेमाल करते थे उससे कम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी आमदनी १५ रुपये की है, ३०० रुपये महीने मान लें, १२ आने, १४ आने रोज मानने को तैयार हूं, तीन सौ रुपये पाने वाले काश्तकारों को कितना गल्ला दे रहे हैं ? ८० परसेंट लोगों के लिए गल्ले का क्या इन्तजाम है ? आपके पास १६ हजार दूकानें हैं। गांव कितने हैं ? १ लाख से ज्यादा ही हैं। ९ करोड़ आबादी में कितने लोग शहरों में रहते हैं ? १२ परसेंट। ८८ परसेंट गांवों में रहते हैं। उस शहर को फीड करने के लिये व्यवस्था है। शहरों में मालदार लोग भी हैं। उनको भी आप गल्ला दे रहे हैं। या आप ऐसा नहीं कर सकते कि तीन सौ रुपये से ज्यादा पाने वाले लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट्स पर गेहू नहीं दिया जायगा, गल्ला नहीं

दिया जायगा ? जिसकी आमदनी ३००) साल से कम है उसको दिया जायगा । ८८ परसेंट लोगों के लिए आपके पास कोई इंतजाम नहीं है ।

आज हजारों करोड़ रुपया विदेशों को दिया जा रहा है । जितना रुपया आप विदेशों को देते हैं गल्ले का उसी अनुपात से आप यहां भी दे सकते हैं, जिस रेट से अमेरिका, कैनाडा से गेहूं खरीदा है । कौन सी दुश्मनी है हिन्तुस्ता : के काश्तकारों से ? क्यों 'यार हो गया है विदेश के काश्तकारों से ? क्या वह लोग ज्यादा अच्छे हैं ? यहां के काश्तकारों को रुपया नहीं देंगे । यहां के काश्तकारों पर डी०आई० आर० चलेगा । जितने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और एस० डी० एम० है सब गल्ला वसूली में लगे हुये हैं । इसका १/१० हिस्सा भी काश्तकारों की पैदावार को बढ़ाने में खर्च कर देते तो आज विदेशों से मांगने की जरूरत नहीं थी । आज डिस्ट्रिण्ट मैजिस्ट्रेट्स और हाकिम परगना कोई काम नहीं कर रहे हैं । सिर्फ गल्ला वसूली का काम कर रहे हैं । मुझे याद है, कानपुर म कोई खातेदार था, उसके पास कुछ नहीं छोड़ा था ।

तो मैं यह चाहता हूं कि आपकी ताकत इन किसानों के लिये ही हो । क्या आप बाटा शू कम्पनी पर छापा मारेंगे कि आज हमारे करोड़ों आदमियों के पास जूते नहीं हैं, इसलिये इनको जूते दिये जांय ? क्या आप इसलिये कि करोड़ों स्त्रियों के पास पहनने के धोती नहीं है बिड़ला की टैक्सटाइल मिलों पर छापा मारेंगे ? लेकिन इसके लिये आप तैयार नहीं होंगे क्योंकि यह आपकी ताकत से परे है क्योंकि आपको तो इन गरीबों को ही, जिनके पास ताकत नहीं है, जिनकी ताकत पर आप हुकूमत में हैं, परेशान करने में लुत्फ आता है । आपका जो समाजवाद है उसकी परिभाषा अमीरों के लिये नहीं बनेगी बल्कि गरीबों के लिये बनेगी । आज बेतहाशा कीमतें बढ़ रही हैं उसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर है । १९४७ में दो हजार करोड़ रुपये की इनके पास करेंसी थी और आज दस हजार करोड़ है । जब कि आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है और ७५ गुनी करेंसी बढ़ गई है । जब आप बेतहाशा नोट छापेंगे फिर भी आप कहेंगे कि इन फ्लेशन क्यों है ? ऐसी हालत में इन फ्लेशन तो बढ़ेगा ही । आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जितनी पैदावार उतनी ही करेंसी बढ़ेगी । लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे ।

एक दिन मैंने प्रधान मंत्री का वक्तव्य पढ़ा । उन्होंने कहा कि रूस में जब लेनिन ने हुकूमत संभाली तो दस साल तक आलू पर रहे । क्या आप कोई ऐसी चीज करने के तैयार हैं जिससे प्रोडक्शन बढ़े । गेहूं की पैदावार देखी जाय तो ११ मन फी एकड़ (हमारे प्रदेश में है) है । पहले १३ मन फी एकड़ थी । चौधरी साहब ने सवाल पूछा था । मैं आपको बता दूं कि इनकी पैदावार कम हो गई है । हरियाणा में २२ मन प्रति एकड़ है । सब से ज्यादा कीमतें हिन्दुस्तान में बढ़ी हैं । सब से ज्यादा गरीबी हिन्दुस्तान में बढ़ी है । हिन्दुस्तान में सब से कम प्रोडक्शन है । २९ प्रतिशत आय की कीमतें बढ़ जाती है । क्या आप कोई ऐसी स्कीम चलाने वाले हैं जिससे साल में २/३ फसलें ली जा सकें । इस देश की आदत बदलनी होगी, लोगों को खुराक बदलनी होगी । वैसे कहा जाता है कि अंग्रेज के जमाने में जितना लोग खाते थे उससे अब कम खाने लगे हैं । क्या सरकार ऐसी योजना बनाने के लिये तैयार है जिसमें पैटर्न आफ क्रापिंग . . . . .

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)––

एक योजना बना दे सरकार कि जो आदमी पैदा हों वे बिना पेट के हों ।

श्री बलवान सिंह––

श्रीमन्, हमारे माननीय सदस्य ने जो कहा, हो सकता है आगे ऐसा ही हो । लेकिन मैं इतना आपसे कह दं कि पैदावार की बात कही जाती है । जापान में ९०० आदमी फी मील के हिसाब से रहते हैं, हिन्दुस्तान में इसके आधे हैं । जापान ने अपने यहां अनाज की पूर्ति की ।

[श्री बलवान सिंह]

इजराइल ने अनाज की पूर्ति की। पाकिस्तान पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा है। आज हम दुनिया के गरीब मुल्कों में हो चुके हैं। ऐसा क्यों है ? १९४७ के बाद जो नीतियों बनायी गयी उनकी खराबी के कारण हम गिरते चले गये। आज मुल्क के सामने कई सवाल हैं। आज आप देखे कि वहां पर लूट हो रही है, मुरादाबाद में लूट हो रही है, यह सब आपकी गलत नीतियों के कारण हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किसना को पानी देने की बात क्यों नहीं करते हैं। आपके पास बिजली है नहीं। योरोप में जहां ७ महीने बर्फ पड़ती है। दनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नह है जो बर्फीला और पथरीला न हो। हमारी नीतियां गलत हैं इसलिये ऐसा हो रहा है। अगर हम हिसार और हरियाणा को देखें वहां पर बिजली और पानी की सुविधायें हैं जिससे वहां की पैदावार अच्छी है। दूसरी चीज यह है जो लागू हम लोगों पर होती है इस देश में सबसे ज्यादा बकार लोग हैं। वे बेकार बैठे रहत हैं उनके पास काम नहीं है। ६१ प्रतिशत आदमी काम नहीं करते हैं केवल ३९ प्रतिशत आदमी काम करत है। हालांकि दूसरे देश में भी जसे अमरीका म २५ प्रतिशत बेकार हैं, बिना काम के हैं। लेकिन आप बताये जो ६१ प्रतिशत लोग खाते रहते हैं बिना काम के तो क्या होगा ?

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)---

आप यह आंकड़े कहां से ले आये।

श्री बलवान सिंह---

जगदीश अवस्थी जो आप पूछते हैं कि आप आंकड़े कहां से ले आये। कांग्रेस वाले पढ़ते नहीं हैं। आप मेहनत करें, पढ़ें . . . .।

श्री राम सेवक यादव---

जगदीश अवस्थी ऐसा पूछ रहे हैं जैसे कि यह आंकड़े कहीं रख थे और उठा लाये।

(इस समय २ बजकर २३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुये।)

श्री बलवान सिंह---

अब मैं दूसरी चीज पर आता हूं। उपभोक्ता पर आता हूं। आपने बड़ी चर्चा की। जितन भी भाषण हुये वह वितरण पर हुये। उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया गया। कन्जूमर को क्या दे रहे हैं। क्या आप सस्ते दाम पर दे रहे हैं। आपने ४.५० प्रतिशत गरीबों पर टैक्स डाल रखा है। जो भी खरीदेगा उसको इतना टैक्स देना होगा। आप एक तरफ़ कहते हैं कि सस्ता गल्ला देंगे दूसरी तरफ़ सरकार खद दाम बढ़ाती जा रही है। इस तरह से तीन चीजें हैं--- पैदावार की कीमत, काश्तकार का मुनाफ़ा, वितरण की जिम्मेदारी। अगर आप पैदावार की कीमत घटा दें तो अनाज सस्ता हो जायगा और अगर आप वितरण में जो व्यय होता है उसको कम कर दें तो अनाज सस्ता हो जायगा, लेकिन आप करते क्या हैं काश्तकार का जो मुनाफ़ा है उसको कम करते हैं लेकिन आज मैं मंत्री जी से पूछता हूं कि आप कितने परसेंटेज की करती हैं ? आप ३४ परसेंट से ज्यादा पर कर रही हैं। आपका मुना का ज्यादा है। जब फर्टिलाइजर सस्ते दाम पर बिकती थी तब भी यहां पर मुनाफ़े में बिकता था। खाद किसानों के ऊपर फ़ायदे तथा मुनाफ़े पर बेचा है। कभी सरकारों ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान भी आज सस्ती खाद देता है और आज आपकी जो वितरण प्रणाली है उसमें कीमत बढ़ाते चले जा रहे हैं। जो सैकड़ों, करोड़ों रुपये जो काश्तकारों को देना चाहिये था वह आपने उन लोगों को, आपने वितरण पर डाल दिया।

श्री अधिष्ठाता---

अभी आप कितना और समय लेंगे ?

श्री बलवान सिंह––

सिर्फ १५–२० मिनट और समय चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता––

इसलिए पूछ लिया मैं ने कि माननीय सदस्य को बोलने के लियें सुविधा होती है ।

श्री बलवान सिंह––

आप टैक्सेज हटाइये और अभी आप जो कहा वहां पर काम के घंटे बढ़ा दिये, वितरण व्यवस्था में बड़ी सुविधा हो गई है । मेरे साथी राम पाल सिंह मेरी बात को सुनेंगे । अभी मैं रात को ९बजे आ रहा था तो रास्ते में देखा कि वहां पर भीड़ थी, वहां पर इकट्ठे लोग कहने लगे कि साहब कल सवेरे जो राशन बटेगा उसके लिये आज से ही लाइन लगाये बैठे हैं । क्या किसी को सुबहा है कि लाइनें कई-कई घंटे लगाते नहीं हैं । तो मैं आपसे कहता हूं कि लोग घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं । तो आपकी वितरण व्यवस्था कैसी है ? ४–५ घंटे गल्ले खाने के लिये थोड़े से मुनाफ़ें के लिये दिन और रात बरबाद करना पड़ता है । इससे ज्यादा दर्दनाक हालत इस वितरण की क्या हो सकती है और फिर आपके पास जो गल्ला है, यह मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक दिन का सामान नहीं देते हैं । एक हफ्ते के बराबर है ही नहीं । आपके पास इतना सामान ही रहता है जो कि एक दिन के लिये चल सकता है, बाकी दिन क्या करेंगे । श्रीमन्, जो लोग बेईमान भी नहीं होना चाहते थे वह भी बेईमान बन जाते हैं । कहां से लोग लायें गल्ला । ब्लैकमार्केट में लोग जायेंगे ही । ऐसा कोई व्यक्ति आज नहीं होगा जो ब्लैकमार्केट से गल्ला न लेता हो । उसके ऊपर आपका यह कहना है कि अब हमने सुविधा कर दी है, गल्ले की कमी नहीं है । चीनी आपके पास है ही नहीं ––

श्री प्रेमदत्त (जिला फ़तेहपुर)––

जब आप कहते हैं कि गल्ला है ही नहीं तो कहां से ब्लैक से मिलता है । आप जो आंकड़े दे रहे हैं ६२ में चीन का युद्ध, पाकिस्तान का युद्ध और बंगलादेश की पुनर्व्यवस्था आदि इन परिस्थितियों का प्रभाव इन पर नहीं पड़ा । अगर आपकी कोई जानकारी हो तो बता दें ।

श्री राजब्रजराज सिंह––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब माननीय खाद्य मंत्री भाषण कर रही थी, मैंने भी एक स्पष्टीकरण उनसे मांगा था लेकिन उसका उत्तर नहीं आया । तो अब माननीय सदस्य (श्री प्रेम दत्त) को क्या अधिकार है कि वे बीच में खड़े होकर इस प्रकार से स्पष्टीकरण मांगें ?

श्री बलवान सिंह––

अच्छा होता यदि यह प्रश्न माननीय सदस्य मंत्री जी से पूछते ? होर्डर्स के पास आपने १५० रुपये की दर से गल्ला छोड़ दिया । ४५ लाख टन । इस प्रदेश में जितना ग्रेन पैदा हुआ है वह है १७५ लाख टन जिसमें से आप ३ प्रतिशत केवल वसूल कर रहे हैं अर्थात ६-७ लाख टन । अभी एक माननीय सदस्य ने बंगाल और लड़ाइयों की बात कही । मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान में लड़ाई नहीं हुई। क्या वहां पर भी प्राइसेज इसी रेशियों में बढ़ी। वर्ल्डवार जब हुई तो अमेरिका में केवल २ १/२ प्रतिशत प्राइसेज बढ़ी, वियत नाम की लड़ाई म केवल २ प्रतिशत बढ़ी । किन-किन देशों में २९ प्रतिशत बढ़ी हैं ? अगर वहां पर इतने प्रतिशत प्राइसेज बढ़ जाती तो विद्रोह हो जाता ।

[श्री बलवान सिंह]

वितरण के सम्बन्ध में जो तस्वीर आपने रखी, वह बिल्कुल उल्टी है। इसमें बहुत खराबियां हैं। आपकी फ़ेयर प्राइसेज पर सम्मान नहीं है। आपने सीमेंट के बारे में कहा कि प्रदेश में काफ़ी है। मैं जानना चाहता हूं कि सीमेंट य० पी० में है कहां? आपने कहा कि १०० बोरे दे सकते हैं। आपने यह भी कहा कि टायर्स के वितरण के सम्बन्ध में एक समिति हर जिले में गठित कर दी है जो हर महीने उनकी व्यवस्था करती है। डीजल के लिये आपने कहा कि इतना ज्यादा है कि काश्तकार जितना चाहे उतना ले ले। ऐसा मालूम पड़ रहा था हर चीज का मार्केट आपका भरा पड़ा है (यू आर टाकिंग आर एबंडेन्स)। लेकिन मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि लोगों की जितनी आवश्यकता है, आपके पास उतना भी सामान नहीं है। डीजल आज काश्तकार को मिलता नहीं है, टायर वह ब्लेक में २–२ हजार रुपये में खरीदता है। आपने जो डिसआनेस्ट, बेईमान बना कर इस मुल्क के लोगों को गिरा दिया है, उसकी आत्मा को तोड़ दिया है, इन सब की जिम्मेदारी ज्यादातर रूलिंग पार्टी की है और इन सामानों के वितरण में जो आपकी व्यवस्था है, उन्हें आप फिर से देखें।

आपके अधिकारी लोग क्या करते हैं, , इसको मै सदन में नहीं कहता हूं। आप अपने फ़ूट इन्सपेक्टर को देखें, उसका आपसे बढ़कर स्टेन्डर्ड होगा। जहां पर आधे का बंटवारा होता हो, जितना गल्ला व्यापारी लेता है, सही न दिखाता हो तो वह कहां से आपको १०५ रुपये में दे सकेगा। जो गल्ला किसानों से १०५ रुपये में छीना गया है, जब उसको रजिस्टर में आधे से कम दिखाया जाता है तो वह कैसे आपको देगा? आप इसकी जानकारी कर लें? अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो मुझे बड़ा ताज्जुब है। प्रदेश की पैदावार कैसे बढ़ेगी, आपके क्या सुझाव हैं, इसके लिये १ समुचित प्रोडक्शन और वितरण के लिये खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री एक ही व्यक्ति को होना चाहिए। मुझे इसमें एतराज़ नहीं है कि इन दोनों विभागों की मंत्री डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ही क्यों न हो ताकि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों उनके हाथ में हों।

तो मैं पूछता हूं कि पैदावार बढ़ायेंगे कैसे? जबतक पैदावार बढ़ायेंगे नहीं कीमतें गिरेंगी नहीं। पैदावार बढ़ाइये, कीमत गिरेंगी, वितरण की समस्या भी नहीं होगी। लोग अपने आप ले लेंगे, ले जायेंगे। पैदावार तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक काश्तकारों को अच्छे बीज, अच्छा पानी, अच्छी खाद, कीड़े मारने की दवायें नहीं मिलतीं अच्छा बीच आपके पास नहीं है। मैंने पहले बहस में निवेदन किया था कि ५ परसेंट काश्तकारों को सप्लाई करने लायक बीज भी आपके पास नहीं है, ९५ परसेंट को छोड़ दीजिये। जब आपके पास बीज नहीं है—अच्छा बीज तो २०–२५ परसेंट पैदावार को बढ़ा सकता है और मैक्सीकन बीज तो ५० परसेंट तक बढ़ा सकता है और जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो वह बीज के कारण ही आया। इनके पास बिजली, पावर ही नहीं है, कहां से देंगे पैदावार? जब लोगों के ट्यूबवेल चलेंगे नहीं, पैदावार कैसे बढ़ेगी? जगदीश अवस्थी जी को बताना चाहता हूं कि खेती के आंकड़े अलहदा होते हैं हिसाब के आंकड़ों से। खेती में ५ प्लस ५, बराबर छः के होते हैं, दस नहीं होते खेती में। इस हिसाब को मंत्री जी को और उधर बैठने वालों को समझाना चाहता हूं। ट्यूबवेल चला, पानी खेत तक काश्तकार के गया नहीं कि बिजली आफ हो गयी और जब फिर हो गयी एक घंटे के बाद तो फ़िर खेत तक पानी गया और फिर बिजली चली गयी। तो शाम तक जो यह खेल होता है उसमें फाइव प्लस फाइव बराबर छः के होते हैं?।

मैं आपको बतलाऊं कि जब जगदीश अवस्थी १९५७ में मेम्बर आफ पार्लियामेंट चुनकर गये तो उन्होंने मुझसे कानपुर में कहा कि मैंने बहुत अच्छा भाषण कृषि पर दिया है। तो मैं गांव के किनारे से जा रहा था तो मैंने कहा कि तुम बहुत अच्छा बोलने लगे हो तो यह बतलाओ कि यह बेल किस चीज की है ये फौरन तेजी से बोले कि सिंघाड़े की बेल है जबकि वह शकरकन्दी की बेल थी। (हंसी) इन्होंने सिंघाड़े की बेल कह दिया। आज ऐग्रीकल्चरल कमीशन में वही लोग ज्यादातर पहुंचते हैं जो एयर कंडीशन में बैठते हैं। उनको मालूम नहीं है कि गेहूं के खेत मे कितने दफा पानी लगता है। जगदीश अवस्थी को शायद यह पता नहीं होगा कि टमाटर पेड़ के ऊपर लगता है या नीचे। (हंसी)

एक सदस्य––

ये तो ऐसी ही लनतरानियां हांकने के आदी हैं ।

श्री बलवान सिंह––

तो जब तक आप फ़र्टिलाइजर्स की कीमत कम नहीं करेंगे, काश्तकार को फ़ायदा होने वाला नहीं है। गरीब काश्तकार को क्या आप देंगे ? क्या गरीब काश्तकार इन बढ़े हुए दामों पर इस फ़र्टिलाइजर को ले सकता है ? नहीं। क्या गरीब काश्तकार इन बढ़ी हुई कीमतों पर कीड़े मारने की दवा खरीद सकता है ? नहीं। क्या गरीब काश्तकार ४–४ रुपये किलो खेती के बीजों को खरीद सकता है। नहीं। ८१ फ़ीसदी काश्तकार आपके वंचित रह जायं इन बढ़ी हुई कीमतों के कारण। जितनी कीमत बढ़ती है इससे गरीब किसान की कमर टूटती है। ये बढ़ी हूई कीमतें मालदार आदमी के हक में जाया करती हैं। तो यह खुशी की चीज नहीं है कि कीमतें बढ़ें। जितनी बढ़ेंगी उतनी ही गरीबों की लाशें बिछती हुई चली जायंगीं। इसलिये इनको घटाने की कोशिश कीजिये और उसके लिये एक ही मांग है कि पैदावार को बढ़ाओ और उसमें जितनी भी रुकावटें हैं उनको दूर कीजिये। ये तमाम टैक्सेज बन्द कीजिये। सेल्स टैक्स, एक्साइज डयूटीज जितनी सरकार ने अपने कमाने का धंधा इन चीजों पर लगा रखा है––उसको बन्द कर दें। और उसके साथ जो ३०० करोड़ रुपया सालाना सबसिडी में देते हैं वह किसानों को आबपाशी और फर्टिलाइजर दिलाने में खर्च करें।

मेरा एक रुपये की कटौती का सवाल ही यह है कि आप समस्या को उलझा रहे हैं सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। गरीबी इसलिये आयी है कि आपकी पालिसी गलत थी। पैदावार हमारी कम है इसलिये दाम ज्यादातर बढ़े हैं। यह काफी नहीं है कि आप कह दें कि हमने इतनी अच्छी वितरण प्रणाली बनायी है और हमारे पास काफी गल्ले का भंडार है। अगर आपकी पैदावार ५० परसेंट भी बढ़ जाय तो आप यू०पी० की दस करोड़ आबादी की बहुत कुछ समस्यायें हल कर सकती है। आज जिस तरह की भयानक स्थिति है मुझे बड़ा दुःख है कि मुख्य मंत्री ने कहा कि रिहन्द डैम गलत जगह पर बनाया गया। क्या वह विरोधी दल ने बनवा दिया था ? आपकी करोड़ों रुपये की मशीनें वहां फेल हो गयीं क्योंकि वह सेकेन्ड हैंड मशीनें थीं और आउट-आफ-डेट हो चुकी हैं। क्या वह विरोधी दल के लोग खरीद कर लाये थे ? इसका जिम्मेदार कौन है। आप जब कहते हैं कि विरोधी दल के लोग हमको सहयोग नहीं देते तो खाद्य का प्रश्न किसी पार्टी का नहीं है। इसमें हम सब लोग आपको सहयोग देना चाहते हैं।

हम लोग चाहते हैं कि करोड़ों लोगों के पेट में कम से कम एक वक्त रोटी जाय। आज लोग किस तरह से गरीबी में हैं जगदीश अवस्थी जी उसे नहीं जानते, मंत्री जी शायद जानती हों या न जानती हों मैं कह नहीं सकता। लोगों के यहां एक वक्त के अलावा दूसरे जून को खाने को नहीं है। क्या हम इस देश के वासी नहीं हैं ? क्या हम नहीं चाहते हैं कि देश की पैदावार बढ़े ? हम आपको सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन आप हमारे सुझाव को मानें। हमें तकलीफ तब होगी जब हमारे सुझाव आपका हाई कमान्ड मानेगा नहीं। आप हमें आश्वासन दीजिये कि यहां के माने हुये सुझावों को सेन्ट्रल कमाण्ड से पारित करा सकेंगे। डी० आई० आर० आप किसानों पर लागू करना छोड़ दीजिये, उसे व्यापारियों पर लगाइये। मेरा खयाल ऐसा है श्रीमन् कि आप भी सोशलस्टि पार्टी में रहे थे। खेती की चीजों के दाम और मिलों की चीजों के दाम में रिश्ता क्यों न बंधे। जो चीज किसान खरीदता है कपड़ा, मशीन, नमक, किताबें, दवायें उनके दाम किस तरह से बढ़ रहे हैं और किसान की पैदावार की कीमत को आप गिरायें और फिर कहें कि हम बड़े प्रगतिशील हैं यह कहां तक ठीक है। आपको एक

[श्री बलवान सिंह]

रिश्ता बांधना होगा खेती की चीजों के दाम में और मिलों की चीजों के दाम में। लेकिन आप एक तरफ बात करते हैं। आपने ६७ से ७४ तक खेती की चीजों के दाम बढ़ाये नहीं और ७४ में १०५ रुपये क्विंटल दाम किये जब कि आपको कम से कम १३५ और १४० रुपये करने चाहिये थे। फिर भी अगर इस सूबे के किसानों की यूनियन आपसे दाम के लिये कहती ह तो आपके पास जो फंड रखा है उससे आप उनको क्यों नहीं पैसा देते हैं? जब आप गांव के किसानों का गल्ला ही छीन लेंगे तो जो रिमोट जगहों में काश्तकार हैं उनको आप गल्ला दे नहीं पायेंगे।

श्रीमान्, चन्द्रजीत यादव ने यहां पर कहा था कि हमारे यहां की मशीनरी गल्ले को बांट नहीं सकती है। आपकी मशीनरी जो है वह करप्ट है, भ्रष्टाचारी है। या तो आप रशियन टाइप की मशीनरी रखिये जो उसी तरह से सब जगह गल्ला दे सके, या फिर इसे बदलिये। इस मौजूदा मशीनरी से आप १० करोड़ आदमियों का पेट नहीं भर सकते। आपकी स्थिति यह है कि आपके पास बोरों तक के पैसे देने के लिये धन नहीं है। आप काश्तकारों के मुनाफे को छीनते चले जा रहे हैं। उसको छीनिये मत। क्या मंत्री जी बता सकेंगी कि १०५ रुपये का भाव देने में किसान को कितना फायदा होता है? आप अपने फूड कमिश्नर साहब से पूछ लें। मैं इस विषय पर आपके साथ बातचीत करने के लिये तैयार हूं। माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी इस समय नहीं हैं वे जानते हैं इस चीज को।

श्री अधिष्ठाता---

आपके ५० मिनट हो चुके हैं। आपने कहा था कि २० मिनट में समाप्त कर दूंगा। बाद को भी आपको समय मिलेगा।

एक सदस्य---

श्रीमन्, माननीय सदस्य के पास तो बहुत बड़ा फार्म है, इन्होंने सरकार को कितना गल्ला दिया?

श्री अधिष्ठाता---

आप कृपया सीधे बात न करें।

श्री बलवान सिंह---

यह शायद आपको मालूम नहीं कि मेरे नाम से खेती नहीं है।

मान्यवर, मैंने जो सुझाव दिये हैं आशा है सरकार उन पर विचार करेगी। बाद को जो मुझे मौका मिलेगा, और बातें मैं उस वक्त कहूंगा। जो समय आपने मुझे दिये उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिये अवसर प्रदान किया। मैं इस बजट के समर्थन में बोल रहा हूं। माननीय बलवान सिंह जी ने बड़े बल के साथ बड़ी बुलन्द आवाज में कुछ बातें कहीं, मगर वे यह भूल गये कि काल्पनिक चीजें बुलन्द आवाज में सख्त नहीं हो सकतीं। जिन बातों को उन्होंने पिछले वर्ष कहा था, मैं समझता हूं सरकार ने उसी को किया। पिछले वर्ष सरकार ने गेहूं के व्यापार को अपने हाथों में लिया, मगर विरोध पक्ष ने उसका भरपूर विरोध किया। दो चीजों का विरोध था---एक तो यह कि किसान को उचित मूल्य नहीं दे रहे हैं, दूसरे व्यापारी बेकार हो रहे हैं। दिल्ली में जो आन्दोलन

---

० वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ उसमें विरोध पक्ष के सम्मानित नेता ने कहा था कि इस नीति से दोनों वर्ग मर रहे हैं। इस वर्ष जब हमने व्यापारियों को काम सौंपा, किसान के मूल्य भी बढ़ाये, उनके इलेक्शन मेनीफेस्टो के हिसाब से मूल्य भी दे दिये हैं लेकिन फिर भी विरोध हो रहा है।

मान्यवर, जो पिछले साल षडयंत्र रचा गया वह मैं आंकड़ों के माध्यम से सदन के सामने लाऊंगा। पिछले साल विरोधी दल के कार्य कलापों को देखिये। उन्होंने व्यापारियों के साथ एक षडयंत्र रचा। इतना बड़ा षडयंत्र रचा जिसको आज छोटे-छोटे मजदूर भुगत रहे हैं, उसका मूल्य अदा कर रहे हैं। इन्होंने व्यापारियों के साथ मिल कर यह प्रचार कराया कि जिससे उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक असर पड़ा। इन्होंने कहा कि गेहूं से जौ महंगा है, गेहूं से मक्का महंगी है, और अन्य मोटे अनाज गेहूं से महंगे हैं। तो सरकार को गेहूं क्यों देते हो। इसलिये किसान के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ा और उसने सरकार को गेहूं नहीं दिया।

दूसरे एक उन्होंने आश्चर्य का काम यह किया कि एक तरफ गल्ला रुकवा दिया और दूसरी तरफ शहरों को बन्द कराया, बड़े-बड़े प्रदर्शन किये, जुलूस निकाले कि उपभोक्ताओं को ज्यादा गल्ला मिलना चाहिये। कमाल है। एक तरफ तो गल्ला रुकवा दिया और दूसरी तरफ कहते हैं कि गेहूं लाइये। क्या बात है ?

मैं तो यह बात जानता हूं और यह कहता हूं कि जो यह विरोधी पक्ष स्वतंत्र व्यापारियों की बात करता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो यह खाद्य विभाग ने किया, कि स्वतंत्र व्यापारियों से गेहूं का व्यापार अपने हाथ में लिया, बहुत अच्छा किया। यह स्वतंत्र व्यापारी जनता का खून चूसते थे, उनसे अधिक कीमत वसूल करते थे। दूसरी बात, इस काम को करने की वजह से, खाद्य विभाग की वजह से, पूरे वर्ष गेहूं एक दाम पर बिकता रहा और सस्ता बिकता रहा।

एक सदस्य––

मान्यवर, आपने ७६ रुपये में लिया और १३३ में बेचा।

श्री गुलाब सेहरा––

आप सुन लें। दिल थाम के बैठिये हमारी बारी है।

श्रीमन्, जब लेवी के आदेश हुये और किसानों से गेहूं वसूल किया जाने लगा तो फिर यह लोग कहने लगे। यह लोग बड़े-बड़े किसानों की बातें करते हैं। छोटे-छोटे किसान और खेतिहर मजदूर की बात नहीं करते हैं।

जहां तक इस प्रदेश के खर्च का सवाल है, खर्च का अधिकांश भाग कृषि पर सदैव खर्च होता है। इस प्रदेश के जो बड़े किसान हैं उनसे जब कहा गया तो उन्होंने गेहूं नहीं दिया। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूं कि जो खाद्य विभाग ने रचनात्मक कदम उठाया है, ठोस कदम उठाया है उसका कोई जवाब नहीं है। इस विभाग ने जो उल्लेखनीय कार्य किया है कि इस साल अब तक ३ लाख टन गेहूं वसूल किया जा चुका है। और जो व्यापारियों को इनका समर्थन प्राप्त है। उनके माध्यम से केवल ६२ हजार टन अनाज मिला है।

गेहूं की वसूली के लिये २१ हजार छापे मारे गये हैं और इन छापों में ४१ हजार ६७७ टन गेहूं वसूल किया गया है।

श्री एदल सिंह--

मान्यवर, २१ हजार छापों में केवल इतना ही गेहूं वसूल हुआ है पर कितना तो इसमें टी० ए० ही का खर्चा हो गया होगा।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें। वह बैठे नहीं हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप बैठ जाइये।

श्री गुलाब सेहरा--

२१ हजार छापों में ४१ हजार ६७७ टन मिला। आप खुद रेशियो लगा लें कि एक किसान पर कितना पड़ा? २० या २१ क्विंटल आता है। तो जो व्यक्ति इतना गेहूं रखता हो वह छोटा किसान कैसे हो गया? इस रेशियो को आप देखें।

श्री राम सेवक यादव--

यह जो आंकड़े दिये गये हैं क्या सही हैं?

(व्यवधान)

(कई लोगों के साथ-साथ बोलने से शोर)

श्री गुलाब सेहरा--

आप सुन लें। यह आंकड़े मैं दे रहा हूं और कह रहा हूं कि २१ क्विंटल तक किसानों से गेहूं मिला है।

इसके अलावा तस्कर व्यापार को रोकने के लिये इस खाद्य विभाग ने उल्लेखनीय कार्य किया है। वितरण की व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिये ७ रीजनों में बांटा गया है। जिसके लिये १० जिलों में ए० डी० एम० सप्लाई की पोस्ट भी क्रीयेट कर दी गई हैं। इस विभाग में पुलिस सेल की स्थापना भी की गई है। उपभोक्ता दुकानों में अभी तक ६ से ७ हजार तक यूनिट प्रति दुकान में रहते थे जिनको घटा कर ३,५०० प्रति दुकान कर दिया गया है। दूसरी बात क्षेत्रीय जनता का इस हमारी वितरण प्रणाली में भाग लेने के लिये सतर्कता समिति बनाई गई है जिसमें गैर सरकारी व्यक्ति होंगे। देहातों में काडों की भी व्यवस्था की गई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में इस विभाग में एक बहुत अच्छा संशोधन हुआ है जिससे तस्कर व्यापार करने वाले जो लोग पकड़े जायेंगे उनकी जमानत नहीं होगी, उनके वाहन जब्त होंगे, अनिवार्य सजा की गई है तथा समरी ट्रायल की व्यवस्था की गई है।

यह संशोधन अच्छे थे इसलिये भारत सरकार ने इनको दूसरे प्रदेशों में भी लागू किया है। इस विभाग की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस बार बाहरी लोगों को ही नहीं बल्कि खाद्य विभाग के कर्मचारियों को भी हटाया गया है। लगभग ६० व्यक्ति निलम्बित हुये हैं और ३१ के विरुद्ध विभिन्न कार्यवाहियां चल रही हैं। खाद्यान्न के तस्करी अभियोग में १,८८७ व्यक्तियों को बन्द किया गया है, ६५४ को सजायें हुई हैं, ६१५ लाइसेंस होल्डरों को गिरफ्तार किया गया है, १,२८९ दुकानें निरस्त की गईं तथा १,२३४ दुकानें निलम्बित हुई हैं। इसके अलावा २,२११ चोर बाजारी के मामले पकड़े गये जिनमें २,२२५ लोगों को पकड़ा गया है।

*श्री त्रिवेणी सहाय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहन जी ने उत्तर प्रदेश के खाद्य विभाग का बजट प्रस्तुत किया है। हमने बहन जी इसलिये कहा कि अब एक ऐसा समय आ गया है कि अब इन्हें मंत्रि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पद से चला जाना चाहिये था, लेकिन नहीं गईं। मैं इनके बारे में बड़ी श्रद्धा और आदर की दृष्टि रखता था और रखता हूं। लेकिन पता नहीं इस कुर्सी पर जो आता है उसको तथा इनको भी कुर्सी का मोह तथा जैसे गोंद लग गया है कि सोचती नहीं हैं कि काले कारनामों का क्या होगा ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपनी आंखों से नहीं देखती हैं, क्या मुरादाबाद बाजार लुट रहा है उसको नहीं देखती हैं ? बाजार में जो गल्ला मिलता है उसमें कंकड़ पत्थर मिला हुआ होता है क्या इसको आप नहीं देखती हैं ? शादी के अवसर पर डालडा तथा चीनी नहीं मिल पा रही है। लेकिन आपको उमर को कुर्सी का मोह सवार हो गया है। आज आपको कहना चाहिये था कि हमारी नीतियां असफल हुई हैं इसलिये मैं कुर्सी छोड़ कर जा रही हूं और स्व० लाल बहादुर शास्त्री की तरह आपका नाम भी हिन्दुस्तान में अमर हो जाता।

मान्यवर, खाद्य नीति के पांच-छः मुद्दों पर मैं कुछ कहूंगा। जैसे स्टेट ट्रेनिंग व्यापार का राष्ट्रीयकरण, गेहूं की वसूली, भाव और खाद्यान्न वितरण तथा भ्रष्टाचार। ये ५ विषय ऐसे हैं जिनमें मैं तीन को छोड़ दे रहा हूं। सबसे पहले इस सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग व्यापार किया। स्टेड ट्रेडिंग ने पूरे देश में एक बवंडर खड़ा कर दिया। जब कांग्रेस की जड़ें सूख रही थीं तो उसको हरा भरा करने का काम किसने किया ? गल्ले व्यापारियों ने, चीनी मिल मालिकों ने और देश के बड़े-बड़े व्यापारियों ने पैसा दिया तब जाकर कांग्रेस की सूखी जड़ों में पानी पड़ा अन्यथा देश के कोने-कोने में कांग्रेस की नैया डूब गई होती। सरकार ने मुर्गीखाना खोल दिया, मछली खाना खोल दिया, सरकार गल्ला बेच रही है। सरकार का काम यह नहीं था। आज इस सरकार की गर्दन जिसके हाथ में है वह हमारे बराबर बैठे हुये हैं। वह जैसा कहते हैं वैसा होता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करो, राष्ट्रीयकरण हो गया। पूंजीपतियों के हाथ में इनकी गर्दन है। वह जैसा बोलते हैं वैसा होता है। यह सरकार तो सरकस के शेर के समान है। वह शेर दो तरह का होता है एक पिंजड़े में और एक बाहर। जब वह बाहर आता है तो पूंजीपति रूपी कोड़ा जब पड़ता है तो वैसा यह सरकार करने लगती है।

जब श्रीमती इन्दिरा गांधी के सामने देश के सारे व्यापारी खड़े हो जाते हैं, वैसा इनको करना पड़ता है। जब उन्होंने कहा कि ट्रेडिंग छोड़ दो, इन्होंने छोड़ दिया। इस अवसर पर मैं दिनांक २६ जुलाई, १९६७ को जो कार्यवाही थी उसको उद्धृत करना चाहता हूं जब कि खाद्यमंत्री जी झारखंडे राय थे। यह मुख्य मंत्री जी का भाषण था। मैं समझता हूं कि जहां नीति का अभाव हो वहां राज्य ठीक से नहीं चल सकता। "राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, प्रभुहि समरपहि बिनु सत कर्मा।" जिस राज में अनीति हो और नीति न हो, जिस शासन में बुनियादी नीतियों का कोई मूल्य न हो वह वैसे ही होता है जैसे मरे आदमी को खड़ा कर दे। आज महंगाई बढ़ती जा रही है। मुझे बहुत उम्मीद थी कि माननीय झारखण्डे राय स्टेट ट्रेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि अपने सार्वजनिक भाषणों के अनुसार कालाबाजार को समाप्त करेंगे। मैं तो आपकी तारीफ करता हूं कि जब स्टेट ट्रेडिंग को समाप्त करने की बात आई तो आपने उसका विरोध किया था, लेकिन आप भी व्यापारी रूपी हन्टर के आगे झुक गईं जब श्रीमती इन्दरा गांधी ने डांट दिया कि क्या कर रही हो। मैं पूछता हूं कि आपने उसी वक्त क्यों नहीं कुर्सी छोड़ दिया ? आज तो समाजवादी नक्शे पर चलने वाली हैं। लेकिन आप भी कुछ न कर सकी। मान्यवर, एक ग्रिप है वह ग्रिप कम्युनिस्ट का है। अब मान्यवर, गेहूं की वसूली वाली बात आई पिछले साल १८ लाख टन आपने कहा था कि वसूल करेंगे, और उसके लिये सारी फौज मुख्य मंत्री से लेकर कानूनगो तक लेखपाल तक लगा दिया गया। १८ लाख में से ८ लाख टन आप वसूल कर सके। यह सरकारी आंकड़े हैं। वास्तविकता में ६ लाख टन ही वसूल हुआ है। अब पानी बरस गया। अब

[श्री त्रिवेणी सहाय]

यह बहाना ले लेंगे कि जीप नहीं जा सकती, कैसे वसूल होगा। गेहूं की वसूली में आपने क्या किया। इन्होंने कहा कि कोई किसान नहीं पकड़ा जायगा। मैं दावे के साथ कहता हूं इन्होंने उत्तर प्रदेश के हर जिले में किसानों को पकड़-पकड़ कर जेल में बन्द किया और मारा। जहां गेहूं नहीं मिला तो रुपया वसूल किया। गेहूं वसूली की योजना फेल रही, स्टेट ट्रेडिंग की योजना फेल रही। अब भाव देख लें। भाव कितने बढ़ रहे हैं। मान्यवर, रामायण की एक चौपाई है जिसको मैं पढ़ना चाहूंगा। तुलसीदास जी ने लिखा है :

" जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रुप दिखावा।"

जैसे-जैसे आपने कोशिश की भाव रुक जायं तो वह बढ़ते गये। बड़ी-बड़ी चीजों के दाम कहां चले गये? जमीन से आसमान तक चले गये। क्या आप भावों को रोक पाये? नहीं। दिल्ली से इन्दिरा गांधी को बुला कर यहां बैठा दें तब भी नहीं रोक सकतीं। क्योंकि आपके दांत खाने के और दिखाने के दांत और। डालडा का दाम क्यों बढ़ गया। इसके बढ़ने का कारण यह है कि जब चुनाव आता है तो आप मंच पर खड़े होकर कहते हैं हम समाजवादी, गरीबों के नेता, मजदूरों के हमदद हैं। हम पूंजीपतियों से दूर रहेंगे। लेकिन जब चुनाव आता है तो आपका नक्शा क्या होता है, वह भी सुन लें। पूंजीपतियों के बल पर इनका शासन हिन्दुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक चल रहा है। यह कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह चुनाव में लिये गये चन्दे के आंकड़े हैं। इन रकमों की जानकारी कर लोगों को दांत तले उंगली दबानी पड़ेगी।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया। आपने जो समय मांगा था वह भी समाप्त हो गया। माननीय राम सुन्दर पांडेय.....।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, एक मिनट का समय और दे दें। मैं यह आंकड़े पढ़ दूं। इनकी पोल तो खोल दूं।

श्री अधिष्ठाता--

मेरी दिक्कत है। मैं दूसरे सदस्य को बुला चुका। आप तो संसदीय नियमों का पालन करते हैं। आप कृपया बैठ जायं।

श्री त्रिवेणी सहाय--

कृपया एक मिनट का समय और दे दें। मैं यह आंकड़े पढ़ दूं। ए० सी० सी० खटाऊ की एक कम्पनी से ५ लाख, बांगड़ की दो फर्मों से १।। लाख, बिड़ला की १० फर्मों से ३५।। लाख, मार्टिन बर्न से ५ लाख ७५ हजार, साहू जैन से ११ लाख ३१ हजार, सारा भाई से १ लाख ७५ हजार, टाटा से १८ लाख १५ हजार, बालचन्द से लगभग ८ लाख, थापर से १ लाख ८ हजार, किलाचन्द तुलसीदास से ५ लाख ५० हजार, श्रीराम दिल्ली क्लाथ मिल से ६ लाख ८३ हजार, बजाज से ५ लाख ८८ हजार, डालमिया से ४ लाख ५० हजार, कमानी से ७ लाख, किर्लोस्कर से २ लाख ४२ हजार। ५० हजार से कम चन्दा देने वाले तो सैकड़ों होंगे।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका यह भी समय समाप्त हो गया।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ

हूं। अधिष्ठाता महोदय, माननीय बलवान सिंह के वक्तव्य के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने का न तो इतना समय ही है और न मुझमें इतना सामर्थ्य ही। लेकिन एक दो सवालों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। उनका और उनके दल के साथियों का मत है कि सरकार पैदावार बढ़ाये। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन-कौन से मौके हैं कि जिस वक्त सरकार ने पैदावार बढ़ाने का आन्दोलन किया तो आपने सरकार का साथ दिया। इस सम्बन्ध में, मान्यवर, मैं उदाहरण पेश करना चाहता हूं। यह बात तो मैंने पिछले विद्युत बोर्ड की हड़ताल और रेलवे की हड़ताल के समय देख लिया था, जिसमें कि इन्होंने आन्दोलन किया बिजली की पैदावार कम करने के लिये। इसी तरह से गोरखपुर के यूरिया कारखाने में आन्दोलन किया जिससे जो यूरिया दूना पैदा होती थी, उसकी पैदावार आधी हो गयी। तो मैं देखता हूं कि उपदेश तो विरोध पक्ष बहुत देता है लेकिन सहायता कुछ नहीं करता।

मान्यवर, मेरठ में गेहूं की वसूली बहुत कम हुई, उत्तर प्रदेश में और सभी स्थानों से कम हुई। उसका कारण क्या है? आपके दल के लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार के जरिये जो योजना चल रही है वे चलें और लोगों को रोटी मिले। श्री त्रिवेणी सहाय जी ने कहा कि सरकार को बदलना चाहिये और खाद्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिये। श्रीमन्, आपको याद होगा, १९६७ और १९६९ में जनता ने इन लोगों को सरकार बनाने का अवसर दिया था और नेता विरोधी दल, चौधरी चरण सिंह ६७ में मुख्य मंत्री थे। मैं बलवान सिंह जी से जानना चाहता हूं कि ६७ में लेवी की वसूली कितने प्रतिशत हुई थी। मैं जानना चाहता हूं कि ६७ में कितनी महंगाई थी? चीनी की क्या हालत थी? यह आपको जवाब देना पड़ेगा, तभी समझूंगा कि विरोधी पक्ष क्या सहायता कर सकते हैं। मान्यवर, आज हमारे देश और प्रदेश में महंगाई है। मैं कहता हूं कि दुनिया में महंगाई है। मैं माननीय बलवान सिंह और माननीय रामसेवक यादव से, जो सन् ५२ और ६७ तक मेरे पास बैठते थे, से जानना चाहता हूं कि दो महीने लगातार सेशन चला लेकिन एक भी सदस्य ने भाषण नहीं दिया कि अमुक स्थान पर अमुक व्यक्ति भूख से मरा है। सदन के सामने आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिये कि भूख से कितने लोग मरे।

मान्यवर, एक उदाहरण पेश करना चहता हूं। अपको, मान्यवर, याद होगा कि सन् १९३८ की बात है कि जब कि बंगाल में अकाल पड़ा था और घाघरा में इतनी बाढ़ आई थी कि जिले के जिले तबाह हो गये थे। सन् ३८ में उत्तर प्रदेश में भयंकर महंगाई थी। मुझे याद है अधिष्ठाता महोदय कि रंगून का मोटा चावल एक रुपये में करीब ४ पंसेरी बिकता था। चावल इस तरह बिकने पर भी उत्तर प्रदेश के गांवों में उपवास होते थे। उसके बावजूद भी अंग्रेज का राज्य था। स्वर्गीय फजलुलहक बंगाल के मुख्य मंत्री थे और ३६ लाख आदमी भूख से मर गये। आज श्री बलवान सिंह जी का भाषण हुआ है कि सरकार की खाद्य नीति सफल नहीं होती उसका मैं जवाब दे रहा हूं। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने प्रदेश में इतना पैसा, इतना काम तथा इतना रोजगार दे रखा है कि इतनी महंगाई का असर गरीब जनता पर नहीं पड़ रहा है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप भाषण देने के पहले अपने कामों को, अपने इरादों को, पिछले कारनामों को देखें तभी कथनी व करनी में संतुलन होगा वर्ना नहीं होगा।

मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार है। सरकार ने इसके लिये सतर्कता विभाग खोला। आपके नेता चौधरी साहब भी मुख्य मंत्री थे और हिम्मत सिंह तथा माधव प्रसाद त्रिपाठी उस समय मंत्री थे। वे जवाब दें कि ६७ में सिंचाई विभाग के कितने कर्मचारियों को व अधिकारियों को उन्होंने मुअत्तल किया, बरखास्त किया। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। उनको उस वक्त उनसे भी मुहब्बत की, बाद को उनसे मेल हो जाता है। आज जो गांव नदी से कट रहे हैं, जितना गल्ला वहां पहुंचना चाहिये उतना गल्ला नहीं पहुंच रहा है उसका एक कारण सामने बैठे हुये लोग भी हैं। मैं उनका भरोसा छोड़कर सरकार से निवेदन करूंगा कि गांवों में जो गल्ले की दूकानें खोली गयी हैं उनकी ओर वह ध्यान दें। राशन कार्ड गांवों में बांटे गये, लेकिन उस पर लोगों को गल्ला, खाद,

[श्री राम सुन्दर पाण्डेय]

मिट्टी का तेल, डीजल, सीमेंट तथा कपड़ा नहीं मिल पाता है। मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई मंत्री जी ने अपने भाषण में बतलाया कि दिल्ली की सरकार ने कपड़े का कोटा दूना कर दिया है और उसका नतीजा हम सोच व समझ सकते हैं कि गांव में जो गरीब आदमी बसता है जिसकी आमदनी ३०० रुपये से कम है उसको इससे राहत मिल सकेगी।

मैं सरकार को यह भी बतलाना चाहता हूं कि गांव में जो ४,५ तथा ६ हजार की आबादी पर दूकानें खोली गयी थी उन को बन्द कर दिया गया जिससे सरकार बदनाम हुई है। इससे वहां लोगों की दिक्कत बढ़ी है। दिक्कतों को दूर करने का एक ही तरीका है कि कड़ाई की जाय और प्रदेश में एक हवा पैदा की जाय जिससे कि जो लोग घूसखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, सरकारी सामानों को बेचते हैं अथवा जो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। अगर कड़ी सजा दी गयी और ऐसे कार्य करने में किसी को प्रोत्साहन नहीं मिला तो लोगों को राहत मिलेगी।

हमारे प्रदेश में अगर गेहूं की वसूली जिस तेजी के साथ होनी चाहिये थी वह नहीं हो सकी तो उसके कारणों में विरोधी दल भी सम्मिलित है। प्रदेश में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसमें सामने बैठने वाले लोग भी सम्मिलित हैं। प्रदेश में जो गल्ले की कमी है हड़तालों के कारण उसमें विरोधी दल भी शामिल है। इसलिये मैं विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि उपदेश देने के पहले अपने व्यवहार तथा आचरण की तरफ भी वह देखे, उसे वह दुरुस्त करे और उसे पुराने जमाने की सरकारों के काम को भी देखना चाहिये तब संतुलन हो सकेगा। वरना केवल दबाव देने से माननीय खाद्य मंत्री और माननीय बहुगुणा जी के हट जाने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको भी जनता ने शासन करने और उसे चलाने का मौका १९६९ से १९७१ तक दिया है। विरोध पक्ष के लोग भी शासन को चलाये हैं। जनता ने आपको भी देख लिया है और हमको भी देख लिया है और उसके बाद इस बार यह फैसला किया है कि आप केवल बात करते हैं केवल बात करने वाले के आचरण और व्यवहार में हमेशा किसी प्रकार की कमी रहती है, गल्ती करता है। इन शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं और अनुदान की जो मांग रखी गई है उसका समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, असल में जिस चीज का जिक्र अभी माननीय त्रिवेणी सहाय जी ने किया है, मैं भी वही बात कहना चाहता हूं। त्रिवेणी सहाय की पार्टी के लोग और दूसरे लोग चाहते हैं कि पिछले वर्ष जब गेहूं का अधिग्रहण हुआ तब बड़े-बड़े व्यापारियों की नुमाइन्दगी उन्होंने की और स्टेट ट्रेडिंग की नीति को छोड़कर और व्यापारियों के सामने आत्मसमर्पण करके सरकार ने बहुत बड़ी गल्ती की है। मैं समझता हूं कि माननीय त्रिवेणी सहाय की पार्टी के लोग और उनके अन्य सहयोगियों ने सरकार का गला दबा दिया है। मान्यवर, आपको मालूम होगा कि पिछले वर्ष जब गेहूं का अधिग्रहण हुआ तो हमारे देश के ५० लाख व्यापारियों ने तथा उनके प्रतिनिधियों ने दिल्ली में एक प्रदर्शन किया। मेरा तो सरकार के ऊपर चार्ज है कि यह सरकार बड़े-बड़े मुनाफाखोरों के सामने इजारेदारों के सामने, काला बाजार करने वालों के सामने, ब्लैक-मनी रखने वालों के सामने झुकती चली जा रही है, सरेन्डर करती चली जा रही है। उसका नतीजा यह है कि इस प्रदेश में आर्थिक संकट पैदा हो गया है। माननीय त्रिवेणी सहाय जी आज बहुत खुश हैं, ठीक है, खुश हैं लेकिन पिछले वर्ष जब गेहूं का अधिग्रहण हुआ तो ८ लाख टन गेहूं वसूल हुआ और इस साल जब सरकार ने व्यापारियों के सामने घुटना टेक दिया तो अभी केवल ३ लाख टन ही वसूल हो पाया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों? आज आप खाद देकर, चीनी देकर, डालडा देकर और लाइसेन्स देकर किसानों से गेहूं वसूल कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह ३ लाख टन जो वसूल हुये हैं अगर यह सरकार खाद, चीनी, सीमेंट, डलडा आदि उनको न देती, कोई प्रलोभन सरकार न देती तो माननीय त्रिवेणी सहाय और उनके अन्य लोग आज सरकार

का गला दबा देते। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को अपनी पालिसी के ऊपर, अपनी नीतियों के ऊपर विचार करना चाहिये ।

खाद्य का जो मसला है वह बड़ा अहम मसला है । क्या मै जान सकता हूं कि आज जो गेहूं वसूल हो रहा है, जो बड़े-बड़े लोग हैं जिनकी रहनुमाई माननीय त्रिवेणी सहाय जी भी करते हैं, जिनके बड़े-बड़े फार्म्स हैं, बड़े-बड़े किसान हैं उनसे जबरदस्ती गेहूं लिया गया। अब लिस्ट बन रही है जब कि गेहूं बिक गया । मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी से कि उन बड़े-बड़े फार्मर्स, बड़े-बड़े भूमि के मालिक . . . . ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

मान्यवर, एक मिनट बता दूं । महाराज सिंह से ५ क्विंटल, गोविन्द बास से १क्विन्टल, गोपी घोसी से १ क्विंटल लिया गया . . . . . ।

श्री ऊदल---

वही तो मैं भी कह रहा हूं कि क्या आपने उनके बारे में कोई चर्चा की है कि गोपी घोसी से एक क्विंटल ले लिया । बड़े-बड़े फार्मर्स, मजीठिया और बिरला के प्रति तो आपके दिलों में हमदर्दी है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज देश की हालत बहुत खराब है । श्रीमन्, महंगाई भयानक रूप से बढ़ गई है । जितनी आवश्यक वस्तुयें हैं, जैसे साबुन, डालडा, मिट्टी का तेल, बेबी फ़ूड्स, इन सबकी अनियमित तरीके से सप्लाई हो रही है । इस बारे में मैंने एक पत्र लिखा था इनको । उनका जवाब भी इन्होंने दिया। वाराणसी में नहाने का साबुन, बेबी फूड तथा अन्य दूसरे आवश्यक सामान बाजार से गायब हैं और जितने बड़े-बड़े व्यापारी हैं वे सारे का सारा माल चुराकर ले जाते हैं । तो मेरा चार्ज है सरकार के ऊपर कि इसकी वितरण की व्यवस्था और नियन्त्रण व्यवस्था बहुत ही गलत है । जब तक ये दोनों व्यवस्थायें ठीक नहीं होंगी, सामान रहते हुये भी बाजार से गायब रहेगा । आज समस्या यह है कि लोगों को ज्यादा दाम पर वस्तुयें खरीदनी पड़ती हैं । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुझे एक हफ्ता साबुन नहीं मिला, तब मैंने एक आदमी को अपने लिये उसे लाने भेजा, तो जो साबुन–हमाम १ रुपये ३० पैसे का है, वह उसे दो रुपये में मिला । आपके जो सप्लाई विभाग के अफसरान हैं, आपके जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनका कोई नियन्त्रण नहीं है ।

आपने डायर्स का जिक्र कर दिया, लेकिन उससे क्या होता है । आज जो वितरण और नियन्त्रण की व्यवस्था है, वह दोषपूर्ण है । जबतक वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, नियन्त्रण ठीक नहीं होगा, तब तक आप चाहे लाख प्रयास करें जनता को सही मूल्य पर जीवन की आवश्यक वस्तुयें नहीं दे सकते हैं । इस महंगाई के लिये जो सबसे बड़ा रोग पैदा हुआ है, वह काला धन है, जिसका त्रिवेणी सहाय ने कोई जिक्र नहीं किया है । मैं पूछना चाहता हूं पिछले दिनों जब व्यापारियों का प्रदर्शन हुआ था, तो उसको किसने लीड दिया था, किसने उनके अन्दर भाषण दिया था । क्या वे त्रिवेणी सहायक के दल के लोग और उनके नेता नहीं थे ? यही त्रिवेणी सहाय पिछली बार, जो गल्ले के राष्ट्रीयकरण की नीति थी, उसे फेल करने के लिये ये लोग जुट गये थे। आज मंत्री जी कहते हैं, मैंने व्यापारियों पर विश्वास किया और तीन बार उन्होंने धोखा दिया। लेकिन मैं कहता हूं, वे धोखेबाजी तो हमेशा के हैं, वे तो मगरमच्छ हैं । इनके ऊपर यदि यह सरकार विश्वास करेगी, तो यह मगरमच्छ इस देश की जनता और सरकार को भी खा जायेंगे । इसलिये इनके ऊपर विश्वास करने की कभी आवश्यकता नहीं है । उसी का परिणाम यह है कि आज हमारा देश महंगाई की चपेट में जर्जर हो रहा है और जनता जरा जरा सी आवश्यक वस्तुओं के लिये तड़प रही है । काला धन महंगाई को बढ़ाने के लिये पूरी तरह जिम्मेदार है, जो अरबों-खरबों में इस देश में घूम रहा है, उसकी सरकार को कोई चिन्ता नहीं है । जबतक यह काला धन नहीं रोका जायगा तब तक कुछ नहीं होगा । और इसको रोकने के लिये सबसे आसान नुस्खा

[श्री ऊदल]

यह है, यद्यपि वह स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, फिर भी वह उसके लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट से सिफ़ारिश कर सकती है, कि काले धन को किसी तरह से रोका जाय हजार रुपये और सौ रुपये के नोट का चलन अब बन्द कराये। यह बहुत छोटा सा नुस्खा है। इससे अरबों-खरबों में जो धन फैला हुआ है वह तुरन्त निकल कर बैंकों के हवाले हो जायगा। लेकिन यह सरकार वह करने वाली नहीं है। न काला बाजार करने वालों को छूने वाली है, न मुनाफाखोरी करने वालों को छूने वाली है। इसलिये हमारी हालत जर्जर होती जा रही है। इसलिये सरकार अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करे और राष्ट्रीयकरण की इनकी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है।

देश की जनता को खाना, कपड़ा तथा आवश्यकता की अन्य वस्तुयें देने की सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। अगर सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी से मुकर जाती है तो मैं समझता हूं कि सरकार इस देश की जनता के साथ दगा करती है। इसलिये मेरा निवेदन है माननीय मंत्री से कि जो पिछले साल नीति थी उस पर आप विचार करें और जितने खाद्यान्न हैं, सिर्फ गेहूं नहीं, गेहूं, जो पिछले साल सौ रुपये के नीचे बिका लेकिन मटर और चना दो सौ रुपये क्विंटल में बिका। मैं त्रिवेणी सहाय जी से पूछता हूं। गेहूं का राष्ट्रीयकरण हुआ था, मटर का तो नहीं हुआ, चने का तो नहीं हुआ, तेल का नहीं हुआ, जानवरों को खिलाने के लिये खली का नहीं हुआ, जो खली १०५ रुपये क्विंटल में बिकती है। आपके सगे सम्बन्धी मुनाफाखोर और मुनाफा खाने वाले लोगों ने लूटा। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार पुनर्विचार करे और जितनी आवश्यक वस्तुयें हैं सबको अपने हाथ में ले, डालडा, चीनी, तेल, मिट्टी का तेल, कोयला, जितनी आवश्यक वस्तुयें हैं सबको अपने हाथ में ले कर नियन्त्रण और वितरण की व्यवस्था ठीक करे ताकि देश की जनता को आवश्यक वस्तुयें सही मूल्य पर दी जा सकें।

श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फ़र्रुखाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे खाद्य विभाग की मांगों पर बोलने का मौका दिया। मैं खड़ा हुआ हूं इन मांगों के समर्थन में और इस कटौती के प्रस्ताव के विरोध में जो पेश किया गया है।

अभी मैंने माननीय सदस्य जनसंघ को सुना। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बार-बार उन्होंने एक बात कही कि इस तरफ के बैठने वाले लोग पूंजीपतियों के हिमायत करने वाले हैं और उस तरफ जनसंघ के लोग गरीब जनता के रहनुमा हैं और उनका हित दिल में लिये बैठे हैं। शायद अगर वह तथ्यों को ध्यान में रखते तो ऐसी बेबुनियाद बात नहीं कहते। १९७१ के पहले जब पार्लियामेंट में सवाल आया बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का (व्यवधान) आप बोले हमने सुना। आप अब हमारी बात सुनें। बड़े बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जब सवाल आया पार्लियामेंट में और वह पास हुआ तो उसको चोट नहीं लग रही थी, देश के गरीब लोगों को, उससे चोट लग रही थी, टाटा बिड़ला को, बड़े-बड़े आदमियों को। उस समय अखिल भारतीय जन संघ के अध्यक्ष श्री बलराज मधोक। सबसे पहले वह व्यक्ति थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध अपील दायर की। तो हमदर्दी किसके साथ थी? देश के गरीबों के साथ या बड़े-बड़े लोगों के साथ जिनकी बैंकें जा रही थीं? (व्यवधान) जनसंघ के मित्र जरा सुनें। सत्य हमेशा कटु होता है। इसलिये आपको दिक्कत हो रही है। १९७१ के पहले जब प्रिवीपर्स खत्म करने की बात हुई, माननीय त्रिवेणी सहाय जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग थूक कर चाटते हैं, लेकिन वास्तविकता दूसरी है, थूक कर चाटने की आदत कांग्रेस में नहीं है बल्कि जनसंघ में है।

श्री ओमप्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

"थूक कर चाटना" जो शब्द है जो जनसंघ के लिये विशेषकर प्रयोग किया जा रहा है, अपमानजनक है, इसको संसदीय घोषित करते हैं या असंसदीय?

श्री अधिष्ठाता—

वैसे संसदीय नहीं है, न शोभनीय है। माननीय त्रिवेणी सहाय जी ने उसका प्रयोग किया था।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

१९७१ के पहले जब प्रीवी पर्स को खत्म करने का सवाल आया तो जनसंघ के लोगों ने बड़ा जोरदार समर्थन किया राजा महाराजाओं का। १९७१ के चुनाव में जब माननीया इंदिरा गांधी राजा महाराजाओं की प्रीवी पर्स को खत्म करने के लिये दो तिहाई सीट लेकर पार्लियामेंट में गयीं और दोबारा प्रश्न आया तो थूक कर चाटा जनसंघ ने जो गाजियाबाद में जनसंघ अधिवेशन हुआ उसमें तय किया कि प्रीवी पर्स को लेकर राजा महाराजाओं का साथ नहीं देंगे। जो गलती वह करते हैं उसका दोष हम पर मढ़ते हैं। जहां तक खाद्य विभाग का सवाल है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि १९७४ का वर्ष प्रदेश के इतिहास में ही नहीं बल्कि सारे देश के इतिहास में एक बड़ा कठिनाई का वर्ष रहा है और माननीया खाद्य मंत्री ने जिस कुशलता और योग्यता के साथ इस विभाग को संभाला है उसकी जितनी प्रशंसा की जाय वह कम है। एक तरफ महंगाई थी, एक तरफ़ चीजों की कमी थी और दूसरी तरफ जनसंघ जैसे दल थे जो मुनाफाखोरों और जमाखोरों का साथ देकर, स्थिति को और भयंकर बना कर कह रहे हैं कि वह जनता के बड़े हमदर्द हैं। आम जनता की हमदर्दी की बात करते हैं। १९७१ के लोक सभा के चुनाव में प्रदेश से संसद में ८५ मेम्बर्स जाते हैं। उनके नेता माननीय अटलबिहारी बाजपेयी ने हमारे यहां की ८५ सीटों में से एक भी सीट नहीं पाई जिससे वे गरीब जनता से कहते कि आप हमें पार्लियामेंट में भेजिये हम आपकी हिमायत करेंगे। अन्त में वे ग्वालियर राज्य माता की शरण में गये और वहां से जीत कर पार्लियामेंट में पहुंचे। यह गरीबों की हमदर्दी का नमूना है इनकी हमदर्दी गरीबों के साथ है या सरमायेदारों के साथ है। इससे स्पष्ट हो जाता है।

मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को इन मुनाफाखोरों, जमाखोरों और थोक व्यापारियों के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता है। जब सरकार ने गल्ला वसूली का सवाल रखा तो इन थोक व्यापारियों ने सहयोग देने के लिये कहा था। लेकिन इन्होंने सरकार को धोखा दिया और कम लेवी का गल्ला वसूल हुआ। इनसे कहीं ज्यादा लेवी का गल्ला दूसरी एजेंसियों से आया। अगर प्रदेश की जनता को इन होल सेलर्स के हाथ में छोड़ दिया गया तो होल सेल रूप में जनता का खून चूसेंगे।

इसलिये जन वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाय, ठोस बनाया जाय। इसके संबंध में मैं अपने कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं। जन वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिये खाद्य मंत्री और मुख्य मंत्री जी ने कारगर कदम उठाये हैं। छात्रावासों में विद्यार्थियों को राशन देने की व्यवस्था की गई है तथा रेलवे कालोनी में राशन की दुकान खोलने की व्यवस्था की गई है। आज जरूरत इस बात की है कि इन चीजों के अलावा बाकी चीजें जैसे दाल वगैरह हैं जिनके दाम बहुत बढ़ गये हैं और बराबर बढ़ रहे हैं तथा अन्य चीजें जो निजी व्यापारियों के हाथ में हैं, उनसे उनको लेकर इन दूकानों के जरिये वितरण की व्यवस्था की जाय तब जनता को राहत मिल सकेगी।

एक समस्या बड़ी टेढ़ी है जिसके बारे में अखबारों में भी अक्सर निकला करता है। वह घोस्ट राशन कार्ड की समस्या है। इस सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से घोस्ट राशन कार्ड हैं। इनसे फेयर प्राइस वाले दुकानदार ब्लक मार्केटिंग करते हैं इनको दूर करना चाहिए। हालांकि इसके वास्तविक आंकड़े तो नहीं मिल सकते हैं। लेकिन सेंसस संख्या और वोटर लिस्ट से मिलान किया जाय। हालांकि वह भी गलत होती हैं। इन घोस्ट राशन कार्डों के जरिये विभाग के अधिकारियों से मिल कर

[श्री विमल प्रसाद तिवारी]

दुकानदार ब्लैक करते हैं। इसको चेक करना चाहिए। इसके लिये प्रदेश में फ्लाइंग स्कवाड की स्थापना की जाय जो जिलों और नगरों में जाकर अचानक राशन कार्डों की चेकिंग करे। जब ऐसा प्रबन्ध किया जायेगा तब सही स्थिति सामने आयेगी। यह काम स्थानीय अधिकारियों तथा स्थानीय लोगों को न दिया जाय क्योंकि उन लोगों की दुकानदारों से सांठगांठ रहती है।

जहां तक इस वर्ष का सवाल है, इस सरकार का सवाल है, सरकार ने बहुत से कार्य ऐसे किये हैं जिससे गरीब लोगों को राहत मिल सकेगी। गेहूं की वसूली की योजना में किसानों को कम कीमत पर खाद दी है। खाद की कीमत बहुत बढ़ गई है। लेकिन मुख्य मन्त्री जी ने प्रयास करके कोशिश करके कामयाबी हासिल की है कि खाद की कीमत पुराने स्टाक पर वही ली जाय जो पहले थी। लाल बत्ती जल गई है इसलिए ज्यादा न कह कर मैं थोड़े ही में अपनी बात कहना चाहता हूं। कंट्रोल के कपड़े की बात चल रही है जो सहकारी दुकानों से बांटा जाता है।

हालांकि हमारी कंट्रोल क्लाथ की आवश्यकता कम से कम ६ करोड़ मीटर प्रतिमाह आंकी गई है, लेकिन भारत सरकार ने ५३.८० लाख मीटर सैंक्शन किया है। जब ऐसी स्थिति है तो कपड़े का वितरण ठीक ढंग से होना चाहिए जिससे कम से कम भ्रष्टाचार हो। मैं फर्रूखाबाद से आता हूं। मैं माननीया मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां की सहकारी समिति ने कंट्रोल क्लाथ का खुलकर ब्लैक किया है। लोगों ने जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की। उन्होंने इसकी जांच की और स्वीकार किया, लेकिन वह कोई कार्यवाही नहीं कर सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कामगर कार्यवाही होनी चाहिए। एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जहां तक सप्लाई विभाग का सवाल है, राशन कार्ड मिलने में गरीबों को बड़ी कठिनाई होती है। गरीबों को राशन कार्ड के लिए बार-बार दौड़ाया जाता है, लेकिन कार्ड नहीं मिलता है। इसलिए राशन कार्ड मिलने की व्यवस्था को समयबद्ध कर दिया जाये कि दरख्वास्त देने के बाद इतने समय के बाद राशन कार्ड अवश्य मिल जायेगा। ताकि उसे सप्लाई आफिस बार-बार दौड़ना न पड़े और मैं चाहता हूं कि फार्म में ही एक छोटी सी रसीद लगा दी जाये जो प्रार्थी को फार्म देते समय दे दी जाय क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि सप्लाई विभाग में यह कह दिया जाता है कि यहां पर फार्म नहीं आया है। इन शब्दों के साथ मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री रामसेवक यादव—

अधिष्ठाता महोदय, इस समय मेरे मित्र रामसुन्दर पाण्डेय सदन में नहीं हैं। आप जानते हैं कि वह हम लोगों के साथ ६७ तक इधर बैठा करते थे और कहा करते थे कि पूर्वी जिलों के लोग जानवर के गोबर से अन्न निकाल कर खाते हैं। पूर्वी जिलों में लोग भूख के मारे महुवा खाकर जीते हैं। माननीय राम सुन्दर पाण्डेय सबसे ज्यादा उठाया करते थे और जब से बालिग मताधिकार पर इस सदन का गठन हुआ है वह इधर ही चुनकर आते रहे लेकिन ७४ में उधर बैठ जाने में आदमी में कितनी तबदीली आ जाती है। आज जब माननीय राम सुन्दर पाण्डेय को सुना तब पता चला। इन सब चीजों के रहते हुए उन्होंने यह तय किया कि जनता की आवाज को बुलन्द करें। उन्होंने कहा कि सन् १९६७ में संविद की सरकार थी और माननीय नेता विरोधी दल चौधरी चरण सिंह मुख्य मन्त्री थे उस समय क्या था गेहूं का भाव। मैं साफ कहना चाहता हूं कि उस समय किसानों को गेहूं का भाव जो मिलता था वह ८५ रुपये था और उस गेहूं के भाव के साथ याद कर लें तो उस समय आज के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुकाबले में खाद का दाम बहुत कम था, आजके मुकाबले में चीनी बहुत सस्ती थी और आज के मुकाबले में सीमेंट के दाम बहुत कम थे। इन सारी चीजों के दाम बहुत कम थे तब किसानों को ८५ रुपये गेहूं का दाम मिलता था। चीनी का दाम १.६५ रु० प्रति किलो था जब गेहूं का दाम ८५ रू० था १.६५ पैसे प्रति किलो ग्राम गेहूं और गन्ने का भाव मिले कहीं पर १३ रु०, १५ रु० और १८ रु० कुंटल और आज ७४ में जब समाजवादी समाज है जब कि किसानों का लक्ष्य है, तो चीनी का कंट्रोल दाम है २.१५ पैसे प्रति किलो ग्राम और गन्ने का भाव है ११ रु० कुंटल। यह उलटी दिशा में जाते हैं। किसान का गेहूं सस्ता, किसान का गन्ना सस्ता और कारखाने से बनी खाद, लोहा, सीमेंट, मिट्टी का तेल, आदि सारी चीजें महंगी और चौधरी साहब के समय में गेहूं सस्ता और यह जो सीमेंट, उर्वरक चीजें सस्ती लेकिन गन्ने का दाम ज्यादा। अगर मुकाबिला करना हो तो मुकाबिला कर लेंगे और अभी मैं यहीं छोड़े देता हूं।

मैं कहना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय, कि सरकार की सचमुच कोई नीति नहीं है। यह तो कोई मंत्रालय ही नहीं है। सरकार की नीति प्रोक्योरमेंट के जरिये विदेशों से अनाज मंगाकर, भारत सरकार से अनाज मंगा कर कब तक खिलायेंगे। यह योजना कब तक चलेगी। इनकी कोई नीति नहीं है। नीति इसलिए नहीं है कि जब तक आप उपज नहीं बढ़ायेंगे तब तक इस प्रदेश की समस्या का समाधान सम्भव नहीं लेकिन उपज कैसे बढ़े। अधिष्ठाता महोदय, यह तो प्रातः स्मरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से और उनके पहले स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के नाम से बड़ी भारी योजना पेश की थी। हम लोग ५७ से पार्लियामेंट में थे और उन्होंने कई बार ऐलान किया कि पहली योजना बीतते ही हम लोग अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेंगे। कहा गया खेती करो, बंगले में खेती करो, गमले में खेती करो, छत पर खेती करो, समस्या हल हो जायेगी। मान्यवर, यह भाषण देते थे कि गमला, बंगला, छत पर खेती करो। प्रधान मन्त्री कितना बेचैन हैं देश की खाद समस्या के लिये। खेती करने के लिये इससे ज्यादा क्या करेंगी कि गमला और बंगला तथा छत को भी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन मान्यवर, जहां खेती हो रही है, वहां पर पानी नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रही है। बिजली किसानों को नहीं मिल रही है, लेकिन रेल के लिये एअर कंडीशन के लिए बिजली मिले। तो यह है आप की उन्नति की दिशा। मान्यवर, इस अंधेरे में अगर आप ढूंढ़ते रहेंगे तो मिलने वाला कुछ नहीं है। मेरा अधिष्ठाता महोदय चार्ज है।

अब हम आपके सामने अपने प्रदेश की अन्न की स्थिति रखना चाहता हूं और हमारी जो खाद्य मन्त्री जी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि ७०–७१ का परकैपिटा प्रोडक्शन फूडग्रेन यू० पी० में २२० किलो ग्राम औसत रहा और आपके पड़ोसी देश पंजाब में ५३९ किलो-ग्राम औसत, हरियाणा में ४७३ औसत, मध्य प्रदेश में २६२ औसत, राजस्थान में ३४३ औसत रहा है और हम हैं मान्यवर, २२० यानि हम सबसे पीछे रहे अपने पड़ोसी राज्यों के मुकाबिले में। मान्यवर, इन आंकड़ों को देखने से पता चल जाता है कि कौन बढ़ रहा है। यह है हमारी तरक्की। यह हमारी तरक्की हो रही है। मान्यवर, इनकी तरक्की इन आंकड़ों से जाहिर हो जाती है कि हम रोज-रोज कितनी तरक्की कर रहे हैं। यह ७०–७१ का आंकड़ा है। अगर कहीं साल का आंकड़ा पेश कर दूंगा तो स्थिति और साफ हो जायगी। आज हमारी खाद्य समस्या खाज समस्या हो गयी और अगर मैं यह कहूं कि हमारे खाद्य मन्त्री नहीं खाज मन्त्री हैं तो कोई अनुचित बात न होगी। आज खाद्य के मामले में हमारे प्रदेश की क्या हालत हो गयी है ?

[श्री रामसेवक यादव]

हमारे मित्र माननीय राम सुन्दर पाण्डेय ने मंहगाई की बात कही थी। १९६०-६१ में १०० का आधार मान लें तो जहां १९७३ में २६५.८ था आज भयंकर महंगाई के कारण ४०० हो जायगा। ये इस महंगाई को कहां तक ले जायेंगे? अगर इस पर सरकार का नियंत्रण न हुआ तो आप कितना ही प्रोक्योरमेंट करें, कोई काम नहीं चलने वाला है। जब तक दाम नीति आप नहीं करेंगे, अकेले गेहूं का दाम १०५ रुपये प्रति क्विंटल कर देने से काम नहीं चलने लाला है और न इससे पैदावार ही बढ़ने वाली है। आपने उर्वरक सीमेंट, डीजल पैट्रोल और सिंचाई के दाम बढ़ाकर किसानों की चीजों के दाम बढ़ाये नहीं बल्कि कम किए हैं।

चौधरी साहब का भी सदन में जिक्र आया कि लैवी ली गयी थी। तो मेरा निवेदन है कि उनके जमाने में अगर लैवी लगी थी तो अच्छे किसानों पर लगी थी, लेकिन यहां तो सब धान बाइस पसेरी हैं। नाई को भी आपने नहीं छोड़ा जैसा कि माननीय बलवान सिंह जी बता रहे थे। अगर चौधरी साहब की स्कीम चलती तो ५ हैक्टर के ऊपर वाले किसानों पर ही लगती और समय से लगती, यह नहीं कि जून में लगती, इससे पहले लगती चाहिए थी, इसको घटाकर आप ४ हैक्टेयर भी कर देते, किसानों के खाने के खर्च और बीज के लिए गेहूं को छोड़कर तो आपको बहुत आसानी से ८-९ लाख गेहू मिल सकता था जिससे यह दिक्कत भी न होती।

श्री बीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह स्वीकार करता हूं कि गत २ वर्षों से अनाज के उत्पादन में कमी हुयी है क्योंकि इन दोनों वर्षों में वर्षा की भी अधिक कमी रही है। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि गत वर्ष बारिश की भी कमी रही और सर्दियों में तो एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा फलस्वरूप पैदावार में भी कमी हुई है। प्रदेशीय सरकार ने गत वर्ष गेहूं वसूलयाबी का १८ लाख टन का टार्गेट रखा था, इसी कारण इस वर्ष ७ लाख ४४ हजार टन का ही रखा। जो जिला अतिरिक्त गल्ला पैदा करता है जैसे सहारनपुर में गत वर्ष १ लाख ५५ हजार टन का टार्गेट रखा गया था इस वर्ष वहां पर वसूली का टार्गेट केवल ५० हजार टन रखा गया था अर्थात् पिछले वर्ष का एक तिहाई। इसी प्रकार से मुजफ्फरनगर का ९२ हजार टन रखा गया था जिसमें से ३३ ३/४ हजार टन गत वर्ष वसूल हो पाया था। इसी-लिए इस वर्ष वहां का टार्गेट ३० हजार टन रखा गया था। मेरठ जिले का टार्गेट १ लाख ५२ हजार का था पिछले वर्ष वसूल करने का। लेकिन इस वर्ष पैदावार में कमी की निगाह में रखकर ६० हजार टन रखा गया जबकि गत वर्ष इस जिले से ७३ हजार टन गल्ला वसूल हुआ था। इसी प्रकार से बुलन्दशहर में २ लाख ९२ हजार टन का टार्गेट रखा गया था और गत वर्ष वसूल हुआ था १ लाख ७० हजार टन। इस वर्ष यह टार्गेट १ लाख ३५ हजार टन का रखा गया था। सारे प्रदेश में गत वर्ष जो वसूलयाबी हुयी थी क्षेत्रफल और पैदावार की कमी को ध्यान में रखते हुए, उसी के अनुसार सरकार ने कम अनुपात में वसूल करने की चेष्टा की है। कुछ लोगों का ख्याल था कि १ १/२ लाख टन ही इस वर्ष वसूल हो पायेगा लेकिन यह खुशी की बात है कि जिन परिस्थितियों में यह प्रदेश चल रहा है, उनमें ३ लाख टन के करीब आज तक गल्ला वसूल हो चुका है। चावल का हमारे प्रदेश में ३ लाख टन का टार्गेट था, उसको ४ लाख २० हजार टन से भी अधिक प्रोक्योरमेंट हो चुका है।

मान्यवर, जब गत वर्ष गेहूं के व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया गया था, सदन के बहुत से हमारे माननीय सदस्यों ने उस नीति का विरोध किया था। सरकार ने सोचा कि इस कठिन समय में चाहे सरकारी पक्ष हो या विरोध पक्ष, सभी का सहारा और सहयोग लिया जाय, जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिये और जनता की सेवा के लिए। जो

सरकार ने सोचा कि होलसेलर्स का भी सहयोग लिया जाय। उन्होंने ५०–६० लाख टन के बीच भारत सरकार को गेहूं देने का वादा किया था और उस आश्वासन पर उनका सहयोग लेने की दृष्टि से प्रदेश की भलाई के लिये राष्ट्रीयकरण में ढिलाई दी गयी और मई का महीना भी उसी कारण खो दिया गया। अगर सरकार मई में भी इस कार्य कों प्रारंभ करते तों ४ लाख टन से अधिक गेहूं प्रदेश में एकत्रित हो गया होता। पिछले वर्ष जिन्होंने उस योंजना का विरोध किया था आज वही इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। हर मामले में सिचुएशन को एक्सप्लाइट करने की कोशिश की जाती । जनता की भलाई के लिए सहयोग देना तो दरकिनार, उसे एक्सप्लाइट करने की कोशिल की जाती है। मुझे तो वह समय भी याद है जब पिछली दफा दिसम्बर के महीने में मिट्टी के तेल, डीजल, आयल, सीमेंट आदि की अतिरिक्त यात्रा उत्तर प्रदेश के लिये केन्द्र सरकार से लड़-झगड़ कर मंगाई गई तो बहुत से माननीय सदस्यों ने विरोध किया और कहा कि यह अतिरिक्त कोटा इस वजह से मंगाया जा रहा है कि आगे चुनाव आने वाले हैं।

मैं ईमानदारी से समझता हूं और जानता हू कि उत्तर प्रदेश को खाद भी जितना मिलता है वह यहां के कृषि क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए तामिलनाडु, हरियाणा, पंजाब और आंध्र से बहुत कम मिलता है और यह खुशी की बात है कि ३३ हजार टन अतिरिक्त खाद का आवंटन इस प्रदेश की सरकार ने केन्द्र सरकार से लड़-झगड़ कर इस महीने में कराया और मान्यवर, यह भी आपकी आज्ञा से बताना मुनासिब समझता हूं कि इसी ही प्रकार चीनी का भी कोटा ३१ हजार टन लिया गया, क्योंकि यह प्रदेश आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन चीनी का करता है। अब तक २५ हजार से २८ हजार टन तक ही चीनी मिलती रही है। जनवरी के महीने में ४ हजार टन चीनी का शादियों के लिये अतिरिक्त कोटा मंगाया गया और ऐसे ही १,३३३ टन चीनी इसी प्रकार से और अतिरिक्त मंगायी गयी। डीजल का अतिरिक्त कोटा भी मंगाया गया और सीमेंट का भी ११ हजार टन का । लेकिन उस पर भी आक्षेप किया जाता है। अगर सौल्यूशन किया जाय कठिनाइयों का तब भी आक्षेप और अगर न किया जाय तब तो आक्षेप है ही।

एक माननीय सदस्य ने अभी-अभी यह कहा कि किसानों से अनाज लिया जा रहा है और ब्लैक-मार्केट करने के लिये उन्हें डीजल-आयल, सीमेंट, खाद और दूसरी चीजें दी जा रही हैं। गालिबन कहने वाले सदस्य कृषक नहीं हैं। खाने वाले आदमी सिर्फ खाना जानते हैं, पैदा करना नहीं जानते हैं। अगर पैदा करना जानते तो कभी भी यह नहीं कह सकते थे कि किसानों को पुराने रेट पर जो खाद दिलाया जाता है वह न दिलाओ, उसकी आवश्यकता के लिए दो कुएं, ट्यूबवेल और नाली बनाने के लिये सीमेंट न दो.....(व्यवधान) जी हां, आपकी दृष्टि से। क्योंकि न आप किसान के हमदर्द हैं और न जनता के हमदर्द हैं। इसी दृष्टि से आप इस प्रकार की बात करते हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जिस समय पहली जून से प्रदेशीय सरकार ने प्रोक्योरमेंट शुरू किया उससे पेश्तर बहुत से काश्तकार अपना गेहूं बेंच चुके थे। एक किसान परिवार में मैंने भी जन्म लिया है और मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि गरीब किसान फसल के टाइम पर बेचने की कोशिश करता है और जो खुशहाल किसान है, जिसके पास होलडिंग पावर होती है वह अतिरिक्त मुनाफे के खातिर दिसम्बर, जनवरी और फरवरी तक अपना गेहूं रोक सकता है और सदैव रोका करता है।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

(लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, केवल ५ मिनट मुझे और दे दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष—

दो मिनट तो अभी आपके बाकी ही हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

एक बात ऊदल भाई ने काले धन की कही। मैं स्वीकार करता हूं कि आज देश में काले धन की पैरेलल एकोनामी प्रचलित है। इन्फ्लेशन को रोकने की खातिर भारत सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं। रात को रेडियो पर भी आपने सुना होगा और आज अखबार में भी देखा होगा निरन्तर इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि काला धन खुल कर सामने आये, अनुचित कीमतों को रोका जाय। लेकिन यह बात सही है कि जबतक हम अपने देश की पैदावार नहीं बढ़ायेंगे चीजों की कीमतें कम नहीं होंगी, जो हमारा समाज विरोधी तत्व है वह समाज का शोषण करेगा, छिपा कर चीजें रखेगा अतिरिक्त मुनाफे के लिये। उसके लिए भी इस प्रदेश की सरकार ने जिस दिन से पद ग्रहण किया है चाहे वह तस्करी हो या चोर-बाजारी, जमाखोरी हो या मिलावट, रेकार्ड उठा कर देखें सबसे अधिक कड़े कानून बनाये हैं और उन कानूनों के मातहत ऐक्शन भी लिया है।

एक बात कह कर मैं समाप्त करता हूं। अभी भाई राम सेवक जी कह रहे थे कि सन् ६७ में गेहूं के ऊपर लेवी लगी थी तब प्रदेश में लेवी के आधार पर १ लाख ५० हजार टन गेहूं वसूल हुआ था। प्रदेश की १ लाख १४ हजार टन प्रति मास की अगर हम आवश्यकता पूरी कर सकें—चार औंस प्रति व्यक्ति की आवश्यकता होती है और उस समय वसूली हुयी थी केवल १ लाख ५० हजार टन। और यह भी मैं बता देना चाहता हूं कि ८२ से ८५ रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत थी और बाजार भाव था ५२–५४ रुपये मन यानी १४० रुपये प्रति क्विंटल। उस समय भी कड़ाई से वसूली हुयी थी और करना ही चाहिए था, सरकार की जिम्मेदारी है, भाव कुछ भी हो, किसी मुकर्ररा कीमत पर उन लोगों को आवश्यकता भर देने की जो अनाज पैदा नहीं करते, शहरों में जो मजदूर हैं, जो इंडस्ट्रियल लेबर हैं, उन लोगों से वसूल कर के जो पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं के वितरण की जहां तक बात है मैं भाई ऊदल के साथ सहमत हूं। आज जरूरत है कि कड़ाई से ऐक्शन लिया जाय और आवश्यक वस्तुओं की वितरण व्यवस्था को सही किया जाय और समाज विरोधी तत्वों को ज्यादा से ज्यादा दण्डित किया जाय। जो चीजें कम हैं उसका उसी अनुपात में ठीक-ठीक वितरण किया जाय। तभी जनता में सन्तोष पैदा होगा। हमें कोशिश यह करना चाहिये कि आवश्यकतानुसार उत्पादन बढ़ायें। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(श्री बलवान सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

हमारे दल का अभी एक ही व्यक्ति बोला है, ५ मिनट का समय श्री सत्यवीर सिंह को भी दे दें।

एक सदस्य—

मैं बोलना नहीं चाहता, मेरे पास यह गेहूं के नमूने हैं, मैं ये पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

किसको पेश करना चाहते हैं, आप कृपया बैठें। अब समय नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सत्यवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन और सरकार की नीतियों का विरोध करता हूं। आज माननीय खाद्य मंत्री जी ने जो भाषण दिया वह समाज की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हैं। न समाज के अन्दर मंत्री जी रहती हैं और न ही समाज से उनको कोई वास्ता है। उनकी जो नीति बनती है वह समाज की आवश्यकताओं का अध्ययन करके नहीं बनती हैं।

मन्त्री जी ने आदेश दिया है, कि जो किसान गल्ला नहीं देगा उसको खाद नहीं मिलेगी। अब जब उसको खाद नहीं मिलेगी, तो किसान की पैदाबार कम होगी, और जब पैदावार कम होगी तो उसका असर सारे समाज पर पड़ेगा। ऐसा दण्ड किसी भी व्यक्ति को देने से क्या फायदा, जिसका प्रभाव सारे समाज पर पड़े। ऐसी नीति बना कर आप किस तरह से इस संकट को दूर कर पायेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यह जो दण्ड आप एक किसान को दे रहे हैं, यह पूरे समाज को एक तरह से दण्ड दे रहे हैं। आपकी यह नीति स्वयं आपको खा रही है।

जो आपका खाद्य निगम है, इसमें १९६९–७० में १५ करोड़ १९ लाख का घाटा था। १९७२–७३ में वह २१ करोड़ ४७ लाख हो गया। यह घाटा बढ़ता जा रहा है। इसका कारण उनका खर्चीलापन है। उनके जो प्रबन्ध और यातायात की व्यवस्था है वह खर्चीली है। इस कारण यह घाटा हो रहा है। इसीलिये जो भी निगम या योजनायें बनायी जायें उनमें एक दूसरे से तालमेल होना चाहिये। आपको इसके लिये देखना होगा।

आज जब आप यदि ब्लाक में खाद लेने जायं तो जिस खाद की आपको जरूरत होगी वह नहीं मिलेगी। यूरिया की जरूरत होगी, तो वह नहीं मिलेगी। तो इस तरह से जो चीज उत्पादन बढ़ाने के लिये आवश्यक है वह नहीं दी जाती है।

इसके अलावा राशन व्यवस्था ठीक नहीं है। राशन कार्ड जो दिये गये हैं वह सब अधिकतर झूठे हैं। न ही यह वितरण व्यवस्था ठीक है यह दूकानें सब कांग्रेसियों को दी गयी हैं। जिनको कि वितरण का ज्ञान ही नहीं है। मेरा सुझाव है, जिन व्यक्तियों को दुकानें दी जायें वह ही दूकान पर बैठें और दूसरे के हाथ में वह दूकान देकर न चलवायें। इस वितरण व्यवस्था को ठीक करना जरूरी है। आज जनता का विश्वास कंट्रोल पर नहीं है। आज जिन-जिन चीजों को सरकार ने अपने हाथ में लिया है, या तो वह बाजार से गायब हो गयी है और या तो उनकी कीमत में काफी वद्धि हुयी है।

आप डालडा को देखें। उत्तर प्रदेश में जो समस्त शादियां हुयी हैं। अगर औसत देखा जाय तो हर शादी में ५ टिन खर्चा हुआ है। अगर इसमें से एक टिन सरकार से मिला और एक टिन व्यापारी से भी मिला तो बाकी टिन कहां से आयें हैं। आप तो मंत्री महोदया शादियों में गयी होंगी। यह फालतू टिन क्या आसमान से आते हैं? इस तरह से यह प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार है। ब्लैक में सामान मिलता है। इसमें आपके कर्मचारियों का हाथ है। आप इलेक्शन में पूंजीपतियों से चन्दा लेते हैं। गरीब किसान को दूसरे लोगों को यह खरीदने पड़े हैं। १६०–१८० रुपये में। तो क्या इसका असर केवल उसी पर पड़ेगा इसका असर सारे समाज पर पड़ेगा। सारे उत्तर प्रदेश की जनता पर पड़ेगा। अगर आप इन जरूरी चीजों को नहीं दे सकते तो केवल कागज पर और इस एयर कंडीशंड हाल में बठ कर जनता के साथ ढोंग को न चलाइये और न ही बहकाइये।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज डी० आई० आर० में आप गरीब किसान को बन्द करते हैं। जो कानून नहीं जानता सीधा है। आप उसके हाथों में हथकड़ियां लगाते हैं। तो यह हथकड़ियां आप इस डालडा के बेंचने वाले के लगाइये। जो मिट्टी के तेल का ब्लैक करते हैं यह हथकड़ियां आप उनके हाथों में लगाइये। अगर आप यह सब नहीं करेंगे तो यह सरकर बच नहीं सकती है, चल नहीं सकती है।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ, अब आप बैठिये।

श्री सत्यवीर सिंह—

मैं टाइम लूंगा। अभी मुझे २ मिनट टाइम दीजिये। लोगों ने कई-कई मिनट लिये हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जाइये। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप बैठ जाइये।

श्री सत्यवीर सिंह—

मैं टाइम लूंगा, आप मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं। आपने औरों को टाइम दिया है।

श्री अध्यक्ष—

समय नहीं था, लेकिन आपके नेता के आग्रह से समय दिया गया है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि माननीय नेता ऐसा आग्रह न किया करें। ५ मिनट हुये, फिर दो मिनट हुये, लेकिन रुकते नहीं हैं।

***श्री बलवान सिंह—**

श्रीमन्, मैं बहुत आभारी उन साथियों का हूं जिन्होंने इस विषय पर अपना योगदान दिया। मुझे उम्मीद थी खास तौर से ट्रेजरी बेंचेज से कि वे इसके ऊपर कुछ अच्छे सुझाव देंगे और कुछ कमियां बतायेंगे अपनी सरकार की। श्रीमन् एक तरफ मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास गल्ला कम है और दूसरी तरफ श्री वीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा कि हमारे पास गल्ला बहुत है। तो श्रीमन्,इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। हमें तो यह कहना है कि इस समस्या को हल करने के क्या सुझाव हैं। परन्तु उधर के श्री राम सुन्दर पाण्डेय का कहना है कि यह बात विरोध के लिये कही जा रही है। इस साल पिछले १० साल की अपेक्षा पैदावार गिरी है। १९७०–७१ से लगातार खेती की पैदावार गिर रही है। १९६० में जो पैदावार ५.३ प्रतिशत बढ़ी थी वह अब ·६ प्रतिशत रह गई है। अब ४ करोड़ की आबादी बढ़ी है परन्तु उत्पादन आपका जीरो जा रहा है। मुल्क में आज हालत यह है कि पैदावार बढ़ नहीं रही है, उत्पादन रुक गया है और बेकारी बढ़ गई है। उसके बाद भी यह सरकार यदि अपनी गल्तियों को मानने के लिये तैयार न हो तो आप इस जनतंत्र के नारे को कैसे जिन्दा करके रहेंगे। सरकार अस्थायी होती है और सरकार में जनतंत्र रहता है, तो क्या भूखे लोग जिनको कि एक वक्त खाना भी नहीं मिलने वाला है, इस कोरे नारे पर जनतंत्र क्या रह सकता है। बहुत सी चीजों की पैदावार बढ़ी भी है और उनमें है—शराब। शराब का उत्पादन ६० प्रतिशत बढ़ा है, एयर कंडीशनर २५ गुना बढ़ गये हैं। इस प्रकार इनके यहां लग्जरी का सामान कई गुना बढ़ा है। फाइन क्लाथ २०० टाइम ज्यादा बढ़ा है परन्तु मोटा कपड़ा नीचे गया है। इस प्रकार आज देश के किसान के सामने यह सवाल आ गया है कि वह क्या करे। इस देश में अफीम की खेती करने वालों की इज्जत है। परन्तु काश्तकार की इज्जत नहीं है।

मान्यवर आज डी० आई० आर० किस पर है। आज २१ हजार छापे किस पर मारे गये हैं। एक मिसाल मैं मेरठ जिले के सईदपुर की दे रहा हूं। वहां एक किसान के पास ८ एकड़ जमीन है और उसने १५ क्विंटल गेहूं सरकार को दिया। इसके बावजूद दुबारा फिर नायब तहसीलदार उसके घर गये और जबर्दस्ती गेहूं देने के लिये विवश ही नहीं किया बल्कि उसके घर की औरतों की बेइज्जती भी की गई। मैं पूछना चाहता हूं कि जो उत्पादक है उसने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कौन सा जुल्म किया है ? क्या यह गुनाह है कि काश्तकार गेहूं की खेती करता है ? क्या ये लोग बतायेंगे कि खेती करना गुनाह हो चुका है ? अगर यह नीति हो जायेगी कि जो लोग खेती करेंगे, खासतौर से गेहूं की उनको डी० आई० आर० में बन्द करेंगे और डी० एम० और पुलिस फोर्स उनको परेशान करेगी, तो क्या उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले सालों में गेहूं की पैदावार बढ़ेगी। मुझे यह जानकर ताज्जुब हुआ कि जलाई का महीना खतम होने आ रहा है, इन्होंने पैडी की कीमत का ऐलान नहीं किया, यह सोइंग पीरियड है, किसान धान बोने जा रहा है आप क्यों कीमतें एनाउन्स करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। सरकार खद नहीं चाहती । अब तो सरकार की यह जिम्मेदारी हो चुकी है कि मुल्क में क्या आेस बढ़े, यह सरकार इस बात की जिम्मेदार हो चुकी है कि मुल्क में अराजकता बढ़े, और उस पर माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी ने मिसाल दी कि सन् ६७ में जब ८६ रुपये क्विटल गेहूं का भाव था तब भी १४० रुपये क्विटल बिका। मैं आज वीरेन्द्र वर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि उस समय डीजल के क्या दाम थे ? उस वक्त ट्रैक्टर का क्या दाम था ? उस वक्त यूरिया का क्या दाम था ? १९६७ से अब तक ३००% यूरिया का दाम बढ़ चुका है। एस०वी० डी० गवर्नमेंट ने अपने स्पेशल पावर्स से ८६ रुपये क्विटल दाम दिया था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले साल आपने ७६ रुपये क्यों दिया। क्या यह शर्मनाक बात नहीं है । ६ साल से लगातार आप जो भाव देते चले आ रहे थे आपने नीचे दाम क्यों दिये ? आज ८१ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास दो एकड़ और एक एकड़ जमीन है जिनका गुजारा उसी जमीन से होता है । इतने कम दाम देकर आपने गरीबों को बढाया या, घटाया है। मैं तो मुबारकबाद देता यदि ८६ रुपये के बजाय आप १४० या १५० कर देत। हो सकता है कि इस समय संत सिंह यसुफ जी यह कहें कि अगर आप अनाज के दाम बढ़ायेंगे तो मजदूरों का क्या होगा । गांवों में आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी आय एक रुपया रोज है और शहरों में कोई भी व्यक्ति ऐसा न होगा जिसकी आय १० रुपया और ५ रुपया रोज से कम हो ।

श्री संत सिंह यसुफ (जिला कानपुर)––

गेहूं तो जमींदारों के पास है।

श्री बलवान सिंह––

मुझे ऐसा लगता है कि संत सिंह जी कानपुर से बाहर नहीं गये उन्हें मालूम होना चाहिये जमींदारी का एबोलीशन हो चका है । आपको क्या यह भी मालूम है कि यहां पर सीलिंग है कि कोई भी यू०पी० के अन्दर काश्तकार २७ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता । अगर यह आंकड़े नहीं मालूम तो आप भीखालाल जी से, रामपाल सिंह जी से और माननीय नेगी जी से पूछ लें क्यों कि आप तो केवल मजदूर नेता हैं ।

श्री राम सेवक यादव––

आप टंडन जी से पूछ लीजिये।

श्री प्रभुनारायण (जिला वाराणसी)––

क्या आप यह समझते हैं कि २७ एकड़ से ज्यादा किसी के पास जमीन नहीं है।

श्री रामसेवक यादव––

प्रभु नारायण सिंह जी के पास नहीं है औरों के पास है।

श्री बलवान सिंह---

प्रभु नारायण सिंह जी तो एस० बी० डी० में मिनिस्टर रह चुके हैं कुछ तो उन्हें ज्ञान होगा, फिर आप यह आंकड़े क्यों पूछ रहे हैं । मैं इस सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जो ८१ प्रतिशत छोटे काश्तकार है क्या वह प्रक्योरमेंट के काबिल हैं, मैं वीरेंद्र वर्मा से पूछना चाहता हूं । क्या वह गरीब काश्तकार जिनके पास ४ महीने तक का गल्ला नहीं रह गया है । उनके पास जो कुछ पूंजी थी आपने वसूल कर लिया तो क्या यह जुर्म नहीं है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा---

मैं इसको अनुचित मानता हूं और अगर यह सही है तो आप लिखकर दें, माननीय मंत्री इसको देखेंगे ।

श्री बलवान सिंह---

मुझे तरस आता है कि यू० पी० गवर्नमेंट की बात सेंट्रल गवर्नमेंट मानने वाली नहीं है । अगर मैं लिखकर दे भी दूं तो प्रोक्योरमेंट पालिसी चेंज होने वाली नहीं है । क्योंकि आज जो कुछ हो रहा वह डिक्टेशन है ऊ पर से । जितना आपका टारगेट था उसका १/३ हिस्सा भी वसूल नहीं हो पाया । साढे सात लाख टन आपका टारगेट था । जो आंकड़े आप पेश करते हैं वे भी पता नहीं आप कहां से लेकर आते हैं । मि० पाई एफ० सी० आई० के चेयरमैन थे । उन्होंने इस्तीफा दिया कि आपके पास गल्ला नहीं है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा---

३ लाख टन तो हो चुका है ।

श्री बलवान सिंह---

हो सकता है आपके आंकड़े हों । मान्यवर, चीफ मिनिस्टर ने बम्बई में स्पीच दे दी कि अगर खाने के लिये खाद्यान्न की जरूरत हो तो हम देने के लिये तैयार हैं । मंत्री जी ने कहा कि चावल भेजा । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या गांव में रहने वाले लाखों लोगों के लिये राशन है ? मान्यवर, जहां पर ऐसी बुरी हालत हो और मंत्री जी हिम्मत के साथ बोल जायं तो वाकई वे दाद देने के काबिल हैं । श्रीमन्, आज हिन्दुस्तान में तमाम सूबों मे यहां कीं हालत खराब है । ५४ जिलों में से २८ जिले भुखमरी की हालत में ह । ५० फीसदी से ज्यादा लोग बिलों पावर्टी लाइन हैं । मंत्री जी के पास या वीरेंद्र वर्मा जी के पास क्या ऐसी मशीनरी है कि उसके जरिये उन लोगों को गल्ला दे सकें । अभी हमारे ऊदल जी ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि स्टेट ट्रेडिंग क्यों नहीं हुई । क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जो मशीनरी हमारे पास है क्या वह स्टेट ट्रेडिंग के काबिल है ? जो मशीनरी है उससे आप नहीं कर सकते । स्टेट ट्रेडिंग इन आफिसर्स के जरिये नहीं हो सकती । स्टेट ट्रेडिंग के लिये जो जाल बिछाना था वह आपके पास नहीं है । आपके द्वारा तो भ्रष्टाचार बढ़ा है, पिछले ही साल सही । क्योंकि समाजवादी लाइन पर स्टेट ट्रेडिंग की और इस ट्रेड का नमूना दिखला दिया कि बाजार में दो भाव रखेंगे-एक १५० रु० कुंतल का और दूसरा १०५ रु० कुंतल का । इससे आपकी प्रोक्योरमेंट नीति ही बेकार नहीं हुई बल्कि आपने भ्रष्टाचार के दरवाजे खोल दिये । यह नामुमकिन है कि काश्तकारों से गल्ला वसूल लें क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है । आप फोर्स इस्तेमाल करेंगे । हो सकता ह रशा के अन्दर कामयाब हो गया हो । वहां दूसरी चीज है । वहां इस किस्म के मार्केट नहीं है कि १०५ भी हो और १५० भी हो । लेनिन के बाद १० साल तक रूस में किसी ने गेहूं इस्तेमाल नहीं किया । डंडे के जोर पर आलू के ऊपर लोग जिन्दा रहे । उस सूरत में जाकर जैसे कि वहां के स्टेटिस्टीकल डेटा दिये गये हैं आलू खाकर नुकसान नहीं हुआ । आप भी आलू पर आ जायं । प्राइम मिनिस्टर ने भोपाल में जोरदार शब्दों में कहा कि आलू की खेती क्यों न की जाय । आलू की खेती के लिये बहुत खाद और पानी की जरूरत होती है ।

बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)––

रूस में खाली आलू ही नहीं डबल रोटी भी दी गयी थी ।

श्री बलवान सिंह––

हमारे यूसुफ जी कहते हैं कि सस्ते दाम पर गल्ला दो । सस्ता गल्ला होगा तो ज्यादा पैदावार नहीं हो सकती । सस्ता गल्ला देने के लिये प्रोडक्शन हाई करेंगे तो फी एकड़ कीमत ज्यादा होगी । अगर हम पुराने जमाने के तरीके से खेती करें कि बीज खेत में छींट दिया तो प्रोडक्शन कम होता है । लेकिन अगर आधुनिक तरीके से खेती करेंगे, खेत को खाद-पानी देंगे, तो कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा बैठता है । तो जब ४०/५० रुपये प्रति एकड़ कीमत आ रही है तो यदि किसान को इतने कम दाम देंगे तो कैसे काम चलेगा? उत्पादक वर्ग को मारकर वितरण प्रणाली जिन्दा नहीं रह सकती है । किसान को मारकर करोड़ों लोगों को अनाज नहीं दे सकत । फिर क्या होगा ? दुकानें लुटेंगीं, करप्शन बढ़ेगा । माननीय रामसुन्दर पांडेय जी चले गये, उन्होंने मेरा और राम सेवक यादव जी का नाम लिया था, एस०वी०डी० के संदर्भ में । उस वक्त भी करप्शन था और अनाज की दिक्कत थी । चौधरी साहब ने जरूर लेवी की थी । लेकिन औसत काश्तकार को उससे फायदा हुआ था । १४० रुपये क्विंटल मार्केट के दाम होते हुए भी किसानों को ८६ रुपये क्विंटल दाम दिया गया यह १०५ से ज्यादा दाम उनको १९६७ के स्केल में मिला । माननीय वीरेंद्र वर्मा जी को याद होगा कि एग्रीकल्चर कमीशन के लोग किस तरह से दाम तय करते हैं ।

मान्यवर, एग्रीकल्चर कमीशन की मीटिंग गप्त होती है देश में किसी को नहीं मालूम होता । कैबिनेट जब सिफारिश को मान लेती है तो राय बाहर देते हैं । उन लोगों ने कैसे दाम तय कर लिया ? वे कौन लोग थे जिन्होंने १०५ रुपये तय किया ? क्या उनको खेती के बारे में ए बी सी डी का ज्ञान है । जो लोग खेती जानते हैं, या साइंटिस्ट दाम तय करें, तो इससे किसानों को ज्यादा फायदा होगा । मेरी माननीय मंत्री महोदया से अर्ज है कि वह मेरी इस बात को वहां पहुंचा दें तो इससे गरीब किसान का कल्याण होगा । मेरी प्रार्थना है कि काश्तकार को जिन्दा रखिये । आपकी पालिसी काश्तकार को मार डालेगी ? ३० लाख एकड़ जमीन गेहूं से वंचित हो चुकी है । इसलिये कि आपने जबर्दस्ती प्रोक्योरमेंट किया । यह ठीक है कि १५ एकड़ से ज्यादा पर लेवी डाल दें, १० एकड़ से ज्यादा वालों पर लेवी डाल दें । लेकिन क्या कोई कहने के लिये तैयार है कि छोटे-छोटे काश्तकारों पर लेवी नहीं हुयी ? गरीब किसानों पर नहीं हुई ? चाहे मेरठ हो, कानपुर हो या दूसरा जिला हो, कहां परेशानी नहीं हुई ? आज डी०आई०आर० जो किसानों पर लगा रखा है, उसको वापस लें । अगर डी०आई०आर० करना है तो ट्रेडर्स पर करें जिनसे आपको उम्मीद थी कि ५० प्रतिशत मिलेगा । मैं कहता हूं कितने व्यक्तियों की दूकान लूटीं ? व्यापारियों के ऊपर आपकी ताकत नहीं । आपकी शक्ति, आपकी पुलिस, सारा कलेक्शन, विभाग, केवल काश्तकार को लूटने के लिये है । मैं कहता हूं कि अगर ज्यादा पानी, सीड किसानों को दिला देते तो आपको यह गल्ला वैसे ही मिल गया होता ।

मान्यवर, अब मैं कुछ सुझाव दे दूं अन्यथा मंत्री जी कहेंगी कि कोई सुझाव नहीं दिये । वैसे तो सुझाव मैं बहुत दे चुका हूं । वसूली भी जो आपकी है इस वक्त, आपको बड़ी उम्मीद है कि साढे सात लाख टन होगी । लेकिन १९६७ में वसूली ज्यादा हो गयी थी । मैं साफ कहूंगा कि किसान को ज्यादा दाम दे कर आप ज्यादा वसूली कर सकते हैं, लेकिन किसान को कम कीमत दे कर नुकसान ही होगा और यह तभी हो सकता है जब कि सरकार का दृष्टिकोण किसान के फेवर में हों । कीमतों को बढ़ाने आप कसे रोक सकते हैं जब कि प्रोडक्शन तथा करेन्सी का विस्तार १ और ८ के रेश्यो में हों ।

[श्री बलवान सिंह]

अगर प्रोडक्शन १ है तो करेंसी का बढ़ना उससे ८ गुना ज्यादा है। मैं कुछ आंकड़े दे दूं जिससे माननीय मंत्री को थोड़ी सी जानकारी मिल सकेगी। १९७१ तक ८ हजार करोड़ रुपये की करेंसी थी और २१०० करोड़ रुपये की करेंसी से शुरुआत हुई थी लेकिन दो साल के अन्दर वह बढ़ कर ३ हजार करोड़ हो गयी और १९७१ से एक दम एग्रिकल्चर तथा इंडस्ट्री सबके प्रोडक्शन नीचे जा रहे हैं। कृषि का उत्पादन तो जीरो पर चला गया है, लेकिन करेंसी ३ हजार करोड़ से ज्यादा बढ़ गयी है। करेंसी बढ़ेगी तो पैदावार कम होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा नहीं, लोग देश के अन्दर बेकार होंगे। एक माननीय सदस्य ने बड़े जोरों के साथ यहां तक कह डाला कि विरोधी दल की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। यह कोई जवाब नहीं है केवल बहाना मात्र है।

कहा गया जितनी भी नाकामयाबी है वह सब नाकामयाबी विरोधी दल की वजह से है। क्या विरोधी दल यह कहता है कि फर्टिलाइजर के दाम दूने कर दो ? फर्टिलाइजर में सरकार मुनाफा कमा रही है जो कि दुनिया का कोई मुल्क नहीं करता। जब फर्टिलाइजर कम कीमत पर दूसरे मुल्कों से आता था तो सरकार ने मुनाफा कमाया था लेकिन अगर कीमत आज उसकी बढ़ गयी तो क्या उसे सस्ते दामों पर फर्टिलाइजर को नहीं बेचना चाहिये ? जमा मुनाफा कमाया तो सबसिडी भी देनी चाहिये। यह सरकार ९०० करोड़ रुपये का डी०ए० अपने कर्मचारियों को देने जा रही है चाहे वे सरकारी कर्मचारी हों अथवा म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी हों, लेकिन फर्टिलाइजर को सस्ते दामों पर नहीं देगी। ऐसी हालत में कैसे यह उम्मीद की जा सकती है कि देश में गल्ले के दाम कम होंगे ? यह नामुमकिन है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने अपने भाषण के द्वारा कुछ अच्छे सुझाव दिये और कुछ रचनात्मक तरीके से विभाग की आलोचना की। बहस को दो हिस्सों में बाट दिया गया माननीय सदस्यों के द्वारा। एक तो यह कहा गया कि उत्पादन नहीं बढ़ाया गया और दूसरे जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से वितरण की व्यवस्था नहीं है और वितरण की व्यवस्था को ठीक करना चाहिये। बलवान सिंह जी के द्वारा ये भी आंकड़े दिये गये कि उत्पादन घटा है और कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया। पंजाब व हरियाना के आंकड़े भी उपस्थित किये गये। मैं समझती हूं कि जहां तक हमारी पंचवर्षीय योजना का सवाल है जिसमें उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है हमारी कृषि की जो योजना है उसके द्वारा हमने उत्तर प्रदेश में कृषि के एकरेज को बढ़ाया है यानी कृषि का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। आप देखें कि उत्तर प्रदेश में दूसरी ओर ४ करोड़ आबादी भी बढ़ी है हमारी जनगणना के अनुसार। सबको मिलाकर जो आंकड़े हैं उसमें इस बार थोड़ा-बहुत पाला पड़ने से कमी आयी है, लेकिन फिर भी गेहूं के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूं कि एरिया अन्डर ह्वीट इन यू० पी० क्राप इयर १९७१-७२ में ७० लाख ४६ हजार हेक्टियर था जो कि १९७३-७४ में ६० लाख ५५ हजार हेक्टियर हो गया। तो इतना अवश्य बढ़ा है कि ४६ हजार से ५५ हजार हेक्टियर हो गया। यह कम नहीं है। अभी माननीय बलवान सिंह ने कहा कि कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ा है.....

श्री बलवान सिंह--

पूरे हिन्दुस्तान में ३० लाख हेक्टियर हुआ है.....

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मैं उत्तर प्रदेश की बात कह रही हूं अलग-अलग जगह पर अलग-अगल पैदावार बढ़ायी जा सकती है। कहीं गन्ना बढ़ाया जा सकता है कहीं दूसरी फसल को बढ़ाया जा सकता है। यह तो हमारी कृषि की प्लानिंग है कि हम पैदावार जनसंख्या के हिसाब से बढ़ायें। १९७२ में

राष्ट्रीय सरकार ने यह फैसला लिया था कि हम विदेशों से अनाज नहीं मनायेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुये हमने किसानों को हरित क्रान्ति के फलस्वरूप अच्छे बीज देने की व्यवस्था की है। आज जिन प्रदेशों ने इस क्षेत्र में प्रगति की है, हरियाणा है, पंजाब है हमारा प्रदेश है, वह केवल प्रयोगशालाओं के अच्छे बीजों तथा किसानों को ट्रैक्टर आदि की व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप ही की है। उसमें जो धान के बीज मैक्सिकन ह्वीट या अन्य तरह-तरह के नये-नये बीजों की बात की जाती है तो यह कहां से आया है ? यह हमारे यहां अनुसंधान के द्वारा ही पैदा किया गया है जो कि पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप किसानों को दिया गया है जिसमें कि यूरिया और नाइट्रोजन खाद आदि भी हैं। हमारे यहां सिंदरी और गोरखपुर में कारखाने बनाये गये थे और भी जगहों पर बड़े-बड़े कारखाने लगाये गये जो कि पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत चलते जा रहीं हैं। गत वर्ष फूलपुर, इलाहाबाद में हमारी माननीया प्रधान मंत्री ने एक बहुत बड़े कारखाने की नींव डाली है जो कि हमारी खाद्य समस्या को काफ़ी हत तक हल करने में सफल हो सकेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी केन्द्रीय या राज्य सरकार का ध्यान इस बात पर रहा कि पैदावार को किस तरह से बढ़ाया जाय। खरीफ़ के लिये हमारी नई योजनायें आरम्भ हो रही हैं। गन्डक परियोजना के माध्यम से करीब-करीब २ लाख हेक्टियर जमीन में पानी मिलने से हम पैदावार को ज्यादा बढ़ा सकेंगे।

केवल गेहूं ही नहीं बल्कि हम चावल की पैदावार को भी बढ़ा रहे हैं। पिछले वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि हमने ८ लाख टन ज्यादा पैदावार की चावल के सिलसिले में। जो मोटे अनाज हैं उसमें भी हमने अच्छे बीजों के माध्यम से पैदावार बढ़ायी है।

एक बात यह कही गई कि एग्रिकल्चर प्राइस कमीशन जो है उसके जो सदस्य हैं उसमें कोई एग्रीकल्चरल का आदमी नहीं है और ऊपर के लोग हैं जो कि इस बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। मैं माननीय सदस्य को जानकारी दिलाना चाहती हूं और केवल २-३ नाम उनको पढ़कर सुनाना चाहती हूं जिससे उनको अन्दाज हो जायगा कि इस एग्रिकल्चरल प्राइसेज कमीशन में हमने किसानों के रिप्रिजेन्टेटिव रखे हैं। इसमें डाक्टर धर्म नारायण, चेयरमैन ऐग्रिकल्चरल एक्सपोर्ट कमीशन, श्री जगदीश सिंह, मेम्बर, कन्ज्युमर्स इंडियन कन्ज्युमर्स सोसाइटी न्यू दिल्ली, तथा श्री एस०बी० पांडेय,मेम्बर,बौहरा फार्म, गुजरात। जो कमीशन बना है वह इस बात को देखते हुये कि किसानों की पैदावार बढ़ाने में उनको प्रति क्विंटल गेहूं की पैदावार के ऊपर जो खर्च होता है उसको देखकर उसी हिसाब से उसी की कीमत तय करता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आरम्भ में इस एग्रिकल्चरल प्राइसेज कमीशन ने यह तय किया था। तीन तरह की वैराइटी गेहूं के लिये ९०, ९५ व १०० रुपया वह भी उनका कैलकुलेशन था। बाद में गवर्नमेंट ने और विभिन्न प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों आदि की राय के बाद केन्द्रीय सरकार ने ११५ रुपया प्रति क्विंटल उसका मूल्य तय किया। अभी बलवान सिंह ने दाम बांधी की नीति के बारे में कहा, तो हमारी सरकार इस बारे में और स्टेट ट्रेडिंग के बारे में तो पहले से ही वचनबद्ध है। जो हमने टेक-ओवर किया वह उस दिशा म पहला कदम था, आखिरी कदम नहीं था। हमारी पार्टी का जो गांधी नगर का प्रस्ताव है, विधान नगर का जो प्रस्ताव था.....

श्री राम सेवक यादव—

क्या आपकी वास्तव में कोई दाम नीति है ? यदि हो तो आप उस पर रोशनी डाल दें। यह क्या केवल शब्द है या उसका कोई सगुण रूप भी है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

तो हमारी नीति तय हुई थी स्टेट ट्रेडिंग की भुवनेश्वर कांग्रेस में और वह हमारे १० सूत्री कार्यक्रम का एक अंग था। फिर गांधीनगर में प्रस्ताव था कि जो आवश्यक वस्तुयें हैं, उनकी

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई]

कीमतें किस तरह बांधेंगे और कैसे उसको लेकर सरकार चलायेगी। फिर विधान नगर में हमने तय किया कि रबी की फसल से इसको प्रारम्भ करेंगे। पिछले वर्ष हमने उसे किया। सपोर्ट प्राईज जो देने की बात थी वह उसी दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम था। कीमतें बांधेंगे और एक कदम के बाद फिर उसके लिये एक्सपेंरिमेंट आरम्भ हुये थे। खाद की नीति में यदि आप समझते हैं कि केवल बहस करके यह कह दिया जाय कि खाद की हमारी कोई नीति नहीं है तो मैं ऐसा स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। क्योंकि हमारी निरन्तर यह नीति है कि किस तरह से हम कीमतें बांधें। स्टेट ट्रेडिंग की जा सके, इसके लिये ही हमने फ़ूड कारपोरेशन स्टेट लेवेल पर बनाने का निश्चय किया है। जिसके द्वारा हम यह कोशिश करेंगे कि जनता की जो आवश्यक आवश्यकता की चीजें हैं, जिनको हमें उन्हें नियन्त्रित तरीके से देना चाहिये, वह हम उन्हें दे सकें।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

आप दाम-नीति की बात कर रही हैं, किन्तु इस समय लखनऊ तथा अन्य बाजारों में गेहूं के दो सौ से ढाई सौ रुपये क्वींटल तक दाम पहुंच गये हैं, इसको रोकने के लिये आपके पास क्या योजना है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

इसका जवाब मैं बाद में दूंगी। मै यह कहना चाहती हूं कि स्टेट ट्रेडिंग जो है, उसके लिये ही सरकार स्टेट फूड कारपोरेशन की बुनियाद डाल रही है। अभी तक एक माननीय सदस्य ने यह कहा और उन्होंने मेरे पास थैले में दो प्रकार का गेहूं भेजा है, जो दो दूकानों का है। तो मैं समझती थी जब भगवतीसिंह कह रहे थे कि यह कोई खास चीज होगी। लेकिन मैंने पुड़िया खोलकर देखा तो पता चला कि वह ऐसा गेहूं नहीं है जो हमें मालूम न हो। उसमें एक गेहूं तो वह है जो पहले का लिया हुआ गेहूं है, कोई उसमें सड़ा नहीं है। दूसरा गेहूं वह है जो कि हम अपना कलेक्ट कर तुरन्त का तुरन्त जनता को दे रहे हैं। इस वक्त जितनी फेयर प्राइज शाप्स हैं, वे हमारे ही खेत से पैदा हुआ लेवी का गेहूं दे रही हैं। इसलिये उसमें सड़े गले का कोई सवाल नहीं है। मेरे पास रिपोर्ट है, जनता को खुशी है कि विदेशी गेहूं के बजाय सरकार अपने खेतों का असली गेहू उन्हें दे रही है। इसके लिये हमारे पास पत्र भी आये हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

आपके प्रशासन को इसकी सूचना नहीं मिली कि कीड़े-मकोड़े मिला हुआ भी मिल रहा है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मैंने तो गेहूं की बात कही। कीड़े-मकोड़े की बात आटे में मिली थी। वह अपनी जगह पर सही है। जो बात सही होगी उसको मैं मानने से इन्कार नहीं करूंगी। मैं अपने विभाग की गलतियों को माननीय सदस्यों से छिपाऊंगी। मैं वह मंत्री नहीं हूं जो गलती होगी तो स्वीकार नहीं करूंगी क्योंकि मै समझती हूं..... (व्यवधान)

एक सदस्य---

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मोतीलाल देहलवी---

केवल गेहूं ही नहीं, कोई भी खाद्य पदार्थ की वस्तु सीधे नहीं मिल रही है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

माननीय देहलवी जी को जो चिन्ता है वह सरकार के सामने रहती है। हम यह समझते हैं कि जनता को सीधे चीज मिले इसलिये कहा जा रहा है कि हमारे नियमों का पालन हो और जल्दी

ही इस तरह का ऐक्ट जो केन्द्र के पैटर्न पर हो हम लोग लायेंगे जिससे ज्यादा सख्ती से अल्ट्रेशन को रोक सकें। सरकार की यह मंशा नही है कि उत्तर प्रदेश की जनता को खराब चीज दी जाय या समय पर चीज न दी जाय। जो भी हमारे पास हैं उनको देना चाहते हैं और ठीक से देना चाहते हैं।

कीमतों के बढ़ने की बात कही गयी। जो हमारे पास आंकड़े हैं यह बताते हैं कि अब भी जो नीति हमने अपनायी है जिसके द्वारा हमने खरीद पी०सी०एफ० और परचेज सेंटर्स के माध्यम से शुरू की है, मुझे अफ़सोस हुआ इस बात को सुन कर कुछ माननीय सदस्यों ने जो हमने किसानों को सुविधा दी है उसके गलत अर्थ लगाये। उन्होंने कहा कि किसानों को हमने रिश्वत दी। माननीय सदस्यगण एक तरफ किसान की हिमायत करते हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं जैसे किसान रिश्वती हो गया। सरकार किसान को रिश्वती नहीं बनाना चाहती है।

श्री गिरिजाशंकर पाठक (जिला वाराणसी)––

मान्यवर, माननीया मंत्री जी कह रही हैं रिश्वत वाली बात। बच्चा जब भूखा रहता है मां उसको लेमनचूस पकड़ा दे तो उससे भूख नहीं जायगी, उन्होंने लेमनचूस का कार्य किया है दूध पिलाती नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष––

अभी बच्चे हैं इस उम्र तक।

श्री राज ब्रजराज सिंह––

मैंने एक प्रश्न पहले किया था।

श्री अध्यक्ष––

केवल दो तीन मिनट हैं। और लोगों का जवाब देना है।

श्री राज ब्रजराज सिंह––

एक प्रश्न मैंने पूछा था उसका जवाब नहीं मिला। गेहूं का ब्लैक रोकने के लिये डीजल का, सीमेंट का क्यों ब्लैक करवा रही हैं, क्योंकि जिनके पक्के मकान नहीं हैं उनको सीमेंट दिया जाता है, जिनके पास पंपिंग सेट नहीं हैं उनको डीजल दिया जाता है, वह बाद में उनको ब्लैक में बेचते हैं, तो इन चीजों का ब्लैक क्यों करवा रही हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी––

हमारी नेता प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी साल भर पहले उन बातों को सोच लेती हैं जिनको बाद में विरोधी दल के नेता सोचा करते हैं।

श्री मोती लाल देहलवी––

आपकी प्रधान मंत्री की वजह से देश की हालत खराब हो रही है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी––

देश चलता रहेगा, इंदिरा गांधी देश का नेतृत्व करती रहेगीं। देश स्वीकार करता रहेगा कि हिन्दुस्तान के इतिहास में इतना मजबूत और बहादुर प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के नाम से हुआ जिसने देश को इतना ऊंचा उठा दिया।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कह रही थी कि हमने जो सही कदम उठाये, जिसका इस सदन में एप्रीशिएशन होना चाहिये, मुझे याद है कि पिछले वर्ष जब इसी सदन में बहस हुयी थी,

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई]

खाद्य के सिलसिले में या ऐग्रीकल्चर के मामले में तो उस वक्त यह कहा जाता था कि किसानों को जरूरत है सीमेंट की, फर्टिलाइजर की, उनकों ये चीजें मिलनी चाहिये । इस सरकार ने आरम्भ से ही अपनी जो वसूली की नीति अख्तियार की और डाइरेक्ट परचेज जब शुरू किया तो उसके साथ इन चीजों को दिया । तो इसमें कोई शिकायत की बात नहीं आनी चाहिये थी । अब यह कहना कि यह चीजें ब्लैक करने के लिये दी जाती हैं । इसके माने यह होते हैं कि हमें भरोसा ही नहीं है अपने किसान के ऊपर और हम समझते है कि किसान अपना इंट्रेस्ट नहीं समझता तभी ऐसी बात कहते हैं । अभी कुछ दिन हुये हमारे नेता प्रधान मंत्री जी तथा खाद्य मंत्री सुब्रह्मण्यम ने यह कहा था कि एग्रीकल्चरल इनपुट के साथ जोड़ी जाय । हमारी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर सोचती रहती है कि किस तरह से मूल्य नीति निर्धारित करे तथा अन्य नीतियां निर्धारित कर । मुझे पूरी आशा है कि खरीफ की कीमत को तय करते समय जो आज विविध विचार हमारे माननीय सदस्य रख रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय सरकार इन पर विचार करेगी और आप लोगों की भावनाओं को मैं केन्द्रीय सरकार तक पहुंचाने की चेष्टा करूंगी हमारा और आपका इंट्रेस्ट इसी बात में है कि किसान को सही कीमत मिले और वह सुखी हो जिससे जनता की आवश्यकता पूरी हो सके (व्यवधान)..

मैं एक बात कहकर (व्यवधान) नेता विरोधी नें एक सवाल उठाया था मैं उसका उत्तर दूंगी और इतना कह कर मैं खत्म करूंगी । बाकी बातों का मैं जबाब नहीं दे पा रही हूं क्योंकि समय का अभाव है। (व्यवधान) मैं यह कह रही थी कि माननीय नेता विरोधी दल ने प्रोफारमा के बारे में कहा । उनकी बात ठीक है । इसके दूसरे कालम में लिखा हुआ है राजनीतिक दल जिससे सम्बन्ध हो, यदि शासन के सदस्य अथवा अन्य पद पर आसीन जैसे विधायक, प्रमुख या अध्यक्ष है । इसका विवरण तहसील, गांव का नाम, क्षेत्रफल वगैरह । इसके पीछे मंशा यह है कि हम राजनीतिक दल के लोग जिसमें सभी दल शामिल हैं । जैसे विधायक है, प्रमुख हैं, सब डिक्लेरेशन दें कि कितनी वसूली दी । इसमें कोई पक्षपात नहीं है । किसी एक दल की बात नहीं है बल्कि एक जनरल निर्णय लिया गया था । उसके ऊपर यह प्रोफारमा दिया गया था । मैं माननीय बलवान सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लें और हमारी मांगों को आप लोग स्वीकार करें ।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

आपने डी० आई० आर० के बारे में कुछ नहीं कहा ।

श्री अध्यक्ष—

अब समय बढ़ाना पड़ेगा।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक ये अनुदान और वक्तव्य न हो जायं तब तक के लिये समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

(किसी ने आपत्ति नहीं की)

*चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, जब खाद्य मंत्री जी भाषण दे रही थी तो उनसे मैंने पूछा था कि मेरी सूचना के अनुसार लेखपाल को जो किसानों से सम्बन्धित प्रोफार्मा देना पड़ता है उसमें यह खाना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है कि किसान किस दल से सम्बन्ध रखता है। मंत्री जी ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ऐसा नही होता है। लेकिन अब वह कह रही है कि यह बात सही है। एक सवाल यह उठता है कि इतनी बडी बात किसान से पूछी जाय कि किस राजनीतिक दल से सम्बन्ध रखते हो और मंत्री जी को मालूम न हो, इससे मालूम होता है कि किस एफीशियेंसी से यह चीज चल रही है कितना इसमें इरीगेडेट एरिया है और कितना नान इरीगेटेड एरिया है। (व्यवधान) मैं इसमें यील्ड करने के लिये तैयार नही हूं। जमीन किस किस्म की है वगैरह। कर्मचारी यह तय करता है कि उस किसान की राजनीतिक ओपीनियन क्या है तो यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपके लेविल पर तय नहीं हुआ। जाहिर है कि आपने इन्कार किया। दूसरी चीज मैं कहता हूं कि बजाय इस पर आपको आवेश आने के यह प्रतिक्रिया होने के कि यह गलती हो गयी है, मैं आज ही आर्डर भेजती हूं कि इस तरह के मालुमात नहीं किये जायेंगे। इन किसानों से मालूम किया जा रहा है कि किस राजनीतिक दल से सम्बन्ध रखते हैं। राजनैतिक दल से सम्बन्ध कोई भी रख सकता है। आप कहते हैं कि सभी राजनीतिक दलों को देना है तो फिर आप हर किसान से क्यों मालूम करते हैं कि वह किस पार्टी से सम्बन्ध रखता है। आप यह समझना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, जनसंघ के जो लोग हैं, बी० के० डी० के जो लोग हैं उन सभी लोगों को गल्ला देना चाहिये। अगर ऐसा है तो फिर पूछने की क्या आवश्यकता है? क्या जरूरत है? जाहिर है कि आप इससे यह मालूम करना चाहते हैं। जो अपोजीशन पार्टीज से सम्बन्ध रखते हैं उनके साथ सख्ती के साथ व्यवहार किया जाये और जो कांग्रेस के लोग हैं उनको सुविधायें दी जायें।

श्री कल्याण सिंह—

मेरी जानकारी है कि ऐसा हो रहा है।

चौधरी चरण सिंह—

कल टाइम्स आफ इंडिया में श्री सत्यवीर सिंह का निकला है कि ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से ज्यादतिया हो रही हैं। इसलिये मैंने पूछा।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं समझता हुं कि इसकी सूचना सारे देश में फैलेगी। हम पहले यह बाजं कर चुके हैं कि आधा कमिटेड हैं। हिम्मत नहीं है किसी की कि इस सरकार की खिलाफत करे। डेमोक्रेसी का क्या होगा? हम गेहूं दें या न दें। (किसी सदस्य के हंसने पर) हंस लीजिये, मजाक कर लीजिये, लेकिन इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। जब दूसरे का गला घोटते हैं तो मैं कहता हूं कि आपका सिर लज्जा से झुक जाना चाहिये। मान्यवर मुझे इसकी जानकारी नहीं थी नियम ५६ के अन्तर्गत मेरे सदस्य ने दिया था। आज सवाल यह है कि किसान कांग्रेस को वोट दे तो उसको चीनी मिले, जो कांग्रेस को वोट दें उसे गल्ला मिले अगर यह स्थिति आपने पैदा कर दी तो संसार में उत्तर प्रदेश की स्थिति बिहार की तरह होने से आप रोक नहीं सकते हैं। आप यह कटेगिरी बना रहे हैं कि कौन कांग्रेस दल का समर्थक है और कौन जनसंघ, बी० के० डी० या अन्य पार्टी का समर्थक है। इस तरह से आप एक-तर्फा राज्य कर लीजिये। आप फुल डिक्टेटरशिप ला दीजिये। इस प्रकार से मान्यवर किसी भी व्यक्ति का स्वतंत्र विचार नहीं रह सकता है। ऐसी स्थिति में मान्यवर, आज इनकी डिमाक्रेसी की कौन कद्र करेगा। आज सोचिये कि कोई कद्र करेगा? बल्कि कद्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

कोई नहीं करेगा। मान्यवर, उनकी इम्पार्टेन्स चौपट हो जायगी, चाहे मित्र हो, चाहे जो कुछ भी हो, वह सब नष्ट हो जायेगा। जो कांग्रेस में जायगा, उसी को पुलिस भी प्रोटेक्शन देगी। मान्यवर, मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा और निन्दनीय कदम सरकार का कोई नहीं हो सकता। मैं तो विरोधी दल के लोगों का आह्वान करता हूं, विरोधी दल के लोगों को खड़े हो जाना चाहिये। अब इस प्रकार की लिस्ट तैयार की गई है कि कौन किस पार्टी का है और कौन बी० के० डी० का है और कौन जनसंघ का है और कौन अन्य पार्टी का है, तो ऐसी बात पर सारे विरोधी दल को खड़ा होकर एक मत होकर सरकार की निन्दा करनी चाहिये।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, यह बहुत ही शर्म की बात है कि इस सदन के सामने यह बात आई कि कौन किस पार्टी का है और कौन कांग्रेस दल से संबंधित नहीं है और उसको जस्टीफाई करने के लिये माननीया खाद्य मंत्री जी ने दलील दी है, वह भी दलील अच्छी नहीं है। जैसा खाद्य मंत्री जी कहती हैं कि हर दल के आदमी को गल्ला देना चाहिये, ठीक है देना चाहिये। हर दल के लोगों से यह अपील की गई कि इस खाद्य संकट में सहयोग करें, गल्ला दें, वह काफी था। लेकिन इस तरह की बात प्रोफार्मा में लिखना गलत है जैसा कि माधव प्रसाद त्रिपाठी ने उठाया कि डिस्क्रिमिनेशन होगा। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जो विरोधी लोग हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सीमेंट देने में, कपड़ा देने में, तेल देने में। अगर यह सरकार की सलाह से नहीं रखा गया तो यह पता लगायें कि किसने ऐसा किया और किसके आदेश से ऐसा किया गया है, उसके खिलाफ कार्यवाही करायें। मेरी यह मांग है कि इस कदम को फौरन उठाया जाना चाहिये।

*चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

मान्यवर, आज यह सवाल खड़ा हो गया कि आज यह दल के रूप में सरकार शासन चलाना चाहती है। आज माननीय खाद्य मंत्री महोदया यह कह रही हैं कि उन्होंने एक ऐसी लिस्ट बनवा ली है कि गल्ला देने वाला किस दल से संबंधित है। हमको मतलब है कांग्रेस वाले दल के लोगों से गल्ला न लेकर दूसरे दल वालों से गल्ला लिया जाय। तो मैं कहता हूं कि प्रोफार्मा से यह अंश जब तक निकाल नहीं दिया जाएगा तब तक यह आपका बजट पास नहीं होने दिया जायगा और अगर यह नहीं निकाला जाता है तो हम सब विरोधी दल के लोग आज इस बजट को पास नहीं होने देंगे। मान्यवर, यह सारे प्रदेश के लोगों का अपमान है।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। जो बातें अभी सदन में विभिन्न विरोधी दलों के नेताओं ने कहीं, उनसे विरोधी पक्ष का हर माननीय सदस्य सहमत है। जो प्रोफार्मा राजनीतिक लिहाज से तैयार किया गया है तथा जो छोटे किसानों को डी० आई० आर० लगाकर जेल भेजा जा रहा है, अगर वह वापस नहीं होता है तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस सदन में आज के बाद कोई काम-काज तक तब नहीं होने दिया जायगा जब तक कि ये चीजें समाप्त न हो जायं।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाबा राम नाथ––

मेरे जिले में बहुत से बड़े लोग ऐसे हैं जिनसे बहुत सा गल्ला वसूल-हो सकता है लेकिन उनसे नहीं लिया जा रहा है। उन लोगों के पास पुलिस भी नहीं भेजी जाती है। कांग्रेसियों के साथ पक्षपात किया जा रहा है। हमारे यहां मैनपुरी में तो राशन की व्यवस्था को भी बदले की भावना से समाप्त कर दिया गया है क्योंकि वहां से कांग्रेस पूरी तरह से धराशायी हुई है। अगर इनकी ये ही नीतियां रहीं जो चल रही हैं, तो वे दिन दूर नहीं हैं जबकि वे यहां से उखड़ कर और कहीं जा कर बैठेंगे।

श्री मोती लाल देहलवी––

श्रीमन्, जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव था, वह भी इसी पर था ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

यह है या नहीं इस आशय का, यह तो देखना होगा।

श्री मोती लाल देहलवी––

श्रीमन्, जिन लोगों ने गल्ला नहीं दिया उन राजनीतिक लोगों पर झूठे मुकदमे वायर करके जेल भेजा जा रहा है। अगर इसी तरह से चीजें चलेंगी तो यह सदन एक दिन भी नहीं चल पायेगा। चाहे जो कुछ भी इसका अन्जाम भुगतना पड़ेगा। इसलिये अगर प्रोफार्मा में यह बात है तो माननीय मुख्य मंत्री जी एलान करें कि उसको हटाया गया है और उसके लिये खेद प्रकट करें।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी––

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रोफार्मा की अभी बात की जा रही है, उसके तीसरे कालम में यह है कि 'यदि शासन के सदस्य जो ऊंचे पदों पर आसीन हैं, जैसे विधायक, प्रमुख आदि, तो वे उसका विवरण दें"। तो इससे माननीय सदस्यों को कहना चाहती हूं कि विरोधी दल के लोगों को किसी प्रकार से भी विक्टिमाइज करने की शासन की मंशा नहीं है। इसके लिये यह है कि हमारे ही दल के जो लोग हों चाहे वे राज्य सभा के सदस्य हों, लोक सभा के सदस्य हों और नीचे विधान सभा या विधान परिषद् के ही सदस्य हों, हमने इसमें बड़े ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि शासन पक्ष के भी सदस्य हों, यह नहीं है कि कोई विरोधी दल के ऊपर बात हो। मैं पुनः आपको आश्वस्त करती हूं कि हमारी यह मंशा नहीं है कि किसी प्रकार का डिस्क्रीमिनेशन हो। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार पोलिटिकल लेविल पर किसी को विक्टिमाइज नहीं करने जा रही है। यह जो निर्णय लिया गया है उसमें हमने अपने सदस्यों को भी प्रस्तुत करने के लिये कहा है। हम जो राजनीतिक लोग हैं, ऊंचे पदों पर हैं, जैसे मिनिस्टर्स हैं या और लोग हैं, उन सब को जिस प्रकार से अपने पैसे का कि कितना है, या पूंजी कितनी है, विवरण देना होता है, ठीक उसी प्रकार से वह बड़े किसानों के लिये है। इस में छोटे किसानों की बात नहीं आती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी––

मेरी प्रार्थना है कि आपका जो यह प्रोफार्मा है, इसकी प्रत्येक हैड लाइन पढ़ दें और प्रत्यक कालम पढ़ दें ?

चौधरी राम पाल सिंह यादव––

ये इससे ७ करोड़ जनता का हिसाब लगा रहे हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

खास तौर से हम जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो बड़े किसान हैं, बड़े ऊंचे पदों पर विराजमान हैं, उनके बारे में देखना है कि वे गल्ला देते हैं या नहीं।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

हमारी खाद्य मंत्री कह रही हैं कि केवल सरकारी अधिकारियों और अन्य मेम्बरों के लिये पूछ रहे हैं .....

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हमें यह आश्वासन दिया जाना चाहिये कि किसानों के लिये कोई ऐसा कालम नहीं है जिसमें राजनीतिक किसी तरह की पूछताछ हो, अगर हो तो उसे निकाल दिया जायगा।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, मैंने बदकिस्मती से सदन में खाद्य मंत्री जी का भाषण नहीं सुना और म चौधरी साहब की पहले की आपत्ति सुनी। लेकिन आखिरी बात जो चौधरी साहब और माधव बाबू और उसके बाद माननीय भीखालाल, नेता कम्युनिस्ट दल और अन्य सज्जन जो कुछ बोले उससे मुझे ऐसा लगा कि इस सदन में दो बात पर कुछ उलझन है। एक तो हम किसानों का तखमीना बैठा रहे हैं कि कौन किस दल में है और दूसरा यह कि उसके बाद उस पर हम दंडित करने की व्यवस्था कर रहे हैं।

अब मैं चौधरी साहब से कहना चाहता हूं कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि रिटिन है या अनरिटिन है, लेकिन उसके दो मकसद बताये गये। मान्यवर, मैं स्पष्टतया एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे मंतव्य में और लिखने में कुछ भी फर्क हो, यदि इस सदन को बुरा लगे तो किसी भी समय उसको दुरुस्त कर सकते हैं, पर किसानों की पार्टियां, कौन किस पार्टी में है इसकी जानकारी हम संगठन से प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो सरकारी कर्मचारी से प्राप्त करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

भयभीत कर सकते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

माधव बाबू का दल तो भय से भी भय नहीं खाता, हम से क्या खायगा? अगर भय होता तो बहुत सी बातें विपरीत होतीं।

चौधरी चरण सिंह—

एक बात जरा सी है कि आप तो दर्शन में जाने लगे। वह जो प्रोफार्मा है उसके सारे कालम्स पढ़कर सुना दें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि हर किसान के लिये यह घोषणा प्रोफार्मा में न थी, न है और न होगी। मैं इसकी प्रतिलिपि भेजता हूं चौधरी साहब के पास।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हमें भी चाहिये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

आपको कैसे छोड़ेंगे ? बिना आपके संतोष के इस सदन को संतोष नहीं होगा। आप तो महासंतोष हैं और आप में संतोष निहित है। क्योंकि चौधरी साहब बोलते हैं तो जैसे "माउंट ऐवरेस्ट" बोल रहा है और माधव बाबू जब बोलते हैं तो "माउंट एटना" बोल रहा है। तो इतना फर्क है। एक इरप्शन होता है, एक भाषण होता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी––

मुझे किस विशेषण से संबोधित किया आपने ? जरा बता दीजिये ताकि मैं उत्तर में कुछ कह सकूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

चौधरी साहब से पूछेंगे तो वह बता देंगे। वह सीनियर-मोस्ट आदमी हैं। वह सब विश्लेषण कर देंगे।

तो मैं सदन को, चौधरी साहब को और माधव बाबू से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसानों से पूछा जाय तो आज ही उसकी तरदीद कर देनी चाहिये सरकार को यह ठीक है। कभी भी मंशा नहीं था कि हर एक से पूछा जाय, लेकिन इतने लोगों से जरूर हम पता करना चाहते हैं कि जैसे एम० एल० ए० हैं, एम० एल० सी० हैं, जिला परिषद् के मेम्बर हैं, ब्लाक प्रमुख हैं, टाउन एरिया, म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन हैं। क्योंकि जो सार्वजनिक जीवन में हैं उन लोगों के सम्बन्ध में जनता को मालूम होना चाहिये कि हमारी कथनी और करनी में कितना अन्तर है। हम कांग्रेस वाले यह मानते हैं कि अगर हमारे में कमी है तो मैं दावत दे रहा हूं उधर के लोगों को कि जिस-जिस जिले में कांग्रेस वाले के यहां गल्ला है आप सूची बना कर दें और अगर हम जांच-पड़ताल में कमी करें तो आप हमारे ऊपर लांछन लगा सकते हैं। हमारी तरफ से इसमें कोई कमी नहीं हुई है। अगर आप उसका ब्रेक-अप देखेंगे तो कांग्रेस वाले को भी अगर खाद्यान्न के वितरण या गल्ले की वसूली के सम्बन्ध में गुनहगार पाया है तो सजा दी है और ऐसे लोगों की सूचना यथा समय अखबारों में निकलती भी रही है, और मैं यह भी साफ कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस का चाहे कोई मंत्री हो, सेन्टर का या स्टेट का, हमने सब से कहा कि अपना अपना हिसाब दो। और लोगों की तो मैं नहीं जानता लेकिन अगर हम लोगों के बारे में प्रश्न दें कि किस के पास कितनी खेती है, कितनी और जायदाद है तो मैं उसका उत्तर देने के लिये तैयार हूं। अगर हमारे अधिकारियों ने हमारी मंशा को गलत समझा है तो मैं और स्पष्टीकरण उसका कर दूंगा और सफाई के साथ यह कह रहा हूं कि वह प्रोफार्मा खासकर प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के लिये है, जैसे प्रेसीडेंट है कोई जिला कांग्रेस पार्टी का तो हम जानना चाहते थे कि उसने दिया या नहीं। अगर कोई जिले के भारतीय जनसंघ का प्रेसीडेंट है तो आपको भी मालूम होना चाहिये कि उसने दिया या नहीं। इसके अलावा ९९ फीसदी काश्तकारों पर न तो यह गया है और न जायगा। अगर उस तरफ बैठे हुये लोगों को यह बात भी न पसन्द हो कि उनके दल के जिस आदमी को पूछें तो आप यहां ऐलान कर दें, लेकिन कांग्रेस वालों के संबंध में हम जानकारी जरूर करेंगे।

*चौधरी चरण सिंह––

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि जो बात विपक्ष ने उठायी थी वह अपनी जगह सही थी यह तो साफ हो ही गया। लेकिन उस सही बात को मानते हुये भी जिस तरीके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी चरण सिंह]

से बात कही गयी है कि हम कांग्रेस वालों के लिये करेंगे, तो उन्होंने एप्लाज लेना था अपने साथियों का और वह उन्होंने ले लिया, लेकिन असली जो हमारा आरोप था वह वहीं का वहीं मौजूद है और वह उनको तसलीम है। आरोप यह था कि किसी किसान विशेष की पोलीटिकल ओपीनियन क्या है यह मांगने की जरूरत नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यह नहीं होगा।

चौधरी चरण सिंह—

तो मैं यह मान कर चलता हूं कि आज ही फूड डिपार्टमेंट से यह आर्डर चला जायगा कि वह कालम निकाल दिया जाय।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

चौधरी साहब का इस सदन में यह ऐलान हमारी तरफ से सारी जनता मान ले कि हमारा ही ऐलान है और आदेश भी चला जायगा।

चौधरी चरण सिंह—

एक दूसरी बात और है वह मैं आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाह रहा था कि उन्होंने यह कहा कि इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिये कि जिला परिषद् का मेम्बर है, टाउन एरिया का मेम्बर है या असेम्बली का मेम्बर है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसकी भी जरूरत नहीं थी क्योंकि यह तो पहले से मालूम ही है। अगर आप यह जानना चाहें कि हमारे एम० एल० एज० ने दिया या नहीं तो बड़ी आसानी से वैसे ही आ सकता है। किस को नहीं मालूम है जिले में कि कौन एम०एल० ए० है, कौन म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन है, कौन जिला परिषद् का अध्यक्ष है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस पर विचार कर लें मुख्य मंत्री जी, मेरे ख्याल से इसकी भी जरूरत नहीं है। अपनी पार्टी के जरिये अपने मेम्बरों से कहें कि हम रूलिंग पार्टी के हैं, जिम्मेदारी सारे लेजिस्लेचर की है लेकिन हम पर विशेष जिम्मेदारी है, हमारे मेम्बरान इसमें कोताही न करें बजाय इसके कि लेखपाल और डी०एम० के जरिये आपके पास रिपोर्ट आये। मैं समझता हूं कि यह आपको शोभा नहीं देता है और इसको विदड्रा करने पर आप विचार करेंगे।

तीसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हाउस में अभी तक यह स्कीम हमको नहीं बतलायी गयी है कि किन लोगों से वसूली की जा रही है, मसलन यह कि ६ एकड़ वालों से या १० एकड़ की कुल होल्डिंग है? क्या उसमें इर्रीगेटेड और नान-इर्रीगेटेड का लिहाज रखा गया है या नहीं? यह कुछ नहीं बताया गया। जो डिमांड की जा रही है वह किन उसूलों के मुताबिक की जा रही है यह भी नहीं मालूम है। जो आपकी स्कीम है वह तो स्पष्ट सदन के सामने आनी चाहिये थी। वह आयी नहीं। वी आर इन दि डार्क। मेरे नोटिस में तो यहां तक आया है कि जिन लोगों ने पहले दे दिया है उनसे भी पुनः वसूल किया जा रहा है और ऐसे मेरे मुजफ्फरनगर के कुछ साथियों ने तो यहां तक बताया कि वहां के डी०एम० ने यह आर्डर कर दिया है कि हर किसान को १० क्विंटल तो देना ही पड़ेगा। न उसमें एरिया का लिहाज किया जायेगा और न यह कि उसने पहले दिया है या नहीं। बड़े किसान अगर न दें तो आप उन्हें गिरफ्तार करें, ठीक है, मगर छोटे किसानों पर यह जुल्म नहीं होना चाहिये। मुझे माफ किया जाय अगर मैं अपने नौजवान मित्र से यह कहूं कि अगर अंग्रेजों के समय में जुल्म होता तो इसके विरोध में सारा देश उठ खड़ा होता, लेकिन हम इतने डिमारेलाइज हो रहे हैं, आपने अपनी मैजारिटी का बेजा इस्तेमाल करके जो मीन्स एडाप्ट

किये हैं, जिस तरह से प्रेस को कब्जे में कर रखा है, उसके होते हुए वोटिंग के जरिये तो यह चीज हल होने वाली है नहीं, एक ही जरिया रह जाता है सिविल डिसओबिडिएंस ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

आप उसका इस्तेमाल न करें । मान्यवर, मैं सबसे पहले माननीय चौधरी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं और अभी भी जो शब्द वे आगे कहने जा रहे थे, आगे नहीं कहें । वह चीज उनकी प्रतिभा के विपरीत जा रही थी ।

मान्यवर, वोट के जरिये ही इस प्रदेश में समाज को बदलना है और वह बदलेगा । इसमें संदेह नहीं है । जो प्रश्न उठाये गये हैं मैं उनका उत्तर देना चाहता हूं । एक का तो उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं । मैं फिर चौधरी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि गेहूं किनसे लिया जायेगा । सवा ६ एकड़ में जिन्होंने गेहूं बोया हो, गन्ना नहीं । यह स्पष्ट आदेश हैं । माननीय वीरेंद्र वर्मा जी भी मुजफ्फरनगर के माननीय सदस्य हैं । (व्यवधान) मेर पास भी वहां की शिकायत आयी थी, चौधरी साहब की सूचना गलत नहीं है, मगर वह ८–१० दिन पहले आयी थी । मैंने डी०एम० को स्पष्ट आदेश कर दिये हैं कि इस तरह की गलती वे न करें । अगर वे गलती कर रहे हैं तो आप मुझे बतायें, मैं अवश्य उसकी जांच करूंगा, उनसे जवाब तलब करूंगा कि सरकारी आदेशों के विपरीत वे कैसे वसूली कर रहे हैं ।

जहां तक व्यापारियों का संबंध है, उनके पास तो एक विस्वा भी खेत नहीं होता, मगर उनके लिये यह आदेश हैं कि वे बिना लेवी दिये गल्ला नहीं रख सकते । उनके गल्ले को हम पकड़ेंगे अगर आदेशों के विपरीत वे काम करेंगे । व्यापारियों ने छोटे-छोटे किसानों से, उनकी गरीबी का फायदा उठाकर, नाजायज फायदा उठा कर, गल्ला लिया है और उनके यहां खरीद कर रख दिया है । उनकी यह कोशिश है कि छोटे-छोटे किसानों के यहां गल्ला रखवा दें, और जब जनता भूख से मरने लगे, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमान होने लगे, तब वे वहां से गल्ला लायें और मनमाने दामों पर बेचें और शासन तथा किसान और उपभोक्ता सबको परेशानी में डालें तो अगर यह बात सोची जायेगी तो मेरा कहना है कि हमको किसान और उपभोक्ता को परेशानी में डालना नहीं है ।

मैं कह रहा था कि हमने किसी भी ऐसे काश्तकार के घर पर छापा मारने को नहीं कहा है जिसने सवा छः एकड़ से कम में गेहूं बोया हो ।

नम्बर दो––जहां तक चौधरी साहब ने यह बात कही कि जिनसे गल्ला लिया जा चुका है उनसे फिर लिया जा रहा है तो ऐसे किसान जिन्होंने हजारों क्विंटल पैदा किया है और केवल २५ क्विंटल दिया है तो केवल ऐसे किसानों से ही दोबारा मांगा जा रहा है । जिन्होंने पहली मर्तबा इतना कम गल्ला दिया है तो उन्हीं से दोबारा मांगा जा रहा है ।

मुझे आशा है कि सदन की खाद्यान्न के बारे में अब दो राय नहीं होगी क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं और करने का उनको अधिकार भी है कि उत्तर प्रदेश की जनता को खिलाने का क्या बन्दोबस्त है, हम खिला पायेंगे या नहीं । मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि मैं इसमें बिल्कुल निष्पक्ष होकर, राजनीति को दूर रखकर काम करूंगा ।

मैं गुजारिश कर रहा हूं, मुझे पता लगा कि यहां लांक्षन लगाया गया कि हम सीमेंट यह देख कर दे रहे हैं कि यह आदमी किस दल का है, कपड़े दे रहे हैं तो देख रहे ह कि यह किस तरफ का है । मैं कहना चाहता हूं कि एक भी शिकायत अगर लिखित रूप से खाद्य मंत्री के या मेरे पास आ गयी होती तो मैं इसका गुनहगार था और मैं इसकी जांच-पड़ताल कराता । मैं इस बात के लिये बिल्कुल तैयार हूं । जब भी किसी माननीय सदस्य या मेम्बर का पत्र आता है

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]
तो मैं उत्तर देने की कोशिश करता हूं और साथ-साथ यह भी कोशिश करता हूं कि स्थिति से भी अवगत करा दूं ।

तो मैं आशा करता हूं कि चौधरी साहब को मुजफ्फरनगर के दोस्तों को सलाह देने में कोई दिक्कत नहीं होगी और अगर कहीं ऐसी बात आप बतायेंगे तो उसकी मैं जांच करूंगा ।

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बातें कही हैं उनमें अभी भी कुछ स्नैग्स हैं । पहले तो यह कैसे मालूम होगा कि गल्ला बड़े किसान ने व्यापारी को बेचा या नहीं ? यह सबूत कैसे मालूम होगा, या तो लेखपाल से यह कहना होगा या फिर कानूनगो से आप पता लगवायेंगे ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

इसमें अपकी क्या राय है ?

चौधरी चरण सिंह--

यह तो आपकी नोटिस में होना चाहिये । जो स्कीम आपको फरवरी में करनी चाहिये थी अब जून में हो रही है ।

तो मैं कह रहा था कि अगर यह लेखपाल गलत बनायें तो यह किसानों के साथ अन्याय होगा । तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस पर विचार करें ।

दूसरा, यह कि किसान ने गल्ला बेंच दिया है, मई में । अब आप उससे कह रहे हैं कि साहब गल्ला दीजिये । गल्ला तो वह मई में ही बेंच चुका है । आप उससे कह रहे हैं चाहे जहां से लाकर दीजिये, बाजार से लाइये या कहीं से लाइये तो इसका क्या इलाज है ? मैं मुख्य मंत्री जी को सजेस्ट करूंगा कि उनके (खाद्य विभाग) के जो आदेश गये हैं, शायद वे मुख्य मंत्री जी को याद भी नहीं होंगे, उन पर बहस हो जाय और मेरे रचनात्मक सुझावों को मान लें और मुझे कोई एतराज नहीं है ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

हमारे विरोधी दल के नेता के जवाब में जो मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया उससे मुझे एक चीज की शंका हुई कि भगवान ने मुख्य मंत्री जी को बहुत बढ़िया चतुराई दी है और यह एक बहुत बड़ी कला है । लेकिन बात कुछ थी और निकाल दिया दूसरी बात । बात थी प्रोफार्मा पर क्या बनाया गया ? उसका जवाब आपने बहुत खूबी से दिया कि अधिकारियों ने कह दिया कि वह गल्त गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि उस पर क्या विचार किया ? चौधरी चरण सिंह ने जो कह दिया क्या उनका बयान मेरा ही मान लिया जाय । आपको कहना चाहिये कि ऐसा कोई प्रोफार्मा नहीं बना कि जिससे पार्टी की निष्ठा का प्रश्न आता हो । यदि बना है तो उस कालम को निकाल देंगे ।

दूसरी बात चौधरी साहब ने उठाई कि जो पब्लिक प्रतिनिधि हैं जैसे कि टाउन एरिया का चेयरमैन या म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन या एम०एल०ए० और वह किस पार्टी से संबंधित हैं तो उसे आप जान लेंगे । लेकिन इसमें आप की क्या मंशा है उसको आपने छिपा लिया । इसलिये मैं आपकी हर गतिविधि से चौंका हूं । अब साधारण जन मानस में पब्लिक काफी आगे बढ़ चुकी है और उससे कुछ छिपा पाना कठिन है । आजकल आधे से ज्यादा परमिट कोटा रेकमेंडेशन पर दिये जाते हैं। जिन पर एम०एल०ए०, मंत्री आदि की सिफारिश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होती है वह भी कांग्रेस पार्टी वालों की जिन पर सिफारिश होती है उन्हीं को लाइसेंस और परमिट दिये जाते हैं ।

मान्यवर, आज पक्षपात की बात करते हैं कि हमें मालूम नहीं और लिखा कर दें तो उस पर जांच करवा लेंगे । सप्लाई आफिसर को लिखते हैं तो वह सुनता नहीं है, मुख्य मंत्री जी को लिखते हैं तो उस में ५–७ महीने लगते हैं । इतने दिनों में पता नहीं कि वह कागज कहां चला जाये ।

मान्यवर, डी०आई० आर० जो लागू किया गया है वह छोटे-छोटे तथा गरीब लोगों पर लागू किया गया है। जिन लोगों ने गेहूं नहीं दिया उन पर डी०आई०आर० लगा दिया । लगभग ५० फीसदी डी०आई० आर० जो लोग दूसरी पार्टी से संबंधित हैं उन पर लगाया गया है । इसलिये किसी ने ठीक ही कहा है कि कांग्रेस की है सरकार, कांग्रेस वालों की सरकार, कांग्रेस द्वारा सरकार ।

तीसरी बात मैं मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि सवा छः एकड़ से नीचे वालों से गेहूं नहीं वसूला जायेगा । तो आप क्या आश्वासन देते हैं कि उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे या किसान को गेहूं वापस करेंगे ? हमारे क्षेत्र के एक गांव में किसानों से १०–१५ सेर तक गेहूं वसूला गया है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि ऐसी बात नहीं घटित होगी इसका मुझे आश्वासन दिया जाय। अगर सवा ६ एकड़ से कम वालों से वसूल किया जायेगा तो क्या कार्यवाही की जायेगी ? यहां तक मान्यवर, बन्दूक वाले से इन्होंने ले लिया । उससे कहा कि अगर तुम गेहूं नहीं दोगे तो बन्दूक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जायेगा । उस बेचारे के पास एक एकड़ खेती नहीं है । लेकिन उसने अपना पैसा देकर उनको गेहूं दिया । आपने तो ब्रिटिश राज्य को भी मात कर दिया । भगवान के लिये इस डेमोक्रेसी पर कुठाराघात न पहुंचे इसलिये आपको सतर्क कर रहा हूं । आप यह घोषणा करिये किसी निष्ठा का कालम नहीं रहेगा और होगा तो निकाल दिया जायेगा । इसकी आप घोषणा कीजिये ।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

सबूत के लिये मैंने एक सूचना करीब २५ दिन पहले बी०डी०ओ०, जलालपुर के बारे में दी है । मैंने उस से पूछा कि किस रेशियो के आधार पर आप किसानों से ले रहे हैं और कैसे सीमेंट दे रहे हैं । हम पूछते हैं तो हम पर बन्दूक तानी जाती है । इसकी सूचना मैंने मुख्य मंत्री, खाद्य मंत्री और सामुदायिक विकास मंत्री को दी । डी०एम० से कहा तो उन्होंने भी कहा कि एक तरफ से सब से गेहूं वसूल किया जायेगा चाहे वह छोटा हो या बड़ा किसान। मैंने इस सदन में यह प्रश्न नहीं उठाया यह मेरी कमजोरी थी, लेकिन चूंकि तीन-तीन मंत्री इससे संबंधित थे मैंने सबको सूचना दी, लिखकर दिया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । मैंने उसके तत्काल ट्रांस्फर की बात कही, लेकिन पता नहीं आपको उससे क्या मुहब्बत है कि उसका ट्रांस्फर नहीं किया ।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

देवरिया में वसूली के बारे में मैंने एक तार दिया कि चकबन्दी अधिकारी यह कह रहे हैं कि अगर तुम गेहूं नहीं दोगे तो चक खराब कर दिया जायेगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, मैं दो-तीन बातों का स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं । खाद्य को पालिटिक्स से ऊपर रखने की बात है और अगर कोई गलतफहमी उठे तो ज्यादा अच्छा है कि वह साफ हो जानी चाहिये । जो प्रश्न उठे हैं उस से मुझे कोई परेशानी या अफसोस की बात नहीं है । मैंने सवा ६ एकड़ वाली बात कही वह मैंने उस संदर्भ में कही जो हम लोगों के हाल में आदेश गये हैं । जो अब वसूली है वह उससे नीचे के लोगों से वसूली न की जाय और जिनके पास बिल्कुल भी गेहूं की खेती नहीं है, उन से बिल्कुल न लिया जाय यह आदेश शुरू से है । अगर यह बात की गई है, जैसा माधो बाबू ने कहा कि बन्दूक वाले से ले लिया कि उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे । जिसके पास एक बीघा खेत था नहीं, मुझे अफसोस है कि उसके पास बन्दूक का लाइसेंस है क्यों ? (व्यवधान) । व्यापार वह करता नहीं है तो क्या माधो बाबू की दोस्ती के लिये बन्दूक है । इस तरह की बातें उचित नहीं हैं ।

एक सदस्य--

फिर लाइसेंस दिया क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, जैसा कि मैं कह रहा था जहां तक किसानों का संबंध है, मैं पहले कह चुका हूं कि उनका प्रोफार्मा बनाने का सवाल नहीं है । चाहे प्रेसीडेंट आफ इंडिया हो या प्रधान मंत्री हो, रिकार्ड लैन्ड का लेखपाल रखता है । वह बतलायेगा कि एम० एल० ए०, एम० एल०सी० ने क्या बोया था ।

चौधरी चरण सिंह--

लेकिन संबंधित आर्डर्स क्या आज ही जारी हो जायेंगे ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

चौधरी साहब रेडियो अपने आप बोलेगा कि चौधरी चरण सिंह ने सवाल उठाया और बहुगुणा ने जवाब दिया । मेरा आपका नाम जोड़ी से चलता जायगा । माधव बाबू की बात का जवाब देना चाहता हूं । वह समय समय पर हमें धमकी देते रहते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे तो समाज उलट जायगा, ऐसा नहीं करते तो बिहार उत्तर प्रदेश में आ जायगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

भीखालाल जी ने भी यही कहा है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मुझे खुशी है कि आप एक बात में तो साथ हुए । आप भीखालाल जी के साथ हो जायं तो हमें कोई शिकायत नहीं होगी । मान्यवर, इस खाद्यान्न के मामले में मैं मांग कर रहा हूं प्रदेश की जनता से और खास कर इस सदन के माननीय सदस्यों से कि इस अन्न के मामले में, हम और कारणों से समाज में उलट-फेर करें, लेकिन गल्ले की कमी पैदा करके हम खुश हों कि उसकी कमी के कारण कोई उपद्रव होगा तो उस आशा को पूरा न होने देने के लिये यह सरकार कृत संकल्प है । गल्ले के कारण कोई संकट यह सरकार नहीं होने देगी और न ही किसी को भूख से मरने देगी । हां, इतना जरूर है कि गल्ले की वसूली में कोई अत्याचार नहीं होने देंगे । चौधरी साहब ने सलाह-मश्विरे की बात कही । अब वह जो सलाह देंगे तो अगले वर्ष काम आयेगी । हां, एक दिन मैं सभी माननीय नेता विरोधी दलों को दावत दूंगा। वे आयेंगे और खरीफ की वसूली के बारे में नीति पर विचार करेंगे ।

श्री बलवान सिंह––

पंडा के दाम नहीं बतलाये ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

एक मिनट। मेरी प्रार्थना है कि उस विचार विनिमय के बाद जो निश्चय होंगे खरीफ की वसूली के सिलसिले में वे लाभप्रद होंगे । आज तो हम जा रहे हैं । ९.४० पर गाड़ी जाने वाली है । लोगों को दिल्ली जाना है । नहीं तो मैं कहता कि अभी बैठ लीजिये और विचार कर लीजिये कि खरीफ की वसूली के लिए क्या करें । इतना जरूर कहता हूं कि खाद्यान्नों के सिलसिले में यह सरकार का विवेक नहीं है कि हम अकेले कर लेंगे । यह राष्ट्रीय प्रश्न है और राष्ट्रीय स्तर पर यह तय होगा । मेरा विश्वास है कि व्यक्तिगत पूंजी के समर्थन में रहने के बावजूद जनसंघ भी किसी को भूख से मरने देना नहीं चाहेगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी––

हम मोटर का कारखाना नहीं खोले हैं ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८–खाद्य तथा पोषाहार के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४८–खाद्य तथा पोषाहार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,१६,४२,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७९–खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७९–खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८४,२०,००,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष––

नियम ५१ में ४ सूचनायें प्राप्त हुई हैं । इसमें सर्वोपरि श्री दशरथ सिंह की सूचना गोंडा जिले में गन्ने की फसल को पाइरिला नामक कीड़े से क्षति के बारे में है । चूंकि यह काफी महत्वपूर्ण है इसलिये इसको स्वीकार कर लिया गया है । शेष अस्वीकृत हैं ।

देवरिया जिले के भूतपूर्व विधायक श्री कैलाश सिंह कुशवाहा की गोली मारकर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य (क्रम. ात)†

श्री अध्यक्ष--

अब देवरिया जिले में भूतपूर्व विधायक श्री कैलाश कुशवाहा के कत्ल के सम्बन्ध में अग्रिम चर्चा होगी । कल वाला जो प्रश्न था, उसको यह तय किया गया था, आज चर्चा होगी ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि जो कैलाश सिंह कुशवाहा, जिनकी मृत्यु ८ तारीख को हुई, ने जो २९-५-७४ को पुलिस कप्तान को अपनी सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया था, उस पर पुलिस अधीक्षक ने क्या कार्यवाही की ?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

मान्यवर, श्री कैलाश सिंह कुशवाहा, भूतपूर्व विधायक, ग्राम खोरी बारी, जिला देवरिया ने २९-५-७४ को प्रार्थना पत्र इस प्रकार दिया था जिसको मैं मूलतः पढ़ रहा हूं ।

विषय: अवांछनीय तत्वों द्वारा जान-माल का खतरा

प्रिय महोदय,

मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, अत्याचारियों, भूतपूर्व जमींदारों एवं अवांछनीय तत्वों का लगातार विरोध करता रहा हूं और करता हूं । इस समय हमारे गांव में इन लोगों में निम्नलिखित सरकारी आदमी ऐसे हैं जो लगातार मेरे परिवार को जानमाल की धमकी दे रहे हैं । चूंकि ये लोग सरकस और साधन-सम्पन्न लोग हैं, अतः कुछ भी करने में समर्थ हैं ।

अतः यह प्रार्थना-पत्र सेवार्पित कर आशावान हूं कि श्रीमान् मेरे जानमाल की रक्षा करेंगे:--

सूची जो लोग धमकाते हैं--

१--फलेनारा ा पुत्र ध्रुव नरायण राय,
२--राम बड़ाई राम पुत्र राम नंदन राय,
३--कमल राय पुत्र सुखी राय,
४--राम देव राय पुत्र सुखी राय,
५--राम अवध तिवारी पुत्र मघुवन तिवारी ।
निवासी ग्राम खोरी बारी, थाना भटनी, जिला देवरिया ।

दिनांक: २९-५-७४

हस्ताक्षर
कैलाश सिंह कुशवाहा ।

उन्होंने इस प्रार्थना-पत्र को नेता, विरोधी दल को भेजा था । (व्यवधान) मुझे नहीं मालूम नेता विरोधी दल को मिला या नहीं मिला । मुझको नहीं भेजा या बदकिस्मती से मुझ को नहीं मिला । डाकखाने से वह गया पहली जून को और पुलिस कप्तान को मिला, २ जून की उसकी वहां आमद है । मैं कल से टेलीफोन पर इसकी पूछ-ताछ कर रहा हूं । जो चीज अभी तक सामने आई उसमें से एक यह है कि श्री कुशवाहा जी की अर्जी पुलिस स्टेशन पर १ तारीख को आई थी । एस०पी० महोदय के यहां से सर्किल आफिसर को भेजी गयी होगी पुलिस हेडक्वार्टर्स, जिला देवरिया में यह अर्जी २९ तारीख तक पड़ी रही । इन २९ दिनों के

---

†१७ जुलाई, १९७४ की कार्यवाही से ।

समय के लिये आई० जी० से पूछा है कि वह जिम्मेदारी फिक्स करें कि २९ दिन तक यह अर्जी कहा रही, क्यों थाने से नहीं भेजी गयी । २९ तारीख को वहां से चली तो थाने में यह एप्लिकेशन जो पंहुची है तो ६ जून, को रिपोर्ट उसने अपनी भेजी । मैंने यह भी पूछा है कि जो दरोगा ने लिख कर भेजा है कि सुलह हो गयी है तो यह भूल हुई एस०पी० को यह पूछना चाहिये था क्या सबूत है कि सुलह हो गयी है । जब शिकायतकर्ता ने मांग की थी कि जानमाल की हिफाजत के लिये तो कोई चीज लिखा पढ़ी में ली गयी कि सुलह हो गयी । लेकिन इतनी बात स्पष्ट है शुरू से आद्योपान्त शिकायत करने से लेकर मरने के समय तक स्टेटमेंट जो डाक्टर को दिया है उस तक लड़के ने जो पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है उसमें या इस सम्बन्ध में जितनी रिपोर्ट्स आई उन सब में जिनकी एक एक प्रतिलिपि मैं हर पार्टी के नेता को भेज सकता हूं एक जगह भी यह नहीं कहा गया कि राजनीतिक कारणों से मुझे रंजिश है । शुरू दिन से कहा जा रहा है कि अवांछनीय तत्व और भूतपूर्व जमींदार जो हैं उनसे झगड़ा है । १०७/११७ पहले चली । उसमें केलाश सिंह कुशवाहा के ३४ आदमी थे । वह काफी दिन पहले एकुइट हो गये बिना पुलिस की रिपोर्ट के । मैजिस्ट्रेट ने स्वामोटो कुशवाहा जी की पार्टी को १०७/११७ से मुक्त कर दिया और फिर दूसरी पार्टी को भी कर दिया ।

यह पूछा गया था कल क्यों नहीं पुलिस वाले भटनी से देवरिया साथ गये जब वह मर गये एक माननीय सदस्य ने कहा कि १०० गज की दूरी पर पुलिस चौकी थी । मैंने जांच की । मैं बदकिस्मती से भटनी तो गया हूं लेकिन इस गांव में नहीं गया हूं । इस गांव के पास में बिहार के लिये जाने वाली सड़क है जिस पर हमारी पुलिस रहती है और वह २ फर्लांग दूर है । फूड स्मलिंग को रोकने के लिये दो आर्म्ड गार्ड तथा दो सिविल पुलिस के सिपाही वहां मौजूद थे जो घटना स्थल से १०० गज दूर नहीं, २ फर्लांग की दूरी पर थे और उनके वहां जाने का सवाल नहीं उठता था । फिर जब कुशवाहा जी को ट्रेन पर चढ़ाया गया तो दुर्भाग्य से यह ३१ नम्बर की गाड़ी थी जो ४.२५ पर आने वाली थी और १०.४५ पर आई यानी ५,६ घंटे लेट थी । लेट होने की वजह से डाक्टरों ने कहा चूंकि हालत खराब है इसलिये स्टेटमेंट लिखवा लिया जाय जिसे डाइंग स्टेटमेंट माना जाता है । उसे भी मैं सदन के सामने पढ़े देता हूं क्योंकि उसे मैंने प्रोसीडिंग्स न कहीं नहीं देखा कि आया है या नहीं आया है ।

"मैं श्री कुशवाहा, उम्र करीब ४० वर्ष ग्राम खोरीबारी, जिला देवरिया का रहने वाला हूं मुझे श्री बृज किशोर राय पुत्र श्री रमाकान्त राय घर खोरीबारी, करीब सवा ८ बजे रात में आज दिनांक ८-७-७४ को रिवाल्वर देशी पिस्तौल से मारे हैं । श्री राम बढ़ाई राय, कमला राय, फुलेना राय भी थे । इसके अलावा कुछ नहीं जानता ।"

मान्यवर, यह उनके मरने के पहले का स्टेटमेंट है । इस स्टेटमेंट के बाद जो उनकी पुरानी चिट्ठी है वह पुलिस के पास है । मैं ऐसा मानता हूं कि इसे राजतीतिक हत्या कहना किसी भी दल के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी । यह बात जरूर है कि इसके दो कच्चे पैर है जिनके बारे में मैंने आई०जी० से जांच करने के लिये कहा है । पहला तो यह है कि यह अर्जी एस०पी० के दफ्तर में इतनी देर तक क्यों पड़ी रही और दूसरे यह कि थानेदार ने जो यह रिपोर्ट दी है कि दोनों पार्टियों में सुलह हों गई है तो क्यों नहीं एस०पी० के दिमाग में यह बात आई कि उसका कोई लिखित प्रमाण उसका ले ले कि समझौता हो गया है । क्योंकि इसी क्षेत्र में चुनाव भी हुये, आपस में संघर्ष भी हुये । वहां पर एक मधुवन शहीद नामक स्कूल भी पड़ता है जिसकी मैनेजिंग कमेटी के बाबत मुकदमा चल रहा है जिससे प्रेसीडेन्ट ये कैलाश कुशवाहा जी थे । मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जितनी भी बातें प्रोसीडिंग्स में इस सम्बन्ध में पढ़ी उसमें अब एक ही बात रह जाती है जैसा कि हमारे नौजवान मित्र सत्यपाल जी मलिक तथा उस पर चौधरी साहब ने टीका करते हुये कहा कि इसमें माननीय मंत्री जी के लड़के ने जमानत करवायी है । मान्यवर, जब से सदन में यह बहस शुरू हुई और उससे पहले से एक भी आदमी बाहर नहीं है, सभी एक्यूज्ड जेल में है, कोई जमानत पर नहीं है । चौधरी साहब के बयान से ऐसा

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

लगा कि कुछ लोग जमानत पर आ गये हैं । मेरी तरफ से, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी जांच पड़ताल से स्पष्ट है कि राजमंगल जी का कहीं दूर से भी इससे कोई वास्ता नहीं है और दुर्भाग्यवश या अभाग्यवश यह कांड हुआ । मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि हमने यही नहीं किया कि खाली पुलिस से ही रिपोर्ट मांगी हो, हमने इंटेलीजेंन्सी से भी, जैसे ही कैलाश जी की हत्या का समाचार मिला है, तहकीकात कराने के आदेश दिये हैं । जोनल आफिसर ने भी इस बात की तहकीकात कराने के आदेश दिये हैं । जोनल आफिसर ने भी इस बात की तहकीकात की और उन्होंने भी यह बात कही कि उनके लड़के जय प्रकाश ने जो अर्जी लिखवायी उसमें दो आदमी एफ० आई० आर० में नही लिखवाये । और जैसे ही हमारे एस० ओ० को खबर पहुंची कि ऐसी हत्या हो गयी है वह रेल तक चले गये और रात के ०.२५ बजे से पहले ही उस स्थान पर पहुंच गये ।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि कैलाश कुशवाहा के बच्चों के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया । मैं कहना चाहता हूं कि वहां गारद लगा दी गई है और उनके घर एस०पी० और डी० एम० भी गये । जांच-पड़ताल हो रही है और कोर्ट में जहां तक मेरी सूचना है चार्ज सीट भी आज शायद सबमिट हो गई होगी । मैं साफ कहना चाहता हूं कि चुनाव तो हर पार्टी का हर पार्टी के साथ हुआ है, लेकिन हमारी पार्टी का किसी भी प्रकार से किसी तिथि में किसी अर्जी में इससे सम्बन्ध नहीं है । हमारे यहां के तो माननीय सुरेन्द्र जी के दस्तखत उनकी पैरवी में मौजूद हैं ।

इस समय आदरणीय जनसंघ के नेता नहीं है उसमें उन्होंने चार-पांच एडजोर्नमेंट मोशन दिये है जिनका मुझे बहुत कष्ट है । जब यह उनके किसी आदमी को कह दिया गया था कि यह जनसंघ का है । वह खड़े होकर हल्ला कर सकते हैं, हम केवल निवेदन कर सकते हैं । इससे ज्यादा की हमारी हैसियत नहीं है । तो मान्यवर, इसमें कहा गया, क्या चीज कर दी गई है । कल्याण सिंह और माधव प्रसाद त्रिपाठी ने कहा देवरिया जिले के भूतपूर्व विधायक श्री कैलाश सिंह कुशवाहा की कल रात्रि उनके गांव पर हत्या कर दी गई । यह योजनाबद्ध राजनीतिक हत्या है और सत्तारुढ़ दल के कांग्रेसी नेताओं द्वारा कराई गई है । मान्यवर, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता हूं, उनके स्वविवेक पर छोड़ता हूं । राजनीति में हम सब हैं । लांछन-प्रत्यालांछन एक दूसरे पर हम लगाकर देश और राजनीति को कहां ले जायेंगे, यह हमें सोचना है एक दूसरे को कहां हम ले जायेंगे । यह मैं आपके स्वविवेक पर छोड़ता हूं.। आपने जांच की होती, उसके अनुसार अपनी कोई राय बनाते तो मुझे दुख न होता । ८ तारीख को घटना होती है, ११ तारीख को वहां के विधायक की जानकारी में आता है । कहीं भी किसी तरफ से यह नहीं लिखा गया कि यह राजनैतिक हत्या है । केवल यहीं कहा गया और लिखा गया कि यहां ला एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, वहां पर इंतजाम पुलिस का ठीक नहीं है, कत्ल हो रहे हैं, कुशवाहा और उनकी पत्नी तथा बच्चों की रक्षा का बन्दोबहत किया जाये । लेकिन माननीय नेता जनसंघ ने यह वाजिब समझा कि हम पर कालिमा पोतें और कहें कि यह सत्तारूढ़ दल करा रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि इससे भयानक असत्य और कोई नहीं हो सकता है । इसलिये निवेदन करूंगा कि सदन की मान-मर्यादा के अनुरूप और अपने-अपने दलों की गरिमा के अनुसार ही हम कोई बात को कहें, जिससे हम न्याय और व्यवस्था की स्थापना जनता और प्रदेश में कर सकें । जो कमजोरी है, उसका लांछन तो हम उठा सकते हैं, लेकिन जो हम पर नहीं है, उसकी हम पर जिम्मेदारी न लादी जाये ।

अन्त में फिर मैं श्री कुशवाहा जी की मृत्यु पर अपना दुख प्रकट करता हूं और कहना चाहता हूं कि जो मुद्दों पर जांच करनी है कि एस०पी० के कार्यालय में वह एप्लीकेशन इतने दिनों तक क्यों पड़ी रही तथा एस०पी० ने क्यों नहीं पूछा कि सुलह का स्रोत क्या है, उसकी जानकारी प्राप्त करने पर नेता विरोधी दल को पत्रों द्वारा सूचित करूंगा ।

श्री बांके लाल--

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न पूछा उसका जबाब मुख्य मंत्री जी के भाषण से नहीं मिला । उसका उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और निश्चित रूप से हमारे दिमाग में यह बात बैठ गई है कि वहां पर थानाध्यक्ष और पुलिस कप्तान की साजिश से कैलाश कुशवाहा की मृत्यु हुई और इन अधिकारियों को आपने अभी तक कोई सजा नहीं दी, जिनकी वजह से इनकी मृत्यु हुई । यह बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास वह एप्लीकेशन भले न दिये हों, लेकिन नेता विरोधी दल के पास एप्लीकेशन पड़ी है, पुलिस कप्तान के पास पड़ी है । इसके अलावा भटनी से उनको मोटर द्वारा लाया जा सकता था, अन्य साधन भी मिल सकतेथे, लेकिन पुलिस ने उसमें किसी तरह की सहायता नहीं की, कोई सहायता नहीं की । जबकि १०० गज की दूरी पर वह चौकी है । आप उनकी हिफाजत भले ही कर लें भाषणों से, लेकिन आपने एक बात कहीं थी वहां पर बार्डर है बिहार का जिसकी रक्षा के लिये वहां पुलिस के आदमी थे । इन पुलिस की मदद हो सकती थी, लेकिन वहां पर वे मौजूद थे, गोलियां चलीं, गोली की आवाज जरूर सुनाई दी होगी उन्हें, किन्तु पुलिस वालों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी । उन्होंने किसी प्रकार की मदद नहीं की, जबतक उनकी मृत्यु नहीं हो गई । मैं तो पुलिस अधीक्षक और वहां के थाना इंचार्ज पर कत्ल की साजिश का चार्ज लगाता हूं और सरकार द्वारा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये । वे वहां से हटाये जायें और आप जांच करायें ।

दूसरी बात यह है कि जब दोनों तरफ से ३४-३४ आदमियों पर १०७/११७ की कार्यवाई हुई, तो किस आधार पर यह खत्म कर दिया गया । जब राम बड़ई पर ३९५ का मुकदमा चल चुका था और एक कत्ल का मुकदमा और चल रहा था । तो कैसे १०७/११७ होने दिया गया । तीसरी बात, यह कही जा रही है, कल जो बयान हुआ था उसमें साफ है कि कोई कैलाश जी का लिखित प्रमाण नहीं था । सुलह की कोई बात नहीं थी । पुलिस की अकर्मण्यता की वजह से सारी घटना हो गयी ।

श्री कृष्णाराय (जिला देवरिया)--

माननीय मुख्य मंत्री जी एक बात हमारी सुन लें । हमारा यह चार्ज है कि अगर पुलिस चाहती भटती की तो कैलास जी की जान बच जाती । पुलिस के न आने के कारण, नूनखार में जंजीर खींच कर गाड़ी रोक दी गयी, दो मर्तबे रोक कर, वह चाहते थे कि कैलाश को गाड़ी में से खींच लें ताकि कैलाश जी अपना बयान न दें सकें और वहां पर एक नायब दरोगा है उनका कत्ल में हाथ है, जो भटनी में है ।

दूसरी बात माननीय मुख्य मंत्री से, आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि देवरिया की पुलिस को नाम एक ही जगह नाप लें । १९७०-७१ में चोरी, डकैती, राहजनी, कितनी हुई और १९७२-७३ में कितनी हुई है । १९७२ में जितनी हुई है १९७३ में दुगने से अधिक हुई है । इसको आप देख लेंगे । तब आपको पता चल जायगा कि देवरिया में शासन आपका कैसा है । यह सब जो हो रहा है, जब से आप लोग कुर्सी पर नये हाल पर बैठे हैं ।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

अभी जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह राजनीतिक हत्या नहीं है, मैं अपने आरोप को फिर दोहराता हूं कि राजनीतिक थी । जब मैं यह चीज कहता हूं तो मेरा तर्क यह है कि मृतक, जो हमारे दल के कुशवाहा जी थे, उन्होंने जो चिट्ठी नेता विरोधी दल को और पुलिस अधीक्षक को भेजी है, उसमें उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ उनकी लड़ाई है उन लोगों के खिलाफ कोई निजी लड़ाई नहीं है, लडाई राजनीतिक कारणों से है, पोलिटिकल लड़ाई है । जिनके खिलाफ कुशवाहा साहब की लड़ाई थी किसी राजनीतिक दल के लोग रहे होंगे । इन लोगों में से एक तो कमला राय साहब के भाई जिला शिक्षक संघ के अध्यक्ष रहे ह । जिला

[श्री सत्यपाल मलिक]

शिक्षक संघ का अध्यक्ष काफी अच्छी पोजीशन का आदमी होता है । उनकी किसके साथ दोस्ती है, किस राजनीतिक दल से उनका सम्बन्ध है, इसके अलावा जिन सज्जन ने गोली मारी है ३०२ का मुकदमा उनके खिलाफ पहले था, उनकी तीसरे दिन जमानत हो गयी थी । मेरा कहना यह नहीं है कि माननीय मंत्री जिनका नाम आया उन्होंने कह कर कत्ल करवा दिया । आज हमारी सरकार भी होती तो जो एक राजनीतिक आदत हो गयी है, जो कत्ल करने वाले लोग हैं, आपके दल के राजनीतिक लोगों से, हमारे दल के राजनीतिक लोगों से कहीं न कहीं मदद पाते हैं। उसमें हम और आप बराबर के दोषी हैं। जब कभी कोई कत्ल हो जाता है, चाहे बी० के० डी० की सरकार हो या कांग्रेस की, उस जिले के स्थानीय मंत्री जो होते हैं, इस तरह के गलत काम करने वाले लोगों को उनके पास जाना पड़ता है, इस तरह उनकी मदद लेनी पड़ती है। माननीय मुख्य मंत्री से मेरा निवेदन है, चूंकि उस दिन, जिन लोगों के खिलाफ उनकी राजनीतिक लड़ाई थी, मैं कोई आरोप नहीं लगाता मंत्री पर, माननीय मुख्य मंत्री की पूरी जिम्मेदारी है कि इंसाफ के साथ निभाया जाना चाहिये, उस जिले के मंत्री खास तौर से न्याय मंत्री है, वह जो इस मुकदमे में मुलजिम किसी तरह की राजनीतिक मदद उन लोगों को न मिले ।

श्री हरि केवल (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मंत्री जी का बयान है उसको मैंने पढ़ा और किस तरीके से बात को तोड़ा गया उसको मैं बताना चाहता हूं। एक तो यह लिखा गया था कि उस इलाके में कोई हत्या नहीं हुई है । मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि इनके कत्ल हुये। श्री राम चन्द्र दुसाध, ग्राम रामपुर थाना बनकटा, मुखलाल यादव, ग्राम गौरा, थाना बनकटा, सत्य नारायण यादव, ग्राम रामपर लौटिहा, थाना खामपार और बच्चन ग्राम कतरबाहरनो, थाना खामपार। इन चार आदमियों क कत्ल हुये जब कि रिपोर्ट में है कि इस इलाके में कोई कत्ल नहीं हुआ।

दूसरी बात यह है कि पांच लोगों की हत्यायें हुई। माननीय कैलाश सिंह कातिल दोनों सुबह चाय पी रहे थे तो श्रीमन्, कैलाश सिंह जी ने चाय पीते समय जो कातिल था कह दिया होगा कि तुम लोग हमको जान से मार देना और यह भी कह दिया होगा कि हमारी लाश का डाक्टरी परीक्षण न हो। यह बात भी वह कह सकते हैं क्योंकि पुलिस के शब्दों में जो बात लिखी गई है उससे यह प्रकट होता है। जैसे कि बृज किशोर की बात है। इसके खिला : ३९४, ३९५, १०७/११७, ४२० और ३०२ के पांच मुकदमे थे। ग्राम गौरा, थाना बनकटा के मुखलाल यादव का कत्ल होता है और नामजद मुलजिम है फुलेना राय के लड़के गौरा हत्या कांड में। कैलाश सिंह के कत्ल में भी दोनों मुलजिम हैं मुखलाल यादव की जमानत होती है उसम हमारे श्रम मंत्री के लड़के, जो देवरिया में सरकारी पक्ष के वकील हैं, अपना वकालतनामा लगा कर उनकी जमानत कराते हैं। सरकार वकालतनामा निकलवा सकती है। जाकर मिसल देखी जाय कि उन्होंने जमानत का काम कराया।

दूसरे, रण विजय नारायण बहादुर सिंह, ग्राम भैरवा, थाना भैरवा बिहारी, यह श्री रघुनाथ सिंह विधायक के रिश्तेदार हैं। इन्होंने रण विजय नारायण बहादुर सिंह को ग्राम भट-वलिया, थाना बनकटा का निवासी रिवाल्वर की दरख्वास्त पर सिफारिश की और श्रम मंत्री जी से चिट्ठी लिखवाई और रिवाल्वर मिल गया। इसी रिवाल्वर को बृज किशोर को दिया और कैलाश सिंह की हत्या हुई। नूनखार में ट्रेन रोकी जाती है और कैलाश सिंह की लाश गायब करने की योजना थी। गाड़ी रुकने के बाद कातिल उतरते हैं और १२ १/२ बजे रात्रि में इसी रिवाल्वर से एक आदमी के गोली मार देते हैं। जहां तक यह कहा जाता है कि यह राजनैतिक हत्या नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इसके बारे में टालमटोल कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय श्रम मंत्री ने पत्र लिखकर दिया, उसे देवरिया

का निवासी बनाया गया। उसको रिवाल्वर दिया गया, उसके पास खेती नहीं है और उसको रिवाल्वर दिया गया और उसी रिवाल्वर से हत्या की गयी। मंत्री जी की चिट्ठी फाइल में लगी हुई है। रघुराज सिंह कैलाश कुशवाहा से थोड़े वोटों से जीते थे। उन्होंने जो दरख्वास्तें दी उनको देवरिया से गायब कर दिया गया। मुझे सन्देह होता है। कैलाश कुशवाहा की हत्या इस प्रकार करायी गयी जिससे आगे आने वाले चुनाव में वे विजय प्राप्त न कर सकें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैंने इस सम्बन्ध में तमाम बातों को सुना। सुनने के बाद यह जानना चाहता हूं कि अब केस चलेगा। आप आश्वासन दे दें कि किसी तरह का भेदभाव इस मुकदमे में सरकार की ओर से नहीं होगा। सरकार ठीक से इस मुकदमे की पैरवी करेगी।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, यह मामला २-३ दिनों से इस सदन में है। यह कहा जा रहा है कि यह राजनीतिक हत्या नहीं है। मैं २-३ सवाल रखना चाहता हूं। पहला तो उस रिपोर्ट में है कि थानाध्यक्ष ने देखा कि दोनों चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। यह क्या कहीं पर जी० ए० डी० में दर्ज है या नहीं? दूसरा यह मेरा स्पष्ट चार्ज है कि यह राजनीतिक हत्या है। इसलिये कि वह रिपोर्ट जानबूझ कर एस० पी० के आफिस में दबी रही और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तीसरा, मान्यवर, यह है कि कैलाश कुशवाहा की मृत्यु की सूचना अध्यक्ष को इतनी देर से क्यों दी गयी? हम यह कह रहे हैं कि यह राजनीतिक हत्या है। १०७/११७ का मुकदमा वहां अदालत में चल रहा था। मान्यवर, उस जिले के अन्दर इस मुकदमे के अन्दर कोई न्याय नहीं हो सकता है क्योंकि हमेशा न्याय मंत्री का असर वहां रहेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसकी सी० आई० डी० से जांच करायी जाये।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मान्यवर, क्या बृज किशोर को सरकार ने पैरोल पर छोड़ा है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष जी, अनेकों प्रश्न माननीय सदस्यों ने किये हैं। एक सवाल जिसमें कुछ तर्क उपस्थित करने के बाद सत्यापाल मलिक जी ने कहा, उनके तर्कों पर बनियादी शक है। मान्यवर, मैंने यह कहा कि आद्योपरान्त आवरण तक हमको खुशी है कि वह किसी दल के थे। उनकी लड़ाई बदमाशों से थी। उनकी लड़ाई उन लोगों से थी, जिन पर कई मुकदमे थे। किसी ने यहां पर तर्क नहीं उपस्थित किया है कि फलां फलां के साथ वे बैठते थे। एक बार यह कहा गया कि शिक्षक संघ के वह अध्यक्ष थे। अगर देवरिया के शिक्षक यह निर्णय लें कि फलां आदमी को बुलायें तो हम देखें कि पहले उसकी पंजिका कैसी है तब हम उसको पंजिका के आधार पर उसको अध्यक्ष बनावें। थाने की रिपोर्ट के बाद कैलाश कुशवाहा जी की खुद की चिट्ठी के बाद, उनके स्टेटमेंट के बाद यह बात स्पष्ट हो जाती कि अवांछनीय तत्वों के लोग यह जरूर करे होंगे। कालेज के मामले में, गांव सभा के सभापति के मामले में, ऐसे ही लोगों ने कुछ किये होंगे। दूसरी बात, उनके कोई विरोधी थे जिन्होंने उनको मौत के घाट उतारने का काम किया।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)

इन्टेलीजेंस की रिपोर्ट आ चुकी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा –

जी हां ।

अगर आप हुकुम दें तो मैं उसको पढ़ कर सुना भी सकता हूं । जब कैलाश कुशवाहा की रिपोर्ट आई कि यह भूतपूर्व विधायक की बात थी । मान्यवर माननीय सदस्यों ने कहा, मैं महसूस भी करता हूं कि पुलिस के दफ्तर में २८ दिन तक क्यों वह कागज रहा । मैंने आई० जी०पुलिस को इस संबंध में बिल्कुल शिकायत के साथ कहा कि यह रिस्पांसिबिलिटी किसकी थी, यह गलती किसकी थी । मान्यवर, मौत और जिन्दगी किसी के हाथ में नहीं है, परन्तु जो व्यवस्था का मेरा काम उसमें हमें जरा सी भी ढील नहीं रखनी है । व्यवस्था हमें करना है । मान्यवर, गाड़ी की जंजीर खींची गई, उनको निकालने के लिये, उनके लड़के इस बात के गवाही हैं । डाक्टर ने कहा कि जल्दी ले जाओ, इनके प्राण बचाओ, इनको देवरिया ले जाओ । थाने पर जब लड़का चला गया । लड़का जय प्रकाश नारायण थाने पर गया । थाने पर वह अगर पहले गया होता और इधर डाक्टर देखते रहते, तब मैं मानता कि पुलिस ने बड़ी भारी गलती की है । भटनी में पुलिस थाना है, जिस पुलिस चौकी की बात कही गई, वह चौकी नहीं है । एक फर्लांग या दो फर्लांग के बीच में दो वर्सन, तो दो या तीन फर्लांग के बीच में है, मैंने उसको नापा नहीं है । उतनी देर पर वे बैरियर से हट नहीं सकते थे । एक माननीय सदस्य ने कहा कि गोली चली होगी तो आवाज गयी होगी । तो यह सब अगर है । मैं नहीं कह सकता हूं कि हवा का रुख किधर था, हवा उधर आवाज ला सकती थी या नहीं ।

चौधरी चरण सिंह––

कल यहां पर किसी ने बताया कि सब इन्सपेक्टर स्टेशन तक गये थे, लेकिन वे जख्मी के के साथ गाड़ी में देवरिया नहीं गये ? अगर सब इन्सपेक्टर स्टेशन तक गये तो उनके साथ क्यों नहीं गये ? (व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

अगर यह बात साबित हुई तो इसी मुकदमे में नहीं मैं आपसे साफ कह देना चाहता हूं कि मैं उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिये तैयार हूं और सजा भी उठाने के लिये तैयार हूं । जो जोनल अधिकारी की रिपोर्ट है और श्री जय प्रकाश नाराण ने एफ० आई० आर० में भी लिखाया है, जिस प्रकार की रिपोर्ट दर्ज है उससे यह सब सिद्ध है । जब इनके घर वाले तक को अस्पताल ले कर गये तो वहां के डाक्टर ने बयान लेकर कहा कि फौरन देवरिया ले जाओ । दर्भाग्य से उस रोज गाड़ी ६ घंटे लेट थी वरना वह ४ बज कर २५ मिनट पर आ जाती । फिर थाने पर ही जाना होता । गाड़ी पर उन्हें बिठाने के बाद लड़के को थाने भेजा गया और मृतक के साथ गांव के लोग गये जो उन्हें देवरिया ले गये ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय राज मंगल पांडेय के लड़के वकील हैं । मेरा भी लड़का वकील है, उसकी भी बड़ी प्रैक्टिस चलती है । वकील लोग क्रिमिनल और तरह तरह की सिविल प्रैक्टिस भी करते हैं । इसी सदन में बैठे हुए माननीय चौधरी चरण सिंह जी भी एक जमाने में माने हुए वकील थे । सत्य प्रकाश मलिक आज भी वकील हैं । तो वकालत करना बुरा नहीं है । मैं इसकी जांच कराऊंगा और अगर उन्होंने सरकारी वकील बनने के बाद कोई इस प्रकार का मुकदमा लिया है तो फिर मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि सूची से उनका नाम खारिज कराऊंगा । अगर उस लड़के ने उस पीरियड में जिस तारीख से वह एपाइन्ट हुआ है, सरकार के खिलाफ किसी भी मुकदमे में वकालत नामा मेरा है तो उसका नाम अवश्य सूची से हटा दिया जायगा । यह स्टेट बनाम फलां फलां है । कुशवाहा बनाम फलां-फलां नहीं होता है । ऐसे मुकदमे स्टेट बनाम व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति बनाम फलां फलां नहीं होता है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम कागज खींच लेंगे, वकालत नामा निकाल लेंगे। कोई भी इस बात को नहीं मानेगा। यह बात सम्भव नहीं है और न होगी ही।

यह जो जिन्होंने तथा कथित कत्ल किया है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने तो देखा नहीं है, बहुत सारे कातिल कोर्ट से छूट जाते हैं। एक बहुत बड़ा कातिल था, जो मेरे खिलाफ इलैक्शन भी लड़ा था। उसने कई कत्ल किये थे, कोर्ट से वह भी छूट गया। मेरी मां के सगे भाई ने कहा कि यह न्याय की परिधि में नहीं आते हैं। मैं किन की चर्चा कर रहा हूं, माननीय मालवीय जी जानते होंगे। अगर न्याय के रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न करेगा तो उससे प्रजा-तंत्र की हत्या होगी।

एक बात कही जा रही है कि राज मंगल पांडेय जी, राम अधार जी की ओर से कही गयी, जब तक मंत्री रहेंगे, उनके मन में शांति नहीं रहेगी। मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं उनके और राम अधार के अस्तित्व को मिटा सकूं। भगवान करे दोनों फलें फूलें, आगे बढ़ें। जिस कुर्सी पर वह बैठते है मैं भी सन् ५२ में बैठता था, चौधरी साहब गवाह हैं। वह कुर्सी ठीक बोलवाती है, गड़बड़ बात मत बोलिये। चौधरी साहब से पूछ लीजिये।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर एक आधार है, पुलिस ने इसमें मरने के बाद जिस तरह से काम किया है केस को ठीक चलाने में, अगर वह २८ रोज का मामला जो सिर्फ एक घटना हुई, किसी ने कहा कि क्यों इतने दिन ठहरा रहा, जांच करनी थी, तो अगर कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो वह चाहे जो हो जांच होगी, चाहे बड़े कप्तान साहब हों या छोटे कप्तान साहब हों, बड़े दरोगा हों या छोटे दरोगा हों।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस किस्से को राजनीति का खेल नहीं बनायेगा। कैलाश कुशवाहा ने प्राण दिये वह राजनीति बनाने के लिये दिये, इसलिये दुष्टों को दंडित करने में हम सब सहयोग देंगे यह मेरी प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और २२ तारीख (२२-७-१९७४) को फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ३५ मिनट पर सोमवार २२ जुलाई, १९७४ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१८ जुलाई, १९७४

नत्थी 'क'

[देखिये नियम २९ (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८१ पर]

देवरिया के बिजली कर्मचारियों की मांगें तथा उनकी स्थिति

मांग	स्थिति
(१) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिन्होंने ३ वर्ष काम कर लिया है, उन्हें नियमित किया जाये ।	(१) विद्युत् अनुरक्षण खंड देवरिया के उन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है जिनकी राज्य विद्युत् परिषद् के अधीन ३ वर्ष की लगातार सेवायें हों ।
(२) यार्डस्टिक के अनुसार खंड में पदों का सृजन किया जाये तथा रिक्त पदों पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाये।	(२) राजस्व संबंधी कर्मचारियों के पदों के सृजन के लिये मापदंड निर्धारित है । शेष कर्मचारियों के पदों के माप दंड का प्रश्न विचाराधीन है । इस समय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर पदों का सृजन किया जा रहा है । रिक्त पदों पर पदोन्नति संबंधी सेवा नियमानुसार की जाती है ।
(३) पडरौना के उद्दण्ड कर्मचारियों को उनके दुराचरण के लिये दंडित किया जाये ।	(३) कथित कर्मचारियों ने क्षमा याचना कर ली है और अब इस संबंध में किसी को कोई शिकायत नहीं है।
(४) ट्रिब्यूनल एवार्ड से उत्पन्न वेतन की असंगतियों को शीघ्र दूर किया जाये ।	(४) इस संबंध में विचार करने हेतु एक समिति गठित कर दी गई है ।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८९ पर]

[प्रवेशीय विश्वविद्यालयों के अनुसूचित जाति के अधिकारी व कर्मचारियों की सूची

विश्वविद्यालय के नाम	अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या (अध्यापक मण्डल को छोड़कर)	अनुसूचित जाति की संख्या
१—इलाहाबाद विश्वविद्यालय	८३१	१४१
२—लखनऊ विश्वविद्यालय	७८९	१७०
३—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ..	३६४	२०
४—गोरखपुर विश्वविद्यालय	६६०	९२
५—कानपुर विश्वविद्यालय	३४६	२०
६—मेरठ विश्वविद्यालय	३४३	१३
७—रुड़की विश्वविद्यालय	९६९	१७०
८—कुमायूं विश्वविद्यालय	२९	६
९—आगरा विश्वविद्यालय	४३४	३२
१०—गढ़वाल विश्वविद्यालय	३३	४
११—काशी विद्यापीठ	२०२	१०
१२—कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर ..	११८७	९३

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९२ पर]

तालिका

अपराध संख्या व धारा	नामांकित अपराधियों के नाम	तारीख गिरफ्तारी	न्यायालय में आत्म-समर्पण की तिथि	क्या धारा ८२/८३ जाफ्ता फौजदारी की कार्यवाही की गई ?	विशेष	विवरण
१	२	३	४	५	६	
अपराध संख्या २६० अन्तर्गत धारा १२०-बी भारतीय दंड विधान/ ११४ डी० आई० आर०/ ५(२) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम/उ०प्र० वन-स्पति डीलर्स लाइसेंसिंग आर्डर १९६९/७ आवश्यक वस्तुयें अधिनियम ।	(१) श्री बी०पी० तिवारी पूर्ति, निरीक्षक	४-५-७४	..	..	..	
	(२) बी०एस० शुक्ला, पूर्ति निरीक्षक	४-५-७४	..	..	..	
	(३) एस० एन० शुक्ला, पूर्ति निरीक्षक	४-५-७४	..	..	..	
	(४) रामसरोज, पूर्ति निरीक्षक	..	..	इनके विरुद्ध धारा ८२/८३ जा०फौ० की कार्यवाही की तामील उनके मकान का पता कार्यालय में गलत लिखा होने के कारण नहीं की जा सकी । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।	..	
	(५) रामनाथ प्रोप्राइटर मेसर्स रामचरन रामनाथ	..	..	धारा ८२/८३ जाफ्ता फौजदारी की कार्यवाही की गई ।	उच्च न्यायालय से जमानत पर छोड़े गये ।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(६) सूर्य नरायन टंडन (७) अरुण कुमार (८) दिनेश कुमार (९) प्रकाश नारायन	भागीदार अपोलों टैक्सटाइल्स व मेसर्स टंडन ट्रेडर्स	..	..	वारेंट गिरफ्तारी, कुर्की व इश्तहार प्राप्त किये गये थे, लेकिन स्पेशल जज बाराबंकी के न्यायालय से स्थगन आदेश हो जाने के कारण कुर्की की कार्यवाही नहीं की जा सकी और अभियुक्तगण उक्त न्यायालय के आदेश से जमानत पर छूटे ।
(१०) अक्षय कुमार (प्रोप्राइटर मिश्रा वनस्पति स्टोर्स) ।		६–५–७४	..	.. आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है ।
(११) नन्द किशोर हलवाई		१७–५–७४	..	.. आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है । भागीदार लक्ष्मी नारायन ।
(१२) राम चन्दर (१३) जगन्नाथ	भागीदार फर्म जगन्नाथ राम चन्दर	१०–५–७४	.. जी हां	दिनांक ३०–५–७४ को कुर्की की गई ।
(१४) मुन्ने प्रोप्राइटर (मेसर्स मुन्ने, जैदपुर		..	..	.. तफसीश जारी है
(१५) कृष्ण कुमार (१६) बहाजुल हक	भागीदार फर्म कृष्ण कुमार बहाजुल हक	..	..	.. —उक्त—
(१७) नरेन्द्र कुमार जैन (अनिल स्टोर्स)		..	..	.. —उक्त—
(१८) पवन कुमार जैन (सुरेन्द्र स्टोर्स)		..	..	.. —उक्त—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६
अपराध संख्या २६:	(१) बी०पी०तिवारी,पूर्ति निरीक्षक	४–५–७४	..	..	..
उ०प्र० सीमेंट कन्ट्रोल आर्डर/	(२) बी०एस०शुक्ला पूर्ति निरीक्षक	४–५–७४	..	..	..
७ आवश्यक वस्तुयें अधि-	(३) बैजनाथ } भागीदार मेसर्स	६–५–७४			
नियम/११४ डी०आई०	(४) सोहन लाल } शुरमुख राय बैज-	१२–५–७४			
आर०/५(२) भ्रष्टाचार	(५) चौधा मल } नाथ				
निवारण अधिनियम१/२०					
की भारतीय दंड विधान ।		..	..	..	धारा ८२/८३ जा०फौ०की कार्य-वाही न्यायालय के आदेश से की गई।
	(६) मेसर्स फरेह चन्द्र जगदीश राय	..	..	..	—उक्त—
	(७) मेसर्स राम लाल सागर मल	..	..	..	—उक्त—
	(८) मेसर्स महाबीर प्रसाद	..	..	..	—उक्त—
	(९) मेसर्स बंसल ट्रेडिंग कं०	..	..	..	—उक्त—
अपराध संख्या २६२ रेक-	(१) बी०पी०तिवारी,पूर्ति निरीक्षक	४–५–७४	..	..	..
सीन कंट्रोल आर्डर/	(२) बी०एस० शुक्ला ,, ,,	४–५–७४	..	..	..
आवश्यक वस्तुयें अधिनियम/	(३) एस०एन० शुक्ला ,, ,,	४–५–७४	..	..	..
११४ डी०आई०आर०/५	(४) एन० के० टंडन ,, ,,	..	..	धारा ८२/८३ जा०फौ०की	..
(२)भ्रष्टाचार निवारण	(५) मेसर्स बाल कृष्ण पोद्दार	..	..	कार्यवाही की गई ।	विवेचना जारी है ।
अधिनियम/११० की भार-	(६) मेसर्स स्वास्तिक ट्रेडर्स	..	..	..	—उक्त—
तीय दंड विधान ।	(७) बंशल ट्रेडिंग कम्पनी	..	..	..	—उक्त—

नोट:—अब तक की विवेचना से ज्ञात हुआ है कि (१) सीमेंट के कुछ परमिटधारियों ने एक ही व्यक्ति के नाम अधिकार लेख अंकित किया और उसने सीमेंट लेकर परमिटधारियों को दिया (२) थोक की फर्मों ने फुटकर विक्रेताओं को कोटा से अधिक मिट्टी का तेल दिया– इसके लिये जिला पूर्ति अधिकारी की स्वीकृति ले ली गई थी ।

त्थी "घ"

[देखिये नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९५ पर]

क्रम-सं०	विद्यालय का नाम	पूर्व दशम स्वीकृत छात्रवृत्ति की संख्या	वितरण की तिथि	दशमोत्तर स्वीकृत छात्रवृत्ति की संख्या	वितरण की तिथि	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७
१	इन्डस्ट्रियल इन्टर कालेज	१०	३१-३-७३	४	३१-३-७३	..
२	लखनऊ क्रिश्चियन इन्टर कालेज ..	..	.. ..	११	३१-३-७३	..
३	विद्यान्त हिन्दू इन्टर कालेज	२४	२०-२-७३,२९-३-७३ १३-३-७३,२१-३-७३ ३१-३-७३	१२	२०-२-७३,१३-३-७३ १५-३-७३,२६-३-७३	..
४	अमीनाबाद इन्टर कालेज	१३	१९-२-७३,१४-३-७३ २४-३-७३,३१-३-७३ ३०-४-७३,१०-५-७३	३	२८-१०-७२,१३-३-७३ ३१-३-७३	..
५	लखनऊ इन्टर कालेज	३७	१०-४-७३,१४-४-७३ १६-४-७३	१	१६-४-७३	..
६	बालिका विद्या निकेतन इन्टर कालेज ..	१८	२०-११-७२,२७-२-७३ २०-३-७३,२४-३-७३	४	२५-१२-७२,२७-२-७३ २४-३-७३	..
७	लालबाग गर्ल्स इन्टर कालेज	..	.. ..	४	२४-३-७३,२७-३-७३	..
८	यशोदा रस्तोगी गर्ल्स इन्टर कालेज ..	७	३१-१२-७२,३१-३-७३	२	३१-३-७३	..
९	चुटकी भंडार गर्ल्स इन्टर कालेज ..	१६	२९-९-७२,२३-१०-७२ १६-११-७२,४-१-७३	५	२८-९-७२,२३-१०-७२ १६-११-७२,४-१-७३	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	विद्यालय का नाम	पूर्व दशम स्वीकृत छात्रवृत्ति की संख्या	वितरण की तिथि	दशमोत्तर स्वीकृत छात्रवृत्ति की संख्या	वितरण की तिथि	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७
१०	स्वायज ऐग्लों बंगाली इन्टर कालेज ..	९	४–२–७३,२७–२–७३ १–३–७३,२२–३–७२ १७–३–७३'३१–३–७३ २६–३–७३,३१–३–७३	६	४–२–७३,२७–२–७३ १–३–७३,२२–३–७३ ७–३–७३,१३–२–७३ ९–३–७३,१७–३–७३ ३१–३–७३	..
११	नेशनल इन्टर कालेज	३७	२८–२–७३,३१–३–७३	२४	२८–२–७३,१६–३–७३ ३१–३–७३	..
१२	योगेश्वर ऋषिकुल इन्टर कालेज	१४	३०–३–७३	१	२७–३–७३	..
१३	गिरधारी सिंह इन्टर कालेज	..	.. ..	३	३१–३–७३	..
१४	बप्पा श्री नारायण इन्टर कालेज ..	१००	१–१२–७२,२०–३–७३ ३०–३–७३	४७	१–१२–७२,२०–३–७३ ३०–३–७३	..
१५	जुबली गर्ल्स इन्टर कालेज	४	१८–४–७३,२३–४–७३ २८–४–७३	८	२५–१–७३,२८–१–७३ १६–३–७३,२३–४–७३ २४–४–७३	..
१६	गुरु नानक शिक्षालय इन्टर कालेज ..	.. ..	.. ..	१	३१–३–७३	..
१७	महिला विद्यालय इन्टर कालेज	६	३०–३–७३	६	२५–३–७३	..
१८	जनता इन्टर कालेज	२५	२–४–७३	१०	३१–३–७३	..
१९	जनता गर्ल्स इन्टर कालेज	१०	१–४–७३	५	१–४–७३	..
२०	माडर्न वोकेशनल इन्टर कालेज	१६	३१–३–७३	१	३१–३–७३	..
२१	कृष्णा देवी गर्ल्स इन्टर कालेज	४	२४–११–७२,३१–३–७३	६	२६–११–७२,३१–३–७३	..
२२	अग्रसेन इन्टर कालेज	१०	२२–३–७३,३०–३–७३	१९	२४–१–७३,३१–३–७३, २२–३–७३	..

२३	म्युनिसिपल गर्ल्स इन्टर कालेज ..	..	१	७–४–७३	२	४–४–७३ ..
२४	गोपीनाथ लक्ष्मण दास इन्टर कालेज	..	५	१५–३–७३,१४–४–७३	३	१५–२–७३,१४–३–७३ १५–३–७३ ..
२५	मोतीलाल नेहरू गर्ल्स इन्टर कालेज	..	३	३–४–७३,४–४–७३	२	४–४–७३ ..
२६	भारतीय बालिका इन्टर कालेज ..	..	१८	२१–२–७२,३०–३–७३ ३१–३–७३	१६	२२–२–७३,२८–२–७३ ३०–३–७३,३१–३–७३ ..
२७	करामत हुसेन गर्ल्स इन्टर कालेज	..	१	३१–३–७३	१	३१–३–७३ ..
२८	मन्नू कुंवर सनातम धर्म इन्टर कालेज	..	९	३१–३–७३,२४–४–७३	२	२४–४–७३ ..
२९	महाराजा अग्रसेन इन्टर कालेज ..	..	१५	२०–४–७३	१८	२७–१–७३,१६–३–७३ ..
३०	क्वींस ऐग्लों संस्कृत इन्टर कालेज ..	..	१७	१०–४–७३,१४–४–७३ १८–४–७३	६	१४–४–७३,१८–४–७३ ..
३१	कस्तूरबा बालिका इन्टर कालेज ..	..	..	..	३	३१–३–७३ ..
३२	बालिका विद्यालय इन्टर कालेज ..	..	४	३१–३–७३	१	३१–३–७३ ..
३३	शशि भूषण बालिका इन्टर कालेज	..	८	३०–३–७३	६	३०–३–७३ ..
३४	शिया इन्टर कालेज ..	..	४	३१–३–७३	७	३१–३–७३ ..
३५	नवयुग कन्या इन्टर कालेज ..	..	१६	३०–३–७३	५	३०–३–७३ ..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९५ पर]

		पूर्व दशम्			दशमोत्तर		छात्र संख्या
क्रम-संख्या	विद्यालय का नाम	छात्र संख्या	वितरण की तिथि	छात्र संख्या	वितरण की तिथि		जिनको वितरित नहीं हुई
१	२	३	४	५	६		७
१	डी०ए०वी०इन्टर कालेज, लखनऊ ..	२२	१८–४–७३	३७	१८–४–७३		३
२	एम०डी० शुक्ला इन्टर कालेज	२५	१७–४–७३,१८–४–७३ १९–४–७३,२७–४–७३ ३०–४–७३,१०–५–७३ १४–५–७३,२१–५–७३ ११–७–७३,१९–७–७३ २४–७–७३	८	१२–४–७३,१८–४–७३ १९–४–७३,२७–४–७३		३
३	नारी शिक्षा निकेतन इन्टर कालेज, लखनऊ	२०	३०–१–७३,१२–२–७३ २६–२–७३,१–३–७३ २–३–७३,५–३–७३ ६–३–७३,८–३–७३ १०–३–७३,२३–३–७३ २७–३–७३,२८–३–७३ ३०–३–७३,२०–४–७३	७	५–१२–७२,१०–१–७३ ३०–१–७३,२६–२–७३ २–३–७३,५–३–७३ ३१–३–७३,५–४–७३ २१–४–७३,१–५–७३ ११–५–७३,१–९–७३		२

				२१–४–७३,२३–४–७३ ५–५–७३,७–५–७३ १२–७–७३, ६ व १०–८–७३			
४	कालवेन तालुकेदार इन्टर कालेज, लखनऊ	..	..	..	१	..	१
५	सरस्वती बालिका इन्टर कालेज, लखनऊ	..	१५	३०–३–७३	७	३०–३–७३	२
६	रामाधीन सिंह इन्टर कालेज, लखनऊ	..	२७	१४–३–७३,२१–३–७३ ३०–३–७३,३१–३–७३	८	१२–३–७३	१
७	हरिशचन्द्र इन्टर कालेज, लखनऊ	..	५९	२६–२–७३,१३–३–७३ १४–३–७३,२६–३–७३ ४–५–७३,६–५–७३ ९–५–७३,१६–५–७३ २१–५–७३,२४–५–७३ २५–५–७३,२८–७–७३ २३–८–७३,२५–१०–७३ ८–११–७३,२०–११–७३	१०	१२–३–७३,१३–३–७३ १५–३–७३,१६–३–७३	३८
८	कालीचरन इन्टर कालेज, लखनऊ	..	१३	३१–३–७३	४०	२०–२–७३,२८–२–७३ ३१–३–७२	३
९	जय नारायण इन्टर कालेज, लखनऊ	..	३७	१४–४–७३,१५–४–७३	८२	१४–४–७३,१५–४–७३	९
१०	विशन नारायण इन्टर कालेज, लखनऊ	..	२९	३–४–७३	९	३०–११–७२,१२–३–७२ ३–४–७३	११

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९८ पर)

सदस्य विधान सभा

१—श्री निहाला सिंह
२— ,, के० एल० सोनकर
३— ,, जंग बहादुर यादव
४— ,, हबीब अहमद
५— ,, राम निहोर राय
६— ,, राम गोपाल संड
७— ,, राम सूरत सिंह
८— ,, विश्राम दास
९— ,, धर्मवीर
१०— ,, राजित राम
११— ,, चन्द्र पाल आजाद
१२— ,, आशा राम इन्दु
१३— ,, बलराम सिंह
१४— ,, विक्रम सिंह
१५— ,, राम चन्द्र विकल
१६— ,, अहमद लूत खां
१७— ,, गंगा प्रसाद
१८— ,, सूरज भान शर्मा
१९— ,, जगवीर सिंह
२०— ,, होती लाल अग्रवाल
२१— ,, प्रकाश नारायण गुप्ता
२२— ,, मनसा राम गुप्ता
२३— ,, नैन सिंह
२४— ,, विश्म्भर सिंह यादव
२५— ,, शमीम आलम
२६— ,, ईश्वर दयाल त्यागी
२७— ,, अनीसुर्रहमान शेरवानी
२८— ,, नरोत्तम सिंह
२९— ,, गणेश दत्त बाजपेयी
३०— ,, मोती लाल बेहलवी
३१— ,, उपेन्द्र नाथ दीक्षित
३२— ,, बच्चा पाठक
३३— ,, गंगा प्रसाद
३४— ,, कृष्ण दत्त
३५— ,, मोहर्रम सिंह
३६— ,, जय नारायण सिंह
३७— ,, हरबंश पान्डे
३८— ,, रघुबीर सिंह
३९— ,, राम कुमार दीक्षित
४०— ,, नसीमुद्दीन सिद्दीकी
४१— श्रीमती कला रानी मिश्रा
४२—श्री शिव पाल सिंह
४३— ,, बलबीर सिंह नेगी
४४— ,, राम सिंह खन्ना
४५— ,, वीरेन्द्र कुमार चौधरी
४६— ,, राम लाल राही
४७— ,, यादवेन्द्र सिंह
४८— ,, मंगा प्रसाद
४९— ,, मदन मोहन मिश्रा
५०— ,, चन्द्र पाल आजाद
५१— ,, मुन्शी लाल चमार
५२— ,, अगाह जैदी
५३— ,, जे० एम० सिन्हा
५४— ,, कृष्ण मगन सिंह
५५— ,, भानु प्रताप सिंह (बरेली)
५६— ,, शीतला प्रसाद सिंह
५७— ,, मनफूल सिंह
५८— ,, धनुषधारी पान्डे
५९— ,, मोहन लाल, उप मंत्री, उद्योग
६०— ,, ज्ञान प्रसाद
६१— ,, शेष नारायण शुक्ला
६२— ,, जगदम्बा प्रसाद
६३— ,, एच०पी० शाही
६४— ,, लक्ष्मण स्वरूप
६५— ,, सूबेदार सिंह
६६— ,, बंशगोपाल शुक्ला
६७— ,, राम बचन यादव
६८— ,, कृष्ण स्वरूप वैश्य
६९— ,, स्वामी प्रसाद सिंह, मंत्री
७०— ,, त्रिवेणी सहाय शर्मा
७१— ,, श्याम लाल रावत
७२— ,, मैनेजर सिंह
७३— ,, राम नारायण पांडे
७४—श्रीमती कला रानी मिश्रा
७५—श्री तेज बहादुर
७६— ,, सईदुल हसन
७७— ,, महेन्द्र सिंह
७८— ,, राम कुमार
७९— ,, नित्यानन्द स्वामी
८०— ,, संजीवन लाल
८१— ,, राम रतन सिंह
८२— ,, राम किंकर

८३—श्री सीता राम यादव
८४— „ धर्म सिंह
८५— „ चन्द्र मोहन सिंह नेगी
८६— „ राजेन्द्र कुमार शर्मा
८७— „ पारस नाथ सिंह
८८— „ जगन्नाथ राय
८९— „ राम लाल भाई
९०— „ चेत राम गंगवार
९१— „ डी० पी० बोरा
९२— „ प्रेम सुन्दर नारायण सिंह
९३— „ राम चरन त्रिपाठी
९४— „ रूपनाथ सिंह
९५— „ उमाशंकर तिवारी
९६— „ महेन्द्र पाल सिंह
९७— „ शिव महेन्द्र सिंह
९८— „ राम रतन
९९— „ राधा कृष्ण गोस्वामी
१००— „ मुमताज मुहम्मद खां
१०१— „ राम पाल सिंह यादव
१०२— „ विपिन कुमार चौधरी
१०३— „ वासुदेव सिंह
१०४— „ भगवती प्रसाद
१०५— „ राम सेवक
१०६— „ शेर सिंह दानू
१०७— „ राज मंगल पांडे
१०८— „ रामधारी पान्डे
१०९— „ राम लखन
११०— „ महावीर सिंह
१११— „ राम पाल सिंह
११२— „ शम्भू नारायण सिंह
११३— „ मुहम्मद हसन खां
११४— „ बेनी प्रसाद माधव
११५— „ बिहारी लाल
११६— „ विष्णु दत्त शर्मा
११७— „ राम मूर्ति अंचल
११८— „ जंग बहादुर सिंह
११९— „ कन्हैया लाल वाल्मीकी
१२०— „ बृज राज सिंह
१२१— „ जानकी प्रसाद
१२२— „ अजीत प्रताप सिंह
१२३— „ ऋषि पाल सिंह
१२४— „ सुरेन्द्र विक्रम
१२५— „ रोहत मौलाई
१२६— „ राजेन्द्र प्रताप सिंह
१२७— „ राजेश्वर सिंह
१२८—श्री नाथू राम रावत
१२९— „ लल्लू राम
१३०— „ शिवानन्द नौटियाल
१३१— „ प्रिय दर्शी जैटली
१३२— „ श्री मोहन लाल कपूर
१३३— „ सतीश चन्द्र शर्मा
१३४— „ मन्जूर अहमद
१३५— „ दीप नारायण बन
१३६— „ निर्भय नारायण सिंह
१३७— „ केदार नाथ
१३८— „ माधव प्रसाद
१३९—श्रीमती सिया दुलारी
१४०—श्री गया प्रसाद
१४१— „ बब्बन सिंह
१४२— „ शिव प्रेम सिंह
१४३— „ सच्चिदानन्द गुप्ता
१४४— „ त्रिवेणी राय
१४५— „ सोहन लाल घूसिया
१४६— „ त्रिवेणी सहाय
१४७— „ सिया राम गंगवार
१४८— „ उमा शंकर शुक्ल
१४९— „ नपाल सिंह
१५०— „ राम सिंह
१५१— „ अब्दुल गफ्फार हाशमी
१५२— „ उपेन्द्र नाथ दीक्षित
१५३— „ राम सागर
१५४— „ अनवार अहमद
१५५— „ विश्व नाथ कपूर
१५६— „ दल सिंगार यादव
१५७— „ शम्भू नाथ चौधरी
१५८— „ राम कुमार दीक्षित
१५९— „ के० एस० मौर्या
१६०— „ अनीसुर रहमान सेरवानी सदस्य विधान सभा
१६१— „ मोहम्मद नबी
१६२— „ बांके लाल
१६३— „ श्रीश चन्द्र अग्रवाल
१६४— „ बैज नाथ सिंह
१६५— „ माता प्रसाद
१६६— „ जी० डी० बाजपेयी
१६७— „ गोपी नाथ दीक्षित
१६८— „ मिहि लाल
१६९— „ बसन्त लाल
१७०— „ नसीमुद्दीन
१७१— „ नरोत्तम सिंह

१७२—श्री धूम प्रसाद
१७३— „ शंकर प्रसाद जायसवाल
१७४— „ प्रेम चन्द्र शर्मा
१७५— „ माखन लाल
१७६— „ राजा राम यादव
१७७— „ रमा पति
१७८— „ रघुनाथ सिंह
१७९— „ सिया राम
१८०— „ श्याम सुन्दर लाल
१८१— „ जगदीश गांधी
१८२— „ लीला धर
१८३— „ राव अब्दुल रऊफ खां
१८४— „ हरबंश सहाय
१८५— „ शेर अली खां
१८६— „ देव राम
१८७— „ शिव बचन
१८८— „ रघुनाथ सिंह मैनपुरी
१८९— „ बनारसी दास
१९०— „ किरंगी प्रसाद
१९१— „ शिव कुमार पाण्डे
१९२— „ सालिग राम जायसवाल
१९३— „ राम पाल त्रिवेदी
१९४— „ उदय प्रताप सिंह
१९५— „ राम किशोर शुक्ल
१९६— „ राम अवध
१९७— „ राम प्यारे शुक्ल
१९८— „ राम प्रसाद
१९९— „ त्रिलोक चन्द्र
२००— „ बीर बहादुर सिंह
२०१— „ इन्द्र पाल सिंह
२०२— „ अजब सिंह
२०३— „ रघुनाथ सिंह, कानपुर
२०४— „ राम लगन बुधे
२०५— „ मोहन लाल
२०६— „ सुखबीर सिंह
२०७— „ काजी जलील अब्बासी
२०८— „ किशन लाल
२०९— „ ज्वाला प्रसाद कुरील
२१०— „ राम हर्ष मिश्रा
२११— „ सत्तार अहमद
२१२— „ रियासत हुसैन
२१३— „ नौनिहाल सिंह
२१४— „ काजी मसूद अहमद
२१५— „ बद्री प्रसाद
२१६— „ राम कुमार शास्त्री
२१७—श्री पी० एम० गुप्ता
२१८— „ शिव लाल
२१९— „ श्री कृष्ण बाजपेयी
२२०— „ राम चरन
२२१— „ दुर्जन भाई
२२२— „ प्रेम नारायण अहरवार
२२३— „ जगमोहन वर्मा
२२४— „ कल्याण सिंह
२२५— „ रूप राम विनकर
२२६— „ भीमा प्रसाद
२२७— „ शिव सम्पति शर्मा
२२८— „ अब्दुल सलाम शाह
२२९— „ रघुवीर सिंह यादव
२३०— „ बैजनाथ प्रसाद
२३१— „ राम देव दुबे
२३२— „ कुंवर तज भान सिंह
२३३— „ सेवा राम
२३४— „ संत राम
२३५— श्रीमती शान्ती देवी
२३६— श्री अहमद उल्लाह खां
२३७— „ श्री निवास प्रसाद
२३८— „ भाभी यादव
२३९— „ गंगा सिंह यादव
२४०— „ चन्द्र नारायण सिंह
२४१— „ छांगुर राम
२४२— „ केशव राम
२४३— „ हरि दत्त कांडपाल
२४४— „ शिव कैलाश
२४५— „ अमर नाथ दुबे
२४६— „ रामधारी शास्त्री
२४७— „ बंशीधर मिश्रा
२४८— „ शफीक अहमद खां
२४९— „ नारायण दास
२५०— „ मंगल उपाध्याय
२५१— „ सतीश चन्द्र शर्मा
२५२— „ हिम्मत सिंह
२५३— „ शिव दास तिवारी
२५४— „ सूरज लाल गुप्ता
२५५— „ राम प्यारे, मिर्जापुर
२५६— „ शिव राज सिंह
२५७— „ जय राम यादव
२५८— „ इन्द्र मणि बडौनी
२५९— „ शान्ती चरण पिन्डारा
२६०— „ नगीना सिंह
२६१— „ जमादार सिंह

२६२—श्री पूरन चन्द्र
२६३— ,, कन्हैया लाल
२६४— ,, नेत राम सिंह
२६५— ,, जे० पी० श्रीवास्तव
२६६— ,, हुकुम सिंह
२६७— ,, अमर नाथ दूबे
२६८— ,, राज नाथ सिंह
२६९— ,, राम शिरोमणि दूबे
२७०— ,, बैजनाथ सिंह
२७१— ,, वीजेन्द्र बहादुर सिंह
२७२— ,, जीतेन्द्र पाल सिंह
२७३— ,, गोविन्द सिंह नेगी
२७४— ,, इन्द्र जीत सिंह
२७५— ,, सियाराम गंगवार
२७६— ,, चौधरी राम पाल सिंह
२७७— ,, प्रताप नारायण द्विवेदी
२७८— ,, राम नरेश सिंह
२७९— ,, राजाराम शास्त्री
२८०— ,, राम सिंह
२८१— ,, सुखपाल पांडेय
२८२—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी बाजपेयी
२८३—श्री राम करन सिंह
२८४— ,, श्याम लाल
२८५— ,, राम लाल चतुर्वेदी
२८६— ,, हरीनाथ तिवारी
२८७— ,, एस० एस० मुर्तजा
२८८— ,, राम कुमार सिंह, आजमगढ़
२८९— ,, महेश्वर दत्त सिंह, गोन्डा
२९०— ,, निरमल सिंह, एटा
२९१— ,, रघु राज सिंह
२९२— ,, हरी सिंह गौरा, पिथौरागढ़
२९३— ,, भगवती प्रसाद, बहराइच
२९४— ,, केदार नाथ मालवीया, इलाहाबाद
२९५— ,, कृपा दयाल, सीतापुर
२९६— ,, हुकुम सिंह परिहार, आगरा
२९७— ,, चौधरी मुलतान सिंह, आगरा
२९८— ,, श्रीमती प्यारी देवी, गोरखपुर
२९९— श्री रितुराज सिंह, रायबरेली
३००— ,, भगवत दयाल, झांसी
३०१— ,, मलखान सिंह, मैनपुरी
३०२— ,, राम लखन सिंह, बस्ती
३०३— ,, जगन्नाथ खन्ना, सहारनपुर
३०४— श्री दुलारे लाल, उन्नाव
३०५— ,, शिव नाथ सिंह, बिजनौर
३०६— ,, विजय पाल सिंह, बुलन्दशहर
३०७—श्री परमाई लाल, हरदोई
३०८— ,, लालता प्रसाद मिश्रा, बस्ती
३०९— ,, हरि सिंह विष्ट, अल्मोड़ा
३१०— ,, जागेश्वर दयाल, फर्रुखाबाद
३११— ,, सन्तोष कुमार पारथ, बदायूं
३१२— ,, जीतेन्द्र पाल सिंह, मुरादाबाद
३१३— ,, सूर्य नाथ उपाध्याय, जौनपुर
३१४— ,, चन्द्र भान शर्मा, मुजफ्फरनगर
३१५— ,, ओम प्रकाश सिंह, राज्य मंत्री
३१६— ,, हेत राम सिंह, एटा
३१७— ,, सुख लाल, इटावा
३१८— ,, केशव चन्द्र सिंह, शाहजहांपुर
३१९—श्रीमती आशा सिंह, हरदोई
३२०— श्री राजा छतर सिंह, जालौन
३२१— ,, विजय बहादुर सिंह, मिर्जापुर
३२२— ,, विजय पाल सिंह
३२३— ,, कृष्ण कान्त अवस्थी, सीतापुर
३२४— ,, मेहरबान सिंह, गढ़वाल
३२५— ,, राम नगीना मिश्रा, देवरिया
३२६— ,, जगन्नाथ चौधरी, बलिया
३२७— ,, केशव राम
३२८— ,, उमा शंकर शुक्ला, शाहजहांपुर
३२९— ,, राम प्रसाद देशमुख, अलीगढ़
३३०— ,, त्रिवेणी सहाय, आजमगढ़
३३१— ,, मुलायम सिंह
३३२— ,, शिव प्रसाद पांडिया
३३३— ,, सैय्यद मोहम्मद जफ्फर
३३४— ,, राम सिंह, गोन्डा
३३५— ,, बदन सिंह यादव, एटा
३३६— ,, भगेलू सिंह
३३७— ,, राम पूजन पटेल, उप मंत्री
३३८— ,, बंशीधर पांडे, वाराणसी
३३९— ,, महेन्द्र सिंह, आजमगढ़
३४०— ,, नित्यानन्द स्वामी, देहरादून
३४१— ,, राजेन्द्र प्रताप सिंह
३४२— ,, राम जियावन, सुल्तानपुर
३४३—श्रीमती राजपति देवी, सुल्तानपुर
३४४—श्री उदय नाथ, वाराणसी
३४५— ,, कल्प नाथ सिंह, गोरखपुर
३४६— ,, राम विलास पांडे, आजमगढ़
३४७— ,, निहाला सिंह, वाराणसी
३४८— ,, राम कृष्ण द्विवेदी, गोरखपुर
३४९— ,, श्याम लाल कन्नौजियां, आजगढ़
३५०— ,, डूंगर सिंह विष्ट, नैनीताल
३५१— ,, विशन लाल, मुरादाबाद

३५२—श्री कन्हैया लाल सोनकर
३५३— ,, राज बिहारी सिंह, राज्य मंत्री
३५४— ,, अभिमन्यु प्रसाद पांडे, बस्ती
३५५— ,, वशिष्ठ नारायण शर्मा, गाजीपुर
३५६— ,, शुकर लाल
३५७— ,, राधा कृष्ण त्रिपाठी
३५८— ,, गोरी शंकर राय, बलिया
३५९— ,, माखन लाल मिश्र
३६०— ,, आनन्द स्वरूप भटनागर, बुलन्दशहर
३६१— ,, शिव शंकर सिंह, गाजीपुर
३६२— ,, राम मूर्ति आंचल, शाहजहांपुर
३६३— ,, शचीन्द्र नाथ बख्शी
३६४— ,, श्रीराम लखन, लखनऊ
३६५— ,, मुमताज मोहम्मद खां
३६६— ,, पन्ना लाल गुप्ता
३६७—श्री बच्चा पाठक, बलिया
३६८— ,, शम्भू नारायण सिंह, फैजाबाद
३६९— ,, श्याम सूरत उपाध्याय
३७०— ,, जंग बहादुर सिंह, आजमगढ़
३७१— ,, वासुदेव सिंह वैश्य, बहराइच
३७२— ,, इन्द्र जीत, फतेहपुर
३७३— ,, महातम प्रसाद तिवारी
३७४— ,, केदार नाथ अग्रवाल, बहराइच
३७५— ,, मोहन लाल कपूर, मेरठ
३७६— ,, सुरेन्द्र विक्रम सिंह
३७७— ,, राम लखन शुक्ल, गोरखपुर
३७८— ,, अहमद लुट खां, अलीगढ़
३७९— ,, मोहन लाल
३८०— ,, उपेन्द्र नाथ दीक्षित, कानपुर
३८१— ,, सर्वसुख सिंह, इलाहाबाद ॥

सत्यमेव जयते

सदस्य विधान परिषद्

१—श्री कल्याण चन्द्र,	एम० एल० सी०	३२—श्री हर पाल पटेल	एम० एल० सी०
२— ,, श्री निवास	,,	३३— ,, आर० एन० ठकुराई	,,
३— ,, लल्लू सिंह	,,	३४— ,, जगन्नाथ शास्त्री	,,
४— ,, शिव प्रसाद गुप्ता	,,	३५— ,, बिहारी लाल वशिष्ठ	,,
५— ,, वीरों सिंह यादव	,,	३६— ,, प्रभु नारायण सिंह	,,
६— ,, राम चन्द्र सिंह	,,	३७— ,, सईदुल हसन	,,
७— ,, एच०के० अवस्थी	,,	३८— बेंगम मोहसिना किदवई	,,
८— ,, राम चन्द्र शुक्ल	,,	३९— श्री यशपाल सिंह, सहारनपुर	,,
९— ,, इस्तिफा हुसैन	,,	४०— ,, श्रीकृष्ण गोयल	,,
१०— ,, प्रताप नारायण तिवारी	,,	४१— ,, दयानन्द व्यास	,,
११— ,, राज बहादुर द्विवेदी	,,	४२— ,, पारस नाथ सिंह	,,
१२—श्रीमती प्रेमवती तिवारी	,,	४३— ,, बलबीर सिंह	,,
१३—श्री राम सागर मिश्र	,,	४४— ,, कुंवर गुरुनारायण सिंह	,,
१४— ,, यश पाल सिंह	,,	४५— ,, हर मोहन सिंह	,,
१५— ,, हीरा सिंह	,,	४६— ,, कैलाश प्रकाश	,,
१६— ,, सुल्तान सिंह पचौरी	,,	४७— ,, छेदी लाल साथी	,,
१७— ,, राम प्रकाश	,,	४८— ,, यश पाल सिंह (२)	,,
१८— ,, पुरुषोत्तम दास	,,	४९— ,, राम अवतार दुबे	,,
१९— ,, सुल्तान आलम खां	,,	५०— ,, राम गोपाल	,,
२०— ,, प्रभु दयाल त्यागी	,,	५१— ,, राम सिंह	,,
२१— ,, बन्शी धर	,,	५२— ,, सुल्तान सिंह भंडारी	,,
२२— ,, राम नारायण पान्डे	,,	५३— ,, राम चन्द्र आजाद	,,
२३— ,, रवीन्द्र वर्मा	,,	५४— ,, मोती सिंह	,,
२४— ,, उमा शंकर मिश्रा	,,	५५—श्रीमती माल्ती पान्डे	,,
२५— ,, गिरीश चन्द्र तिवारी	,,	५६— श्री नन्द किशोर तिवारी	,,
२६— ,, टी० पी० मिश्रा	,,	५७— ,, रमेश चन्द्र शर्मा	,,
२७— ,, मथुरा प्रसाद	,,	५८— ,, राम रतन सिंह	,,
२८— ,, ओम प्रकाश शर्मा	,,	५९— ,, राम नरेश सिंह	,,
२९— ,, शिव चन्द्र दीक्षित	,,	६०— ,, वीरों सिंह यादव	,,
३०— ,, जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव	,,	६१— ,, क्रान्ति कुमार	,,
३१— ,, प्रेम सुन्दर नारायण सिंह	,,	६२— ,, मुजफ्फर हसन	,,

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०५ पर)

नकल प्रथम सूचना अ० सं० १४१ धारा ३०२/२०१/३९४ भा० दं० वि०
थाना देवा जनपद बाराबंकी

घटना का दिनांक व समय---९-६-७४ समय करीब ६ बजे शाम ।

सूचना का दिनांक व समय---९-६-७४ समय २१-१५ बजे ।

घटना-स्थल---नहर माईनर बहद ग्राम पीड़ ५ कि० मी० पश्चिम ।

वादी---श्री राम चन्द्र अग्निहोत्री पुत्र गजोधर प्रसाद अग्निहोत्री सा० पीड़ शाह, थाना देवा, जनपद बाराबंकी ।

अभियुक्त का नाम व पता---१---अयोध्या ब्राह्मण
२---सन्त राम पासी ।
३---अधीनयादव ।
साकिनान ग्राम पीड़, थाना देवा, जनपद, बाराबंकी ।

मृतक---श्री बच्चन लाल ।

लुटी हुई सम्पत्ति---एक साइकिल कीमत दरियाफ्त तलब प्राप्त शून्य ।

विवेचक---श्री राजेन्द्र सिंह चौहान ।

नकल तहरीर

श्रीमान् थाना इंचार्ज थाना देवा जिला बाराबंकी, महोदय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई श्री बच्चन लाल न्याय पंचायत खेवली के सरपंच थे, व संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के क्षेत्र मंत्री व वरिष्ठ कार्यकर्त्ता थे। ग्राम हुसेनमऊ के प्रधान महमूद अली उर्फ लल्लन कार्यकर्त्ता कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, उनसे व मेरे भाई से अरसे से रंजिस चली आ रही है। माह अक्तूबर, सन् १९७३ के महीने में मेरे भाई कुर्सी वाली बस से बाराबंकी से घर वापस आ रहे थे। रास्ते में बस पर लल्लन प्रधान व उनके साथियों ने मेरे भाई पर फायर किया था, जिसकी रिपोर्ट मेरे भाई ने थाना कुर्सी में लिखाई थी। लल्लन प्रधान से मेरे भाई को सख्त खतरा रहता था, इसी वजह से मेरे भाई की रक्षा के लिये पुलिस गर्द रहती थी। लल्लन प्रधान का मेल कुर्व जवार के सातिर बदमाश व डकैतों से है, अयोध्या ब्राह्मण सन्तराम पासी, अधीन यादव ग्राम पीड़ के डकैत व बदमाश आदमी हैं यह लोग लल्लन प्रधान के साथी हैं। अभी हाल में पुलिस थाना देवा ने इन लोगों की तलाश डकैती के संबंध में की थी। दिनांक १०-५-७४ को मेरे भाई निमंत्रण देने खेवली गये थे, रास्ते में पुल पर लल्लन प्रधान व उनके साथियों ने जान से मार देने की धमकी दी थी। जिसकी रिपोर्ट मेरे भाई ने थाना देवा में लिखाई थी, आज करीब ४ बजे शाम को मैं व मेरे भाई बच्चन लाल करीब के गांव कुखिलां पास ढोने के लिये मजदूर तय करने गये थे, वहां से वापस आ रहे थे, अपने भाई के पीछे साथ में साइकिल से मैं व छेदा महन्थ भी थे करीब ६ बजे शाम नहर माइनर पर अपने गांव के उत्तर विश्राम पासी के खेत के निकट पहुंचे कि आड़ से अयोध्या ब्राह्मण बांका लिये हुये, संतराम पासी लाठी लिये हुये व अधीन यादव बल्लम लिये हुये निकले और सन्तराम ने साइकिल के पहिये में लाठी डाल दी, जिससे मेरे भाई गिर पड़े। हम व छेदा जी पीछे साइकिल पर थे, रुक कर, हल्ला

मचाने लगे कि अतने में सन्तराम ने पिस्तौल निकाल कर फायर कर दिया, और अधीन ने मेरे भाई पर बल्लम से वार किया, जिसकी चोट खाकर मेरे भाई, तड़पने लगे कि सन्तराम व अधीन ने मेरे भाई को दाब लिया और अयोध्या ने बांके से मेरे भाई का गर्दन काट दी, और अयोध्या मेरे भाई का सर लेकर और अधीन मेरे भाई की साइकिल लेकर संतराम के साथ पश्चिम की तरफ भागे। हम लोगों के हल्ला पर नन्हें लाल रावत व नीलकंठ मुराव आदि जो पास में ही थे आ गये, जिन्होंने सर काटते व ले जाते देखा। हम लोगों ने पीछा करने की कोशिश की। मुल्जिमान ने पिस्तौल दिखाकर मार डालने को धमक या जिसके डर से हम लोगों ने पीछा नहीं किया। मैं मौके पर लाश तक रहा हूं, उचित कार्यवाही की जाय। प्रार्थी राम चन्द्र अग्निहोत्री पुत्र गजोधर प्रसाद अग्निहोत्री, ग्राम पींड, थाना देवा, पो० खेवली, जिला बाराबंकी ६-६-७४

नकल रपट नं० १६ रोजनामचा आम दिनांक २७-८-७३ समय २२-१५ बजे थाना कुर्सी जिला बाराबंकी

श्रीमान् थाना इन्चार्ज थाना कुर्सी बाराबंकी महोदय निवेदन है कि प्रार्थी आज अपने मुकदमे में जो राम प्रसाद सुनार से चल रहा है, जिसकी तारीख पेशी की पेशी पर गया था। पेशी से करीब ३ बजे छुट्टी पाकर श्री राम सेवक जी यादव के मकान पर चला गया। क्योंकि वहां पर आज मेरे क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं की बैठक थी। बैठक समाप्त के बाद मैं बस स्टेशन जाकर कुर्सी वाली बस में जिसका नं० २५४५ है जाने के लिये आ रहा था, साथ मेरे गांव के मेवा लाल व मेरे चचेरे भाईलाल जी व मुन्ने व मटरू जुलाहे भी उसी बस में बैठे थे। उसी बस में राधे लाल, भिटौली व मास्टर गुरचरन तकानीपुर के थे और कई लोग बस में बैठे थे, जो सब को मैं नहीं जानता। जब बस मेरे गांव के रास्ते पर पहुंची तो १०-१२ आदमी सड़क के किनारें भाला लिये खड़े थे। उनमें से दो आदमी आगे बढ़कर डांटकर बस रोको। ड्राइवर ने रात के समय ज्यादा आदमी देखकर गाड़ी नहीं रोकी और मगाई उन १०-१२ आदमियों में से देवी, अयोध्या, लल्लन निवासी हुसेनमऊ मेरे गांव के जिसे मैने पहचाना। बस की रोशनी में बकिया लोगों को सामने आने पर पहचान सकते हैं। बस न रुकने पर फायर किया। इन लोगों से पुरानी रंजिश है, इसलिये लोग मुझे जान से मार डालने के लिये गाड़ा बंदी किये थे, अगर बस रुकता और बस से उतरता तो मुझे जान से मार डालते अपनी जान बचाने के लिये मैं सीधा उसी बस से कुर्सी चला गया। अपनी जान बचाने के लिये मेरी रिपोर्ट लिख कर कार्यवाही की जावे, कृपा होगी। प्रार्थी बच्चन लाल पुत्र गजाधर प्रसाद ग्राम पीड़ थाना देवा बाराबंकी दिनांक २७-८-७३।

मु० अ० सं० २४०/७३ धारा ३०७ भा० दं० वि०, थाना देवा जनपद बाराबंकी।

दिनांक समय घटना--१७-११-७३ समय करीब १५-३० बजे।

सूचना का दिनांक समय--१७-११-७३ समय १६-३५ बजे।

घटना स्थल--कस्बा देवा करीब ढाई फर्लांग उत्तर पश्चिम।

चिक संख्या --२२१।

बादी--श्री बच्चन लाल पुत्र गजाधर प्रसाद सा० पीड़ थाना देवा, जनपद बाराबंकी।

नाम अभियुक्त--रज्जन पुत्र भगवानदीन ब्राह्मण, सा० खेवली थाना देवा।

नोट--मैं हे० मु० प्रमाणित करता हूं कि नकल तहरीर चिकहाजा पर अछरशः की गई है।

तफतीश—

नकल तहरीर

श्रीमान् थाना इन्चार्ज थाना देवा बाराबंकी, निवेदन है कि लल्लन प्रधान ग्राम हुसैनमऊ जिनसे मेरी रंजिश है, रज्जन पुत्र भगवानदीन ब्राह्मण नि० खेवली थाना देवा लल्लन पार्टी का आदमी है, आज मैं करीब दो बजे दिन को अपने घर से देवा आया था, और चन्द्रिका प्रसाद कपड़े वाले की दूकान पर बैठा था। करीब साढ़े ३ बजे को मैं पेशाब करने कुर्सी रोड पर पेशाब करने गया। पेशाव करके चन्द्रिका की दूकान पर वापस आ रहा था, और चन्द्रिका प्रसाद की दूकान पर चबूतरे से चढ़ रहा था। पूरब चबूतरे के नीचे रज्जन पुत्र भगवादीन नि० खेवली अपने हाथ में एक देशी पिस्तौल लिये हुये मेरी तरफ नाल किये हुये टैगर दबा रहा था, ऐसा देख और यह समझ कर यह मुझको फायर करके जान से मार देगा, चिल्लाया और चन्द्रिका की दूकान में घुस गया। उस जगह पर जवाहर यादव ढर्रेपुर व बाबू यादव ढर्रेपुर, मेवा लाल पासी पीड़ राजाराम मिटौली के मौजूद थे, जिन्होंने यह सब बाकयात देखा है, मेरे शोर पर और लोग भी दौड़े आये थे। रज्जन कुर्सी रोड होते हुये भागा और बिलाक कालोनी में घुसकर पश्चिम की तरफ भागा कि हम और बहुत से लोगों ने पीछा करके रज्जन को पकड़ लिया। इसके पास पिस्तौल नहीं मिला। अनुमान है कि कहीं रास्ते में फेंक दिया। गिरफ्तारी में इसको चोटें आई हैं। इसको पकड़ कर थाना लाया हूं, रिपोर्ट लिख कर उचित कार्यवाही की जावे। बच्चन लाल दिनांक १७—११—७३ ह० लेखक राम दयाल हे० म० १७—११—७३

सत्य प्रतिलिपिः—

(ह०) अपठनीय

पुलिस उप अधीक्षक,

बाराबंकी।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०७ पर)

२ जुलाई, १९७३ को जिला लखीमपुर खीरी में गिरफ्तार व्यक्तियों की सूची

क्रम-संख्या	डी० आई० आर० के अन्तर्गत बन्दी व्यक्तियों के नाम पते	बंदी किस जाति के हैं हरिजन या अन्य ।
१	श्री गुरुदयाल सिंह पुत्र बक्सी सिंह, सा० सुमेरनगर थाना पलिया	सिक्ख
२	श्री राम खेलावन पुत्र पल्टन राम, ,, ,,	हरिजन
३	श्री मिट्ठू लाल पुत्र नंगू ,, ,,	हरिजन
४	श्री वीरेन्द्र पुत्र महंगू ,, ,,	हरिजन
५	श्री भिरगुन पुत्र मेंहदी ,, ,,	हरिजन
६	श्री अमृत लाल पुत्र कालू ,, ,, ..	हरिजन
७	श्री रामबली पुत्र बनारसी ,, ,,	हरिजन
८	श्री हरदेव सिंह पुत्र रक्खा सिंह, सा० शान्ति नगर, थाना पूरनपुर, जिला पीलीभीत ।	सिक्ख
९	श्री भगवान स्वरूप पुत्र नरायन लाल, सा० शान्ति नगर, थाना पूरनपुर, जिला पीलीभीत ।	बनिया
१०	श्री बनवारी पुत्र देवी, सा० खुशीपुर थाना पलिया, जिला खीरी	हरिजन
११	श्री राम कृष्ण राय पुत्र मदन मोहन लाल, सा० पलिया	भूमिहार
१२	श्री सीताराम पुत्र बन्धन, सा० कमलापुरी थाना पलिया	हरिजन
१३	श्री बालेश्वर पुत्र हरबू सिंह, सा० कृष्णानगर, थाना पलिया	ठाकुर
१४	श्री कुमार राम पुत्र मुन्नर, सा० रानीगंज थाना पलिया	हरिजन
१५	श्री शंकर पुत्र रामस्वरूप, सा० अहिरान थाना पलिया	बनिया
१६	श्री फेंकू पुत्र बीरबल, सा० इब्राहीमपुरी थाना पलिया	हरिजन
१७	श्री राम सकल पुत्र दुक्खी, सा० घोला फार्म थाना पलिया	हरिजन
१८	श्री भीषम पुत्र शोभा, सा० घोला फार्म, थाना पलिया	हरिजन
१९	श्री माजिद अली पुत्र जाहिद अली मो० पठान, थाना पलिया	मुसलमान
२०	श्री राम समरू पुत्र चिट्टकू, सा० बालापुर, थाना पलिया	हरिजन
२१	श्री केदार नाथ पुत्र दुर्गा, सा० इब्राहीमपुरी, थाना पलिया	हरिजन
२२	श्री राम किशोर पुत्र, फागू, सा० बालपुर, थाना पलिया	हरिजन
२३	श्री दलजीत सिंह पुत्र मेहरसिंह, सा० पलिया, थाना पलिया	सिक्ख
२४	श्री जगत किशोर पुत्र किशन देव, सिंगाहीखुर्द, थाना पलिया	ब्राह्मण

क्रम-संख्या	डी० आई० आर० के अतर्गत बंदी व्यक्तियों के नाम व पते	बंदी किस जाति के हैं हरिजन या अन्य
२५	श्री टेक चन्द पुत्र छकौडी, सा० खुशीपुर नयागांव थाना पलिया	बोट
२६	श्री गिरजा सरन पुत्र सहदेव प्रसाद, सा० हाथीपुर थाना कोतवाली	ब्राह्मण
२७	श्री देशरतन पाल पुत्र बल्देव प्रसाद, सा० बोझवा, थाना मीरा	मुराऊ
२८	श्री बलवंत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह, सा० कबीरगंज थाना पूरनपुर, जिला पीलीभीत ।	सिक्ख
२९	श्री राम गनेश पुत्र रामधनी, सा० घोला, थाना पलिया	हरिजन
३०	श्री कतवारू पुत्र लगन सा० घोला, थाना पलिया	हरिजन
३१	श्री सुखराम पुत्र हरिचरन, सा० रानीनगर, थाना पलिया	हरिजन
३२	श्री अब्दुल करीम पुत्र लौंगधारी, सा० सुमेरनगर, थाना पलिया	मुसलमान
३३	श्री कतवारू पुत्र मोती, सा० मुरार खेड़ा, थाना पलिया	हरिजन
३४	श्री सहदेव पुत्र बद्री, सा० घोला, थाना पलिया	हरिजन
३५	श्री विदेशी पुत्र सुखारी, सा० घोला, थाना पलिया	हरिजन
३६	श्री गनेशी पुत्र महाबीर, सा० गिरधरपुरी, थाना पलिया	हरिजन
३७	श्री सूरज पुत्र राम तपेश्वर, सा० रानीनगर, थाना पलिया	हरिजन
३८	श्री बुद्धन पुत्र फेंकू, सा० विशेनपुरी, थाना पलिया	हरिजन
३९	श्री चन्द्र देव पुत्र तपसी, सा० रानीनगर, जिला पलिया	हरिजन
४०	श्री विचित्र सिंह पुत्र गज्जू सिंह, सा० कबीरगंज, थाना पूरनपूर, जिला पीलीभीत ।	सिक्ख
४१	श्री सुरजीत सिंह पुत्र चन्नन सिंह, सा० हंसनगर, थाना पलिया	सिक्ख
४२	श्री परिधन पुत्र गोबरी, सा० बहादुरनगर, थाना पलिया	हरिजन
४३	श्री राम अनुज पुत्र विरजा प्रसाद, सा० घोला, थाना पलिया	हरिजन
४४	श्री चन्द्रभाल पुत्र रामदीन पाठक, सा० प्रतापनगर, थाना पलिया	ब्राह्मण
४५	श्री बलभेन्दर सिंह पुत्र बलबीर सिंह, सा० भूपनगर, थाना पलिया	सिक्ख
४६	श्री विसर्जन पुत्र मंहगू, सा० रानीनगर, थाना पलिया	हरिजन

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२० पर)

बजाज

१--श्री सिया राम सिंह, इलेक्शन इन्सपेक्टर, इलेक्शन आफिस देवरिया ।

२--श्री प्रताप नरायन जैसवाल, इडस्ट्रीज इन्स्टीट्यूट, देवरिया ।

३--श्री सुख राज पाण्डेय, प्रवक्ता, बुद्ध इन्टर कालेज, कुशीनगर, देवरिया ।

४--श्री राम गोपाल बंका, रामकोला देवरिया ।

५--श्री नरवदेश्वर शुक्ला, जिला अस्पताल, देवरिया ।

६--श्री नागरमल संकटा, प्रधान, ग्राम कनकपुरा, पो० आ० तरकुल्वा, जिला देवरिया ।

७--श्री अवधेश प्रसाद चतुर्वेदी, टीचर कुशीनगर, देवरिया ।

८--श्री बुद्धिनाथ तिवारी, टीचर, जूनियर हाई स्कूल, देवरिया ।

९--श्री प्रकाश चतुर्वेदी, प्रमुख क्षेत्रीय समिति, कसिया, जिला देवरिया ।

१०--डा० सत्य प्रकाश, चीफ मेडिकल आफिसर, देवरिया ।

११--श्री भगवत गोविन्द राव, रामकोला, देवरिया ।

१२--श्री विभूति नारायण सिंह, स्टेशन रोड, देवरिया ।

१३--श्री जगदीश सिंह, जूडिशियल मजिस्ट्रेट, कसिया, जिला देवरिया ।

१४--श्री कृष्ण बिहारी पाण्डेय, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेन्ट काउन्सिल देवरिया ।

लम्ब्रेटा

१--श्री राम किन्कर मिश्रा पुत्र श्री सालिगराम मिश्रा, मुकाम चकदैय्या, पो० हातिमपुर, देवरिया ।

२--श्री मदन राय, ग्राम देना पट्टी, पो० आ० मैनपुर, जिला देवरिया ।

३--श्री भुनेश्वर मनि, ग्राम-रिगवा बुजुर्ग, पो० कसिया, जिला देवरिया ।

४--श्री शंकर प्रसाद तिवारी, इन्जीनियर, जिला परिषद्, देवरिया ।

५--श्री कैलाश उपाध्याय पुत्र श्री मंगला उपाध्याय, एम० एल० ए०, कसिया, जिला देवरिया ।

६--श्री राजेश्वर पाण्डेय, ओवरसीयर, कसिया, जिला देवरिया ।

फिएट

१--श्री चन्द्र हास शर्मा, एस० डी० एम०, पड़रौना, जिला देवरिया ।

अम्बेसडर

१--श्री रामधारी शास्त्री, एम० एल० ए०, कसिया देवरिया ।

२--श्री मंगल उपाध्याय, एम० एल० ए०, ग्राम विशुनपुरा, पो० आ० जोरामन खास, जिला देवरिया ।

स्टैण्डर्ड गजेल

शून्य ।

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ८३२ पर)

उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) विधेयक, १९७४

शैक्षिक संस्थाओं की आस्तियों के अपव्यय को निवारित करने के अध्युपायों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत के गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, १९७४ कहलायेगा।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषाएं

२--जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में--

(क) "निदेशक" का तात्पर्य, यथास्थिति, शिक्षा निदेशक (उच्चतर-शिक्षा) या शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) से है, और इसके अन्तर्गत, निदेशक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अपर शिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक या संभागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका भी हैं ;

(ख) "संस्था" या "शैक्षिक संस्था" का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था, या किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी विश्व-विद्यालय, से सम्बद्ध अथवा उसके द्वारा मान्यता प्राप्त किसी उपाधि महाविद्यालय या स्नातकोत्तर महाविद्यालय से है, किन्तु इसके अंतर्गत ऐसी संस्था नहीं है जिसका पोषण केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाता हो;

(ग) किसी संस्था के सम्बन्ध में, "प्रबन्धतंत्र" का तात्पर्य ऐसी प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय या व्यक्ति से है, जिसे उस संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने का भार दिया गया हो;

(घ) किसी संस्था के संबंध में, "सम्पत्ति" के अन्तर्गत संस्था की अथवा पूर्णतः या अनन्य रूप से संस्था के लाभार्थ विन्यासित सभी स्थावर सम्पत्तियां भी हैं, जिसके अन्तर्गत ऐसी भूमि, भवन और ऐसी सम्पत्ति से जो प्रबन्धतंत्र के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हो, उद्भूत होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित भी हैं।

सम्पत्ति की तालिका प्रस्तुत करना

३--प्रत्येक संस्था का प्रबन्धतंत्र निदेशक को प्रथमतः, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर, और तदुपरान्त प्रतिवर्ष ३० सितम्बर तक संस्था की अथवा उसके प्रयोजनार्थ

विन्यासित समस्त सम्पत्तियों की तालिका जिसके साथ ऐसी विशिष्टियां होंगी जिन्हें निदेशक आवश्यक समझे, उसके द्वारा विहित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा ।

अपव्यय का निवारण

४—(१) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, प्रबन्धतंत्र कोई ऐसा व्यय नहीं करेगा जो शैक्षिक संस्था के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप न हो अथवा इतना अधिक हो कि उसकी आय से अननुपातिक हो अथवा किसी अन्य कारण से ऐसा हो जिसे कोई भी प्रज्ञावान प्रबन्धतंत्र संस्था के हित में व्यय करना उचित समझे, और जो इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत न हो ।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निदेशक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रबन्धतंत्र को कोई विनिर्दिष्ट व्यय या किसी विनिर्दिष्ट मद पर व्यय अथवा किसी विनिर्दिष्ट मद पर विनिर्दिष्ट सीमा के बाहर अथवा सिवाय विनिर्दिष्ट शर्तों तथा निर्बन्धनों के अनुसार, व्यय करने से, प्रतिषिद्ध कर सकेगा ।

(३) (क) जहां प्रबन्धतंत्र की यह राय हो कि कतिपय व्यय आवश्यक या समीचीन है किन्तु व्यय का प्रकार या उसकी धनराशि उसकी आय से अननुपातिक है तो प्रबन्धतंत्र निदेशक की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना वह व्यय नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण—किसी मद के सम्बन्ध में किसी ऐसे व्यय के लिये जो इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१, उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, १९७१, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ अथवा इन अधिनियमितियों के अधीन बनाये गये किसी नियम, विनियम या उपविधि या किसी परिनियम या अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन, अथवा राज्य सरकार के या निदेशक के किसी आदेश के अधीन, अथवा न्यायालय की किसी डिक्री के अधीन, प्राधिकृत हो, यदि वह नियमों, आदर्शों या सिद्धांतों के अनुसार अथवा उपयुक्त अधिनियमित, नियम, विनियम, उपविधि, परिनियम, अध्यादेश, आदेश या डिक्री द्वारा या उसके अधीन विहित परिसीमाओं के भीतर हो, तो इस उपधारा के अधीन निदेशक की स्वीकृति अपेक्षित न होगी ।

(ख) प्रबन्ध तंत्र कोई ऐसा व्यय नहीं करेगा जो उपधारा (२) के अधीन प्रतिषिद्ध हो ।

(४) (क) निदेशक उपधारा (२) के अधीन आदेश के विरुद्ध उसे अभ्यावेदन दिये जाने पर अथवा उपधारा (३) के अधीन स्वीकृति के लिये उसे आवेदन दिये जाने पर, और ऐसे विषयों तथा सूचना पर जिसे वह आवश्यक समझे, विचार करने पर शीघ्र अपना आदेश देगा ।

(ख) यदि निदेशक, अभ्यावेदन या आवेदन और उसके द्वारा इस निमित्त अपेक्षित अन्य दस्तावेजों या सूचना की प्राप्ति के दिनांक से आठ सप्ताह के भीतर अपना आदेश नहीं देता तो यह समझा जायेगा कि उसने प्रबन्धतंत्र द्वारा किये जाने वाले प्रस्थापित व्यय के बारे में अपनी स्वीकृति दे दी है ।

(ग) निदेशक अभ्यावेदन या आवेदन को पूर्णतः या अंशतः मंजूर या नामंजूर कर सकेगा ।

(५) यदि प्रबन्धतंत्र उपधारा (४) के अधीन निदेशक के आदेश से क्षुब्ध हो तो वह आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा, और राज्य सरकार का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

संपत्ति के अन्तरण के लिये पूर्वानुमोदन का आवश्यक होना

५--(१) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सम्पत्ति का जो शैक्षिक संस्था की हो या उसके प्रयोजनार्थ विन्यासित हो, अन्तरण तब तक विधिमान्य न होगा, जब तक कि निदेशक की लिखित पूर्व स्वीकृति इस आधार पर प्राप्त न कर ली जाय कि उक्त अन्तरण संस्था के हित में आवश्यक या लाभप्रद या समीचीन है।

(२) प्रबन्धतंत्र, यदि वह निदेशक के उपधारा (१) के अधीन स्वीकृति नामंजूर करने के आदेश से व्यथित हो, तो उस आदेश के विरुद्ध अपील, उसके संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस जिला न्यायाधीश को जिसकी अधिकारिता के भीतर उक्त संस्था या सम्बद्ध सम्पत्ति हो, कर सकेगा और अपील पर जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम होगा।

निदेशक की शक्तियां

६--धारा ४ की उपधारा (४) या धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन जांच के प्रयोजनार्थ निदेशक की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:--

(क) स्वयं या ऐसी सहायता से जिसे वह उचित समझे, किसी शैक्षिक संस्था के भू-गृहादि में प्रवेश करना;

(ख) स्वयं या ऐसी सहायता से जिसे वह उचित समझे, शैक्षिक संस्था की समस्त सम्पत्ति का, तथा उससे संबंधित सभी अभिलेखों तथा दस्तावेजों का निरीक्षण करना;

(ग) ऐसे समय और स्थान पर तथा ऐसे प्रपत्र में जैसा वह निदेश दे, संस्था की निधियों, सम्पत्ति या आय से संबंधित कोई भी रिपोर्ट, विवरण, लेखा या अन्य सूचना मांगना;

(घ) संस्था की सम्पत्ति के संरक्षण के लिए उपाय करना अथवा प्रबन्धतंत्र को या किसी अन्य व्यक्ति को जो संस्था के प्रशासन का प्रभारी हो या उससे सम्बन्ध रखता हो, उपाय करने के लिए निदेश देना; और

(ङ) प्रबन्धतंत्र को या किसी अन्य व्यक्ति को, जो संस्था के प्रशासन का प्रभावी हो या उससे सम्बन्ध रखता हो, संस्था की खोयी हुई किसी सम्पत्ति की वापिसी के उपाय करने के लिये निदेश देना।

शास्ति

७--यदि किसी शैक्षिक संस्था के प्रबन्धतंत्र का कोई सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति जो किसी ऐसी संस्था के प्रशासन का प्रभारी हो या उससे सम्बन्ध रखता हो--

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों का या तद्धीन जारी किये गये आदेशों तथा निदेशों का अनुपालन करने से इनकार करेगा, उसकी उपेक्षा करेगा या उसमें असफल रहेगा अथवा इस अधिनियम के अधीन की गयी किन्हीं कार्यवाहियों में बाधा डालेगा, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित किन्हीं रिपोर्टों, विवरणों, लेखाओं या अन्य सूचना प्रस्तुत करने से इनकार करेगा, उसकी उपेक्षा

करेगा या उसमें असफल रहेगा, तो ऐसा सदस्य या अन्य व्यक्ति कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

इस अधिनियम के अधीन की गयी कार्यवाही के लिये संरक्षण

८—(१) इस अधिनियम या तद्धीन दिये गये आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किये गय या किये गये तात्पर्यित किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार का कोई अधिकारी या सेवक किन्हीं सिविल या दाण्डिक कार्यवाहियों में दायी नहीं होगा।

(२) इस अधिनियम अथवा तद्धीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशायित किसी बात के कारण किसी ऐसे नुक्सान के लिए जो हुआ हो या जिसके होने की संभावना हो, अथवा किसी ऐसी क्षति के लिए जो हुई हो अथवा जिसके होने की संभावना हो, राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उद्देश्य और कारण

शैक्षिक संस्थाओं के प्रबन्धतंत्रों द्वारा संस्थाओं की निधियों के दुरुपयोग तथा सम्पत्तियों के अपव्यय को निवारित करने के उद्देश्य से यह प्रस्थापना है कि शैक्षिक संस्थाओं के प्रबन्धतंत्रों द्वारा संस्थाओं की सम्पत्ति की तालिका प्रस्तुत करने की तथा उन्हें कोई ऐसा व्यय करने से जो अत्यधिक हो अथवा सम्बद्ध संस्थाओं के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों से परे हो, रोकने की, व्यवस्था की जाय। यह भी प्रस्थापित है कि प्रबन्धतंत्र को शिक्षा निदेशक की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था की, अथवा उसके प्रयोजनों के निमित्त विन्यासित, किसी सम्पत्ति को अन्तरित करने से निवारित किया जाय।

तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

हेमवती नन्दन बहुगुणा,
मुख्य मन्त्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए०पी० १२२ वि०सभा—(१५५०)—१९७५—८४५।